छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

पंचम विधान सभा **प्रथम सत्र**

मंगलवार, दिनांक 19 फरवरी, 2019

(माघ 30, शक सम्वत् 1940)

[अंक 13]

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 19 फरवरी, 2019

(माघ 30, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कुछ नहीं बोलूंगा, हालत गंभीर है ।

रायगढ़ जिला अंतर्गत शौचालय निर्माण का लंबित भुगतान

1. (*क्र. 60) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रायगढ़ जिला अंतर्गत कितने शौचालय का निर्माण किया गया है एवं निर्मित शौचालयों की कितनी राशि भुगतान हेतु लंबित है ? लंबित भुगतान कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : रायगढ़ जिला अंतर्गत कुल 212447 शौचालय का निर्माण किया गया है एवं निर्मित शौचालयों की राशि रू. 3322.45 लाख प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु लंबित है. लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान केन्द्र से आवंटन प्राप्त होने पर पूर्ण कर लिये जायेंगे.

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि रायगढ़ जिले में कितने शौचालय निर्माण की राशि बकाया है, इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रायगढ़ जिले के 9 विकासखंडों में कुल 761 ग्राम पंचायतों में सभी ओडीएफ तो घोषित हो गए हैं । कुल 2 लाख, 12 हजार 447 शौचालयों का निर्माण हुआ है । स्वच्छ भारत मिशन से 1 लाख, 48 हजार 986, महात्मा गांधी नरेगा से 56 हजार 642, डीएमएफ मद से 6819 शौचालय । कुल निर्मित 2 लाख, 12 हजार 447 शौचालयों के विरूद्ध राशि 254 करोड़ 93 लाख का भुगतान किया जाना था । स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कुल 149.99 करोड़ की राशि एवं महात्मा गांधी नरेगा से 67.97 करोड़ की राशि तथा अन्य योजनाओं से कुल 3.74 करोड़ की राशि भुगतान, इस प्रकार कुल 221.71 करोड़ की राशि का भुगतान किया जा चुका है । स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से राशि 28.78 करोड़ एवं डीएमएफ मद की राशि 4.43 करोड़ का भुगतान लंबित

है । इस प्रकार 33.22 करोड़ की राशि का भुगतान लंबित है । रायगढ़ जिले में 29 करोड़ रूपए जल्द से जल्द रिलीज़ होने वाले हैं । अध्यक्ष महोदय, कारण यह था कि केन्द्र सरकार से यह राशि समय पर उपलब्ध नहीं हुई थी और हालांकि रायगढ़ जिला 30 नवम्बर, 2017 को ओडीएफ कर दिया गया था ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है । 3322.45 लाख प्रोत्साहन राशि लंबित है । दूसरी बात, कि डीएमएफ की राशि का उपयोग शौचालय निर्माण में किया गया है । जबकि यह केन्द्र के माध्यम से, मनरेगा के माध्यम से होना है, जिसका आवास निर्माण हो रहा है उनके माध्यम से निर्माण होना है । इसमें डीएमएफ का उपयोग होना तो बिल्कुल गलत है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न क्या है ?

श्री लालजीत सिंह राठिया :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि इसमें डीएमएफ के मद का उपयोग क्यों किया गया और जितनी राशि का भुगतान बाकी है, यह कब तक कर दिया जाएगा ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, यह पूर्व सरकार का निर्णय था और डीएमएफ की राशि में 60/40 के अनुपात में, प्रभावित क्षेत्र में मूलत: इस राशि को खर्च करने का प्रावधान है । माननीय कलेक्टर साहेबानों की अध्यक्षता में जिले में डीएमएफ की समिति बनी । उसमें अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ इसका निर्णय हुआ था कि कितनी राशि 60/40 की किन-किन कार्यों में खर्च की जाएगी और सामाजिक क्षेत्र में 60 प्रतिशत और निर्माण के क्षेत्र में 40 प्रतिशत ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम प्रश्न । डीएमएफ की राशि किन-किन क्षेत्रों में कहां-कहां खर्च की जाती है ? क्या यह डीएमएफ की राशि खर्च हुई है, जो खदान प्रभावित क्षेत्र है, खनिज प्रभावित क्षेत्र में उपयोग की गई है या अन्य क्षेत्रों में इसकी राशि का उपयोग किया गया है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, जो घर बेस लाईन सर्वे में नहीं आए थे। जिनकी राशि का भुगतान अन्य मदों से किया जाना था, बेस लाईन सर्वे में जो घर नहीं आए हैं उनको डीएमएफ के मद से कवर किया गया है क्योंकि उनका सर्वे ही नहीं हुआ था ।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा में बड़ेराजपुर ब्लॉक के बड़ेराजपुर पंचायत के सरपंच के द्वारा पैसा निकाल लिया गया है और वहां के हितग्राहियों के लिए शौचालय बना भी नहीं है । कहीं कुछ बना भी है तो उसका भुगतान भी नहीं किया गया है । क्या उसकी जांच कराएंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- आप कौन सी जगह की बात कर रहे हैं?

श्री संतराम नेताम :- बड़ेराजपुर ब्लाक का बड़ेराजपुर पंचायत का है सर। एक ही पंचायत की बात रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- कौन से जिले की बात कर रहे हो ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री संतराम नेताम :- सर, कोण्डागांव जिले की ।

अध्यक्ष महोदय :- वे रायगढ़ की पूछ रहे हैं।

श्री संतराम नेताम :- नहीं, मैं इसी से जुड़ा हुआ है। पूरे प्रदेश में इस प्रकार की हालत है। मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसकी जांच कराएंगे?

अध्यक्ष महोदय :- अलग से.....।

श्री मनोज सिंह मंडावी :- वे तो खड़े हैं, वे बता सकते हैं न। वे खड़े हैं, वे बता सकते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि मनरेगा से बनाये गये हैं और एस.बी.एम. से बनाये गये हैं। उसके अतिरिक्त अन्य मद से और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से भी बनाये गये हैं। मनरेगा की राशि या एस.बी.एम. की राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त होने में देरी हो सकती है। पर अन्य मद के और डी.एम.एफ. के भुगतान अभी तक कितना बकाया है, वह बकाया है। वह तो यहीं की राशि है और कितने दिन से बकाया है?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- इसमें डी.एम.एफ., सी.एस.आर. एवं अन्य मद से रायगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 184.04 करोड़.....।

श्री अजय चन्द्राकर :- हां, रायगढ़ ही।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 172.7 .....।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, मैंने संख्या नहीं पूछा है। मेरा क्वेश्चन बहुत स्पेशिफिक है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- आपने राशि पूछी।

श्री अजय चन्द्राकर :- कौन-कौन मद से कितनी राशि व्यय की गई है? आंकड़े ये हैं और उसके बाद भी ये तीनों स्थानीय राशि है। सी.एस.आर. स्थानीय है और डी.एम.एफ. भी स्थानीय है। तो 17 में ओ.डी.एफ. घोषित हो गया तो 19 तक इन मदों का भुगतान क्यों बकाया है ? एस.बी.एम. में ठीक है केन्द्र सरकार से नहीं आया है या मनरेगा से नहीं आया है। यह तो मान सकते हैं। लेकिन यह तो स्थानीय राशि है इसका भुगतान 2 साल से क्यों नहीं हुआ है, इसका कारण बतायें। कौन-कौन मद से कितनी राशि का भुगतान किन कारणों से शेष है?

श्री मनोज सिंह मंडावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री थे तो हमेशा यह घोषणा करते थे कि हर क्षेत्र में भुगतान हो गया। पूरे प्रदेश में भुगतान हो गया तो अभी बाकी क्यों पेंडिंग है?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- पूरी जानकारी रखने वाले प्रश्न ही पूछ रहे हैं (मेजों की थपथपाहट) फिर भी उनको जानकारी होनी चाहिए थी कि हम ....।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अमरजीत भगत :- किया धरा आपका और जवाब इधर से। (हंसी)

श्री मनोज सिंह मंडावी :- यह हमेशा कहा जाता था कि पूरा-पूरा भुगतान किया गया है और उसके बाद पूरा-पूरा बाकी है और उसके बाद खुद पूछ रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- पूरी जानकारी शार्ट एण्ड (व्यवधान) अब जानकारी आपके पास है राजा साहब। आप बताइये। आप पलायनवादी उत्तर मत दीजिए। वे इधर के लोगों का काम है। आपका नहीं है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- बताने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- नहीं, जितना भी गड़बड़ी है, आप ही ने किया है न।

श्री अजय चन्द्राकर :- तुरंत आप घोषित करो। तुरंत एस.आई.टी. बनाओ। तुरंत जो करना है करो।

श्री मनोज सिंह मंडावी :- तो स्वीकार करने में इतना गुस्सा क्यों ?

श्री मनोज सिंह मंडावी :- आप चाहेंगे तो करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत छोटा सा प्रश्न है और स्पेशिफिक है।

अध्यक्ष महोदय :- उनको स्पेशिफिक जवाब दे दीजिए।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- वे एस.आई.टी. से काफी प्रभावित हैं माननीय सदस्य महोदय और उनको लगने लगा है कि एस.आई.टी. के माध्यम से ही बहुत सारी चीजों की जानकारी मिल सकती है। फिलहाल मुझे लगता है कि इसमें एस.आई.टी. के गठन की कोई आवश्यकता भी नहीं है। डी.एम.एफ. मद में पैसों के भुगतान में लेट के कई कारण हो सकते हैं। पूर्व मंत्री जी भी बता सकते थे। डी.एम.एफ. की एक तो राशि हर जिले में एक साथ उपलब्ध हुई है कि नहीं हुई है। जिन कंपनियों से आना था, वहां से राशि के आने में विलंब भी इसके कारण हो सकते हैं किन्तु मैं आपको इस बात का विश्वास दिला रहा हूं कि राशि की उपलब्धता की जानकारी लेकर और तत्काल इसका भुगतान करने की व्यवस्था कर दी जाएगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह प्रश्नकाल इसीलिए है कि उत्तर आये। मैंने छोटी सी बात कही कि केन्द्र की राशि प्राप्त नहीं हुई तो हम मान सकते हैं देरी हो गई किन्हीं कारणों से । डी.एम.एफ. का यहीं का पैसा दो साल की अवधि दो साल पहले रायगढ़ ओ.डी.एफ. घोषित हो चुका है, जैसा कि आपने बताया। दूसरे सी.एस.आर. के मद हैं, वह दो साल हो चुका तो कितना पैसा लगाया गया कौन-कौन से मद से और उसके भुगतान में अब तक क्यों देरी है। कब होगा ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी ने कहा है.....।

श्री अजय चन्द्राकर :- अतिशीघ्र हो जायेगा, यह हमारा उत्तर नहीं है, मैं जैसा समझता हूं। अतिशीघ्र को तो दो साल हो चुके। यह तो बहुत छोटा सा प्रश्न है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- रेखचंद जैन।

श्री मनोज सिंह मंडावी :- हमारा यह कहना है। जब पेंडिंग था तो फिर ओ.डी.एफ. घोषित क्यों किये? आप ही तो किये हैं। ओ.डी.एफ. घोषित करने वाले आप और उसके बाद यह पेंडिंग क्यों है?

अध्यक्ष महोदय :- रेखचंद जैन।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि

2. (*क्र. 637) श्री रेखचन्द जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत् केन्द्र एवं राज्य सरकार से वर्ष 2016-17 से 25.1.2019 तक कितनी-कितनी राशि का आवंटन जारी किया गया ? जिलेवार बताएं ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत् केन्द्र एवं राज्य सरकार से वर्ष 2016-17 से 25.1.2019 तक आवंटन राशि की जानकारी †[1] संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिलों को आवंटित राशि की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार.

श्री रेखचन्द जैन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक प्रश्न करना चाह रहा हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत केन्द्र एवं राज्य सरकार से वर्ष 2016-17 से फरवरी 2019 तक कितनी-कितनी राशि का आबंटन राशि किया गया है? जिलेवार बताएं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन.....।

अध्यक्ष महोदय :- ये तो जिलेवार जानकारी आपको दे दिये हैं न।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- इस संदर्भ में मांगी गई जानकारी मैं पढ़ भी सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, पढ़िए मत। बहुत लंबा है। आप उत्तर दे चुके हैं। आप उत्तर में से प्रश्न पूछें।

श्री रेखचंद जैन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कार्पोरेशन के द्वारा सप्लाई किए गए उपकरणों एवं दवाईयों में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई है ? यदि ऐसा हुआ है तो क्या गड़बड़ी पाई गई है ? उसमें किसे दोषी पाया गया और दोषी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई ?

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। काफी विस्तृत प्रश्न है। मैं जानकारी लेकर सदस्य महोदय को उपलबध करा दूंगा।

---

[1] परिशिष्ट "एक"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रेखचंद जैन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या बस्तर संभाग के किसी जिले में मितानीन प्रोत्साहन राशि में आर्थिक अनियमितता का कोई प्रकरण सामने आया है ? यदि हां तो क्या कार्रवाई की गई ?

अध्यक्ष महोदय :- आप इसकी भी जानकारी दे दीजियेगा।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी उपलब्ध करा दूंगा।

श्री रेखचंद जैन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जानकारी है। मैं सदन में इस बात को रखना चाहता हूँ। कांकेर जिले के पखांजूर में मितानीन प्रोत्साहन में राशि के नाम से 48 लाख रूपये की गड़बड़ी पाई गई है।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से संबंधित है या नहीं, एक तो यह प्रश्न है। अगर उनको कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं उनको उपलबध करा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- इस प्रश्न से उद्भुत नहीं होता है।

श्री रेखचंद जैन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- आप उसको रखे रहिये। बाद में मंत्री जी के पास जाकर जानकारी ले लीजियेगा।

श्री रेखचंद जैन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी-जी। क्योंकि भारी अनियमितता हुई है और इसकी जांच होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जी, मेरा आपसे एक ही अनुरोध है।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, कोई भी अनियमितता हुई है तो निश्चित रूप से उसकी जांच हो जायेगी। आप जानकारी दे दीजियेगा।

<u>प्रदेश में मनरेगा अंतर्गत संपादित कार्य एवं मजदूरों का लंबित भुगतान</u>

3. (*क्र. 859) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ.ग. प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिनांक 25.01.19 तक मनरेगा अंतर्गत कितने कार्य कितनी राशि के किए गए ? जिलेवार, बतायें ? (ख) छ.ग. प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में कितने मजदूरों को काम दिया गया ? जिलेवार जानकारी बतायें कितने परिवार ने जाब कार्ड में अपना पंजीयन कराया है ? जिलेवार जानकारी बतायें ? (ग) प्रश्नांक "क" स्वीकृत कार्य में कितनी मजदूरी एवं कितनी सामग्री का प्रतिशत है ? जिलेवार बतायें ? (घ) वित्तीय वर्ष 2018-19 में मजदूरों एवं सामग्री की कितनी राशि का भुगतान नहीं हुआ है ? जिलेवार बतायें ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिनांक 25.01.2019 तक महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत किए गए कार्यों की जिलेवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में मजदूरों को दिए गए काम एवं पंजीकृत परिवार की जिलेवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) प्रश्नांक "क" के स्वीकृत कार्यों में मजदूरी एवं सामग्री का प्रतिशत की जिलेवार जानकारी ††[2] संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (घ) वित्तीय वर्ष 2018-19 में लंबित मजदूरी एवं सामग्री भुगतान की जिलेवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

श्री केशव चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से वर्ष 2018-19 के मनरेगा के मजदूरी और सामग्री भुगतान के बारे में प्रश्न किया था। उनका उत्तर आया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने बताया है कि वर्ष 2018-19 में 346.66 करोड़ रूपये मनरेगा में मजदूरों का भुगतान लंबित है। 79.30 करोड़ रूपये का सामग्री भुगतान लंबित है। आप ये भुगतान कब तक कर देंगे ?

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, इसमें सदस्य महोदय ने जानकारी चाही है। मनरेगा में जो मजदूरों को भुगतान होता है, यह सीधे केन्द्र सरकार से उनके खाते में जा रहा है। इसमें राज्य सरकार के पास न तो एक पैसा आता है और न लंबित रहता है। अगर उसमें कहीं दिक्कत है, यदि केन्द्र सरकार के पास राशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है या बैंक एकाउन्ट के लिंकेजेस में कई जगह प्राब्लम की बात आ रही है। हम लोग उसको दूर करने में लगे हुए हैं। यदि किसी कारण से, लिंकेजेस के चलते भुगतान में विलंब हो रहा है, उसके लिए हम लोग केन्द्र सरकार से लगातार संपर्क में हैं कि वे राशि उपलब्ध करा दें। राज्य सरकार सामग्री की राशि का अपना जो स्सिा है, वह उपलब्ध है। केन्द्र सरकार से जैसे ही आता है, केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त होते ही हम उसका आवंटन करा देंगे।

श्री केशव चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 41 लाख मजदूरों ने काम किया है। 41 लाख लोगों के रोजी-रोटी की बात है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। आपने तो जवाब दिया कि केन्द्र सरकार से राशि नहीं आई है या बैंक में लिंकेज का प्राब्लम है। कृपया आप यह बता दे कि आपकी सरकार को बने दो माह से ज्यादा समय हो गया है। आपने इस राशि का लाने के लिए क्या प्रयास किया है ? क्या उन मजदूरों के प्रति आपकी सरकार की सहानुभूति है कि उनको मजदूरी मिल जाये ?

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार को 4.1.2019 और 14.1.2019 को स्मरण-पत्र भेजे गए हैं। उसके अतिरिक्त हमारे प्रतिनिधि सचिवालय में जाकर वहां पर लगातार

---

[2] परिशिष्ट "दो"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सम्पर्क कर रहे हैं। फोन द्वारा भी लगातार संपर्क किया जा रहा है कि राशि आवंटन जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा दिया जाये। मैं सदस्य महोदय और सभी सदस्यों को आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि हम लोग भी अत्यधिक चिंतित रहते हैं कि मजदूरों का भुगतान 15 दिन से ज्यादा लंबित न रहे और उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी राशियों का आवंटन प्राप्त भी कर लें और भुगतान भी करा दें।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती इंदू बंजारे।

श्री केशव चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ...।

अध्यक्ष महोदय :- पर्याप्त उत्तर आ गया है। श्रीमती इंदू बंजारे को पूछने दीजिये।

श्री केशव चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पंजीकृत परिवारों की संख्या 39 लाख 51 हजार बताया है। ये पंजीकृत परिवार हैं, जो मनरेगा में काम करना चाहते हैं। सरकार की योजना डेढ़ सौ दिवस काम देने का है। सौ दिन केन्द्र सरकार की और पचास दिन राज्य सरकार की है। डेढ़ सौ दिन उनको काम मिले, इसके लिए आपकी क्या कार्ययोजना है ?

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, जानकारी कई बार सदन में रखी जा चुकी है। एक तो मनरेगा डिमांड आधारित मानी जाती है कि जहां-जहां काम मांगा जाता है, वहां-वहां काम खोला जाता है । हम लोगों का ये भी प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक यदि अपने तरफ से हम काम देते हैं, हालांकि ये शायद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए क्योंकि यह डिमांड आधारित है क्योंकि काम खोलने के लिए पूछा भी जा सकता है कि आपको कहीं काम चाहिए तो माननीय सदस्य को भी और सदन को भी कहना चाहता हूं कि जहां से मांग आएगी, वहां तत्काल काम खोलने की व्यवस्था छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी और जो आपने डेढ़ सौ दिवस रोजगार के लिए भी कहा है तो कुल संख्या का बहुत ज्यादा प्रतिशत नहीं होगा, फिर भी 11,992 परिवारों को डेढ़ सौ दिवस का रोजगार और 2.73 लाख परिवारों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध हुआ है । हम इससे संतोष व्यक्त नहीं कर रहे हैं । छत्तीसगढ़ राज्य और ज्यादा ये लक्ष्य हासिल करे, यह बहुत अच्छा होगा । शत-प्रतिशत हासिल कर ले कि जितने पंजीकृत परिवार हैं, वे सब काम पर आ जाएं और सबको डेढ़ सौ दिन का काम मिले, यह हमारा प्रयास रहेगा ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न है। छत्तीसगढ़ से सबसे ज्यादा मजदूर पलायन करते हैं और बंधक भी बनाए जाते हैं, प्रतिदिन शिकायत आती है और उसका कारण यही है कि मनरेगा के अंतर्गत उनको काम नहीं मिलता और काम मिल गया है तो मजदूरी की कोई गारंटी नहीं है । मैं पुन: एक बार माननीय मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि मजदूरों का 346 करोड़ रूपए जो लंबित भुगतान है, जिसमें 12 करोड़ रूपए मेरे जिले का भी है, आपके जिले सरगुजा का

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

भी 14 करोड़ है, बलरामपुर का 2 करोड़ और सूरजपुर का 32 करोड़ लंबित भुगतान है । ये जो मजदूरी भुगतान है, कृपा आप समय सीमा तय करेंगे क्या कि निश्चित दिवस तक भुगतान कराएंगे ? दूसरे दिन आपने 15 दिन की बात बतायी है कि 15 दिन में भुगतान हो जाएगा तो 15 दिन के बाद भुगतान कर रहे हैं क्या और मनरेगा में जो नियम है, उसके अनुसार उनको ब्याज देंगे क्या ?

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-कानून के तहत जो भी व्यवस्था है, उसके तहत भुगतान करने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे और सबके सामने ये बात है, किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि भुगतान आने में विलंब होता है और यह प्रयास किया जा रहा है कि जहां 3-3, 4-4, 6-6 महीने के विलंब से भुगतान होता था, उसकी अवधि को कम से कम किया जाए और हमारा लक्ष्य यही है कि 15 दिन के अंदर भुगतान करें और हम लोगों का प्रयास उसी दिशा में रहेगा कि कम से कम दिनों के अंदर उसका भुगतान किया जा सके और मैं इस बात को भी दिखवा लूंगा कि विलंब से राशि प्राप्त होने पर क्या पेनाल्टी या जो ब्याज लगना चाहिए, उसका प्रावधान है कि नहीं ? मेरी जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली राशि विलंब से प्राप्त होने पर उसमें पेनाल्टी का प्रावधान एक्ट में नहीं है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मजदूरों का मामला है, कृपया समय-सीमा तय कर दें । आप एक महीने में देंगे, दो महीने में देंगे, एक साल में देंगे, दो साल में देंगे, एक निश्चित समय-सीमा तो बता दें।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, वे आपके प्रश्न को समझते हैं । वे कर देंगे ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संवेदनशील होने से मजदूरों के घर का चूल्हा नहीं जलेगा, उनको मजदूरी मिलेगी, तब उनका चूल्हा जलेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- वे चूल्हा भी जलाएंगे, चिन्ता मत करो ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, माननीय मंत्री जी समय-सीमा बता दें । सरकार कहती है कि हम किसानों के प्रति संवेदनशील हैं, उन्होंने सब कामों को रोककर कर्ज माफ किया तो मजदूरों के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए । ये समय-सीमा बता दें, मजदूरों ने एक साल से काम किया है, लेकिन उनको मजदूरी का भुगतान नहीं मिला है । मंत्री जी सदन में समय-सीमा बता दें ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त होते ही दूसरे दिन उनके खाते में आ जाएगा । हम लोगों को कुछ नहीं करना है और आपके साथ केन्द्र सरकार के पास

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

चलेंगे । वहां भी सबसे बात करके आ जाएंगे, अगर माननीय विधायक जी समय देंगे तो मैं जरूर उनके साथ चलूंगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि केन्द्र सरकार से राशि उपलब्ध होते ही हम भुगतान कर देंगे।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको संशोधन कर लीजिए । केन्द्र सरकार से राशि खाते में ही जाती है, हम लोगों को प्राप्त नहीं होती ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राप्त होती है मतलब शासन को ही प्राप्त होती है, मेरा मतलब वही है ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खाते में । हितग्राही के खाते में डायरेक्ट डेबिट ट्रांसफर होता है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे 27 जिले में सामग्री और मजदूरी, दोनों का भुगतान बाकी है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार से पूर्व में जो राशि प्राप्त हुई है क्या उसका यूटिलाईजेशन सर्टिफिकेट भेज दिया गया है और आपने केन्द्र सरकार से कब डिमांड की, इसकी जानकारी दे दीजिए ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दो तारीखें तो अभी बताई है, जो पत्र भेजा था । कब-कब फोन से बात किया और कब-कब अधिकारी वहां गये और चर्चा की, मैं यह भी जानकारी सदस्य को उपलबध करा दूंगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- पूर्व में जो राशि प्राप्त हुई है, उसकी यूसी भेज दी क्या ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, यू.सी. जरूर चली जाती होगी, मैं आपको डिटेल्स पूरी दे दूंगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, चली जाती होगी, यानी आपकी जानकारी में नहीं है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरा क्या उल्लेख कर रहे थे साहब, क्या हो गया ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने संवेदनशील कहा, माननीय मंत्री जी की तो रूचि ही नहीं आ रही है । रूचि ही नहीं आ रही है, वह विधान सभा का अपना कक्ष ही नहीं खोल रहे हैं । उसके लिए एस.आई.टी. हम लोग बनायेंगे ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- बैठकर ही आ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, चाय के लिए इसके बाद चलेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- कक्ष में क्यों नहीं जा रहे हैं, उसके लिए विधायक दल की एस.आई.टी. बनायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- नई सदस्य है, उसको पूछने दीजिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

प्रदेश के महाविद्यालयों में प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं स्टाफ के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पद

4. (*क्र. 950) श्रीमती इन्दू बंजारे : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छ.ग. प्रदेश में कुल कितने कहां कहां शासकीय महाविद्यालय एवं अशासकीय महाविद्यालय संचालित हैं ? शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक एवं अन्य स्टाफ के स्वीकृत पद कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी दें ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) : छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल 252 शासकीय महाविद्यालय एवं 239 अशासकीय महाविद्यालय संचालित है. शासकीय महाविद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" में है एवं अशासकीय महाविद्यालयों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" में है. शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक एवं अन्य स्टाफ के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" में है.

श्रीमती इन्दू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कितने शासकीय और अशासकीय महाविद्यालय हैं और उसमें सहायक प्राध्यापक और प्राध्यापक के कितने-कितने पद रिक्त हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि हमारे प्रदेश के महाविद्यालयों में प्राध्यापक के 595 पद स्वीकृत हैं और 595 पद रिक्त भी हैं । क्या हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में इतने पढ़े-लिखे योग्य व्यक्ति नहीं मिले या इस पद को भरने की सरकार की नीति ही नहीं है, माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राध्यापकों के 595 पद स्वीकृत हैं और रिक्त हैं, यह सही बात है । पिछली सरकार ने इसमें क्यों पहल नहीं किया, मैं यह नहीं बता पाऊंगा । मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राध्यापकों के 595 पदों को भरने के लिए हमारी प्रक्रिया शुरू हो गयी है, बहुत जल्दी भी इसमें विज्ञापन जारी होगा ।

श्रीमती इन्दू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सहायक पद के लिए आपने 1384 पद निकाला है, मेरे ख्याल से आप लोगों को प्राध्यापकों के लिए भी विज्ञापन निकाल देना चाहिये, क्योंकि काफी लम्बे समय से, यानी जीरो पाईन्ट पर चल रहा है ।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, प्राध्यापकों के पद को भरने के लिए पी.एस.सी. के साथ बातचीत चल रही है और बहुत जल्दी उसका विज्ञापन निकलेगा।

अध्यक्ष महोदय :- जोगी जी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती इन्दू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक और प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हमारे प्रदेश में प्राध्यापकों के पद ही रिक्त नहीं है, बल्कि यहां पर स्नातकोत्तर प्राचार्य के 58 में से 33 पद रिक्त हैं, क्रीड़ा अधिकारी के भी 117 में 67 पद रिक्त हैं, ग्रंथालय में भी 125 में से 63 पद रिक्त हैं, रजिस्ट्रार में 18 में 9 पद रिक्त हैं । तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में भी 897 और 877 पद रिक्त हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि इसे कब तक भरेंगे ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट "स" में मैंने जो उत्तर दिया है, इसमें मैंने कहा है कि पी.जी. प्रिंसिपल, यूजी प्रिंसिपल, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी, ग्रंथपाल, रजिस्ट्रार, एवं तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी । मैं एक-एक का आपको बता देता हूँ कि हमारी सरकार दो महीने में क्या कर रही है । यू.जी.प्रिंसिपल और पी.जी.प्रिंसिपल, यह दोनों पदोन्नति के पद हैं । डी.पी.सी. करने का आदेश हमने 15 फरवरी 2019 को जारी कर दिया है । इनके पद पदोन्नति से भरे जायेंगे । प्राध्यापक के 595 पद है, जिसके लिए हम बहुत जल्दी विज्ञापन निकालने वाले हैं । सहायक प्राध्यापक के पद, जिसके काफी संख्या में रिक्त पद हैं, उसके लिए हमने ऑलरेडी विज्ञापन निकाल दिया है । क्रीड़ा अधिकारी और ग्रंथपाल की भी प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्दी उनके विज्ञापन निकलने वाले हैं । रजिस्ट्रार के पद, उसकी भी .....।

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा हूँ ...।

श्री उमेश पटेल :- उसकी भी प्रक्रियाधीन है । जो पदोन्नति के पद हैं...।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मंत्री जी बैठ जाईये । जोगी जी पूछ रहे हैं ।

श्री उमेश पटेल :- वर्ष 2018 में पदोन्नति के पद को प्रमोट करते हुये उनको रखा गया है वह भी प्रक्रिया में प्रस्तावित है ।

अध्यक्ष महोदय :- जोगी जी ।

श्रीमती इन्दू बंजारे :-माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल और सर ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल इसीलिए सवाल पूछ रही थी कि सार्वजनिक उपक्रमों में हमारे कितने एस.सी. और एस.टी. के कुशल और अकुशल श्रमिक कार्य करते हैं ? क्योंकि हम लोग एक तरफ यह बोल रहे हैं कि नया छत्तीसगढ़ गढ़ेंगे, हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को अपने ही क्षेत्र में ....।

अध्यक्ष महोदय :- जोगी जी ।

श्रीमती इन्दू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी से जुड़ा हुआ है । अगर नौकरी के लिए लोग नहीं मिलेंगे तो क्या हम आऊटसोर्सिंग से छत्तीसगढ़ में भर्ती करेंगे । इसलिए मैं कल पूछ रही थी तो माननीय मंत्री जी ने सवालों का जवाब नहीं दिया । मैं आपके माध्यम से उस सवाल की भी जानकारी मांगना चाहती हूँ ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- श्री जोगी जी ।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह खुशी की बात है कि माननीय मंत्री जी ने जो रिक्त पद है, उनको भरने की त्वरित कार्रवाई प्रारंभ की है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जो डायरेक्ट भर्तियां होंगी, उसमें क्या आप कुछ ऐसे प्रावधान करने वाले हैं जिससे हमारे प्रदेश के युवाओं को ही उसमें रखा जा सके? आपका विज्ञापन देखने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि बाहर के प्रदेश के लोग भी एप्लाई कर सकेंगे और अगर बाहर के प्रदेश के लोग भी एप्लाई करेंगे तो यह रोजगार अधिकांश बाहर के लोगों को मिल जायेगा। आप और हम सब पिछली सरकार की यह आलोचना करते थे कि बड़ी मात्रा में आऊटसोर्सिंग हो रही है, क्या वर्तमान सरकार इन नियुक्तियों के लिए ऐसा प्रावधान करेगी जिससे सारी नियुक्तियां हमारे छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को ही मिलें, बाहर के लोगों को नहीं?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य ने शायद सहायक प्राध्यापक के विज्ञापन को लेकर बात कही है। इस विज्ञापन में यदि देखेंगे तो सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है वह पूरा छत्तीसगढ़ पर बेस्ड है, उसमें प्रावधान किया गया है कि छत्तीसगढ़ के बारे में ही उसमें पूछा जायेगा ताकि छत्तीसगढ़ के लोगों को उसमें ज्यादा लाभ मिल सके।

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष महोदय, इससे आऊटसोर्सिंग नहीं रूकेगी। मध्यप्रदेश की सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने नियम बना दिया है कि कम से कम 70 प्रतिशत रिक्रूटमेंट में हमारे लोग ही आना चाहिए। क्या यह सरकार भी ऐसा कुछ करेगी? केवल सिलेबस में छत्तीसगढ़ का प्रश्न हम पूछेंगे, वह लोग रटकर आ जायेंगे और वही लोग फिर से यहां आ जायेंगे। क्या आप ऐसा कुछ ठोस कदम उठायेंगे कि छत्तीसगढ़िया लोग ही आयें?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए आयु सीमा में भी पांच वर्ष की छूट निर्धारित की गई है। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार आऊटसोर्सिंग नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ में अभी सहायक प्राध्यापक का पद निकला है, पिछले बार के विज्ञापन में एक हजार के आसपास पद निकले थे जिसमें भर्ती की संख्या 560 के आसपास थी। तो यदि देखेंगे तो बहुत सारे पद उसमें खाली चले जाते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि छत्तीसगढ़ के निवासियों को आयुसीमा में 5 साल की छूट मिल रही है, उनकी आयुसीमा बढ़ाई गई है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें एपीयर हो सकते हैं। दूसरा पद का जो सिलेबस है उसमें छत्तीसगढ़िया सामान्य ज्ञान को ही पूछने की बात की गई है इसलिए मुझे लगता है कि इसमें छत्तीसगढ़ के लोगों को पर्याप्त मौका मिलेगा।

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि बहुत से पद खाली रह जाते हैं इसलिए हमको बाहर के लोगों को लेना पड़ता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पर्याप्त शिक्षित नवयुवक उपलब्ध हैं। आपके सिस्टम में कोई ऐसी खराबी है कि पद रिक्त रह जाते हैं और उस बहाने से बाहर के लोग आ जाते हैं। आप उस खामी को दूर करिये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ये नहीं कहा कि पद जो रिक्त रह जाते हैं उसके कारण हमको बाहर के लोगों को लेना पड़ता है। ये फैक्ट है कि पिछली बार करीब 1000 लोगों के पद विज्ञापित हुए थे और 560 लोगों की भर्ती हुई। इसलिए ये कोशिश की गई है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को परीक्षा देने का मौका मिले।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरा पहला प्रश्न है कि जो गैर पी.एस.सी. के पद हैं वह परिशिष्ट में है आप भी देश सकते हैं, प्रदेश में जितने पद हैं उनको कब तक इस प्रक्रिया से नियुक्त करेंगे? दूसरा माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हमारी सरकार आऊटसोर्सिंग नहीं करेगी तो पिछली सरकार ने कौन-कौन से पदों में कितनी आऊटसोर्सिंग की थी ये बताने का कष्ट करेंगे?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो इस प्रश्न से यह उद्‌भुत नहीं होता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके उत्तर में आया है कि हमारी सरकार आऊटसोर्सिंग नहीं करेगी तो पिछली सरकार ने कौन-कौन से विषय में आऊटसोर्सिंग की थी, यह आप बतायेंगे?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आऊटसोर्सिंग नहीं करना यह नीतिगत निर्णय है। पुरानी सरकार ने किया है या नहीं किया है इससे रिलेटेड नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- उमेश जी, आप अच्छा उत्तर दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, नॉन पी.एस.सी. के जो पद हैं उच्च शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय है । आप उसको कब तक भरने जा रहे हैं, और कौन सी प्रक्रिया में और पिछली सरकार ने कौन कौन से पोस्ट में आउटसोर्सिंग कितनी संख्या में की थी, जिसको आप बंद करना चाह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- पिछली सरकार ने जो की थी, वो तो लंबी चौड़ी लिस्ट होगी आप इसका....।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि आउटसोर्सिंग बंद करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- आप उसको लिस्ट बनवा के.....।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, पिछली बार तो पूरी सरकार ही आउटसोर्सिंग थी न। आउटसोर्सिंग की सरकार समाप्त हो गयी है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, ये महत्वपूर्ण विषय है, मजाक का विषय नहीं है। उच्च शिक्षा मंत्री अच्छा उत्तर दे रहे हैं। कृपया आप बताइये।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा उत्तर दे रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि हमारी सरकार आउटसोर्सिंग नहीं करने वाली है, ये नीतिगत ....।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, पहली सरकार ने किस किस विभाग में आउटसोर्सिंग ...।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, अरे चंद्राकर जी सुन तो लीजिए उत्तर को।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, अच्छा चलिए साहब।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, ये नीतिगत निर्णय है और जहां तक आपकी बात है, आप चाहेंगे तो मैं उसको दिखवा के आपको पूरा उत्तर दिला दूंगा।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए। तृतीय चतुर्थ श्रेणी या गैर पी.एस.सी के जो पोस्ट हैं वो कब तक भरेंगे, उसका आपने उत्तर नहीं दिया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है नीतिगत निर्णय तब लिया गया जब उस विभाग में आउटसोर्सिंग होती रही। जैसा आप कह रहे हैं तो आउटसोर्सिंग कौन कौन से पोस्ट में कितनी हुई बताये। माननीय अध्यक्ष महोदय, छोटा सा प्रश्न है। इसमें आपका संरक्षण चाहिए।

श्री चंद्रदेव प्रसाद राय :- अध्यक्ष जी, माननीय अजय चंद्राकर जी आप तो जान रहे हैं कि कैसे कैसे पिछली बार आउटसोर्सिंग हुई थी। आप मंत्री जी को उसी चीज को पूछ रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आउटसोर्सिंग के नाम से हमेशा राजनीति होती रही है। माननीय मंत्री जी प्रश्न चाहते हैं बताईये न। आपके विभाग में कितनी आउटसोर्सिंग हुई है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के ...।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खाली आउटसोर्सिंग की बात होती है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आउटसोर्सिंग को बताना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बैठिये, बैठिये।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, कब तक भर्ती करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, उत्तर दे रहे हैं जरा बैठिये, बैठिये बैठिये।

श्री अमरजीत भगत :- ये आउटसोर्सिंग कराना चाहते हैं इसलिए...।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, ये बदनाम करने का चक्कर, यदि नैतिक साहस है तो बताना चाहिए कि उच्च शिक्षा में कितनी आउटसोर्सिंग हुई। कौन कौन से सन् में हुई कैसे हुई। बताने में क्या है अगर नीतिगत निर्णय है?

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय माननीय अजय चंद्राकर जी प्रथा तो आप लोग ही चलाये हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, ये लोग शांति से कुछ बात कहना जानते ही नहीं। हमेशा चिल्ला करके और उत्तेजित हो के बात करते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? मंत्री जी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि लड़ाई करने आये हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा पर सत्यनारायण जी इतना अच्छा उत्तर देते थे कि एक प्रश्न एक घंटे तक चला।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, हां चला, चला। एक घंटे तक चला।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, इतना अच्छा उत्तर देते थे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी आप कुछ जवाब देना चाहते हैं?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अजय चंद्राकर जी जो पूछ रहे हैं मैं उसका उत्तर उनको प्रोवाईड करवा दूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आउटसोर्सिंग नहीं हुई तो नीतिगत निर्णय कैसे हुआ बतायें।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री शिवरतन शर्मा जी मैंने कहा ये सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया है ये फैसला किसी पिछली सरकार को देखकर नहीं लिया गया है। ये नीतिगत निर्णय है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, अगर पहले आउटसोर्सिंग हुई है ...(व्यवधान)

श्री मनोज सिंह मंडावी :- अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी सरकार आउटसोर्सिंग करती थी, कांग्रेस सरकार नहीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये बैठिये।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल दो प्वाईंटेड प्रश्न है कि एक जो आउटसोर्सिंग का निर्णय लिया वो निर्णय ठीक है। इसके पहले माननीय सदस्य केवल इतना ही जानना चाह रहे हैं कि उच्च शिक्षा विभाग में किस किस पद पर कितना आउटसोर्सिंग हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- ये बहुत लंबा विषय है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लंबा नहीं है। दूसरा कब तक के खाली पद हैं उसको भरे जायेंगे और कब तक भरे जायेंगे। तो कब तक भरे जा सकते हैं मंत्री जी जवाब दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- दे चुके हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, लेकिन जवाब नहीं आ रहा है। पहले प्रश्न का भी जवाब नहीं आ रहा है। उसमें 10 होगा, 50 होगा, 100 होगा 200 होगा बहुत लंबा नहीं है। मंत्री जी का जवाब आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- ऐसा है, पहली बार मंत्री जी जवाब दे रहे हैं आप लोग भी कुछ....।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, नहीं, जवाब तो अच्छा दे रहे हैं। मंत्री जी जवाद दे रहे हैं इसीलिए अपेक्षा है।

अध्यक्ष महोदय :- आप उनको डराईये मत। आप बैठिए। माननीय सोरी जी।

कांकेर विधानसभा क्षेत्र में खेल मैदानों के संरक्षण/मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि

5. (*क्र. 873) श्री शिशुपाल सोरी : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कांकेर विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने खेल मैदान कहॉ-कहॉ हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देंवें ? (ख) वर्ष 2016-17 एवं 17-18 में खेल मैदान के मरम्मत/संधारण हेतु कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) : (क) कांकेर विधानसभा क्षेत्र में कुल 109 खेल मैदान हैं. जिसमें कांकेर विकासखण्ड में 42 एवं नरहरपुर विकासखण्ड में 67 खेल मैदान हैं. खेल मैदानों के स्थान की जानकारी प्रपत्र "अ" एवं प्रपत्र "ब" में †[3] संलग्न है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि के अंतर्गत खेल मैदान के मरम्मत/संधारण हेतु व्यय राशि की जानकारी निरंक है.

श्री शिशुपाल सोरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कांकेर विधान सभा में कितने खेल मैदान कहां-कहां हैं, उसकी जानकारी मांगी थी, मुझे सूची मिल गई है। मैंने 2 सालों का रखरखाव, वर्ष 2016-17 एवं 2017-2018 में खेल मैदान के मरम्मत/संधारण हेतु कुल कितनी राशि व्यय की गई? उसकी जानकारी मांगी थी और उसमें निरंक जानकारी आयी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि ये खेल मैदान के लिए मिनिमम क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? क्योंकि लगातार मैदान के रकबे सिकुड़ते जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा कुछ हमारे विधान सभा क्षेत्र के स्कूल हैं, जिनके पट्टे बन गये हैं। उमरादाहा है, दूधावा है और हमारे जो ये एम.एल.ए. साहब हैं उनके भी गांव का स्कूल है वह किसी निजी भूमि स्वामी के जमीन पर बना हुआ है और इस तरह के बहुत सारी शिकायतें हैं कि लगातार खेल मैदानों में अतिक्रमण हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे गांव से लगा हुआ एक गांव हैं ...।

[3] परिशिष्ट "तीन"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, आप इसमें भाषण मत दीजिए। आप प्रश्न करिये। आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री शिशुपाल सोरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पर अतिक्रमण कब तक हटेंगे ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी का पहला प्रश्न ये था कि खेल मैदान का कितना एरिया होना चाहिए? तो कोई ऐसा स्पेसिफिक डाइमेंशन नहीं है कि इतने एरिया को ही खेल मैदान कहा जाएगा। जहां खेल होता है वहां उसको खेल मैदान के रूप में विकसित किया जाता है और अतिक्रमण की शिकायत जो है हमने पता कराया था, कलेक्टर महोदय ने, मतलब उसमें उत्तर ये आया है कि ऐसा अतिक्रमण नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी है तो आप मुझे दिलवा दें तो उसके ऊपर जरूर कार्यवाही करेंगे।

<u>मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में छात्रावास की व्यवस्था</u>

6. (*क्र. 562) डॉ. विनय जायसवाल : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के महाविद्यालयीन छात्राओं के लिये कन्या छात्रावास हैं ? (ख) यदि नहीं तो सर्वसुविधायुक्त छात्रावास के निर्माण कराने की कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) : (क) जी नही. (ख) समय सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है.

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मनेन्द्रगढ़ शहर में पी.जी. कॉलेज, विवेकानंद कॉलेज में कन्या छात्रावास के विषय में प्रश्न था, इसमें माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है कि छात्रावास नहीं है। मैंने उनसे निवेदन किया था कि वह बहुत अच्छा शहर है। मनेन्द्रगढ़ पहाड़ों के बीच में बसा हुआ बहुत छोटा सा खूबसूरत पठारी एरिया है, समतल एरिया है और जो जनकपुर विधान सभा है वहां भी पी.जी. कॉलेज नहीं होने के कारण जितने आदिवासी क्षेत्र हैं अगर वहां कन्या छात्रावास हो जाता है तो वहां के लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह अच्छी जगह है मैं इसके लिए तो मैं नहीं कहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन वाकई में इनके कॉलेजेस में छात्राओं की संख्या बहुत अधिक है और उसको देखते हुए यहां छात्रावास बनना चाहिए और मैं विधायक जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपकी जो मांग है उस पर बिल्कुल विचार करते हुए, जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय देवव्रत जी।

प्रदेश में शराब की आपूर्ति तथा भुगतान

7. (*क्र. 823) श्री देवव्रत सिंह : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ शासन के आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में 31 जनवरी, 2019 तक किन-किन आपूर्तिकर्ता से कितनी राशि की एवं कुल कितनी मात्रा (लीटर) में देशी शराब एवं अंग्रेजी शराब की आपूर्ति करवाई गई ? (ख) आपूर्तिकर्ता कंपनी का नाम तथा किए गए भुगतान का ब्यौरा दें ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : (क) छत्तीसगढ़ शासन के आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में 31 जनवरी 19 तक शराब आपूर्तिकर्ता से आपूर्ति की गई शराब की राशि एवं देशी शराब एवं अंग्रेजी शराब की आपूर्ति की मात्रा की जानकारी निम्नानुसार है :—

वर्ष	आपूर्ति की गई शराब की राशि (करोड़ रुपये में)		आपूर्ति की गई शराब की मात्रा (लाख लीटर में)	
	देशी शराब	विदेशी शराब	देशी शराब	विदेशी शराब
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2017-18 (01-04-2017 से 31-03-2018 तक)	870.64	787.11	1106.66	481.26
2018-19 (01-04-2018 से 31-01-2019 तक)	797.88	772.42	1010.88	492.01

(ख) आपूर्तिकर्ता कंपनी का नाम तथा किए गए भुगतान की जानकारी †[4] संलग्न प्रपत्र "अ" एवं † प्रपत्र "ब" पर † संलग्न है.

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी?

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- चलिये। आप प्रश्न पूछिए। कोई भी जवाब देंगे।

[4] परिशिष्ट "चार"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री देवव्रत सिंह :- अच्छा माननीय अकबर भाई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा था कि ये पूरी जानकारी, जिन लोगों ने अंग्रेजी और देशी शराब की आपूर्ति की है उसका टोटल जो फिगर आया है। एक तो ये फिगर मैच नहीं करता। जो कुल आपूर्ति की गई है और जितना लीटर है, उसके हिसाब से मैच नहीं करता। पर फिर भी इसको हम जवाब मान लें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगा कि जब शराब ठेकेदार लोग शराब दुकानों का संचालन करते थे उस समय प्रदेश में या उस दुकान में कौन सी ब्राण्ड की दारू बिकनी है, उसको शराब ठेकेदार अपने हिसाब से तय कर लेता था। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि जो विदेशी शराब की आपूर्ति हुई, जो सरकार ने पिछले 2 वर्षों में शराब की आपूर्ति करायी, उसमें कौन से ब्राण्ड या कौन सी कंपनी की दारू बिकनी चाहिए, इसकी जानकारी कौन देगा?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाईंट ऑफ ऑर्डर है?

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न काल में होता है?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। भारसाधक मंत्री को जानबूझकर गायब किया गया है कि इस विभाग के प्रश्न का उनको उत्तर न देना पड़े।

अध्यक्ष महोदय :- ये प्वाईंट ऑफ ऑर्डर है?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम ये जानना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी प्रश्नकाल में नहीं हैं।(व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारसाधक मंत्री को जानबूझकर गायब किया गया है कि इस विभाग के प्रश्न का उनको उत्तर न देना पड़े। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको सदन जानना चाहता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी ने सदन को लिखित जानकारी दी है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के दिन मंत्री बाहर नहीं रहते हैं। यह बहुत गंभीर विषय है।

श्री दीपक बैज :- माननीय मंत्री जी किसी विशेष काम से गये हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या माननीय मंत्री जी ने अनुपस्थिति की कोई जानकारी सदन को दी है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- उनका स्वास्थ्य खराब है, कहां गये हैं, क्या कोई बड़ी घटना प्रदेश में घट

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

गई है ? सदन को इसकी जानकारी आपके माध्यम से चाहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या माननीय मंत्री जी ने सदन को जानकारी दी है?

अध्यक्ष महोदय :- भारसाधक मंत्री जवाब देंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम खाली यह जानना चाहते हैं कि क्या माननीय मंत्री जी ने सदन में अनुपस्थित रहने की आपको जानकारी दी है और किन कारणों से वह अनुपस्थित रहेंगे?

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रदेश में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण घटना घट गई, दिल्ली में बैठक हो गई कि माननीय मंत्री जी प्रश्नकाल के दिन उपस्थित नहीं हैं। क्या प्रश्नकाल के दिन हमेशा अनुपस्थित रहेंगे।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, सामूहिक जिम्मेदारी के कारण माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- इतनी मोटी बात तो हम लोग भी जानते हैं।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- जानते हैं तो फिर क्यों पूछ रहे हैं ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बहुत ही आवश्यक कार्य से बाहर गये हुए हैं और उन्होंने लिखित सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय :- लिखित सूचना मिल गई है। आप जवाब दीजिए।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न दोबारा पूछ लेता हूं। जब पहले ठेकेदारों द्वारा शराब दुकान का संचालन किया जाता था तो वह लोग तय करते थे कि किस कंपनी की शराब को, कौन से ब्राण्ड को दुकान में रखना है, उसके आधार पर वह लोग बिक्री करते थे। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पिछले दो वर्षों में अंग्रेजी की जो-जो शराब, जो-जो ब्राण्ड सरकारी दुकानों से बिक्री की गई, उसमें सरकार ने या विभाग ने यह कैसे चयन किया की कौन सी दुकान में कौन से ब्राण्ड को रखना है या पूरे प्रदेश में किस कंपनी की, किस ब्राण्ड की अंग्रेजी शराब को सरकार द्वारा क्रय किया जाना चाहिए ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रय करने की जो प्रक्रिया है, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज स्टेट कार्पोरेशन लिमिटेड प्रदायकर्ताओं से क्रय करती है, उसके बाद छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को यह विक्रय करके उसके बाद फिर रिटेलर के पास जाता है। जहां तक आपने जो प्रश्न किय है कि ब्राण्ड कैसे तय किया जाता है तो अलग-अलग दुकानों से जो रिक्वायमेन्ट आती है, उस रिक्वायरमेन्ट के हिसाब से बेवरेज कार्पोरेशन तय करता है और तय करने के बाद फिर वह आदेश प्रदायकर्ता को प्रदान करता है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दो वर्षों में लगातार जो अंग्रेजी शराब की दुकानें थीं, उसमें पार्टिक्यूलर कुछ ही ब्राण्ड मिला करते थे, बाकी जो राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी बहुत अधिक बिक्री होती है, जो ब्राण्ड बहुत ज्यादा चलते हैं, वह तो कभी छत्तीसगढ़ में उपलब्ध ही नहीं होते थे। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शराब के जो ब्राण्ड हैं, क्या वह छत्तीसगढ़ में उपलब्ध नहीं होने का कोई विशेष कारण था ? क्या हम छत्तीसगढ़ की जो ब्राण्ड है उसी को प्रमोट करने में लगे थे, क्या ऐसी कोई नीति उस समय थी ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी ब्राण्ड को प्रमोट करने में सरकार नहीं लगी हुई है, जो प्रदायकर्ता हैं वह पंजीकृत हैं। जब उनसे साल भर के लिए रेट आफर मांगा जाता है जो पंजीकृत प्रदायकर्ता जिन-जिन ब्राण्ड के बारे में आपूर्ति की जानकारी दे देते हैं उसके हिसाब से साल भर उनसे क्रय किया जाता है।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगा कि शराब क्रय करने की जो नीति पिछले दो वर्ष से चल रही थी, अंग्रेजी शराब दुकानों में जो शराब आती थी तो क्या इस वर्ष भी वही नीति अप्रैल के बाद लागू रहेगी या शासन की और कोई नीति बन रही है ? क्योंकि इसकी लगातार शिकायत रही है कि शराब दुकानों में पर्टिक्यूलर दो-तीन ब्राण्ड ही उपलब्ध रहते हैं और अन्य राष्ट्रीय स्तर के ब्राण्ड जो पहले यहां बिका करते थे या शराब ठेकेदार बेचा करते थे, वह ब्राण्ड छत्तीसगढ़ में मिलते नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का दूसरा हिस्सा भी है कि मात्रा की उपलब्धता है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष जी, कौन-कौन सा ब्राण्ड मंगवाना चाहते हैं, बता दें तो निवेदन कर लेंगे।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय शिव भाई, मैं तो शराब पीता नहीं हूं। वह तो जो लोगों के बीच से बात आ रही है, आप प्रश्न को समझने की कोशिश करियेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप प्रश्न के समझने की अपेक्षा मत कीजिए, उधर बहुत लोगों के समझ में नहीं आयेगा।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि अंग्रेजी और देशी शराब दुकान प्राय:-प्राय: एक की जगह पर हो गई हैं। यह जो अहाते चल रहे हैं, जिसको लोग चखना के रूप में जानते हैं, वह एक चखना की परंपरा पूरे छत्तीसगढ़ में बनी हुई है, आप किसी शराब दुकान में चले जायें तो अवैध रूप से लगभग 100, 200 दुकानों का संचालन होता रहता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी को भी चखने में दुकान में शराब मिल मिल जाती है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कि जो चखना का संचालन हो रहा है, जिसके कारण अराजकता का वातावरण है क्या उसके संबंध में अभी शासन की कोई नई नीति बनी है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- चखना की कोई अनुमति शासन की ओर से नहीं है लेकिन आपने जो चिंता व्यक्त की है, मैं उसको दिखवा लूंगा ।

प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगार

8. (*क्र. 224) श्री शिवरतन शर्माः क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 31 दिसंबर, 2018 की स्थिति में राज्य में कुल कितने पंजीकृत बेरोजगार हैं जिलेवार संख्या उपलब्ध करावें ? (ख) क्या पंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया गया है ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) : (क) प्रदेश में 31 दिसंबर 2018 की स्थिति में राज्य में कुल 23,25,085 पंजीकृत बेरोजगार है. जिलेवार संख्या की जानकारी ††[5] संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) पंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना विचाराधीन है.

श्री शिवरतन शर्माः- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि पूरे प्रदेश में 23 लाख बेरोजगार हैं और उत्तर-ख में बोला है कि पंजीकृत बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना विचाराधीन है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, चूंकि यह सरकार जब भी कोई बात करती है तो अपने जन घोषणा पत्र की बात करती है और इनके जन घोषणा पत्र में घर-घर रोजगार, हर घर रोजगार और ढ़ाई हजार रूपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गयी थी तो यह 23 लाख बेरोजगारों को आप प्रकियाधीन के बजाय कब से बेरोजगारी भत्ता दिलाना शुरू कर देंगे और कितना दिलाना शुरू करेंगे इसकी जानकारी दे दीजिये ?

श्री दीपक बैज :- पूरे 15 सालों में 23 लाख बेरोजगार तो आप लोगों ने ही कर दिया है ।

श्री अजय चंद्राकर :- हम लोगों ने सब कर दिया, आप लोग ठीक कर दो ।

श्री मनोज सिंह मण्डावी :- पूरा शासन का भट्टा बिठा दिया है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय विधायक जी, आप वहां खड़े होकर मंत्री बन गया हूं ऐसा केवल महसूस भर करो । आप कभी मंत्री नहीं बनने वाले हैं बैठ जाईये।

श्री मनोज सिंह मण्डावी :- मत बनूं लेकिन मंत्री रहा हूं इसलिये आपके जैसे रहा हूं । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- मेरे जैसा ?

श्री दीपक बैज :- श्री मनोज भैया, आप उनसे अच्छे हैं । उनके जैसा मत बनिये ।

[5] परिशिष्ट "पांच"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- श्री अजय चंद्राकर जी, ये मंत्री नहीं हैं लेकिन इनकी मंत्री जैसी चलती है । आपका क्या चलता है वह बताईये?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप जवाब दीजिये ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनके जैसा कभी नहीं था ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बढ़िया प्रश्न है । जवाब दीजिये ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 31 दिसंबर 2018 की स्थिति में पंजीकृत बेरोजगार 23 लाख 25 हजार 85 लोग हैं और बेरोजगारी भत्ता देने की बात पर विचाराधीन है और जैसे ही इसमें विचार पूरा हो जायेगा इसको अतिशीघ्र करने के प्रयास करेंगे ।

श्री शिवरतन शर्माः- माननीय अध्यक्ष महोदय, विचाराधीन है यह तो आपने लिखकर दे दिया । आप इसमें विचार कब तक पूर्ण कर लेंगे और कब से बेरोजगारी भत्ता दिलायेंगे क्या आप इसकी कोई समय-सीमा निर्धारित करेंगे ?

श्री उमेश पटेल :- जल्द से जल्द । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- जल्द से जल्द क्या होता है ? आप 5 साल के अंदर भी बोल सकते हैं । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्माः- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई जवाब नहीं होता । (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कोई समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा घोषणा-पत्र 5 साल के लिये है । (व्यवधान) जब करेंगे तो इनको बतायेंगे । इनको वाकई में इसकी चिंता थोड़ी है। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में ऐसी स्थिति बनी है । कई बार ऐसा हुआ है कि जब आश्वासन दिया गया है तो उसकी समयावधि बतायी गयी है और यदि सदन में समयावधि बतायी जाती है तो सदन की गरिमा बढ़ती है और आपकी गरिमा बढ़ती है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूरे सदन की गरिमा बढ़ती है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न क्रमांक - दसवां है । मैं उसको लेना चाहता हूं इसलिये नम्र बनें । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- बेरोजगारी भत्ता का बताना चाहिए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न माननीय शिवरतन जी पूछ रहे हैं कि ये पूछ रहे हैं ?

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें तो कोई जवाब आया ही नहीं है इसलिये उसमें जवाब आ जाये । बाकी प्रश्न में आगे बढ़ें वह तो ठीक है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- नवां प्रश्न मेडम जोगी जी का है ।

श्री शिवरतन शर्मा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिये आप बेरोजगारी भत्ता जल्द से जल्द उपलब्ध करायेंगे । इन 23 लाख बेरोजगारों को कितना बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध करायेंगे और क्या इनको रोजगार देने की शासन के स्तर पर कोई व्यवस्था की जा रही है इसकी जानकारी दे दें ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि इसमें विचाराधीन है तो हम सारे पक्षों पर विचार कर रहे हैं । जब कोई पॉलिसी बनेगी तो विधानसभा में बताया जायेगा ।

श्री शिवरतन शर्मा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई समय-सीमा तो होगी न । आप कह रहे हैं जल्द से जल्द । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जल्द से जल्द कहना टालने वाली बात है । (व्यवधान) आपको कोई समय-सीमा निर्धारित करना चाहिए । 23 लाख बेरोजगारों के भविष्य का सवाल है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी ।

श्री मनोज सिंह मण्डावी :- 5 साल में हो जायेगा चिंता मत करो ।

श्री शिवरतन शर्मा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं और उन बेरोजगारों ने बेरोजगारी भत्ता मिलेगा इस भाव से सरकार को बनाया है । (व्यवधान) यह गलत आश्वासन देने का काम है । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय मोदी जी ने भी कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल देंगे, उसका क्या हुआ ?

श्री मनोज सिंह मण्डावी :- आदिवासियों का हक कहां है ? (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपने 500 रूपये बेरोजगारी भत्ता देने का कहा था, आपके घोषणा पत्र में था । (व्यवधान) क्या आपने कर दिया ?

अध्यक्ष महोदय :- बैठिए । प्रश्नकाल समाप्त होने वाला है ।

श्री शिवरतन शर्मा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जवाब देने खड़े हैं लेकिन बाकी लोग बोल रहे हैं ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पता नहीं चलता कि मंत्री कौन है। 3-4 लोग खड़े हो जाते हैं । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं, मंत्री जी का जवाब तो आ जाए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में एक भी जवाब नहीं आया है और जहां पर खड़े हुए हैं, वहीं पर हैं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- इतना अच्छा जवाब आया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- केवल टालने वाला जवाब है, विचाराधीन है । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- मंत्री जी को जवाब नहीं देने दे रहे हैं ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाए गए)

श्री संतराम नेताम :- माननीय मंत्री जी का उत्तर सुनिये आप ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मंत्री कौन है भइया ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में सौरभ सिंह जी ने सही प्रश्न उठाया, जो लोग खड़े होते हैं उनमें मंत्री कौन है ?

श्री उमेश सिंह :- और मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं सौरभ सिंह जी । आपके यहां भी समझ में नहीं आता कि सीएलपी लीडर कौन है । जब सीएलपी लीडर खड़े होते हैं तो आप लोग क्यों खड़े होते हैं ?

श्री सौरभ सिंह :- यहां से तय है कि सीएलपी लीडर कौन है । यहां से अकेले सीएलपी लीडर खड़े होकर बोलते हैं । यह बात तय है कि सीएलपी लीडर कौन है ।

श्री उमेश पटेल :- अजय चन्द्राकर जी सीएलपी लीडर हैं या शिवरतन शर्मा जी, यह समझ में नहीं आता । (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सीएलपी लीडर कौन है । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- 23 लाख बेरोजगारों को यह सरकार धोखा देने का काम कर रही है । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की है ।

श्री संतराम नेताम :- आउटसोर्सिंग में कितना भ्रष्टाचार हुआ है । (व्यवधान)

आज बेरोजगारों की सुध आ रही है । (व्यवधान) बेरोजगारों को ठगने का काम आपकी सरकार ने किया है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- एक भी प्रश्न का जवाब नहीं आया है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आया है ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिवरतन शर्मा जी बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं । राजनीतिक रूप से हम लोगों से बहुत सीनियर हैं । लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल थोड़ा कम पढ़ रहे हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं पढ़कर आया हूं ।

श्री उमेश पटेल :- घोषणा पत्र को ठीक से पढ़िये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने आपके प्रश्न के उत्तर को पूरा पढ़ा है । आपके जनघोषणा पत्र को पूरा पढ़ा है और उसी आधार पर मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं माननीय ।

श्री उमेश पटेल :- मैं फिर से पढ़ देता हूं ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अपना संकल्प पत्र तो पढ़ नहीं पाते, हमारा क्या पढ़ोगे । अपना पढ़ लेते तो यह स्थिति नहीं होती (हंसी)।

श्री मोहन मरकाम :- 2003 से अपना संकल्प पत्र पढ़ लीजिए ।

श्री संतराम नेताम :- 15 सालों में आपका संकल्प पत्र हमने देखा है, आज तक 2100 रूपए किसानों को नहीं दिया ।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- आपने संकल्प पत्र में 500 रूपया बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी । 15 सालों तक आपने नहीं दिया और अभी हम लोगों को तो महीना, डेढ़ महीना नहीं हुआ है । (व्यवधान)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- इन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं करेंगे क्या ?

श्री संतराम नेताम :- हम केवल उदाहरण बता रहे हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- 5 साल बीत गया । मोदी जी को एकाध चिट्ठी आप लोग लिख दिए होते कि मोदी जी आपने घोषणा की थी कि हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का । आप एक चिट्ठी लिख दिए होते ।

अध्यक्ष महोदय :- भगत जी, आप बैठिये, समय समाप्त हो रहा है ।

श्री उमेश पटेल :- घोषणा पत्र में लिखा है कि युवाओं को सामुदायिक विकास और समाज सेवी गतिविधियों में भाग लेने पर न्यूनतम प्रतिमाह रूपए 2500 प्रदान किये जाएंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- मैडम जोगी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है यह उत्तर आधा अधूरा है ।

अध्यक्ष महोदय :- पर्याप्त उत्तर है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- इन्होंने लिखा है कि सामुदायिक विकास एवं समाज सेवी गतिविधियों में भाग लेने के लिए । आप इनको इन गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करेंगे ? ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि सामाजिक विकास एवं सामाजिक गतिविधियों में भाग ले सकें ? ऐसा अवसर प्रदान करेंगे तो बताइए कि कब तक प्रदान करेंगे ? आप कब तक प्रदान करेंगे ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

प्रदेश में कार्यरत मितानिनों को गणवेश का प्रदाय

9. (*क्र. 308) डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मितानिनों की संख्या कितनी हैं ? जिलेवार बतायें ? कोटा विधान सभा क्षेत्र में कितनी मितानिन कार्यरत हैं ? (ख) क्या उन्हें शासन से यूनिफार्म (गणवेश) प्रदाय किया जाता है ?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) प्रदेश में कुल 69,991 मितानिन कार्यरत हैं, जिलेवार जानकारी ‡[6] संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. कोटा विधानसभा क्षेत्र में कुल 589 मितानिन कार्यरत हैं. (ख) मितानिनों को शासन से युनिफार्म (गणवेश) प्रदाय नहीं किया जाता है.

डॉ. रेणु अजीत जोगी :- अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि जो मितानिन योजना है, पूरे प्रदेश में 69,991 मितानिन की नियुक्ति की गई है। वे कृपया सदन को यह बतायें कि यह योजना कब से प्रारंभ हुई थी और जैसा मैं जिलेवार जानकारी देख रही थी। सर्वाधिक राजनांदगांव, उसके बाद रायगढ़ और उसके बाद बिलासपुर में नियुक्ति मितानिन की संख्या की है किन्तु नारायणपुर में मात्र 630, सुकमा, बीजापुर और बहुत बड़े-बड़े एरिया में जिले हैं। सुकमा में 1190 और बीजापुर में 1400। उसी तरह दंतेवाड़ा में भी मात्र 1300 मितानिन की नियुक्ति की गई है तो कृपया बतायें कि क्षेत्रफल को देखते हुए इन जिलों में और आवश्यकता को देखते हुए भी क्या इनकी अधिक नियुक्ति की जायेगी ? क्या संख्या बढ़ायी जायेगी? कृपया बतायें।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो माननीय सदस्या को मैं धन्यवाद भी दूंगा कि इन्होंने यह प्रश्न उठाया है, जिससे मुझे भी अपनी जानकारी मितानिनों के संदर्भ में और उनके कार्यों के संदर्भ में नये-पुराने करने का एक मौका मिला और जो प्रश्न उन्होंने किया है। जानकारी आयी है और उन्होंने स्वयं बताया कि 69,991 मितानिन फिलहाल काम कर रही हैं। 589 मितानिन आपके क्षेत्र में काम कर रही हैं और कार्ययोजना के प्रारंभ होने की तिथि 23/11/2001 को आदेश जारी हुआ था और क्रियान्वयन 2002 में शुरू हुआ। 2002 में इसका क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया था। जो मितानिनों के उद्देश्य हैं उसके संदर्भ में आप भी बेहतर जानती हैं। चेतना बढ़ाने से लेकर सलाह-समुदाय के कार्यों में लगना अन्य उसके बहुत संवेदनशील और अच्छे उद्देश्य हैं। भर्ती करने के संदर्भ में माननीय सदस्या ने जो जानना चाहा है। पारा में मितानिन न हो। 20 से अधिक परिवारों के निवासरत होने पर और एक ही मितानिन 80 से अधिक परिवारों को देख सकती है। एक उन्होंने पैरामीटर बनाया हुआ है कि शहरी क्षेत्र में इतना से इतना, ग्रामीण क्षेत्र में इतना से इतना और पारा में मितानिन न हो। 30 से अधिक परिवार

[6] परिशिष्ट "छः"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

की बात है और मितानिनों की एक से अधिक 20 से अधिक परिवारों की देखरेख करने की बात है। शहरी क्षेत्र में 30 से 200 परिवारों के बीच में मितानिनों को देखने की बात है। तो एक औसत जो मितानिनों की भर्ती के पीछे है । 3 करोड़ की आबादी में वर्तमान में करीब 70 हजार मितानिन हैं और इसका औसत निकाला जा सकता है कि लगभग 400 की आबादी के पीछे औसतन फिलहाल एक मितानिन है और जहां-जहां माननीय सदस्या ने चिंता व्यक्त की है कि कोई भी क्षेत्र छत्तीसगढ़ में अगर अनुपात के अनुरूप मितानिनों को उपलब्ध नहीं करा पाया है तो निश्चित रूप से इसको देखवाएंगे। पूरे 27 जिले के 146 विकासखंडों में और शहरी क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में सही है कि मितानिनों की नियुक्ति अनुपात अनुसार कई जगह नहीं हुई है तो प्राथमिकता के आधार पर इसको भी सुनिश्चित किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- अजय चन्द्राकर जी, प्रश्न क्रमांक 10।

डॉ. रेणु अजीत जोगी :- माननीय....।

अध्यक्ष महोदय :-पर्याप्त उत्तर आ गया अब छोड़िए ।

डॉ. रेणु अजीत जोगी :- मैं बधाई देना चाहूंगी तत्कालीन 2002 में कांग्रेस की सरकार को। आप प्रश्न पूछें।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए एक मिनट है। पूछ लीजिए।

<u>प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालय निर्माण</u>

10. (*क्र. 685) श्री अजय चन्द्राकर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ में दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक एस.बी.एम. (स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण) में मनरेगा और एस.बी.ए. से कितना शौचालय निर्माण किया गया है ? पृथक-पृथक बतायें ? (ख) इस योजना के तहत कितने हितग्राही का भुगतान बकाया है ? कृपया जिलावार बताने का कष्ट करेंगे.

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) : (क) छत्तीसगढ़ में दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक एस.बी.एम. (स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण) में मनरेगा से कुल 1027917 और एस.बी.एम. से कुल 2087629 शौचालयों का निर्माण किया गया है. (ख) इस योजना के तहत कुल 154499 हितग्राहियों का भुगतान बकाया है. जिलेवार जानकारी ‡‡[7] संलग्न परिशिष्ट में है.

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, टाइम तो बार हो रहा है लेकिन पहले प्रश्न में मैंने चर्चा की थी और आप माननीय मंत्री जी भुगतान कब तक करवा देंगे ? क्योंकि भुगतान सिर्फ

[7] परिशिष्ट "सात"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मनरेगा के और उसके नहीं है, बहुत सारे क्षेत्रों के भुगतान हैं, जिसको तत्काल करवाया जा सकता है। उसको करवाने के लिए व्यक्तिगत रूचि लेकर कब तक करवायेंगे, यह बताने का कष्ट करें।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल और जवाब वही हैं, जो पहले आये थे और जो राशियां उपलब्ध हैं। अगर राज्य के पास जिले में डी.एम.एफ. फंड में राशि उपलब्ध है तो तत्काल उसका आबंटन उपलब्ध करा दिया जायेगा। अन्य मदों में जहां-जहां राशि उपलब्ध है, उसके आबंटन में कहीं देरी नहीं होगी। मैं एक दिन, दो दिन, पांच दिन नहीं बता सकता लेकिन अगर जिला मद में राशि है। डी.एम.एफ. की राशि, सी.एस.आर. की राशि, जो राशि उपलब्ध है। हफ्ते भर के अंदर उसका भुगतान कराने के लिए मैं आपको आश्वासन देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त। भूपेश बघेल जी।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:00 बजे **पत्रों का पटल पर रखा जाना।**

1.छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा - 19 के अंतर्गत अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा -19 के अन्तर्गत अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018 पटल पर रखता हूँ।

2. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल,2017 से 31 मार्च, 2018) एवं पालन प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018) एवं पालन प्रतिवेदन पटल पर रखता हूँ।

3. छत्तीसगढ़ लोक आयोग का पन्द्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016 - 2017

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 11 की उप धारा (6) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक आयोग का पन्द्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 पटल पर रखता हूँ।

4. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उप धारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018 पटल पर रखता हूँ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय
12.02 बजे

पृच्छा

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में अवैध शराब का विक्रय बढ़ा है। सरकार ने अपने जन घोषणा-पत्र में शराबबंदी की नीति लागू करने की बात की थी। उस नीति से सरकार पीछे हटी है। पूर्ववर्ती सरकार ने कोचिया प्रथा बंद करने के लिए शराब के व्यवसाय से ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया था। आज स्थिति बन गई है कि सरकार के इस नीति के प्रति ढुलमुल रवैया के चलते पूरे प्रदेश में अवैध शराब का विक्रय बढ़ा है और उससे पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है। इस विषय में पर मैंने स्थगन भी दिया है और ध्यानाकर्षण भी दिया है। आपसे निवेदन करता हूँ कि इसको स्वीकार कर चर्चा करायें।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कल भी इस विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराया था। यह बहुत ही लोक महत्व का विषय है। हम लोगों ने इस पर स्थगन और ध्यानाकर्षण दिया है। आपसे निवेदन है कि सदन में इस पर चर्चा करायें। यह प्रदेश के जनमानस का मामला है। पूरे प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति इसके कारण निरंतर खराब होते जा रही है।

समय :
12:03 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

1. कोपलवाणी संस्थान में चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गनाईजेशन के घरोंदा में मानसिक रूप से कमजोर महिला का शारीरिक शोषण किया जाना.

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) (श्री अजय चन्द्राकर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- जनवरी, 2019 में कोपलवाणी संस्थान में एक चाइल्ड वेलफेयर आर्गनाइजेशन के घरोंदा में मानसिक रूप से कमजोर महिला का शारीरिक शोषण किया गया । नया अटल नगर रायपुर में भी एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई। इस तरह की घटनाएं बिलासपुर, अंबिकापुर, दुर्ग एवं बस्तर में भी हुई, जिससे प्रदेश में महिलाओं के सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार की लापरवाही खुलकर सामने आई है। राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा को अपने चुनावी घोषणा-पत्र में एक मुद्दा बनाया था। सत्ता में आने के बाद उस पर उसका कोई ध्यान नहीं रहा। महिलाओं, लड़कियों एवं बच्चियों के साथ छेड़छाड़, बदसलूकी, दुष्कर्म की घटनाएं नई सरकार के पदस्थापना के बाद

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

प्रदेश में आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी है। क्राइम ब्रांच को भंग करके सरकार ने उस सुधार का एक खोखला प्रयास किया है। अपराधों का अनुसंधान एवं अन्वेषण भगवान भरोसे रह गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कार्य योजना तो दूर पुरानी मानीटरिंग व्यवस्था भी ध्वस्त हो चुकी है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटना लगातार बढ़ना चिंता का विषय है। अपराधियों और गुण्डों को पुलिस का संरक्षण है। बढ़ती घटनाएं इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। पुलिस प्रशासन अपनी गश्त बढ़ाने गोपनीय सूचना संग्रहित करने और कानून राज स्थापित करने में राजधानी सहित पूरे प्रदेश में पूरी तरह से असफल हुआ है। महिलाओं की इज्जत के साथ बदमाश बेखौफ खिलवाड़ कर रहे हैं। इससे पूरे प्रदेश में शासन, प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है।

समय :
12:05 बजे **(सभापति महोदय (श्री अमरजीत भगत) पीठासीन हुए)**

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय सभापति महोदय, प्रस्तुत ध्यानाकर्षण के विषय में शासन का जवाब इस प्रकार है :-

यह कहना सही नहीं है कि जनवरी, 2019 में कोपलवाणी (घरौंदा) संस्थान कोटा रायपुर में निवासरत् मंद बुद्धि लड़की का शारीरिक शोषण किया गया, अपितु वस्तुस्थिति यह है कि उक्त घटना दिनांक 16.11.18 से 26.11.18 के मध्य घटित हुई है । मानसिक रूप से दिव्यांग के साथ संस्था में कार्यरत् डॉक्टर आरोपी अजय साहू के द्वारा शारीरिक शोषण कर बलात्कार किया गया, पीड़िता के पिता के लिखित रिपोर्ट पर थाना सरस्वती नगर रायपुर में दिनांक 12.01.2019 को अपराध क्रमांक 08/19 धारा 376 (ग) भारतीय दण्ड विधान पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । आरोपी अजय साहू को दिनांक 15.01.19 को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया । प्रकरण वर्तमान में विवेचनाधीन है ।

यह भी सही नहीं है कि नया अटल नगर रायपुर में भी एक छात्रा के साथ सामुहिक बलात्कार की घटना हुई है, बल्कि वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 04.02.19 को पीड़ित छात्रा ने एक लिखित आवेदन मंदिर हसौद थाने में प्रस्तुत की । पीड़िता दिनांक 03.02.19 को वह अपने मामा के घर रायपुर गई थी, जहां से रिम्स हॉस्टल के लिए शाम 06.00 बजे आरंग जाने वाली बस से ग्राम नवागांव के पास उतर गई । हॉस्टल जाने के रास्ते में एक मोटर सायकल चालक को रोककर लिफ्ट लेकर हॉस्टल जा रही थी, तभी मोटर सायकल चालक उसे रिम्स हॉस्टल न ले जाकर एम.एम.फन सिटी के सामने एवं ग्राम खुटेरी बांध के पास सुनसान जगह पर ले जाकर प्रार्थिया से बलात्कार तथा मारपीट किया। रिपोर्ट पर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 33/19 धारा 363, 376, 323, 506 भारतीय दण्ड विधान पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण विवेचनाधीन है ।

यह भी कहना सही नहीं है कि इस प्रकार की घटना जिला बिलासपुर, अंबिकापुर एवं बस्तर में घटित हुई है । मात्र जिला दुर्ग के थाना खुर्सीपार क्षेत्र में 01 घटना घटित हुई है, जिस पर अपराध क्रमांक 01/19 धारा 376 ख, घ, 366 ए भारतीय दण्ड विधान 4, 6 पाक्सों एक्ट पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है ।

समय :

12:09 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

यह कहना सही नहीं है कि महिलाओं के सुरक्षा के प्रति राज्य शासन लापरवाह है, अपितु महिलाओं के सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार संवेदनशील है। नवीन सरकार के पदस्थापना के बाद प्रदेश में ये घटनाएं विगत वर्ष की तुलना में कम हुई है । राज्य सरकार का पुलिस पर पूर्ण नियंत्रण है । क्राईम ब्रांच के भंग होने के बाद अपराध, अनुसंधान में कोई विपरीत प्रभाव नहीं हुआ है । महिलाओं के सुरक्षा के लिए महिला हेल्प लाईन, रक्षा टीम, महिला विरूद्ध अपराध अनुसंधान ईकाई एवं महिला डेस्क प्रभावी तरीके से कार्य कर रही है । नई सरकार के गठन के उपरांत विगत वर्ष की तुलना में हत्या, लूट, डकैती एवं महिला संबंधी अपराधों में कमी आई है । यातायात सप्ताह के देशव्यापी आयोजन के तहत स्कूली बच्चों को यातायात सुरक्षा की जानकारी दी जा रही है । प्रदेश में शासन एवं प्रशासन के खिलाफ किसी प्रकार का आक्रोश व्याप्त नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि नवीन सरकार की पदस्थापना के बाद प्रदेश में ये घटनाएं विगत वर्ष की तुलना में कम हुई है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नवीन सरकार के गठित होने के बाद से लेकर आजतक प्रदेश में महिला उत्पीड़न के कितने मामले दर्ज हुए, इसकी जानकारी दे दें और इसी अवधि में पिछले वर्ष कितने मामले दर्ज हुए थे, इसकी जानकारी दे दें तो तुलना हो जाएगी ?

श्री ताम्रध्वज साहू :-सम्माननीय अध्यक्ष जी, महिला अपराध पर पहले जानकारी दे दूं। प्रदेश में पूर्व सरकार के कार्यकाल दिनांक 17 दिसम्बर 2017 से 4 फरवरी 2018 के मध्य महिला संबंधी अपराध, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, छेड़छाड़, व बदसलूकी के कुल 488 प्रकरण दर्ज किये गये थे । जबकि नई सरकार की पदस्थापना दिनांक 17-12-2018 से दिनांक 4 फरवरी 2019 तक महिला संबंधी अपराध, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, छेड़छाड़ व बदसलूकी के कुल 453 प्रकरण दर्ज हुये हैं । जो पिछली सरकार की तुलना में 7.12 प्रतिशत की कमी आई है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि महिला विरूद्ध अनुसंधान इकाई और महिला डेस्क प्रभावी तरीके से कार्य कर रही है । आपने जो जनघोषणा पत्र जारी किया था, उसमें आपने कहा था कि प्रत्येक थाने में एक महिला सेल होगा । महिलाओं से संबंधित अपराधों की स्वतंत्र जांच होगी । प्रदेश में कितने थाने है, कितने थानों में महिला सेल और महिला डेस्क काम कर रहे हैं, आप यह बता दें ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष जी, जो सदस्य ने जनघोषणा पत्र की बात की है कि हर थाने में एक महिला डेस्क, यह जनघोषणा पत्र में जो लिखा गया है, उस पर कार्यवाही चल रही है । धीरे-धीरे उसमें सभी नियुक्तियां करते जायेंगे । जो प्रयासकिये जा रहे हैं, उसमें महिला डेस्क, महिला हेल्प लाईन, नंबर 1091, महिला परामर्श केन्द्र, यह सारा चीज हम लोगों ने किया हुआ है । हम लोग हर थाने में उसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, आपने अपने उत्तर में लिखा है कि महिला डेस्क प्रभावी ढंग से काम कर रही है । मैंने बहुत स्पेसिफिक प्रश्न किया था कि प्रदेश में कितने थाने है और कितने थानों में महिला डेस्क काम कर रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी स्थिति यह है कि आधे से ज्यादा थानों में कोई महिला आरक्षक नहीं है । आप सब थाने में महिला सेल बनाने वाले थे । दो महीना में कितने थाने में बनाये हो । कितने थाने में काम कर रहे हो, यह तो आप बता दो ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, अलग-अलग थानेवार चूंकि इस ध्यानाकर्षण में बिन्दु नहीं है, अलग-अलग थानेवार कहां-कहा है, यह पूछ रहे हैं तो मैं जानकारी उपलब्ध करा दूंगा ।

श्री शिवतरन शर्मा :- कितने थानों में महिला डेस्क प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं यह तो प्रभावी ढंग से बता दो ? आपने स्वयं अपने उत्तर में लिखा है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- मैंने उत्तर में लिखा है कि महिला डेस्क काम कर रही है, परन्तु थानेवाईज इस ध्यानाकर्षण का बिन्दु नहीं है । मैं प्रत्येक थानेवार कहां-कहां काम कर रहे हैं, मैं यह जानकारी उपलब्ध करा दूंगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- कुल थानों की संख्या बता दें कि कितने थानों में काम कर रहे हैं । माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप उत्तर में कोई विषय ला रहे हैं, उस विषय की डिटेल्स जानकारी माननीय मंत्री जी के पास होनी चाहिये । आप स्वयं लिख रहे हो कि महिला डेस्क प्रभावी ढंग से काम कर रही है । कितने थाने में काम कर रही है, यह बताने में आपको क्या तकलीफ है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया है किडिटेल्स उनको दे दूंगा कि किन-किन महिला थाने में महिला डेस्क काम कर रहा है । ध्यानाकर्षण में अपराध के तीन बिन्दु का उल्लेख है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कोपलवाणी का, नया अटल का और खुर्सीपार, तीनों बिन्दु का डिटेल्स मैं दे दिया । पूरे प्रदेश के हर महिला थाना या हर थाना में कितने महिला है, पूरे प्रदेश का विस्तृत है, मैं अलग से दे दूंगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, हमारे ध्यानाकर्षण का विषयवस्तु है, उसमें हमने बहुत ही स्पष्ट लिखा है कि पूरे प्रदेश में अपराध बढ़े हैं । महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कार्ययोजना तो दूर, पुरानी मानिटरिंगव्यवस्था भी ध्वस्त हो चुकी है । हमने क्लियर किया है । हमने पूरे प्रदेश से संबंधित मामला पूछा है । आपको यह बताना चाहिये कि कितने थाने में महिला डेस्क काम कर रही है ? अब ये जानकारी अगर मंत्री जी के पास नही है तो यह मानकर चलना चाहिये कि महिला डेस्क खाली पेपरों में है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अजय चन्द्राकर जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या कोपलवाणी की महिला के साथ जो अन्याय हुआ, जो भी आपने स्वीकार किया है, उसमें क्या सरकार ने दंडाधिकारी जांच के आदेश दिये हैं या दंडाधिकारी जांच के संबंध में पत्र लिखा है और यदि हां तो उसमें कौन-कौन है और कौन-कौन से बिन्दु पर जांच कर रही है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि आरोपी मिल गया, आरोपी पकड़ा गया, उसको गिरफतार करके न्यायालय भेज दिया गया है, इसलिए दंडाधिकारी जांच के आदेश इसमें अभी नहीं दिये गये हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने आदेश दिये, यह नहीं पूछा है। मैंने यह पूछा है कि दंडाधिकारी जांच के आदेश के लिए आपने पत्र लिखा था क्या और लिखा था तो कौन-कौन से बिन्दु में जांच के लिए आपने लिखा था? संस्थित की गई है या नहीं की गई है यह बाद का विषय है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, जब आरोपी पकड़ा जा चुका है तो अलग से न्यायिक जांच का प्रश्न ही कहां उठता है?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूं लेकिन मैं पूछ दूसरा रहा हूं उत्तर दूसरा आ रहा है। आपने पत्र लिखा था, हॉ या नहीं में बता दें? इतनी सी बात है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, जब आरोपी पकड़ा गया तो फिर पत्र लिखने का, न्यायिक जांच या दंडाधिकारी जांच का प्रश्न कहां उठता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- कोपलवाणी में मंद बुद्धि की महिला थी, वहां का संचालन, वहां की व्यवस्था, दंडाधिकारी की जांच सिर्फ बलात्कार के विषय में नहीं हो सकता, वहां की संपूर्ण व्यवस्था पर हो सकता है। संपूर्ण व्यवस्था की जांच के लिए आपने पत्र लिखा था क्या? उत्तर नहीं है तो कोई बात नहीं। पूरे समाचार पत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी का छपा है। माननीय गृहमंत्री जी सही हैं या माननीय

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मुख्यमंत्री जी सही हैं ये हम नहीं कह सकते, आप ही उसको कहेंगे। आप चाहें तो मैं ये पेपर की कटिंग दिखा सकता हूं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता के बारे में विस्तार से वर्णन है। मैंने यह पूछा था कि देशव्यापी आयोजन के तहत स्कूली बच्चों को यातायात सुरक्षा की जानकारी दी जा रही है, यह उत्तर में है। इस महीने या जब हमने ध्यानाकर्षण लगाया हो, और अवधि जितनी संक्षिप्त करना चाहें कि कहां-कहां किसके द्वारा यातायात के संबंध में कितने बच्चों को शिक्षित किया गया?

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण का विषय तीन बिन्दुओं पर और नीचे जो लिखा हुआ है पूरा शासन-प्रशासन नाकामयाब है, लापरवाही है ये जनरल चीजें उन्होंने सरकार के लिए लिखा। उसके विषय में जब उन्होंने लिखा है तो।

श्री अजय चन्द्राकर :- (गृहमंत्री जी के हाथ में एक पर्ची आने पर) अब चिट्ठी आ गई है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, चिट्ठी नहीं, चिट्ठी की जरूरत नहीं है। मैं आपका जो प्रश्न है उस पर आ रहा हूं। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटना का लगातार बढ़ना चिन्ता का विषय है। अपराधियों और गुंडों को पुलिस का संरक्षण है। बढ़ती घटनाएं इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि पुलिस प्रशासन अपनी गश्त बढ़ाने, गोपनीय सूचना संग्रहित करने और कानून राज स्थापित करने में राजधानी सहित पूरे प्रदेश में पूरी तरह से असफल हुआ है। महिलाओं की इज्जत के साथ बदमाश बेखौफ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जो आपने लिखा है उसके कारण उसके नीचे में उत्तर में दिया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सवाल ये किस कारण से लिखा है यह नहीं है। अध्यक्ष महोदय, या तो फिर इसमें व्यवस्था का प्रश्न बनता है कि आपने जो उत्तर दिया है उसके तहत मैं प्रतिप्रश्न कर सकता हूं या नहीं कर सकता। यदि आप व्यवस्था देंगे कि मंत्री जी के उत्तर पर आप प्रश्न, प्रतिप्रश्न नहीं कर सकते, आपकी व्यवस्था आयेगी तो मैं नहीं करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपके ऊपर है, मैं उनसे बिल्कुल आग्रह नहीं करूंगा। जो उत्तर में आया है, आज तक यह रहा है कि मैं या कोई भी सम्माननीय सदस्य उसमें प्रश्न कर सकते हैं। आपने किन कारणों से उत्तर में जोड़ा यह आपका विषय है, यह हमारा विषय नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने जोड़ा है इसलिए हम उसमें उत्तर देंगे, जैसी आप व्यवस्था देंगे मैं वैसे ही प्रश्न करूंगा। आप नहीं कहेंगे तो मैं प्रश्न नहीं करूंगा। अध्यक्ष महोदय, आप कृपया मुझे इस विषय में व्यवस्था दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप कुछ जवाब देना चाहेंगे?

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, किस कारण जोड़ा गया, पुलिस की पूरी कार्रवाई जो काम कर रहे हैं उसको बताया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न आपसे है। मैं ये व्यवस्था चाहता हूं

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कि उत्तर में उल्लेखित है उसमें मैं प्रतिप्रश्न कर सकता हूं या नहीं कर सकता? आप कहेंगे कि नहीं करना है तो मैं नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, नारायण चंदेल जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया, उसमें माननीय मंत्री जी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। पूरे प्रदेश के समाचार पत्रों में छपा कि श्री बघेल ने कहा कि मामले की दंडाधिकारी जांच के आदेश जारी कर दिये गये हैं। चार सदस्यीय टीम बनाई गई है। ये पूरे प्रदेश के समाचार पत्रों में छपा और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि दंडाधिकारी जांच की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपराधी पकड़ा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रेस को सही कह रहे हैं या माननीय मंत्री जी सही कह रहे हैं जरा यह स्पष्ट कर दें? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इस घटनाक्रम की जांच कर रहे थे उस अधिकारी का स्थानांतरण कर दिया गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी बोल देंगे कि यह ध्यानाकर्षण का विषय नहीं है, तीन बिन्दुओं पर है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश के सारे समाचार पत्रों में छपा है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से यह जो घटा है बहुत गंभीर घटना है और नई सरकार के लिए यह चुनौती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा। मानसिक रूप से कमजोर महिला के साथ में इस तरह का कृत्य हुआ है। भविष्य में प्रदेश में इस तरह की घटनाएं न हो, इसको रोकने के लिए शासन की कोई कार्ययोजना बनी है, कोई ठोस नीति बनी है। माननीय मंत्री जी बतायें।

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, सभी प्रकरणों में जांच होती है, घटना न हो इसके लिए पूरी व्यवस्था पुलिस के द्वारा की जाती है। जैसे पहले बताया गया, चाहे पेट्रोलिंग की बात हो, चाहे महिला डेस्क की बात हो, महिला पुलिस की बात सारी चीजों की व्यवस्था क्राईम को रोकने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास करती है। पूरी व्यवस्था करती है, पूरे प्रदेश में करते हैं, थाने स्तर पर करते हैं, अलग अलग विंग्स के द्वारा करते हैं कि ऐसी कोई घटनाक्रम न हो। जब होता है तो उसको विवेचना में लेते हैं, पूरी जांच करते हैं, आरोपी को जो मिलता है उनको गिरफ्तार भी करते हैं, पुलिस के सारी जिम्मेदारी है जितना काम है उनको पूरा किया जाता है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस दौरान जो जांच करने वाले अधिकारी हैं, उनका स्थानांतरण किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो जांचकर्ता अधिकारी थे क्या उनका स्थानांतरण किया गया है? कृपया नाम बतायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- अरे हो गया भई।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, जांच अधिकारी को स्थानांतरण करना या नई करना ये कोई प्रकरण के कारण स्थानांतरित करते हैं नहीं करते हैं ये प्रश्न नहीं है। रूटीन में नियमित जो हमारा स्थानांतरण होता है उसके तहत होता है। इस प्रकरण से संबंधित हम उसको हटाये या न हटाये ये कोई प्रकरण नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय :- सत्यनारायण शर्मा जी, ध्यानाकर्षण क्रमांक दो।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- अध्यक्ष महोदय, उसमें क्यों हटाये। उसमें जो घटना घटी, घटना के दौरान में जो जांच अधिकारी हैं, वो जांच अधिकारी को हटा दिये। उसका नाम बतायेंगे कौन जांच अधिकारी है और क्यों हटाया गया? आप तो सामान्य रूटीन ट्रांसफर में ले आये। इसके कारण उनका स्थानांतरण हुआ है। आप घटना के दौरान जो जांच अधिकारी है उसे हटा दिये तो हटाने का कारण और उसका नाम बतायेंगे।

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, अगर अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती तो एक बार सोचा जा सकता है कि अपराधी को गिरफ्तार करना है इसलिए हटा रहे हैं। अपराधी जब विवेचनाधीन हो गया, अपराधी गिरफ्तार हो गया, न्यायालय भेजा जा चुका है तो वो पुलिस के समक्ष जो काम है वो हो गया। उसमें किसी अधिकारी का ट्रांसफर करना और नई करने का कोई मतलब ही नहीं उठता।

<u>2. प्रदेश में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलना</u>

श्री सत्यनारायण शर्मा:- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है। प्रदेश में किसानों को विभिन्न कारणों से होने वाले फसल के नुकसान से राहत पहुंचाने हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई, किन्तु प्रभावित किसानों को समय पर बीमा राशि नहीं मिल पायी। वर्ष 2017 खरीफ वर्ष में इस योजना के अंतर्गत बीमित कृषकों की संख्या 1309272 है एवं मौसम आधारित बीमा के तहत बीमित किसानों की संख्या 5262 है, जिसमें ऋणी एवं अऋणी दोनों हैं। किसानों द्वारा बीमा प्रीमियम लगभग 131 करोड़ रूपये जमा किये गये, किन्तु प्रभावित किसानों को उचित राशि प्राप्त नहीं हुई। कई किसानों को कोई भी राशि का भुगतान बीमा कंपनियों ने नहीं किया है। अनेक किसानों को एक या दो रूपये का मुआवजा मिला है। बीमा में इस बात का उल्लेख नहीं है कि किसानों को न्यूनतम कितनी राशि मिलेगी। बीमा कंपनी द्वारा चावल के बजाय धान के उत्पादन के आधार पर बीमा राशि दी जा रही है। पूरी गलती भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों की है। धान एवं चावल की विसंगति को दूर करने कोई कार्यवाही नहीं हुई। केन्द्र सरकार तक बात पहुंचाई नहीं गई, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। किसानों को बीमा राशि खाते में पहुंचते ही कर्ज की राशि का समायोजन कर लिया

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

गया। किसानों को बीमा एवं सूखा राहत देने का लाभ नहीं मिला। वर्ष 2017 में 96 तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया, किन्तु कुछ ही तहसीलों को सूखा राहत राशि का वितरण किया गया। पीड़ित किसान परेशान हैं, और उनमें रोष व्याप्त है।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में किसानों को विभिन्न कारणों से होने वाले फसल नुकसान से राहत पहुंचाने हेतु खरीफ 2016 से कृषि फसलों हेतु ''प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना'' तथा रबी 2016-17 से उद्यानिकी फसलों हेतु ''मौसम आधारित फसल बीमा योजना'' लागू है। खरीफ 2017 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत 12 लाख 98 हजार 636 कृषकों द्वारा कुल रु.128 करोड़ 7 लाख, 66 हजार का प्रीमियम जमा किया गया है। योजना प्रावधानों के अंतर्गत लगभग 5 लाख 66 हजार 27 कृषकों को दावा भुगतान के रूप में लगभग रु 1297 करोड़ 97 लाख 15 हजार राशि प्रदाय की गई है। राज्य में संचालित किसी भी फसल बीमा योजना में इतनी बड़ी संख्या में कृषकों को इतना अधिक दावा भुगतान कभी भी नहीं किया गया, अतः यह कहना सही नहीं है कि '' इस योजना का उचित लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है।

इसी प्रकार, मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत 5264 उद्यानिकी फसल लगाने वाले बीमित कृषकों द्वारा 2.59 करोड़ राशि प्रीमियम के रूप में जमा की गई। अधिसूचित मौसमीय परिस्थितियों से विचलन के आधार पर 5023 कृषकों को राशि रु. 7.46 करोड़ का दावा भुगतान किया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत दावा भुगतान हेतु पात्र पाये गये कृषकों में से लगभग 4232 कृषकों को ही रु.100 से कम का दावा भुगतान किया गया है। रु.100 से लेकर रूपये रु.1000 तक का दावा प्राप्त करने वाले कृषकों की संख्या 28638 है, रु.1000 से 10000 दावा भुगातन प्राप्त करने वाले कृषकों की संख्या लगभग 189639, रु.10000 से 50000 का दावा भुगतान प्राप्त कृषकों की संख्या 2,83040, रु. 50000 से 1 लाख दावा भुगतान प्राप्त करने वाले कृषकों की संख्या 46158 तथा राशि रुपये 1 लाख से अधिक का दावा भुगातन प्राप्त करने वाले कृषकों की संख्या 14320 है।

उद्यानिकी फसलों हेतु मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत मात्र 13 कृषकों को राशि रु. 2 से कम का दावा भुगतान इसलिए किया गया क्योंकि इन कृषकों द्वारा बहुत कम रकबा (0.003 हे.) में बीमा कराया गया था। उपरोक्त भुगतान के आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रभावित किसानों को पात्रता अनुसार राशि दी गई है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा इकाई हेतु अधिसूचित थ्रेसहोल्ड उपज से औसत उपज कम प्राप्त होने में ही उस बीमा इकाई के बीमित कृषकों को दावा भुगतान की पात्रता होती है। जिन बीमा इकाईयों में औसत उपज थ्रेसहोल्ड उपज से अधिक होती है, उन्हें दावा भुगतान का प्रावधान नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

है। योजनान्तर्गत कृषकों का फसल बीमा हेतु न्यूनतम रकबा निर्धारित न होने के कारण न्यूनतम दावा राशि निर्धारित नहीं है।

धान एवं चावल की विसंगति की जानकारी प्राप्त होते ही राज्य शासन द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए भारत सरकार को अपील की गई, प्रकरण पर भारत सरकार से अंतिम निर्णय अप्राप्त है। अत: यह कहना सही नहीं है कि बीमा कंपनियों द्वारा बीमा दावा भुगतान में की गई त्रुटि के संबंध में राज्य शासन द्वारा विसंगति को दूर करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

यह योजना अल्पकालीन फसल ऋण लेने वाले कृषकों के लिए अनिवार्य होने के कारण प्राप्त दावा राशि समायोजित की जाती है, ताकि कृषकों को आगामी मौसम हेतु अल्पकालीन फसल ऋण के नवीनीकरण में आसानी हो तथा कृषकों को न्यूनतम ब्याज दर पर अल्प कालीन फसल ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

राज्य शासन द्वारा कम वर्षा से प्रभावित प्रदेश के 21 जिलों में 96 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित कर भू-राजस्व संहिता 1996 की धारा 144 के तहत प्रभावित तहसीलों का भू-राजस्व माफ किया गया। इन सूखा प्रभावित जिलों के 9 लाख 58 हजार 411 किसानों को राशि रु 568 करोड़ 87 लाख 58 हजार राजस्व पुस्तक 6-4 में निहित प्रावधान अनुसार फसल क्षति हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है।

उपरोक्त कार्यवाही से कृषकों को उचित दावा राशि एवं आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है जिससे किसानों में किसी प्रकार का रोष व्याप्त नहीं है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 31 मार्च 2018 तक रिलायंस और इफको कंपनी के द्वारा किसानो के फसल बीमा के दावे का पूरा भुगतान कर दिया अथवा नहीं ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस कंपनी के बारे में आप प्रश्न कर रहे हैं, खरीफ 2017 में टोटल ऋणी किसान 11,20,596, अऋणी किसान 1,77,880, कुल कृषकों की संख्या 12,98,636, टोटल बीमित राशि करोड़ रुपये में 6619, उसमें कृषक का अंश 128 करोड़ दिया गया था, राज्यांश 83 करोड़, लगभग 294.77 करोड़ राशि कंपनी को दी गई थी और 5 लाख 66 हजार 27 किसानों को 1297 करोड़ 97 लाख रुपये की राशि का दावा भुगतान किया गया।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पूछा है कि 31 मार्च 2018 तक इन कंपनियों ने दावे राशि का भुगतान किया या नहीं ? यदि नहीं किया है तो उनके खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि आपका 2017 का प्रश्न है और 1297 करोड़ 97 लाख रुपये का दावा भुगतान किया गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सत्यनारायण शर्मा :- 31 मार्च 2018 के पहले किया गया है या बाद में किया है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, यह तो सतत प्रकिया है लेकिन उसके पहले किया।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय मंत्री जी मैं यह भी बता दूं कि आपने जा आंकडें बताये हैं, यह आंकडों में भी मुझे शंका है, यह सही नहीं हैं। क्या आप इन आंकडों की जांच करायेंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, विभाग के प्राप्त आंकड़े हैं, इसमें किस प्रकार की शंका है, आप थोड़ा बता दें, जांच करानें में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 2017 का आपका ध्यानाकर्षण का सवाल है इसलिए मुझे लगता है कि किसानों को इतनी राशि वितरित हुई है, इसमें कोई शिकायत हो, आंकड़े में क्या गलती है तब फिर उसकी जांच कराई जाये। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है 13 कृषकों को राशि दावा भुगतान 2 रुपये से कम का इसलिए किया गया है, क्योंकि इन कृषकों द्वारा बहुत कम रकबा 0.003 हेक्टेयर में बीमा कराया गया था। यह इतना छोटा .0074 एकड़ रकबा है, आप यह बतायें कि .0074 एकड़ रकबा कितना होता है, बहुत कम रकबा होता है, इस 0.003 हेक्टेयर का प्रीमियम कितना दिया गया है ? इतने छोटे रकबे का प्रीमियम क्या होगा ? कैसे प्रीमियम दिया, किस दर से प्रीमियम दिया ? माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछ लेता हूं भू-अभिलेख विभाग ने जो गड़बड़ी की, उसके कारण किसानों को नुकसान हुआ, उनके खिलाफ क्या आप कार्यवाही करवायेंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, पूरे ध्यानाकर्षण में मूल प्रश्न यही है और गड़बड़ी भी यही है कि भू-अभिलेख के द्वारा यह जो थ्रेस होल्ड उपज चावल के आधार पर बीमा तय होना था लेकिन जो जानकारी दी गई वह धान के आधार पर, पर हेक्टेयर उसके उपज के आधार पर जितना किलो होता है, निश्चित रूप से यह चूक हुई है, जैसा कि मैंने अपने उत्तर में कहा इसके लिए भारत शासन से बहुत सारे कॉरेस्पोंडेंस हो रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये निराकरण हो जायेगा तो न केवल जिन कृषकों की आप चिंता कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- उनकी रूचि निराकरण में नहीं है, उनकी रूचि जांच में है, क्या उसमें जांच करवायेंगे ? निराकरण में, किसानों की भलाई में उनकी रूचि नहीं है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, भू-अभिलेख विभाग ने धान और चावल दोनों का दे दिया जबकि देना चावल का था। और कंपनी ने बड़ी चालाकी के साथ धान को एक्सेप्ट कर लिया और उसके हिसाब से भुगतान हुआ। यह गड़बड़ी भू-राजस्व विभाग ने की, क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करवायेंगे ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, यह गड़बड़ी तो हुई है। जिला प्रशासन को कॉरेस्पोंडेंस किय गया है, उम्मीद करते हैं कि इसमें सुधार किया जायेगा। लगातार तत्कालीन सरकार के कृषि विभाग के मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर इसका निराकरण हो जायेगा तो जो 1297 करोड़ की राशि है, वह बढ़करके लगभग 600 करोड़ की और राशि किसानों को वितरित हो जायेगी। लेकिन अगर गड़बड़ी भू-अभिलेख शाखा से हुई है तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न है तो हम कलेक्टर को निर्देश करेंगे कि यहां कहां गड़बड़ी है, उसकी जांच करायें।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि विगत दो सप्ताह में जो अतिवृष्टि, ओलावृष्टि हुई और भारी बारिश के कारण टमाटर और चना जैसी फसल छुईदान तहसील में और माननीय मंत्री जी के क्षेत्र धमधा और साजा क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर नष्ट हो गयी है तो किसान बड़े भयभीत हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप यह ओला वृष्टि अभी की बात कर रहे हैं ?

श्री देवव्रत सिंह :- जी, अभी का ।

अध्यक्ष महोदय :- यह वर्ष 2017 का प्रश्न है ।

श्री अजय चंद्राकर :- मेरा पाईंट ऑफ ऑर्डर है ।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जो बीमा कंपनियां हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो बीमा कंपनियां रबी फसल के बारे में कभी कोई निर्णय करती नहीं हैं । विगत् वर्ष भी ओला वृष्टि की राशि नहीं मिली तो मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या राज्य शासन बीमा कंपनियों को यह निर्देश जारी करेंगे कि चूंकि 31 मार्च भी समय बचा हुआ है किसानों की जो बीमा की राशि है वह जमा है तो अभी जो ओला वृष्टि हुई है, अतिवृष्टि हुई है उससे जो नुकसान हुआ है तो तत्काल उसका सर्वे करके क्या बीमा कंपनी उसमें मुआवजा राशि देगी ?

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न करिये ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसके अलावा भी मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत यह कवर होता है और जिन क्षेत्रों में नुकसान हुआ है दोनों प्रकार से अब रेवेन्यू के डिपार्टमेंट उसको आर.बी.सी. के तहत् उसको किस प्रकार से क्षतिपूर्ति दिया जा सके और बीमा कंपनी निश्चित रूप से अगर इस प्रकार के बहुत क्षति की बात हो रही है तो हम संचालक एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर को निर्देश देंगे, इसको दिखवा लेंगे । अगर किसानों को नुकसान हुआ है तो उसको कवर किया जायेगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फसल बीमा पर माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अऋिणी किसानों को स्वेच्छिक है, वे कराना चाहें या मत कराना चाहें लेकिन ऋिणी किसान के लिये अनिवार्य है तो क्या ऋिणी किसान का भी आप स्वेच्छिक करेंगे क्योंकि जांजगीर-चांपा जिला जहां सिंचित है वहां फसल बीमा का लाभ तो कभी मिलता नहीं बल्कि प्रीमियम हम हर साल देते हैं तो ऐसे किसानों के लिये जो ऋिणी हैं उनके लिये भी फसल बीमा आप स्वेच्छिक करेंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मार्गदर्शिका बिंदु क्रमांक-11 (2) एवं (3) के अनुसार अधिसूचित बीमा इकाई में अधिसूचित की गयी फसलों हेतु वित्तीय संस्थाओं से फसल ऋण लेने वाले समस्त किसानों को अनिवार्यत: बीमा परिधि में लाया जायेगा यह प्रधानमंत्री बीमा योजना जो केंद्र ने लागू किया है उसके मुख्य प्रावधान है । अब मैं उसको इस सदन में उत्तर कैसे दे पाउंगा ?

अध्यक्ष महोदय :- पाईंट ऑफ ऑर्डर ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाईंट ऑफ ऑर्डर है । चूंकि मैं जिस विषय में पाईंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहता था उस समय ध्यानाकर्षण चल रहा था, बीच में उसमें मुझे बात करते नहीं बना और अभी ध्यानाकर्षण जस्ट समाप्त हुआ है । मेरा विषय ध्यानाकर्षण से संबंधित है । हमने जो आज ध्यानाकर्षण दिया है कोपल वाणी या महिलाओं के उसमें तो उसके कंटेंट को देखियेगा उसमें प्रदेश स्तर के भी प्रश्न हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- इसमें तो कोपल वाणी कहीं नहीं लिखा है ।

श्री अजय चंद्राकर :- आपके उसमें नहीं है, वह दूसरे में है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मेरा खत्म हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपका समाप्त हो गया है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें माननीय मंत्री जी का जो उत्तर आया है । मैंने आपसे पूछा कि मुझे जो उत्तर आया है उसमें प्रतिप्रश्न उस सीमा में करना है कि नहीं करना है । चूंकि आपकी व्यवस्था नहीं आयी, आपकी व्यवस्था के विपरीत में नहीं है । आपने माननीय मंत्री जी को कह दिया कि आप उत्तर देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं ? मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हम शासन के द्वारा जो उत्तर दिया गया है उस सीमा के भीतर में प्रतिप्रश्न हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति पहली बार आयी ।

श्री रामकुमार यादव (चंद्रपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी विषय में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा अंतर्गत चंद्रपुर विधानसभा में फसल बीमा कराये थे और अभी से ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर......।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- ध्यानाकर्षण समाप्त हो चुका है ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर भी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन कर लेता हूं । मेरे विधानसभा में भी..।

अध्यक्ष महोदय :- इधर से पाईंट ऑफ ऑर्डर आ चुका है । आपके ध्यानाकर्षण में जो वक्तव्य आया है । उसमें प्रतिप्रश्न रखने का अधिकार आपको है। अब कार्यवाही आगे बढ़ चुकी है, मैं आपकी व्यवस्था के प्रश्न को अग्राह्य करता हूं ।

समय :

12:39 बजे **नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं**

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

1. श्री सौरभ सिंह
2. श्री केशव प्रसाद चंद्रा
3. श्री गुलाब कमरो
4. श्री देवव्रत सिंह
5. श्री कुलदीप जुनेजा

समय :

12.40 बजे **वित्तीय वर्ष 2019-2010 की अनुदान मांगों पर चर्चा**

मांग संख्या	**30**	**पंचायत तथा ग्रामीण विकास से संबंधित व्यय**
मांग संख्या	**80**	**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता**
मांग संख्या	**19**	**लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण**
मांग संख्या	**79**	**चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय**
मांग संख्या	**7**	**वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय**
मांग संख्या	**31**	**योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या 50 बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या	-	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास से संबंधित व्यय के लिये - तीन हजार पांच सौ पचास करोड़, बांसठ लाख, अठ्यासी हजार रूपये,
मांग संख्या	-	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए तीन हजार तीन सौ तीन करोड़, तेरह लाख, तैंतीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिये - दो हजार चार करोड़, बयानबे लाख, अस्सी हजार रूपये,
मांग संख्या	-	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय के लिये - आठ सौ चौरासी करोड़, पच्चीस लाख, पंचानबे हजार रूपये,
मांग संख्या	-	7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय के लिये - दो सौ छिहत्तर करोड़, पैंसठ लाख, तैंतीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय के लिये - बयालीस करोड़, पच्चीस लाख, अस्सी हजार रूपये तथा
मांग संख्या	-	50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय के लिये - तीन करोड़, छब्बीस लाख, पचासी हजार रूपये तक की राशि दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे । कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है । प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जाएंगे ।

मांग संख्या 30

पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय

1.	श्री धरमलाल कौशिक	9
2.	श्री रजनीश कुमार सिंह	14
3.	श्री सौरभ सिंह	1
4.	डॉ. रेणु अजीत जोगी	10

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

5.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	3
6.	श्री नारायण चंदेल	1

मांग संख्या 80

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

1.	श्री अजय चन्द्राकर	15

मांग संख्या 19

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

1.	श्री धरमलाल कौशिक	3
2.	श्री सौरभ सिंह	1
3.	डॉ. रेणु अजीत जोगी	8
4.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	4
5.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	1
6.	श्री केशव प्रसाद चंद्रा	6
7.	श्री नारायण चंदेल	6

मांग संख्या 79

चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय

1.	श्री अजय चन्द्राकर	2

मांग संख्या 7

वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय

1.	श्री अजय चन्द्राकर	2
2.	डॉ. रेणु अजीत जोगी	1
3.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	1
4.	श्री केशव प्रसाद चंद्रा	1

मांग संख्या 31

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय

1.	डॉ. रेणु अजीत जोगी	2
2.	श्री अजय चन्द्राकर	1
3.	श्री नारायण चंदेल	1

मांग संख्या 50

बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय

1.	श्री अजय चन्द्राकर	1

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 साल तक मैं सिर्फ टी.एस.सिंहदेव जी को अपना नेता मानता था । संसदीय कार्यमंत्री की भूमिका के चलते मैं नेता प्रतिपक्ष, माननीय अध्यक्ष ओर सदन के नेता को अपना नेता मानता था । वास्तव में वह चरित्र दिखता था, ऐसा अभी नहीं कह सकता, थोड़ी थोड़ी संभावनाएं अभी बाकी हैं । यह मेरा भ्रम है, या सही स्थिति है जो टूटी है या स्थापित रहेगी, यह मुझे आगे देखना है। अध्यक्ष महोदय, इन दो महीनों में जो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी का नाम या तथाकथित रूप से राजीव गांधी जी का नाम या अन्य नेताओं का नाम पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए लेती थी या बात करती थी । अध्यक्ष महोदय, पूरे बजट को देख लीजिए इनके पास जितनी मांग संख्या हैं, उनमें से 2 तो कोई विभाग नहीं, उन पर तो मैं 2 मिनट में बोलकर खत्म कर दूंगा । मजाक किया गया है । छत्तीसगढ़ की खासतौर पर पंचायती राज संस्थाओं के साथ, स्वास्थ्य सेवाओं के साथ और माननीय नेता जी 90 के दशक में हिन्दुस्तान में एक नारा गुंजता था। राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है करके। संघर्ष करते तो शायद इतने महत्वपूर्ण विभाग में बजट की कटौती नहीं होती। बजट में आपकी उपस्थिति कहीं नहीं है और जो कुछ निर्णय हुए हैं उसमें आपका नियंत्रण नहीं दिखता है। आखिर आप कहां पर है?

श्री अमरजीत भगत :- ये तो भड़काने का काम कर रहे हैं।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजेपुर) :- तो आप मत भड़किए न। यही तो समझदारी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- कल माननीय रविन्द्र चौबे जी ने कहा कि राजीव गांधी जी ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूतीकरण दिया। सबसे पहले तो मैं वही बात कहना चाहूंगा कि संविधान का जो 64वां संशोधन है, राजीव गांधी जी के समय 1979 में जो लाया गया, वह राज्यसभा में ध्वस्त हो गया

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

और पारित नहीं हो सका। 73वां, 74वां संशोधन जब लाया गया, 24 अप्रैल, 1993 को जब वह पारित हुआ तो देश में नरसिम्हा राव जी की अल्पमत सरकार थी और पूरे देश में ऐसा दौर था जिसमें सबसे ज्यादा समय तक विपक्ष की सरकारें बनीं और 17 राज्यों के समर्थन से देश का वह ऐतिहासिक कानून 73वां, 74वां संशोधन आया। अब 73वां, 74वां संशोधन आया 1993 अप्रैल से लेकर 2003 तक तब आप सत्ता में थे। आपने पंचायती राज संस्थाओं के लिए माननीय भाटो साहब एक भी योजना बनाई हो। ये जो सब खड़े होते हैं यह योजना, वह योजना। डॉ. रमन सिंह की सरकार ने यह नहीं किया, वह नहीं किया। एक योजना आप बता दें कि 1993 से 2003 तक पंचायतों के सशक्तीकरण के लिए एक योजना बनाई हो।

श्री धनेन्द्र साहू (अभनपुर) :- सारा अधिकार हम ही ने दिया। आप लोगों ने सिर्फ अधिकार समाप्त करने का काम किया।

श्री अजय चन्द्राकर :- बात करेंगे। कौन से अधिकार आप लोगों ने दिया। जब राज्य वित्त आयोग के गठन को 73वें संशोधन में मान्यता दी गई, उसके संसाधनों के लिए जब वित्त आयोग का गठन हुआ। पहला वित्त आयोग संभवत: आप ही अध्यक्ष थे या उससे पहले कुछ ही दिन आपने काम किया। उससे पहले मध्यप्रदेश के वित्त आयोग की अनुसंशा मानी गई। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2000 से 2003 तक थे 2.91 परशेंट की अनुशंसा थी उन तीन सालों में कभी पूरी राशि पंचायतों को नहीं दी गई। यह आपका पंचायती राज था। डॉ. रमन सिंह जी पंचायती राज संस्थाओं में मूल कानून के बाद सबसे ज्यादा संशोधन किये और सबसे महत्वपूर्ण संशोधन किये। माननीय रविन्द्र चौबे जी उपस्थित हैं। डॉ. रमन सिंह जी का योगदान बता देता हूं 2003-04 में पहली बार सरकार बनने के बाद उस सरकार ने पहला लेजिस्लेटिव कार्य किया तो पंचायती राज संस्थाओं में संशोधन का और मैंने और आपने संयुक्त रूप से वहां पर प्रेस ली और उन संशोधनों में सहमति व्यक्त की। पंचायती राज संस्थाएं ऐसी सहमति पर चलती हैं और संशोधन क्या थे? जो देश में बड़े कानून बने। देश में जनआंदोलन बने। खाद्यान्न सुरक्षा का अधिकार। इसी सदन में कम्युनिस्ट पार्टी के सोमनाथ चटर्जी जी आये। उन्होंने कहा कि हम सर्वहारा का प्रतिनिधित्व करते थे लेकिन खाद्यान्न सुरक्षा कानून नहीं बना सकें। 35 सालों में सत्ता के बाद बुनियाद डाली। संसाधन हमारे पास कम थे। पर हमने कानून बनाया कि छत्तीसगढ़ में एक क्विंटल अनाज रहेगा। भूख से मौत नहीं होनी चाहिए। पंचायत उसे देगा यदि पंचायत को उतना मिला तो । आगे चलकर छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन जब संसाधन हुआ तो। आगे चलकर यू.पी.ए. ने उसे अपनाया। आपने यू.पी.ए. के 7 किलो को हटा दिया। जब खाद्य विभाग की बहस होगी तो बात करेंगे। फिर आपने अपनाया। आप यह श्रेय ले रहे हैं कि इतने हजार का बजट है खाद्यान्न के लिए। वह लाने वाला कोई आदमी था 35 किलो जिसको आप दे रहे हैं तो वह रमन सिंह जी की योजना थी। दूसरा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जो स्वच्छता का आया। अर्हता में हमने स्वच्छता जोड़ी। जब आप थे साहब। 42 परशेंट स्वच्छता का आच्छादन। 20 ग्राम पंचायतें। स्वच्छता अर्हता में जुड़े। जब मैं प्रश्न पूछता हूं। यहां से मांग हुई। आपने ताली बजाया। आपके सदस्यों ने कहा कि भ्रष्टाचार हो रहा है जांच कीजिए। साहब, स्वच्छता जनआंदोलन है। सरकारी कार्यक्रम नहीं है। जनता की भागीदारी हुई। अजय चन्द्राकर से लेकर, रमन सिंह जी से लेकर, आप से लेकर उधर बैठे जहां तक हो जिसने गड़बड़ी की हो, उसको सजा दीजिए मैं मांग करता हूं। ये कानून बने। अवैध कब्जे अर्हता में है। जो आप नरवा, घुरवा, बाड़ी ला रहे हैं न, उसमें हमने कानून बनाया था कि पंचायती राज संस्थाओं में यदि कोई अवैध कब्जा करेगा तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। यह हिन्दुस्तान का पहला कानून है। साक्षरता पर कानून हमने बनाया कि साक्षर होना चाहिए। पहले आपने साक्षरता की परिभाषा में काफी लंबी बहस की थी। उसके बाद अभी दूसरे संशोधन में उसकी शिक्षाएं विभिन्न स्तर में तय की गई है। पंचायत की ग्राम सभा आश्रित गांव में होगी। पेसा पर आज तक उतनी अनुशंसा मोबालाइज देना हमने नियुक्त किए। आपने पेसा पर कोई बात नहीं की है। आपने पंचायती राज संस्थाओं पर और उसके अधिकारों पर कोई बात नहीं की है। जब मैं बजट में आऊंगा तो बात करूंगा कि आपने कितनी निर्दयतापूर्वक उनके पैसे काटे हैं। मैंने उस दिन और बताया था, 2 लाख रूपये ...।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय चन्द्राकर जी आपको मालूम होगा कि 14 वें वित्त का पैसा किस प्रकार से पंचायतों के अधिकार क्षेत्र से छीनकर बुला लिया था।

श्री अजय चन्द्राकर :- बहुत सुन्दर। आपको पंचायती राज संस्थाओं पर ज्ञान के बधाई।

श्री अमरजीत भगत :- आप घड़ियाली आंसू बहाते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके पंचायती राज के ज्ञान के लिए बधाई।

श्री अमरजीत भगत :- आपके पंचायती राज में पंचायत के लोग किस तरह से परेशान थे, बिना उनकी सहमति के पैसा काटकर बुला लिये थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके ज्ञान के लिए बहुत-बहुत बधाई।

श्री अमरजीत भगत :- वह तो मैं माननीय टी0एस0 सिंहदेव जी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने लड़ा तो आप लोगों ने पैसा वापिस किए।

श्री अजय चन्द्राकर :- तो आपके ज्ञान के लिए बहुत-बहुत बधाई।

श्री अमरजीत भगत :- नहीं, आपने किया था।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके ज्ञान के लिए बधाई, कहा न।

श्री अमरजीत भगत :- चलिये, ठीक है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, सिंहदेव साहब, मैं 14वें वित्त के बारे में बात करता।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लेकिन मैं एक ही लाईन में खत्म कर देता हूँ। 14वें वित्त आयोग की पूरी राशि पंचायतों को जाती है। पहली बार ऐसी व्यवस्था हुई कि उस पर कोई शासकीय निर्देश नहीं चलेगा। इस शासन ने 14वें वित्त आयोग के खर्च के लिए, पंचायतें कैसे खर्च करेंगी, कोई निर्देश जारी नहीं किया है। यदि कोई बोलता है तो उसको जेल में डालिये। हम उसका समर्थन करते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- आप ही ने तो पैसा काटा। पंचायत मंत्री तो आप ही थे। पंचायत मंत्री रहते हुए आपने पंचायतों के अधिकारों में कटौती किया। आपने पंचायतों का पैसा काटकर के बिना उनकी सहमति के यहां बुलवा लिया। तो कहां के पंचायती के हितैषी हो गए ?

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण, बिहार के बाद देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। अब मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि 85 विकासखण्ड और लगभग 5,800 पंचायतें पेसा क्षेत्र में हैं। आपका दृष्टिकोण क्या है ? कांग्रेस का दृष्टिकोण क्या है ? क्योंकि कांग्रेस के दृष्टिकोण के बारे में यदि आप संविधान को, बाकी संस्थाओं को पढ़ेंगे, तो सन् 48 तक संविधान के मूल ड्राप्ट में पंचायती राज शामिल नहीं था। महात्मा गांधी जी ने कहा तो राज्यों के विषय में अनुच्छेद-40 में वह आया। अब मैं यह जानना चाहूंगा कि आपका दृष्टिकोण क्या है ? अब पंचायतों के अधिकारों के बारे बात हुई। यदि पंचायतों के अधिकारों के बारे में बात करते हैं, तो उसमें भी आपका दृष्टिकोण जानना चाहूंगा कि एक्टिविटी मैपिंग में आपका दृष्टिकोण क्या है ? भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है ? अब आपकी अन्य सरकारें क्या कर रही हैं और उसमें आप क्या काम करते हैं ? यदि आप उसको जानना चाहते हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आप कृपा करके मणिशंकर अय्यर जी हैं न, उनसे पूछ लीजियेगा कि मैंने एम0ओ0यू0 कैसे और किस विषय में किया था। आप अपने अधिकारियों से पूछियेगा कि छत्तीसगढ़ की पंचायती राज संस्थाएं सशक्त बनें, यह डॉ0 रमन सिंह जी या उनका समर्थन जो आपके बैठे हैं, जब पहला संशोधन आया था तो। लेकिन दुर्भाग्य है कि आपने उसके बारे में कोई दृष्टिकोण कभी नहीं बताया, न लिखा, कुछ नहीं किया। आप अधिकार सम्पन्न बनायेंगे तो किस तरह बनायेंगे ? अब आप उनकी एक बानगी देखिये, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर दूसरे विषय पर बोलूंगा। मुझे ज्यादा बोलना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जिला पंचायत निधि , साहब ये बैठे हैं। आपके भी जिला पंचायत सदस्य हैं न, आपने उनको दिए जाने वाले अनुदान को काटा है। आपने 44 करोड़ रूपये मायनस किए हैं। जनपद पंचायत विकास निधि 1 करोड़ देते थे, आपने उसको काटा है, आपने यह पाप किया है। उन संस्थाओं को, जो छोटे-छोटे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। यदि आप किसानों की बात करते हैं, तो चार चुनाव होने के बाद 6 लाख से ऊपर पी0आर0आई0 छत्तीसगढ़ में अलग-अलग संस्थाओं में काम करते हैं। वे भी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। डॉ0 रमन सिंह जी ने उनके भी आकांक्षाओं के प्रतिबिम्ब हो, इसके लिए यह योजना बनाई थी।

अध्यक्ष महोदय, टिफिन वितरण, रोज नये पंजीयन होते हैं, आप मत दीजिये। रोज पेपर में लपेट लेकर जाये और खाये उसमें मेरी ज्यादा रूचि नहीं है। वह एक संवेदनशील योजना थी, उसमें भी भ्रष्टाचार दिखता है तो आप उसमें भी एस0आई0टी0 बना लो, उसमें मेरी रूचि नहीं है । वह एक संवेदनशील योजना थी कि एक गरीब कार्यस्थल में किस तरह का टिफिन लेकर जाए, जो पेपर में लपेटकर जाते थे, कपड़े में लपेटकर जाते थे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, चन्द्राकर जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि सिर्फ चुनाव के समय टिफिन याद आया, गरीब याद आया, 15 साल में आपको कभी याद नहीं आया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आप हर साल बांट लो, कौन मना किया है । एक समग्र विकास थी, जब मैं बोला कि 1993 से 2003 तक आपने कोई योजना नहीं बनाई । ग्राम उत्कर्ष हो, हमारा छत्तीसगढ़ हो, छत्तीसगढ़ गौरव हो, 10 साल में जो चलती थी, इन सब योजनाओं को एकीकृत करके हमने मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना कहा। अब मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना कहा, उसके 17-18 कम्पोनेंट हैं । आप चाहें तो बदल लें जिसको बदलना है, नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी में ले जाएं, अब उसमें कोई रूचि नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि 360 करोड़ रूपये और 360 करोड़ रूपए का महत्व इसलिए जाता है कि इस विभाग में बड़ी सम्पत्तियां बनीं, उस दिन प्रश्न का उत्तर आ रहा था कि इतने आंगनबाड़ी बना रहे हैं । आंगनबाड़ी के अभिशरण के लिए किसने पैसा दिया, स्टेडियम बने, गांव में 20-25 लाख के सामुदायिक भवन बने, आबादी अनुपात था, सब कोई पूछ सकता है कि कम में क्यों नहीं बने ? हिन्दुस्तान में अभिशरण में सबसे ज्यादा पुरस्कार यदि किसी प्रदेश को मिले हैं तो वह छत्तीसगढ़ को मिले थे, आपने संभावनाएं खतम कर दीं । 360 करोड़ का 200 करोड़ कर दिया, आपको बहुत-बहुत बधाई । बजट में आपकी क्षमता दिख रही है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आंतरिक विद्युतीकरण के बारे में आपको बता देता हूं । गांव में घर तक बिजली थी, पर गांव की गलियों में पहली बार शहर की तरह हम रोशनी देंगे ।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, चन्द्राकर जी, महाराज टोटल भड़काने का काम कर रहे हैं, इनकी बात में नहीं आना । (हंसी)

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पंचायत मंत्री रहे हैं । समग्र में आपने किस प्रकार से बंदरबांट किया, मेरे विधान सभा में कितना और कहां-कहां आपने बस्तर को ठगने का काम किया है । कोई दिक्कत नहीं है, हमारे मंत्री जी और बढ़ाएंगे । वे संवेदनशील हैं, इस बात को आप जानिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आंतरिक विद्युतीकरण में गांव में हम शहरों की तरह बल्ब लगाएंगे ।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, चन्द्राकर जी, कभी बोलते हैं कि हमारे नेता रमन सिंह हैं, कभी बोलते हैं कि महाराज हैं । तो कौन है, आप लड़ाने-भिड़ाने वाला काम करते हो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक उदारता लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को समझने के लिए बड़े नेताओं के साथ, माननीय रविन्द्र चौबे जी के साथ बैठिए, वे आपको पूरा समझा देंगे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- चन्द्राकर जी, आपने कौशिक जी को अभी तक अपना नेता स्वीकार नहीं कर पाये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, वे पूरा समझा देंगे । क्या होता है, ये भी समझा देंगे । लोकतांत्रित दृष्टिकोण में इस संस्था के जितने सदस्य हैं, वे सब सम्माननीय हैं । आज मैं डा. रमन सिंह जी की उपस्थिति में और बोल देता हूं कि वे मेरे नेता हैं, कोई आपत्ति है तो बोलो। ये दंभ तुम में होगा तो मुझे बताना । माननीय भूपेश बघेल जी की उपस्थिति में ये बोल देना कि ये मेरे नेता हैं और मैं सीढ़ी चढ़कर मंत्री बनना चाहता हूं, दम होगा तो बोल देना और मैं दंभ से बोल रहा हूं कि रविन्द्र चौबे जी मेरे नेता हैं, मेरे नेता हैं, कोई आपत्ति हो तो बोलो ।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, चन्द्राकर जी, माननीय धरम लाल कौशिक जी नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन आप एक बार भी नहीं बोलते हैं कि वे मेरे नेता हैं तो ये कितना अपमान वाली बात है । उनके लिए भी एकाध बार बोल दिया करो ।

अध्यक्ष महोदय :- आप विषय पर आईए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, हम क्रमश: उतर रहे थे ।

अध्यक्ष महोदय :- उतरिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, हम क्रमश: उतर रहे थे कि 3000 की आबादी, फिर 2000 की आबादी, फिर हर गांव तक हम आन्तरिक विद्युतीकरण करेंगे । आन्तरिक विद्युतीकरण का पैसा काट दिया, गांव में स्ट्रीट लाईट नहीं लगेगी । गांव में यदि कोई बड़ा काम करना है तो 200 रूपये के बजट में 20 हजार गांव में आप कुछ नहीं कर सकते, हमने पहली बार योजना बनाई थी और जो योजना बनाई थी, लेकिन इस बजट में एक भी नई योजना नहीं है । मैं इसीलिए आश्चर्यचकित था कि गांव और किसान, आप लोग क्या-क्या बोलते हैं, उसमें आपकी प्राथमिकता में गांव कहीं पर नहीं है, क्षमा कीजिएगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दूसरी महत्वपूर्ण योजना है-मनरेगा। मनरेगा में प्रसूति महिलाओं के लिए 150 दिन काम देंगे । 150 दिन काम देने वाले हम लोग पहले हैं, सामने में रमन सिंह जी बैठे

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हैं । आपको बधाई दूंगा, यदि आपने प्रत्येक परिवार को 150 दिन करवा देंगे, जो सुबह आपने कहा, राज्य बजट से हम 150 दिन देंगे, मैं स्वागत करूंगा कि उतना सक्षम बनाईए, लेकिन दुर्भाग्य है, जो प्रश्नों के उत्तर में दिख रहा है कि दो महीने में कितने काम चल रहे हैं । आपने डिमांड बेस स्कीम बताई, मेरे साथ चलिए। आप तो मेरे क्षेत्र में बहुत से लोगों को भेजे हैं, और भेज दीजिएगा। कितने काम चल रहे हैं, अभी उस विषय में बोलूंगा । प्रदेश में कितने काम चल रहे हैं, वह देखते हैं । आप हमारे साथ चलिए, कहां पर देख रहे हैं । आप डिमांड बेस स्कीम बताते हैं । जांजगीर के विधायक जी बोल रहे थे कि पलायन हो रहे हैं । चलिये, जांजगीर के पलायन की खबरें, उस जिले और उसके आसपास की, माननीय अध्यक्ष महोदय का इलाका है, इधर का इलाका, अभी से शुरू हो चुका है । कहां पर है आपकी मनरेगा ? लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि 150 दिन यदि आप देते हैं तो मैं आपका समर्थन करता हूँ, यह पक्ष आपका समर्थन करेगा । GPDP एक योजना चल रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय जी पंचायती राज संस्थाओं को आपने मजाक बना दिया । सर्वे के लिए 97 लाख रूपया, उस दिन बजट भाषण में मैंने कहा था कि एक गांव को 425 रूपये । 25-25 रूपये हम लोग उसमें चंदा विधायक दल से और दे देंगे । आप 20 हजार गांवों की 97 लाख रूपये में योजना बनाकर तो बताईये, किससे बनवायेंगे, क्या करेंगे ? अब गांव की योजना, इसमें पूछ देता हूँ कि गांव की योजना के लिए पंचायती राज संस्था जो कि सबसे बड़ी संवैधानिक इकाई है, ग्राम सभा, उसके बाद जिला योजना समिति आयेगी, उसके बाद फिर ये आयेंगे । ग्राम सभा को सशक्त करने के लिए GPDP को मजबूत करने के लिए, उसके कार्य सक्षम करने के लिए आपके पास कौन सी जादू की छड़ी है कि आप 425 रूपये में आप उसको करवा लेंगे ? मुझे उत्तर में इसे जरूर बतायेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी योजनायें हैं, मैं बहुत सारी योजनाओं में नहीं जाना चाहता । आपकी क्षमता देखनी है कि हमारे प्रतिवेदन थे, लेकिन जो गड़बड़ी हुई है, अब बिहान, अपने अधिकारियों से पूछियेगा साहब, मैं सबसे ज्यादा समीक्षा इसी योजना का करता था, मेरी एक प्रिय पंक्ति थी, उसको मैं हमारी तरफ बैठे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं, उनको रहीम की एक पंक्ति बहुत भाव से सुनाता था-

दीनहि सब को लखत है, दीनहि लखत न कोय ।
जो दीन को लखत है, दीनबंधु सम होय ।।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीब सब की ओर देखता है, गरीब की ओर कोई नहीं देखता । जो गरीब की ओर देखता है, वह भगवान के समान होता है । आपने ऋण के जितने लक्ष्य निर्धारित किये हैं, वह पूरे ऋण मिल गये क्या ? वह ऋण उनके खाते में चले गये क्या ? उसकी मार्केटिंग के लिए क्या व्यवस्था है ? उनकी बैंक लिंकेज के लिए क्या व्यवस्था है ? उसकी ट्रेनिंग के लिए क्या व्यवस्थायें हैं ? कौन सी गतिविधियां उभर रही है । 113 विकासखंडों में आप 33 और लेंगे तो उसकी निरंतर मानिटरिंग

Uncorrected and unedited/Not for Publication February 19, 2019

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कौन कर रहा है ? जो परेशानी आ रही है, उसको देखने के लिए कौन है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, एक बिहान के समूह को फायनेंस करवाने में, कार फायनेंस करवाने से ज्यादा कठिन है । आप TLCC, SLCC जिसकी भी बैठक करें, आपसे इस बात का अनुरोध है, मैं अगली बार देखूंगा, वास्तव में राजा है, अभी तो आप वजीर बन गये हैं । राजा बनते-बनते रह गये ।

श्री अमरजीत भगत :- आप इस प्रकार की गतिविधि छोड़ें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- गरीबी उन्मूलन के लिय राज्य में कोई योजना है तो यही है । चाहे ग्रामीण आजीविका मिशन कह लें या शहरी आजीविका मिशन कह लें, आप पूछ लीजिएगा, उसकी निरंतर मानिटरिंग होती थी । तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने अटल बाजार की योजना गांव-गांव में इसीलिए बनाई कि उनको दुकान मिले, उनको एक्सपोजर मिले, उनको ट्रेनिंग मिले, उनकी गतिविधियां उभरे । माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा विषय रहा है, वह एस्.आई.आर.डी. है । स्टेट इंस्टिटयूट आफ रूरल डेवलपमेंट । आपके पास लगभग पौने दो सौ, दो सौ इन्स्टिटयूट है । एस.आई.आर.डी. रायगढ़, सरगुजा, जगदलपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर और कुरूद यानी धमतरी जिला । दो इंस्टिटयूट है । उसको हमने ई.टी.सी. का दर्जा हमने दिया है । आपके पास जिला रिसोर्स सेंटर 27 है । आपके पास 146 ब्लॉक रिर्सोस सेंटर है। मैं तो बनाते-बनाते बाहर आ गया । उसको एक्टिव करते-करते, उसको सोचते-सोचते कि मैं उसको पिरामिड की तरह बना दूं । आपके एस.आई.आर.डी. में कितने कोर्स चलते हैं । उसको अध्ययन कीजिए, एकमात्र एस.आई.आर.डी. है, इसमें रूरल डेवलपमेंट में डिप्लोमा के कोर्स होते हैं, हम कई यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं । मैं आपसे कहूंगा और अगले साल देखूंगा कि डी.आर.सी. आपकी चल रही है कि नहीं चल रही है । उसकी ओर ध्यान देने वाला इसलिए नहीं है, आगे जिसमें मजा आता है, उसमें मैं आने वाला हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- आज तो आप कम बोलने वाले थे?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं थोड़ी देर में खत्म कर देता हूं। आप जितनी देर कहें।

अध्यक्ष महोदय :- 15 मिनट हो चुके हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये यहां मजा लेने के लिए आते हैं। गरीबों के बारे में, यहां के लोगों के बारे में इनकी चिन्ता नहीं है, ये केवल मजा लेने आते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप अनावश्यक क्यों बोल रहे हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देख लेना, मैं आपको बधाई दूंगा यदि आप अपने पक्ष में बिहान के बारे में बोलेंगे तो। मेरे को टोंक लीजिए, मैं नहीं जानता, ठीक है, आप बोलेंगे तो मैं आपका स्वागत करूंगा कि आप जानते हैं, प्रमाणित होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत की तकनीकी संस्था है आर.ई.एस. जो छोटे-मोटे काम करती है, इसे आप भी जानते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

गौरवपथ इस बजट में कहीं पर तलाशने पर भी नहीं दिख रहा है। मैं दूरबीन लगाकर पढ़ा, इंटरनेट को खोजा, मोबाईल की लाईट में देखा वह मुझको नहीं दिखा। गौरवपथ जो हम गांव की बड़ी गलियों में 500 मीटर तक का बनाते थे वह मुझको नहीं दिखा। आपने मेंटेनेंश के लिए एक रूपये नहीं दिये हैं। इतनी बड़ी परिसंपत्ति, मैं आंकड़े नहीं बताता, इस वर्ष के बजट में सड़कों के मेंटेनेंश के लिए एक रूपये नहीं रखा गया है जबकि पिछले साल 400 करोड़ रूपये था। वह भी पूरी तरह रिलीज नहीं हुए हैं। अगले छः महीने बाद आप आरोप झेलेंगे कि सड़कें पूरी तरह खराब हैं। जब डॉक्टर रमन सिंह जी तीसरी बार सरकार संभाले, जब दिल्ली में एन.डी.ए. की सरकार आई, मैं माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से मिलने गया, मैंने कहा कि बस्तर की सड़कें 10 वर्षों से चालू नहीं हैं, पुराने एस.ओ.आर. में स्वीकृत हैं, आप नये एस.ओ.आर. में स्वीकृत करने दीजिए और उसके लिए जो डिफरेंश की राशि है उसे दीजिए, हम शुरू करायेंगे, कोशिश करेंगे। अब आपको सब मालूम है, मैं क्या बधाई दूंगा, मैं तो इधर हूं, तत्कालीन और अभी की वर्तमान केंद्र सरकार ने उसके डिफरेंश की राशि करीब 220-230 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी, हमने नया टेंडर लगाया, नये टेंडर हुए, दो बार-तीन बार, एक बार बैठक में मैं गया, दो-तीन बार चीफ सेक्रेटरी ने बैठक ली कि बस्तर में हम हर हाल में कनेक्टिविटी दुरूस्त करेंगे। एक काम का वातावरण बना।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ का टेंडर एक ही कम्प्यूटर से भरा जाता है यह भी पूरा-पूरा प्रमाणित है। मैं नई सरकार से कहूंगा कि उस तरह का टेंडर नहीं लगायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- इसके बाद आपका ही भाषण है उसमें बोल दीजिएगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी बात में ही बोल देता हूं, मैं चूंकि उसी में बोल रहा था, आपको तो मैंने कहा कि आप मेरे नेता हैं, चलिए आमने-सामने लड़े ना। कमर के नीचे आक्रमण क्या करें? बस्तर में काम शुरू करवाईये, पूरी तरह ताकत लगाईये, बस्तर की सेवा कीजिए, हम उसको इसी माध्यम से पीछे करेंगे और आपका मंतव्य भी पूरा हो जायेगा कि जब उधर से निकलेंगे तो रास्ते में कुरूध पड़ेगा, अभी कुछ दिन पहले कुरूध में अर्थक्वेक आया था, पूरा विभाग वहां मौजूद था, तो इस प्रकार का छोटा-मोटा आक्रमण मत कीजिए, उससे मैं विचलित होने वाला नहीं हूं। थोड़ा मर्दों की तरह आईये, आप प्रेसवार्ता लीजिए, विधानसभा में गुंजायेंगे कि किसमें गुंजायेंगे, थोड़ा राजनीतिक बात हो जाए, कहां आप छोटी-मोटी बात करते और करवाते हो। मैं इन छोटी-मोटी बातों में नहीं आने वाला हूं। तो आपकी रूचि, काम करने का जो वातावरण बनता है वह निर्माण में प्रेरणा से बनता है जो उन्होंने कल कहा। जांच अपनी जगह है, प्रेरणा अपनी जगह है। आप शुरूआत ऐसा कर रहे हैं कि आपके विभाग में पूरा गलत हुआ। बस्तर में आपकी ताकत लगनी चाहिए जहां अभी सबसे ज्यादा काम बंद हैं, वहां फिर से काम शुरू होना चाहिए, तब आपका कमिटमेंट इस छत्तीसगढ़ और उस योजना के लिए दिखेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वह कमिटमेंट आप नहीं दिखा रहे हैं, आपका कमिटमेंट दूसरी दिशा की ओर जा रहा है। तो आप भी दूसरी दिशा में शामिल हो जाएं, खोदाई में, छपाई में और जो-जो चीजें हैं उसमें।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, समाप्त कीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरे विभाग जो लंबे-लंबे हैं उसमें बोल देता हूं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रथम वक्ता हैं, अपनी बात रख रहे हैं और अच्छे से रख रहे हैं। मुझे लगता है कि समय भी पर्याप्त है, कल भी हम लोग सब बैठे थे, बजट में ठीक है कि हम लोगों को समय संख्या के आधार पर आवंटित है लेकिन मुझे लगता है कि और कम करना है तो हम और कम कर देंगे लेकिन आज एक मंत्री जी के सारे विभाग हैं उसमें भी दो विभाग का है, मुझे लगता है कि बोलने दीजिए और आपको लगेगा तो बाकी लोगों का कम कर देंगे।

श्री बृहस्पत सिंह :- लेकिन आपको यह नेता मानने को तैयार नहीं होते ना। एक बार भी नहीं बोले कि हमारे नेता हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं रोक नहीं रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जल्दी-जल्दी खत्म हो जाए।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आप जब कहेंगे, मैं आपकी व्यवस्था में हूं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कि जो उन्होंने रूचि और संवेदना दिखाई, पहली बैठक जो कमेटी की हुई जिसमें रोडों के टेंडर मंजूर किए गए वह सब बस्तर क्षेत्र के कोंडागांव, बीजापुर इत्यादि के थे।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, उस रोड में दूसरे क्या थे? जो छोटे छोटे विभाग हैं मैं उनका खत्म कर देता हूं। आपके पास एक आबकारी जी.एस.सी. है। पूरी संवेदना व्यक्त करता हूं। जी.एस.टी. में इसलिए हैं कि उनको अंग्रेजी बोलना आता है, कोई योग्यता के कारण नहीं है। दूसरी जो जी.एस.टी हैं, वो वहां बात नहीं रख पायेंगे तो अंग्रेजी बोलना जानते हैं, सिंधिया पब्लिक स्कूल से पढ़े हैं, बहुत जगह से पढ़े हैं तो जी.एस.टी काउंसिल में थोड़े पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है तो छत्तीसगढ़ के पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए बात कर सकेंगे बाकी कुछ चलना नहीं है असली काम उधरी से संपादित होना है। जिस सीट में माननीय श्री रविन्द्र चौबे जी बैठे हैं, उधर से ही संपादित होना है। सिंबालिक एक छोटा सा प्रशासकीय प्रतिवेदन है, एक विभाग का सिंबालिक। दूसरा भी लगभग सिंबालिक है, योजना सांख्यिकी, आर्थिक सांख्यिकी, जो छोटा सा है। आप जब सुपेबेड़ा के बारे में बोले तो लगता है कि आप अपने विभाग का ही प्रतिवेदन नहीं पढ़े थे। ऐसा मुझे लगता है। जब मैं स्वास्थ्य विभाग में आऊंगा तो सुपेबेड़ा के बारे में बोलूंगा। मुझे लगता है कि जो अध्ययन आपने सुपेबेड़ा के बारे में योजना आयोग में किया है, करवाया है उस बिंदु को ध्यान में रखकर आपने कभी वक्तव्य नहीं दिया। क्यों क्योंकि ये

आपकी रूचि का नहीं है? सिंबालिक प्रतिक्रियात्मक। दूसरी बात द्विसूत्रीय क्रियान्वयन विभाग है। एक अनुसंशा अध्ययन में इन्होंने दी कि निराश्रित वृद्ध लोगों का पैसा खाते में जाना चाहिए, पहला प्रश्न महिला बाल विकास का उसी में था कि आज तक पैसे जाता ही नहीं । वृदधों के स्व सहायता समूह बनाये जाये उसको एक्टीविटी में जोड़ा जाये। आपने ही अध्ययन किया है, आपका ही विभाग है। मैंने कहा, आप देखियेगा बिहान में कितने विकलांगो के निराश्रितों के इस तरह के लोगों के समूह बने हुए हैं। आपको सिंबालिक मैंने इसलिए कहा कि योजना आयोग का अध्यक्ष तो आप बनाना नहीं चाहते। यदि वो अध्ययन करके नीतिगत विषय बतायेंगे निर्माण की बात करेंगे, नीति की बात करेंगे, पूंजीगत व्यय बढ़ेगा तो आपको तो लूटाना है। आप लूटाने के लिए अध्ययन क्यों करवायेंगे। यदि पढ़े लिखे लोगों की बात मानेंगे तो ब्रेक लग जायेगा। आप तो फोकट में बांटने के लिए कोई योजना बना सकते हो उसके लिए प्लानिंग का मिशन, कोई योजना आयोग, नीति आयोग वैसी भी जो आबकारी मंत्री बने हैं, वैसी काम संपादित कर सकें वैसे ही आप एक आयोग बनवा लो। माननीय महोदय, के पास स्वास्थ्य विभाग और है। मैं स्वास्थ्य में संवेदना, आप हैं, टोटल बजट कितने का कम हुआ है मैं आपको बताऊं क्या ? बता दूंगा थोड़ी देर में, पढ़ देता हूं। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत हास्पिटल भवन निर्माण, ये बैठे हैं वक्ता लोग बार बार जो खड़े होते हैं, 84 लाख की कमी, आक्जीलरी नर्स मिट वाईफ एंड हेल्थ विजीटर 100 लाख की कमी, परिचारकों का प्रशिक्षण 100 लाख की कमी, बहुदेशीय कार्यकर्ता योजना 100 लाख की कमी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण 100 लाख की कमी, फायरेलिया में 38 लाख की कमी, स्तर लाईजेशन में 24 लाख की कमी, छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायकता निधि के गठन हेतु आर्थिक अनुदान सहायता 46 लाख की कमी, हो सकता है इसकी कमी में कि साहब वो आयुष्मान भारत के कारण किये हो, उसके अतिरिक्त यूनिवर्सल इम्यूनोनाईजेशन 99.33 लाख की कमी, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र 7.13 लाख की कमी, यूरोपीयन कमीशन शायद बंद हो रहा है इसलिए उसमें आपने कम रखा है, यूनिवर्सल इम्यूनोनाईजेशन में 99 लाख की कमी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 21 लाख की कमी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 99 लाख की कमी, मितानिन कल्याण निधि 40 लाख की कमी, भांटो साहब बोलेंगे शायद आपकी भूमिका वही है। कोशिश कर रहे हैं तो उसमें इसको देख लिजियेगा। बहुदेशीय कार्यकर्ता योजना 100 लाख की कमी, बाल हृदय सुरक्षा योजना 33 लाख की कमी, उपाध्याय जी, माननीय रमनसिंह जी, देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम लांच किया। आप शहरी क्षेत्र के विधायक हैं, आपके पड़ोसी पांडेय जी हैं, तो शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम में 6 लाख रूपये की कमी आपने की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार बोलते हैं, आप लोग नहीं जानता मैं क्या सरकार बोलूं? 6. कुछ कुछ एकजेक्ट आंकड़ा नहीं है । जी.डी.पी. में स्वास्थ्य को बढ़ाने, सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला कोई राज्य था तो छत्तीसगढ़ था, डॉ. रमन सिंह जी की सरकार थी। अब ये 33, 14

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

और 15 साल या 50 साल में क्या करते हैं? मुझसे अभी पूछ लें कि वर्ष 2003 में छत्तीसगढ़ क्या था? और आज स्वास्थ्य की दृष्टि से छत्तीसगढ़ कहां पर है? और हम आगे कहां ले जाना चाहते हैं ? ये ऐसा विषय है जिसमें हम सर्वसम्मति कर सकते हैं पर दुर्भाग्य ये है कि स्वास्थ्य में नीति कार्यक्रम बनाने में छत्तीसगढ़ में 74 दशमलव कुछ प्रतिशत, 75 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं और जिसके अधिकतर लोग एससी और सघन जंगलों में है। उसके स्वास्थ्य के बजट में कटौती की गई। इसमें क्या बोल सकते हैं, क्या बोलना चाहिए, हम इनसे क्या अपेक्षाएं करेंगे ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि सकल में देखेंगे तो स्वास्थ्य विभाग के बजट में 2.24 प्रतिशत की और स्वास्थ्य में 2.44 और ग्रामीण विभाग 2.45 प्रतिशत की लगभग कमी की गई है। अब मैं सूपाबेड़ा में बोल देता हूँ। आप अपने अधिकारियों से पूछ लीजिए या मैं दस्तावेज रख देता हूँ कि सूपाबेड़ा में हमने क्या-क्या कदम उठाये ?सवाल इस बात का है कि आप फोन नंबर देकर आये, वैसी मैं भी फोन नंबर देकर आया था। आप आ जाना करके, ये विषय नहीं है। यह राजनीतिक विषय नहीं है कोई भी सरकार जनक्षति नहीं चाहती है। जो आप यहां आरोप लगाते थे या यहां बैठकर लगाते थे, यहां बैठकर लगाते थे क्या स्वाईन फ्लू सरकार के कारण फैला है ? आप ये मुझको बताईये? आप डेंगू के समय में बोलते थे। स्वाईन फ्लू जो भिलाई में पहुंचा है, 5 बच्चे मरे हैं, वह सरकार के कारण है? आपके कारण है क्या? आप जरूर बतायेंगे? जब आप स्वास्थ्य के विषय में आरोप लगाते हैं तो स्वास्थ्य मंत्री जी को सबसे ज्यादा जिम्मेदार ऐसे विषयों में बोलने के लिए होना चाहिए। मैं कम से कम आपको ये बात नहीं कहूंगा। जो लापरवाही है वह लापरवाही है। लेकिन आपने 10, 15 सालों तक यही कहने की कोशिश की कि जो स्वास्थ्य के बेहतर सूचकांक छत्तीसगढ़ के हैं उसको भूलकर ऐसी छोटी मोटी घटनाओं पर बात करने की कोशिश की मैंने स्वीकार किया। नसबंदी काण्ड में लापरवाही हुई, पर जितना बड़ा मुआवजा दिया गया, जिस तरह के संरक्षण उनको भविष्य के दिये गये, आप सूपाबेड़ा के लिए करेंगे क्या ? आप मुझको बताईये ? जो बच्चे 5 मरें आप उसी तरह की घोषणा करेंगे क्या ? जो हमने नसबंदी काण्ड में थी, एक जगह आंख खराब हुई थी उसके लिए हमने जो राहत संरक्षण जो दिया था। वह आप करेंगे क्या ? मैं आपसे जरूर सुनना चाहूंगा। आपकी संवेदनशीलता देखना चाहूंगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक आपको यही जवाब देना है जो 15 सालों किये हैं इनको उसी पाप को धोने का काम करना है।

श्री अमरजीत भगत :- बाबा साहब, हम तो अनुरोध करेंगे कि...।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं बनस मंत्री, ते ओकर कहे ला।

श्री अमरजीत भगत :- ठीक है मैं मंत्री नहीं बोल रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रेमसाय सिंह टेकाम बन गे हे, ओकर कोटा से।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- माननीय मंत्री जी से यही चाहूंगा कि जिस प्रकार का करेंगे क्या बोल रहे हैं तो भगवान न करें, हम लोगों को यह करना पड़े। ये जिस प्रकार से आपने एक के बाद एक घटना को अंजाम दिया, आपके कार्यकाल में पूरा छत्तीसगढ़ शर्मशार है।

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि सभा सहमत है ?

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

अध्यक्ष महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय मंत्री श्री टी.एस.सिंहदेव की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो योजनाएं विलोपित की गई, उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालकर, मैं कुछ विषय में बात करके समाप्त करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- वैसे आपको बोलते हुए आधा घण्टा हो चुका है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ देर में समाप्त करूंगा। हमने अस्पताल को सूपेबेड़ा के लिए दो बार आई.सी.एम.आर. की टीम को भेजा। ये राहत, वाहत उसके स्थायी निदान नहीं है। आपने प्रतिवेदन में लिखा है योजना आयोग के, कि उसके स्थाई निदान क्या हो सकते हैं ?मैं ये जानना चाहूंगा कि आप स्थायी निदान के लिए अध्ययन करवायेंगे, कदम उठायेंगे, बजट देंगे क्या ? या सिर्फ फोन नंबर देकर आएंगे। दोनों में बहुत अंतर है ये सस्ती लोकप्रियता है। मैं भी फोन नंबर दिया था लेकिन लिखते रहा, दो बार टीम आई थी मैं जो-जो कदम उठवाया, आपके अधिकारी आपको बता देंगे। छत्तीसगढ़ के अस्पतालों के लिए सफाई में 15 करोड़ रूपये, ऐसा दिया है। एक नई योजना है। हमने भारतीय सार्वजनिक संस्थान मानक के हिसाब से छत्तीसगढ़ के अस्पताल विकसित हों, 1 साल 5 अस्पताल, दो साल 5 अस्पताल, 3 साल 5 अस्पताल, ऐसा करके पूरे अस्पतालों को उसके मापदण्डों के अनुरूप विकसित करना था। माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य है कि उस योजना को ही हटा दिये, ये विशेषज्ञ हो गये कि संस्थान को विकसित करने के लिए क्या भारत सरकार ने और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा जो मानक, मापदण्ड तय किये गये हैं उसके लिए आपने पैसे हटा दिये, मुझको आपसे ये अपेक्षा नहीं थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी रमन सिंह जी इस हाऊस में बैठे हुए हैं, आप भी हैं, मैं उस दिन भी बोला था, आज भी बोल देता हूं। पेट स्कैन, गामा कैमरा लगने के बाद तीसरे नंबर का संस्थान अंबेडकर हॉस्पिटल हो जायेगा। यह 22 करोड़ रुपये में दो अस्पतालों को सुपरस्पेशिलटी बनाना चाहते हैं। आप क्यों राजनीति करते हैं? आप सुपरस्पेशिलटी बनाईये, आपको कितना पैसा चाहिए, लीजिए। सुपरस्पेशिलटी कितने में बनेगी, जैसे बिल्कुल वही है कि आप 425 रुपये में गांव का सर्वे करवा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

रहे हैं। इन्स्टॉलेशन मिलाकर वह एक मशीन 22 करोड़ रुपये की है। इसलिए मैंने बताया कि आप मजाक मत कीजिए। 282-83 कुछ पद आये हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, लिखा हुआ है कि हम हेल्थ सेन्टर को 24 घंटे की सुविधा देंगे। 786 पी. एस. सी. हैं, 242 स्टाफ नर्स की भर्ती कर रहे हैं, आप मुझे जरूर बतायेंगे कि 24 घंटे की सबको सुविधा कैसे देंगे ? क्यों आप राजनीतिक ढंग से इस्तेमाल करते हैं, स्वास्थ्य का इस्तेमाल राजनीतिक स्वार्थों की प्रतिपूर्ति के लिए नहीं होना चाहिए, ठोस बात होनी चाहिए, कमिटमेन्ट होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में समाप्त करता हूं। यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम, मुर्गी होगी या मुर्गा होगा, अंडा पहले होगा या मुर्गी पहले होगी, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम क्या है, किसी को नहीं मालूम। वह एक आदमी जानते हैं। आयुष्मान भारत और स्मार्ट कार्ड दोनों में भय और अफवाह फैलाई जा रही है। आज की तारीख में आयुष्मान भारत में दो लाख लोगों ने ईलाज करवाया है। यह बोल दें कि हम आयुष्मान भारत बंद कर दिये है। चूंकि केन्द्र सरकार की योजना है, गरीबों की योजना है, उसमें हम 5 लोगों को कवर रहे है तो पसंद नहीं आ रही है। हो सकता है कि उसके कारण वोट पड़ जाये। आप समानांतर स्कीम लाना चाहते हैं तो मैं यह पहली बार बजट में पढ़ा कि अगले बार जो स्कीम आयेगी, उसका उल्लेख इस बार है कि हम यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लाने वाले हैं। लाने वाले हैं, जिस दिन लाओगे, बजट दिखाओगे, उस दिन बजट में लिख देना था, आज ही से लिखने की क्या जरूरत है ? स्मार्ट कार्ड प्राइवेट अस्पतालों में नहीं चलेगा, सरकारी अस्पतालों में चलेगा, आप आर्डर तो दिखाईये। आप रखिये न। आप छपवाते क्यों हो ? यह भ्रम की स्थिति गरीबों के बीच में पैदा करने का काम आपने पहली बार किया। आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक बदले कैसे होते हैं या नही हैं वह जाने। जितना बजट दिया गया है, छत्तीसगढ़ को मानक संस्थाओं के अनुरूप बनाने के लिए बहुत पैसे लगेंगे। मेकाहारा में मरीजों का दबाव कम करने के लिए सराउंडिग में कि वह रेफरल यूनिट बनें, बाकी यूनिट में दैनंदिनी के काम हों, वह शोध की संस्था बने। सरकार का पैसा नहीं लगना था। उसके लिए 6 जगह जमीन आवंटित हो गई, उसके टेन्डर आमंत्रित हो गये कि ये नियम, शर्तें हैं, आप अस्पताल खोल लीजिए और दो कंपनियां तैयार भी हो गईं। जब बजट आया, जिसमें सरकार की ऐसी योजना नहीं थी। यदि बाहर के लोग कर रहे थे, आपकी शर्तों में, आपके रेट में कर रहे थे तो चूंकि उसको भाजपा शासन ने शुरू किया है, स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण यह जो नहीं था, निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने की की गई, उसका हटा दिया गया। उसके पीछे तर्क क्या है, माननीय मंत्री जी बतायेंगे। अब यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम में बोल देता हूं। बड़ी-बड़ी बात हो रही थी कि मेडिकल कालेज में इतना लगेगा, उसमें लगेगा। हमने कुछ डायग्नोसिस फ्री करने के लिए पिछले साल

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

25 करोड़ रुपये का अनुदान रखा था। हम जितनी डॉयग्नोसिस फ्री कर रहे हैं, इस साल बजट में नहीं हैं या हैं तो देख लीजिए। आपने क्यों कटवाया ? आप शुरू कर सकते थे। आज वह बजट में नहीं है जो 25 करोड़ रुपये का प्रावधान हमने 4-5 डॉयग्नोसिस को जिला अस्पताल तक फ्री करने के लिए रखा था और धीरे-धीरे उसी को तथाकथित रूप से जिसका आप यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम कह रहे हैं, उस ओर बढ़ रहे थे। उसको आपने हटा दिया। और बात करते हैं जिसका सिर-पैर, आकृति नहीं हैं, जिसका विचार नहीं हैं। एक थाईलैण्ड से यूनिवर्सल यूनिट पैदा नहीं हो जायेगी।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था से चिड़चिड़ायें हैं या जो टेन्डर करा चुके थे वह केन्सिल होने से चिड़चिड़ाये हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो कोई चीज देखकर नहीं पढ़ा, इस बात को ध्यान रखना।

श्री दीपक बैज :- अजय भैया, आपको थाईलैण्ड वाला ट्रीटमेन्ट चाहिए या नहीं चाहिए ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य और पंचायत के क्षेत्र में जब ये खड़े होते हैं तो मैं इस बात को जरूर सुनना चाहता कि आपने 15 साल क्या किया। फिर मैं जरूर उत्तर देना 50 साल पंचायती राज संस्थाओं, स्वास्थ्य संस्थाओं और छत्तीसगढ़ के अस्पतालों के साथ आपने क्या किया था, यह जरूर बिना कोई कागज देखे बताता। आज जो बजट दोनों विभागों के लिये आया है और दो में जो आप प्रतिकात्मक मंत्री बने हैं ।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अजय भैया, पंचायती राज कौन लाया ? आपने बोला कि 50 साल में क्या किया ? कौन पंचायती राज लाया ?

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने बता दिया, आप लेट से आये हैं ।

श्री अमितेश शुक्ल :- मैं लेट से नहीं आया, श्री राजीव जी पंचायती राज लाये।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं लाये न, आप बैठिये । मैं बताता हूं ।

श्री अमितेश शुक्ल :- आप क्या बात कर रहे हैं ? श्री राजीव जी पंचायती राज लाये, ये कुछ भी बात करते हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समापन की ओर ही बढ़ रहा था । जिन दो विभागों में, हमने इस बात को स्वीकार कर लिया कि छत्तीसगढ़ में किसान रहते हैं, आप विनियोग के बाद और बजट बुला लीजिये । मध्यम और दीर्घकालिक ऋण के लिये फिर से सत्र बुला लीजिये हम पैसा देने के लिये तैयार हैं, आप तो कर्जा पटाने के लिये कर्जा ले रहे हैं । बांटने के लिये कर्जा ले रहे हैं तो अस्पताल के मजबूतीकरण के लिये, ग्रामीण विकास के लिये, पंचायती राज संस्थाओं के मजबूतीकरण के लिये और कर्जा ले आईये । हम आपको अनुमति देते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के साथ राजनीति कर रहे हैं, भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, स्थानीय संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पी.आर.आई. के नवाचार को कमजोर कर रहे हैं, गरीबी उन्मूलन की योजनाओं के पैसे काटे जा रहे हैं और एक निरंकुशता जिसकी मुझे माननीय मंत्री जी से पूरे जीवन में उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ यदि इनके राजनीतिक मतभेद हैं तो आमने-सामने करें न, ये कहां कुरूद में जाकर, आप भी एक-बार जाईये, ए.सी.एस. को भी एक-बार ले जाईये, आपके 4-5-6 टॉयर हैं और अजय चंद्राकर कहीं नहीं आयेगा, मेरे हिस्से में एक बदनामी भर आयेगी कि मैंने संरक्षण दिया तो ठीक है मैंने दिया और इसके बाद में अपेक्षा करूंगा कि आप खुद सब्बल, गैंती लेकर अंबिकापुर नापियेगा तब मैं जानूंगा कि आपके पास निरपेक्षता है । आपसे यह अपेक्षा नहीं थी, इस शासन ने गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ, यहां के आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोगों के साथ, पंचायती राज संस्थाओं के साथ जो खिलवाड़ किया है उसका विरोध करता हूं और हम कटौती प्रस्ताव का विरोध करते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये जो समय दिया उसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं । (मेजों की थपथपाहट)

श्री दीपक बैज :- लेकिन साहब आपके जैसे मोबाईल बांटने के लिये कर्जा नहीं लिये ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- कटौती प्रस्ताव का समर्थन कि विरोध ?

श्री अजय चंद्राकर :- विरोध कर रहा हूं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- वे समर्थन कर रहे हैं । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- बाबा साहब, आपका समर्थन तो मैं करूंगा लेकिन आप मेरा समर्थन नहीं चाह रहे हैं । आप आमने-सामने लड़िये न, कहां ये कमर के नीचे आक्रमण करते हैं । (हंसी)

श्री टी.एस. सिंहदेव :- कोई लड़ाई नहीं और कमर के नीचे तो कभी भी नहीं । (हंसी)

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है । आज हमारे सदन में माननीय मंत्री टी.एस.सिंहदेव साहब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के विभागों के मांग संख्या-30, मांग संख्या-80, मांग संख्या-19, मांग संख्या-79, मांग संख्या-7, मांग संख्या-31, मांग संख्या-50 के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत लंबा-लंबा पूर्व संसदीय मंत्री, पंचायत मंत्री जी का भाषण हम लोगों ने सुना । बड़ा आश्चर्य लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वे सदन को गुमराह करने और छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और पिछले 15 साल की छटपटाहट और ऐसा लग रहा था कि 15 साल के बाद उनको बोलने की आजादी मिली है वे इन बातों को व्यक्त कर रहे थे ।

समय :

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

1:29 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवेंद्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए)**

मानननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिये स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरूआत की और मध्यप्रदेश कहा जाये, जब अविभाजित मध्यप्रदेश था, जब श्री दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिन्होंने एक सपने की शुरूआत की, पंचायती राज की व्यवस्था की शुरूआत की । सबसे पहले पंचायती राज को, ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत को स्वतंत्र अधिकार देने का काम किया था तो तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने मध्यप्रदेश में किया था और श्री राजीव गांधी जी ने लागू कराया था । पहली बार मिहलाओं को 33 परसेंट का आरक्षण मिला था और पंचायतों को स्वतंत्र अधिकार हुआ था, जब पहली बार जिला पंचायत बनी थी उस समय हम लोग भी जिला पंचायत में होकर के आया करते थे, बहुत सारे उसमें से कई विधायक और मंत्री भी आज हैं । आरक्षण की व्यवस्था धीरे-धीरे बढ़ी है। यूपीए की सरकार है, इसके बाद 33 परसेंट से बढ़ाकर 50 परसेंट का आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में किया गया जिसके लिये कांग्रेस के जिन नेताओं ने चालू किया था उनको सदन के माध्यम से धन्यवाद देता हूं । आज पंचायती राज के माध्यम से किसी भी काम को करने के लिये ग्राम सभा को सर्वोपरि किया गया और त्रि-स्तरीय पंचायती राज लागू हुआ । हमारी बहु बेटी जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थीं आज आज जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत सभी जगह प्रतिनिधित्व कर रही हैं । इसलिए पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं । सभापति महोदय, अभी हमारे साथी लम्बा-लम्बा भाषण दे रहे थे । हमारी पिछली सरकार ने इसी पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती की थी । हमने पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों को अधिकार दिया था । हम तीन स्तरों पर उनकी नियुक्ति करते थे । ऐसा करने से, अंतिम छोर के गांव के व्यक्ति को भी वहां सेवा करने का मौका मिलता था, वहां के पढ़े लिखे लोगों को भर्ती का मौका मिलता था । तृतीय वर्ग शिक्षा कर्मी की भर्ती पंचायत के लोग तय करते थे कि हमारे गांव में कौन पढ़ा-लिखा है, कौन गुरूजी बनने लायक है और सर्वसम्मति से भर्ती होती थी, उस अधिकार को भी इन्होंने समाप्त करने का काम किया है । वर्ग-दो की भर्ती जनपद पंचायत के सदस्य बैठकर तय करते थे कि हमारे ब्लॉक में कौन पढ़ा लिखा लड़का है, उनका मेरिट बेस क्या होगा और उनमें से तय करके जनपद में नियुक्ति करते थे । जिला पंचायत में वर्ग-एक की भर्ती होती थी । उस समय अविभाजित सरगुजा था । सारे जिला पंचायत सदस्य मिलकर, समितियां होती थीं, हम सब मिलकर तय करते थे । उसी जिले के लोगों को प्राथमिकता देकर नियुक्त करते थे ताकि वहां शिक्षा व्यवस्था अच्छे से चल सके । सरकार आते ही इन लोगों ने उनकी बहुत पिटाई की । ट्रेनें रोक दी जाती थीं, बसें रोक दी जातीं थी, कर्फ्यू लगा दिया जाता था । हमारी महिला

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

शिक्षक बहनें आती थीं, उनको पीटा जाता था, जेल भेजा जाता था, उनसे बच्चों को छीन लिया जाता था । इन लोगों ने तंग कर दिया था । ये बड़ा लम्बा लम्बा भाषण दे रहे थे । सभापति महोदय, 3000 ट्रायबल स्कूलों को पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दिया । पूरे प्रदेश में नारे लगते थे, कैसी ये बेशर्मी है, शिक्षक ठेका कर्मी है । पूरे प्रदेश में इस तरह के नारे लग रहे थे । हम लोगों ने यह भी देखा है । ये बड़े लम्बे लम्बे भाषण दिये जा रहे थे । इन्होंने स्कूल बंद करने का काम किया । छत्तीसगढ़ में बेरोजगार होने के बाद भी उनकी इतनी परीक्षाएं लीं । सभापति महोदय, अगर उसने बी.एड. किया है, बी.टी.आई. किया है, अगर उनके पास सारी योग्यताएं हैं तो उनकी नियुक्ति करना चाहिए तो इसके बजाय टेड परीक्षा, डेड परीक्षा, न जाने क्या-कया परीक्षा लेना चालू कर दिया । सारे शिक्षित बेरोजगारों और गुरूजनों को अपमानित करने का काम किया तो पूववर्ती सरकार ने किया है । हमारी सरकार आते ही उनकी सारी मांगों पर सम्मानपूर्वक विचार करते हुए पहले ही बजट में प्रावधान करने का काम किया है । इसके लिए मैं माननीय भूपेश बघेल जी को और टी.एस.सिंहदेव जी का और मंत्रिमंडल के सदस्यों को बधाई देना चाहूंगा । शिक्षक जो कि प्रदेश के बच्चों को संभालने का काम करते हैं, उनके लिए पहले ही बजट में काम किया है ।

सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों की व्यवस्था त्रिस्तरीय चलती रही है । हमने पिछले बजट सत्र में पहली बार सुना और सभी ग्राम पंचायतों से खबर आने लगी कि 14 वें वित्त का पैसा हमारी पंचायत में आया है । सरकार से एक फरमान आया है कि जियो कम्पनी, हमारे गुजरात वाले का निजी कंपनी का टावर खड़ा करने के लिए। सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों के खातों से 610 करोड़, दादागीरी से, फरमान जारी करके, बगैर पंचायतों की सहमति से, सीधे पैसे वापस ले लिए गए । यह सरकार का कैसा काम था ? जो अभी गरज-गरज कर बोल रहे थे, वे ही पंचायत मंत्री थे । हम लोगों ने लगातार निवेदन किया, आग्रह किया लेकिन हमारी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं थे । ये जियो कम्पनी किसके लिए टावर खड़ा कर रही थी । क्या टावर हमको फ्री में बात कराएगा ? निजी कंपनी टावर खड़ा करा रही है तो सारी चीजें पैसे से देती है है ऐसा तो नहीं कि फ्री में बात कराएगी ? इन लोगों ने बहुत मुश्किल के बाद पंचायतों को पैसा वापस किया । यह हालत इन्होंने बना दिया। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जो नि:शक्तजनों को पेंशन देते हैं, इन सब में बहुत अच्छा जो चल रहा था उसको इन लोगों ने छेड़छाड़ करके इनकी सरकार आने के बाद यह कानून बना दिया कि जिसकी बी.पी.एल. रेखा अनुसूची में नाम होगा, उन्हीं को पेंशन दिया जायेगा और उनको पेंशन देने पर रोक लगा दिया। सभापति महोदय, यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जिसका बी.पी.एल. गरीबी रेखा में नाम रहेगा तो क्या वही बुजुर्ग होगा? जिसका बी.पी.एल. में नाम नहीं रहेगा, हमारी बहनें विधवा हो जाती हैं, वे पात्र नहीं होंगी। जो नि:शक्तजन हैं, जिनका बी.पी.एल. में नाम नहीं है, उनको देने का अधिकार नहीं होगा। बहुत गंभीर बातें

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

थीं। पूरा प्रदेश श्रोता रहा। बिलकता रहा। सारे जनप्रतिनिधि और हम लोग सदन में बात उठाते रहे लेकिन इनकी सरकार सुनने को तैयार नहीं हुई। लगातार इनके मुख्यमंत्री जी से हमने कहा। पंचायत मंत्री से भी कहा कि यदि आपकी मोदी सरकार, भारत सरकार नहीं दे रही है तो राज्य का जो बजट है, राज्य की जनता के लिए है। इसलिए आप राज्य के बजट से प्रावधानित करके इनको पेंशन देने की व्यवस्था कीजिए, जिनका बी.पी.एल. में नाम नहीं है उनको भी। लेकिन इन्होंने ने नहीं सुना और अंतिम में इन्होंने कागज में प्रकाशन का काम किया और यह सरकार आते ही उसे लागू करने का काम कर रही है। इसलिए आपके सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। 6-6 महीना तक हम लोग हर विधान सभा के क्षेत्र में जाते हैं। वृद्धा खड़े हो जाते हैं, माताएं खड़ी हो जाती हैं कि बेटा मुझे अभी तक पेंशन नहीं मिला। 6 महीने हो गये, 4 महीने हो गये। वे डंडा पकड़कर आते हैं तब बड़ा ही शर्मसार लगता है। हम लोगों ने कई बार निवेदन किया लेकिन पता नहीं इनका कौन सा कम्प्यूटर है? कौन सा ऑनलाइन है? कौन सा खाता है ? जो 6-6 महीने तक उन माताओं के खाते में पैसा नहीं पहुंच पाता, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने जो अभी नई व्यवस्था लागू की है कि हर महीने में और हर हालत में उनको पेंशन का भुगतान हो जाये। जिसके लिए नई सरकार ने व्यवस्था की। इस मौके पर मैं सदन के माध्यम से इनको धन्यवाद दूंगा। नरेगा में 150 दिन का काम मैंने सुना था और टी.वी. चैनलों में देखा था। जब हमारे दिल्ली की सरकार बनी। राज्य में उस समय यही चल रहा था तो वहां सदन में चर्चा हो रही थी कि हम नरेगा को वह बनाकर रखेंगे तब बहुत छेड़छाड़ हुई। नरेगा के माध्यम से बहुत अच्छा काम चल रहा था। खेत मजदूरों को मजदूरी मिल रहा था। खेती करने के बाद उनको रोजी रोटी का अपने ही गांव में मिल जाता था। पलायन होने की स्थिति नहीं थी। उसको भी इन्होंने सरलीकरण करके व क्या-क्या करके बंद करके और अपनी योजनाओं को बदल बदलकर ऐसा कर दिया कि गांव के लोगों को रोजगार नहीं मिलने लगा। इनकी सरकार में सरगुजा से, बस्तर से, जशपुर से लगातार पलायन होता रहा है। ये सिर्फ हंसकर मजाक में जवाब देते रहे, लेकिन उनके प्रति कोई ध्यान नहीं दिया। यह सरकार कोशिश कर ही है कि उनके लिए ऐसी व्यवस्था और गड़बरी न हो। हमारे साथी अभा भाषण दे रहे थे। यह अटल बाजार जाकर देखिए हर चौक चौराहे पर किसी कांग्रेसी व्यक्ति का जमीन कब्जे में है या किसी के कब्जे में है तो अतिक्रमण हटाने के नाम पर, बेदखल करने के नाम पर इन्होंने बाजार खड़ा कर दिया है, जिसका कोई भी उपयोग नहीं है। जहां उपयोगी है वहां बनाये तो समझ में आये। कई जगह ऐसे बनाये गये हैं, जहां कोई उपयोग ही नहीं है। अपने क्षेत्र के सनाल सहित पूर्व मंत्री की जगह मैंने देखा है, जिसका कोई भी उपयोग नहीं है। जानवर भी वहां रहने को तैयार नहीं होते। बाजार की बात तो दूरी हो गयी। ऐसे अनुपयोगी जगह पर नहीं बनना चाहिए। वहीं बनना चाहिए, जहां इसकी आवश्यकता है। गौरव पथ की बात करें, कई जगह ऐसे गौरव पथ

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बनाये गये हैं जहां इनकी पार्टी के दल विशेष के नेता का मोहल्ला है तो वहां पर उनके दरवाजे तक गौरव पथ बनी लेकिन आम जनता की जहां जरूरत है, जहां आम लोग रहते हैं, जहां जनता की आबादी है वहां न बनाकर नेताओं के मोहल्ले में बनाकर खुश करने का काम किया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जो अभी सुझाव आ रहे हैं जैसा हमारे पंचायत मंत्री लगातार सभी विधान सभा से सुझाव ले रहे हैं कि हर घर तक जहां जरूरत है वहां पर गौरव पथ के लिए योजना बनाकर भेजी जाए। वहां पर जितना भी हो, वे करें। दूसरा मुझे इस बात की खुशी है कि पंचायत मंत्री जी ने इस बात को आश्वस्त किया है कि वर्तमान पंचायत मंत्री ने कि अब पूरे प्रदेश का एक ही कम्प्यूटर से, एक ही कार्यालय से टेंडर नहीं भरे जायेंगे। यह बहुत खुशी की बात है। मैं पंचायत मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार का हम लोगों ने देखा। समिति में महालेखाकार की रिपोर्ट आयी थी। छत्तीसगढ़ में काफी टेण्डर होते थे, उसके लिए एक-दो कार्यालय निश्चित था, वहां से ही होता था। उसके कारण क्या हो सकते हैं, वह तो सबको मालूम है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सबकी जांच कराओ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ। वह टेण्डर कैसे होता था, कौन सा कम्प्यूटर होता था, जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश का टेण्डर होता था। चाहे सिंचाई विभाग का हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना का हो, मुख्यमंत्री सड़क योजना का हो, जितने भी टेण्डर डलते थे, एक ही कम्प्यूटर से टेण्डर भरे जाते थे। पहले ही तय हो जाता था कि टेण्डर कौन ठेकेदार लेगा। इसलिए विपक्ष के साथियों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अजय जी, जो बोल रहे हैं, उसमें सहमत हैं न ?

श्री अजय चन्द्राकर :- बोल रहा हूं न, कि सबकी जांच कराओ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, ज्यादा बोलने की बात नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही अवगत कराऊंगा कि उसकी पुनरावृत्ति न हो, इस बात को माननीय पंचायत मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि एक ही कम्प्यूटर से पूरे प्रदेश का टेण्डर नहीं होगा, पारदर्शी होगा। लोग अलग-अलग कम्प्यूटर से भरेंगे। सभापति महोदय, हमारे पूर्व पंचायत मंत्री जी कम राशि की बात बता रहे हैं। मैं इसके बारे में अवगत कराना चाहूंगा कि पहले व्यवस्था देकर टेण्डर भरते थे, अब उस व्यवस्था में कटौती करने का हो गया है, उतना कम हो गया। इसलिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितना हमारा काम है, उतना तो होना चाहिए, ऐसा है।

माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, इस योजना के तहत सारे काम हुए। उसमें ऐसा सड़क बना है, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। मेरे बलरामपुर ब्लाक का बसेरा एक क्षेत्र है, गिरवरगंज बोलते हैं। उसको लकड़ी से खड़ा करके किया गया है। उसमें आज भी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कभी भी घटना हो सकती है। एक, चंदोरा मार्ग की दो पुलिया है, अभी जब पुलिया डेमेज हुआ तो हमने देखा कि उसमें एक सिंगल छड़ नहीं लगा है। चार-चार स्पान की पुलिया में ढलाई हो रहा है और बिना छड़ के ढलाई हो गया है। 8-10 गांव के सारे रास्ते अवरूद्ध हो गए हैं। तो सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि नये पंचायत मंत्री जी जो हैं, पूर्व पंचायत मंत्री जी तरह ऐसा पुलिया नहीं बनायेंगे, मुझे पूरा भरोसा है।

श्री दीपक बैज :- बृहस्पत सिंह जी, बिना छड़ के पुलिया की ढलाई किए। इसीलिए तो गिर गए, नहीं दे रहे हो ?

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र का एक बहुत बड़ा गांव है- ओरंगा, मुख्य सड़क से ओरंगा होते हुए बस्ती को जुड़ता है। मुख्यमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना वह सड़क बना है। उस गांव में एक स्लेब पुलिया बना और एक सुलिया बना ही नहीं, उससे पूरे गांव का रास्ता अवरूद्ध हो गया। इसी तरह से लोधा धरमी मार्ग है, वहां भी नदी में अवराझेरिया नाले, कुरसा नाले पर एक पुलिया बना है। लेकिन पूरे के पूरे पैसे गायब हो गए। आज दोनों गांवों की स्थिति यह है कि 10-10 गांव के लोगों का आवागमन बाधित है। हम लोग लगातार चिल्लाते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। क्योंकि ठेकेदार का एक ही कहना था कि जो यहां लगना था, हमने उसको देकर ठेका लिया है। बोलता था कि पुल बनाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं बचा है, मैं कहां से बनाऊ, यह स्थिति है। इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में इस तरह की स्थिति न हो। जो पैसा दिया जाए, वह पूरा-पूरा पैसा पुलिया में खर्च हो।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि औरंगा से बस्ती मुख्य सड़क मार्ग, लोधा से धरमी विशालपुर मार्ग, दलधोआ से सरस्वतीपुर मार्ग में चन्दौरा के पास दो पुलिया बने हैं। जामवंतपुर से भोरमीभिटयाही मार्ग में दो ऐसे पुलिया बने हैं, जो एक ही बार में धाराशायी हो गये। इस तरह इन लोगों के द्वारा कराड़ों रूपये खर्च करने के बाद भी आम जनता को बाधित करके रखा है। आवागमन के सारे रास्ते अवरूद्ध हो गए हैं। मंत्री जी ने ऐसा पुलिया बनाया है। मैंने पंचायत मंत्री जी से निवेदन किया है, आश्वासन मिला है, पूर्व की स्थिति की तरह निर्माण नहीं होगा।

सभापति महोदय, पंचायतों के साथ मजाक बना गया था। हर दो-तीन महीने में ग्राम सभा लगता था। लेकिन होता कुछ नहीं था। इसलिए लोगों का ग्राम सभा में रूख खत्म हो गया है, आना-जाना बंद हो गया है। सरकार फरमान जारी करती है कि 14वें वित्त में ये काम सेंग्शन करेंगे, मूलभूत में ये काम करेंगे, फलाने में ये काम करेंगे, ग्राम सभा, ग्राम पंचायतों का अधिकार छीना गया है। इसलिए जनता ने पुरानी सरकार को बदला है। नई सरकार से काफी उम्मीदें की हैं और नई सरकार से उम्मीदों पर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आश्वासन मिला है कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत तय करेगी , स्वतन्त्र पंचायत रहेगा और वह स्वतन्त्र रूप से काम करेगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पंचायत मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मैं स्वास्थ्य के बारे में बोलना चाहूंगा। सरकारी अस्पतालों की हालत यह हो गई थी कि अस्पताल सिर्फ रेफर करने का और गोली लिखने के लिए रह गया था। मेरे खुद के बलरामपुर जिले में जहां 50-53 विशेषज्ञ डाक्टरों में इन लोगों ने केवल एक डाक्टर दिया था। लगातार पांच साल चिल्लाते बीत गया, ये सरकार सुनने को तैयार ही नहीं थी । भगवान जाने इनके डाक्टर भी कहां चले जाते थे । पूरे प्रदेश में इतना मेडिकल कॉलेज खोलते हैं, कई हजार करोड़ रूपयों का बजट देते हैं, उसके बाद भी हमको डाक्टर नहीं मिल पाते हैं । नई सरकारों से हमें आश्वासन मिला है, अभी जानकारी मिली है कि हमारे जिलों में कुछ डाक्टर दिए हैं । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को, इनके विभाग को आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि सरगुजा-बस्तर क्षेत्रों में डाक्टर देने का काम किया है । पांच साल इस सदन में मैं विधायक रहा, पर डाक्टर नसीब नहीं हुआ, न हमारे क्षेत्र के लोगों के ईलाज के लिए हो पाया ।

श्री दीपक बैज :- बृहस्पत सिंह, उल्टा हम लोगों को बोलते थे कि डॉक्टर खोजो ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, जो डॉक्टर हम लोग कहीं से ले जाते भी थे तो जो मंत्री को रिसीव करने नहीं गया, जो इनके नेताओं की बात नहीं सुना, दूसरे दिन आर्डर हो जाता था कि सरगुजा वाले डॉक्टर बस्तर जाओ और बस्तर वाले डॉक्टर सरगुजा जाओ । कम से कम इससे मुक्ति मिली, डॉक्टरों ने बड़ी खुशी जाहिर की है । इनकी सरकार में इन लोगों ने कहा कि अगर गांव में स्टाफ नर्स नहीं मिल रही हैं तो जो मितानीन पढ़े-लिखे हैं, उनको प्रशिक्षित कराया जाए, शासकीय खर्चे से प्रशिक्षित कराया गया । सारी लड़कियां मितानीन की नौकरी छोड़कर दो-तीन साल प्रशिक्षण की और ये सरकार ने कहा था कि जहां सरगुजा-बस्तर जैसे क्षेत्र में कोई नहीं जाता है, उन जिलों में कलेक्टरों को और मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारियों को हम लोग आदेश देंगे कि वहां से उसकी भर्ती कर लेंगे, उसकी भरपाई होगी, गांव के लोगों के लिए ईलाज की सुविधा मिलेगी, लेकिन वह वादाखिलाफी भी इन लोगों ने किया । हमारे दूर-दराज गांव की रहने वाली लड़कियां, जो बहुत ईमानदारी से मितानीन का काम की, दो-दो साल घर छोड़कर प्रशिक्षण की और जब वे एएनएम का प्रशिक्षण करके गए..।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति महोदय, बृहस्पत जी, आप मितानिनों को कितना तनख्वाह दे रहे हो, वह बता देना ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं इसलिए आप सुन भी लीजिए । आप ही लोग के रहमोकरम पर जो गड़बड़ किये हो, वही तो बोलना पड़ रहा है । अगर आप लोगों ने तीन-पांच नहीं किया होता तो आप स्वास्थ्य की हालत इतनी नहीं बिगड़ती।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय, आज हालात ये हो गई है कि मितानीन का काम छोड़कर दो-दो साल प्रशिक्षण किये और प्रशिक्षण के बाद जब गए तो उनकी एएनएम की रिक्त पदों में सीधी भर्ती होनी थी, वह भी नहीं हो पाया और मितानीन भी दूसरी भर्ती हो गई । आज वे कहीं की नहीं रह गई हैं । ये हालत इन लोगों ने किया है इसलिए आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि अगर प्रशिक्षित हैं, योग्यता रखते हैं, उसी जिले में रिक्त पद हैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि रिक्त पदों पर उनकी भर्ती की जाए, ताकि अंतिम छोर के लोगों के लिए भी ईलाज की सुविधा मिल सके, ऐसा मेरा आग्रह है ।

सभापति महोदय, ये सरकार लगातार निजी अस्पतालों को बढ़ावा दे रही थी । कोई भी घटना होती थी तो टी.व्ही. चालू करो तो यही समाचार आता था कि निजी अस्पताल में ईलाज चल रहा है । नेता बीमार है तो निजी अस्पताल में ईलाज चल रहा है, जवान घायल है तो निजी अस्पताल में ईलाज चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं । इतना बड़ा राज्य, 80-90 हजार करोड़ का हमारा बजट और हमारे अस्पताल में छत्तीसगढ़ के लोगों के ईलाज के लिए व्यवस्था नहीं कर सकते । सिर्फ एक पन्ने की चिट्ठी लिखते चले गए, इसका मतलब पूरे का पूरा बजट चेक करके दिखवा लीजिए, कई हजार करोड़ निजी अस्पतालों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको पैसा दिया जाता है, लेकिन हमारे सरकारी डॉक्टरों को निराश करने का काम करते हैं, निजी अस्पतालों को बढ़ावा देने का काम हुआ है, ये काम हुआ है। इसलिए आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि सरकारी अस्पतालों को बढ़ावा दे, ताकि अंतिम छोर में बैठा हुआ आदमी भी, असहाय आदमी भी सरकारी अस्पताल पहुंचता है, उसका ईलाज हो ।

सभापति महोदय, पिछली सरकारों की ये व्यवस्था थी । वहां से जब रिफर होता था तो सलाह दी जाती थी कि फलां निजी अस्पताल में लेकर जाएं, ये क्या था । इसलिए कि निजी अस्पतालों से इनकी सेटिंग रहती थी, इनके ईलाज में कमीशनखोरी करते थे । इसलिए निजी असपतालों में भेजा जाता था। हमारे पास एक छोटा-मोटा आंकड़ा है । सरकारी अस्पतालों में जैनरिक दवाइयों का आदेश हो गया । करिए, बहुत अच्छी बात है । कम्पनी की अच्छी दवाइयां नहीं, जैनेरिक दवाई चाहिए । सरकारी अस्पतालों में जो दवाइयां दी जाती थीं, जो दवाई खरीदी होती थी, वह भी उसी तरह टेण्डर करके होती थी । जो दवाइयां बाजार में 20 पैसे का टेबलेट मिलता है, हमारी पिछली सरकार ने उस गोली को 10 रूपये में खरीदकर सरकारी अस्पतालों में भेजा है । इतना बड़ा धोखा किया । छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको यहां बहुमत से भेजा, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया, उसके साथ मजाक किया । जो दवाई बाजार में 20 पैसे और 30 पैसे के मिलते हैं, उसको सरकार ने 10-10 रूपये तक में खरीदा और उसे सरकारी अस्पतालों में भेजा और बाध्य किया कि इसी दवाई का सेवन करेंगे । सभापति महोदय,पिछली सरकार ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है । इसलिए आपके माध्यम से चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था हो, पूरी तरह से पारदर्शी हो, ताकि डॉक्टरों की पसंद और जहां जो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दवाई सूट करे, उसके अनुकूल खरीदने की छूट मिलनी चाहिये । उनके रिकमेंट के हिसाब से दवाई भेजनी चाहिये। सभापति महोदय, इस दवाई से इंसन की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होना चाहिये । सभापति महोदय, एक और बता दूं, हमारी राज्य की आप सब ने देखा होगा, मातायें परिवार नियोजन हेतु नसबंदी के लिए जाते हैं । सरकार की परिवार नियोजन की योजना है, जब गये तो घर से वापस नहीं आ पाये । यह पिछली सरकारों ने किया है । जो इंग्जेक्शन, दवाई दिया गया, जहरीली दवाई दी गई, बाद में ईलाज के दौराज पता चला कि उसी कंपनी में चूहा मारने की दवाई बनती थी और उसी कंपनी में इंसान की दवाई बनती थी । इंसान के बदले चूहा मारने की दवाई मिल गई । इसका नतीजा यह हुआ कि हमारी मातायें और बहनें जो बहुत संख्या में परिवार नियोजन के लिए गये थे, कभी घर वापस नहीं आ पाये । हम मंत्री जी से चाहेंगे कि इस तरह से जो पूर्ववर्ती सरकारों ने किये हैं..।

श्री दीपक बैज :- उस दिन से आज तक लोग डर रहे हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, उस तरह से नौबत न आये । सभापति महोदय, आंख का आपरेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है । सभापति महोदय, जिनके पास आंख नहीं होता है, वह दुनिया नहीं देख सकता है । जिस आंख के आपरेशन के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के लोग गये, आंखफोड़वा कांण्ड कर दिये । सभापति महोदय, उसमें भी कमीशनखोरी हुई है । परिवार नियोजन के दवाईयों में घूसखोरी हुई है । आंख के आपरेशन के दौरान जो दवाईयां उपयोग की जाती है, उसमें घूसखोरी हुई है । आज हमारे बहुत सारे छत्तीसगढ़ के लोग हमेशा के लिए नहीं देख सकते हैं । इतना बड़ा पाप इन लोगों ने किया है । इसकी जितनी निन्दा सदन में की जाये, उतना कम है ।इन लोगों ने यह काम किया है । मैं टी.एस.सिंहदेव साहब को धन्यवाद देता हूँ कि आपने कम से कम पारदर्शी तरीके से सारे डॉक्टरों को, सारे अधिकारियों को, बिठाकर आपने राय लेने का काम किया है कि हम छत्तीसगढ़ की जनता को बेहतर ईलाज कैसे दे सकते हैं । हम कैसे अधिक से अधिक डॉक्टर ला सकते हैं ? स्वास्थ्य को अच्छा कैसे कर सकते हैं ? मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा की सारे अधिकारियों की मीटिंग करके और वैज्ञानिकों से चर्चा करके इन्होंने नई पहल करने की शुरूआत की है । सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि स्वास्थ्य सुविधाओं में .....।

सभापति महोदय :- माननीय बृहस्पत सिंह जी आधा घण्टा होने जा रहा है । कृपया समाप्त करें ।

श्री बृहस्पत सिंह :-सभापति महोदय, मैं तो अभी सिर्फ यह बताया हूँ कि पिछली सरकारों ने क्या किया । सभापति महोदय, बहुत ज्यादा समय न लेते हुये आपके माध्यम से मेरा सदन में निवेदन है कि इंसान के लिए जिंदगी से कीमती कुछ नहीं होता । सभापति महोदय, हम छत्तीसगढ़ के लिए 85 हजार करोड़, 90 हजार करोड़ का बजट पास करते हैं, बड़े लम्बे-लम्बे भाषण देते हैं, स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

क्या करेंगे ? संपन्न लोग निजी अस्पतालों में ईलाज करा लेते हैं, चन्द्राकर जी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिका में जाकर ईलाज करा लेंगे, लेकिन जो गांव में बसे चन्द्राकर है, उनकी स्थिति क्या होगी ? इसलिए निवेदन करूंगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए सभी जगहों पर पर्याप्त डॉक्टर सुनिश्चित किया जाये। आखिर डॉक्टर हमारे पास क्यों नहीं आते हैं? क्या कारण है? वही डॉक्टर निजी अस्पताल मे जाता है, आप उनको ज्यादा बढ़ाकर तन्ख्वाह देना हो दीजिए । सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है कि डॉक्टर लोगों से मेरी जब बातें हुई, जो डॉक्टर सरकारी अस्पताल में जाता है तो परेशानी इस बात की रहती है कि प्रोटोकाल में नेताओं के पीछे-पीछे दौड़ो । डॉक्टर जनता का ईलाज क्या करेगा? वह नेता के पीछे दौड़ेगा । सभापति महोदय, यह बंद होना चाहिये । दूसरी चीज, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि डॉक्टरों को एक छूट मिलनी चाहिये । जो डॉक्टर सरगुजा या बस्तर का रहने वाला है, ट्रांसफर होकर दूर चला गया, तब भी वह पी.एम. किया है तो पेशी में जाना ही होगा । अगर डॉक्टर पी.एम. किया है तो उसे अदालत की पेशी में जाना ही होगा । पेशी से छूट देने के लिए आपको कानून बनाना चाहिये। डॉक्टरों को ईलाज करने की जरूरत है । पेशी में समय बरबाद होता है । अगर वह अपनी पी.एम. रिपोर्ट लिखता है, कागज दस्तावेज होता है, सारे चीज देखता है, उस समय वही लिखता है । अदालत की पेशी में भी जाता है, उसी का उल्लेख करता है । जिस तरीके से शासकीय अधिवक्ता होते हैं, आप हर अदालत में एक शासकीय डॉक्टर दे दीजिए ताकि जो भी पी.एम. के केस हैं उसे वह पढ़कर तकनीकी भाषा में अदालत को समझा सके लेकिन सारे डॉक्टरों को पेशी से छूट दी जाए। मेरा आपके माध्यम से आग्रह था कि सरकार को आपके माध्यम से बताया जाए ताकि इस प्रकार से सुविधा बढ़ाई जाए। दूसरी सुविधा कि डॉक्टरों को जितना निजी क्षेत्र में तनख्वाह मिलती है उससे ज्यादा आप दीजिए लेकिन हमारे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को आकृष्ट करने का काम करना चाहिए और अस्पतालों की व्यवस्था सुदृढ़ करना चाहिए। गांव-गांव में जो अस्पताल डॉक्टरों से वंचित हैं वहां व्यवस्था करनी चाहिए। सरगुजा में हम कई जगह देखते हैं, बस्तर के भी हमारे साथी कहते हैं कि अभी भी हम स्वास्थ्य के प्रति बहुत पीछे हैं, उसे थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत है। सभापति महोदय, मैं अंतिम में यही कहूंगा कि बलरामपुर जिले में डॉक्टरों की बहुत ज्यादा कमी है। अभी तक 52-53 विशेषज्ञ डॉक्टरों में मुझे सिर्फ एक मिला है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि 89 एम.बी.बी.एस. डॉक्टरों की जगह मात्र 17 डॉक्टर मिले हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि हमारे जिले के लोगों के स्वास्थ्य के लिए डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए और स्वास्थ्य सुविधा में और ध्यान दिया जाए। सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और आग्रह करता हूं कि ये जो मांग रखी गई है हम सभी लोग इसे सर्वसम्मति से पास करें। सभापति महोदय, मैं इस मांग का समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 30, 80, 19, 79, 7, 31 और 50 का विरोध करता हूं और कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मोहन मरकाम :- चंदेल साहब, विरोध करेंगे तो आप क्या लेंगे? अपने क्षेत्र के लिए कुछ मांग लेते तो अच्छा हो जाता और सर्वसम्मति से पास कर देते, क्यों विरोध कर रहे हैं?

श्री नारायण चंदेल:- माननीय सभापति महोदय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग पर चर्चा हो रही है। पंचायत और स्वास्थ्य के साथ-साथ अनेक विभाग जुड़े हुए हैं। ये सीधे गांव, गरीब और किसान से जुड़ा हुआ मामला है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि हिन्दुस्तान गांवों का देश है और यहां की 80 प्रतिशत से ज्यादा आबादी गांवों में निवास करती है। हमारे ओपनर बल्लेबाज अजय चन्द्राकर जी ने सारी बातों पर, नीतियों, कार्यक्रमों पर बड़े विस्तार से बात की। (श्री अजय चन्द्राकर जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) के बाजू में बैठे हुए हैं।) अजय मामा, सुनन दे ना ओला, तैं येती आ। सुनन दे न ओती बर, ओ थोड़ा नोट करिही।

श्री सौरभ सिंह :- जब तक ममा नई बैठिही तब तक भांचा के तार नई बनय।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपके मामा अपने क्षेत्र के लिए पटाने चल दिये कि मंत्री जी मेरे क्षेत्र का कर दीजिए, बाकी जगह करिये चाहे मत करिये।

श्री नारायण चंदेल:- माननीय सभापति महोदय, वह तो पटे-पटाये हैं, उनको क्या पटायेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी से निवेदन करूंगा, मंत्री जी अनुभवी है, सहज, सरल हैं और वह अध्ययन भी करते रहते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से एक तो विनम्र निवेदन है कि सभी गांव की जो मूलभूत आवश्यकता है, अभी भी गांवों में मुक्तिधाम का अभाव है। इसलिए प्रत्येक विकासखंड में हम ये प्राथमिकता क्रम से तय करें कि किन-किन गांवों में मुक्तिधाम है या नहीं। बरसात और बाकी समय में वह खुले में जलाते हैं, इसलिए मुक्तिधाम का एक व्यवस्थित शेड हो, प्रतीक्षालय हो। हमने अपने क्षेत्र में अपने विधायक निधि से मुक्तिधाम बनवाया। लेकिन प्राथमिकता क्रम से गांव की समस्याओं का निदान होना चाहिए। जब ग्राम सभा बैठे तो गांव की समस्याओं की प्राथमिकताएं तय हो कि एक नंबर में क्या है और दो नंबर में क्या है। माननीय मंत्री जी, सभी गांव में जो तीन हजार से ज्यादा आबादी वाले गांव हैं, जिनको हम थोड़ा बड़ा गांव कह सकते हैं, 25-30 लाख रूपये का एक सर्वसुविधायुक्त मंगलभवन जिसमें गांव के आदमी के दुख-सुख का काम निपट सके, बनाने की आवश्यकता है। हम छोटे गांव में भी बनाये, कम लागत का बना सकते हैं, लेकिन हम गांव में 2 लाख 4 लाख का जो सामुदायिक भवन बना देते हैं, उसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है। इसलिए एक बनाये और बड़ा बनाये और सारी सुविधाओं से सुसज्जित हों, ये कार्यक्रम पंचायत विभाग को इसका सर्वे करा करके, जैसे पिछली सरकार ने केन्द्र सरकार ने अटल समरसता भवन के लिए योजना बनाई थी और

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

काफी गांव में वो बना भी। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों में .....।

श्री दीपक बैज :- सभापति जी, श्री नारायण चंदेल भैया आप लोग पहले अटल चौक भी बनाये थे।

श्री नारायण चंदेल :- सभापति जी, जो हुआ है वो हम लोग ही किये हैं। थोड़ा बैठना न कले चुप बैठ। (हंसी) सभी पंचायतों में पंचायत प्रतिनिधियों के बैठने के लिए एक अच्छा पंचायत भवन हो। अभी भी 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल पुराने पंचायत भवन में हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधि बैठते हैं। वहां पर ठीक से टेबल कुर्सी की व्यवस्था नहीं है वहां पर कई पंचायतों की बैठक तो दरी में होती है। इतने साल बाद भी, इतना बड़ा बजट पंचायत विभाग का हमारा है, अच्छा पंचायत भवन बने। जहां पर हमारे पंचायत के प्रतिनिधि ग्रामसभा से विधानसभा, विधानसभा से लोकसभा तो ग्राम सभा जो हमारे सबसे नीचे की इकाई है, जमीन की इकाई है वहां पर बैठने की व्यवस्था ठीक हो। वास्तव में ग्राम पंचायत को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। सभी पंचायतों में ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रतिभावान खिलाड़ियों की कमी नहीं है। अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, और सभी खेलों के खिलाड़ी हैं लेकिन गांवों में वे बेचारे मैदान में, भांठा में, खेत में, कोठार में यहां पर खेलते रहते हैं। सभी गांवों में जो 3 हजार से ऊपर की आबादी वाले गांव हैं वहां पर छोटा सा मिनी स्टेडियम बन जाये, खेल मैदान की सुविधा हो जाये, ये हम सब लोगों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। गांव में जो सबसे बड़ी समस्या है वो सभी पंचायतों में सभी गांवों में बेजा कब्जा की समस्या है। आज गांवों में निस्तारी भूमि नहीं है, गौठान नहीं है, खेल का मैदान नहीं है और मुक्तिधाम में भी लोग बेजा कब्जा कर रहे हैं। अब मुक्तिधाम के लिए भी जमीन नहीं बच पा रहा है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि गांव में कुछ खाली जमीनें सुरक्षित रहे, ये सरकार सुनिश्चित करें ताकि जो भी सार्वजनिक कुछ चीजें बनानी है उसके लिए जमीन का अभाव न हो। पिछली सरकारों में माननीय प्रधानमंत्री देश के पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू की थी। इसके पहले हिन्दुस्तान के गांवों में पक्की सड़कें बन सकती थी कभी किसी की कल्पना नहीं की गई। वो काम चल रहा है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि गांव में जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़के बनी है, सी.एम सड़क योजना के तहत जो सड़कें बनी है, उनमें रखरखाव का अभाव है, मेंटनेंस का अभाव है। ठेकेदार बनाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन निविदा में जो सारी शर्तें हैं, उन शर्तों का पालन करते हुए जो भी ब्वाईनडेड है उसके लिए उसका समय पर रख रखाव होना चाहिए। मेंटनेंस होना चाहिए ताकि वो सड़क ठीक से चले सकें। अभी ओ.डी.एफ में शौचालय का निर्माण गांव गांव में हुआ है, स्वच्छता अभियान में। लेकिन आप जानकारी मंगा लीजिए हमारे जांजगीर चांपा जिले के विकासखंड नवागढ़ में बलौदा में ऐसे अनेक गांव हैं, जहां पर शौचालय के निर्माण तो हो गये लेकिन उसका भुगतान नहीं हो रहा है। सरपंच

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

और सचिव रोज विकासखंड मुख्यालय के चक्कर कांट रहे हैं भुगतान के लिए सी.ई.ओ के पास जा करके, तो जब शौचालय का निर्माण हो गया उसकी गुणवत्ता की जांच करके, वे बेचारे जो सरपंच बना दिये हैं, शासन के निर्देश पर वे बेचारे सरपंच जो बना दिये हैं, ताकि उनका समय पर भुगतान हो जाए। मुझे स्मरण हैं कि हमारे जांजगीर चांपा जिले में और जिस क्षेत्र से हम आते हैं वहां पर पंचायतों, गांवों में बहुत से निर्माण कार्य अधूरे हैं। सरपंच का चुनाव हो गया, पहले वाला सरपंच जो है वह आधा बिल्डिंग बनाया। फाउण्डर खड़े हो गया, उसके ऊपर छत नहीं ढला, फिर दूसरा सरपंच आ गया। इस सरपंच से हम बात करें तो वह बोलते हैं कि भईया पहली के हे हमन का करि? लेकिन निर्माण कार्य की राशि का पूरा सदुपयोग हो। निर्माण कार्य समय-सीमा पर पूरा हो और जिन निर्माण कार्यों के लिए जितनी राशि का आंवटन हुआ है, गुणवत्ता के साथ में काम हो। यह विभाग को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? भई गांव वाले तो जिम्मेदार नहीं हैं। इसलिए ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और उसकी बराबर मॉनिटरिंग होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास, ये वास्तव में गरीबों के लिए क्रांतिकारी योजना है। प्रधानमंत्री आवास, गरीब का सपना होता है गांव में रहने वाला दुकालू, सूकालू, बैसाखू, समारू, पहारू, डहारू...।

श्री दीपक बैज :- माननीय चंदेल भईया, प्रधानमंत्री आवास तो ठीक है। उससे पहले आवास नहीं मिलते थे क्या ?

श्री नारायण चंदेल :- इंदिरा आवास, 10 हजार था।

श्री दीपक बैज :- मोदी जी के आने के बाद ही प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं क्या ? आप उस समय याद कीजिए साहब।

श्री मोहन मरकाम :-नहीं। 1 लाख, 20 हजार तक पहुंच गया था। उस समय मनरेगा था।

श्री दीपक बैज :- ये 75 हजार तक ले गये। एक तो बढ़ा चढ़ा दिये, आप कौन सा बड़ा एहसान किये हो ? शौचालय की क्या हालत है ?अभी शौचालय का बोल रहे थे पूरे जिम्मेदार तो उधर आपके पड़ोसी हैं।

श्री मोहन मरकाम :- जैसा चाहो, वैसा बना सकते थे इसमें तो एकदम डिजाईन है उसी में बनाना है।

श्री नारायण चंदेल :- आप लोग थोड़ा सा बैठिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी प्रधानमंत्री आवास की जो कल्पना है। वह बहुत दूर दृष्टि की कल्पना है और ये इस देश के लिए क्रांतिकारी कदम है और इतनी बड़ी संख्या में बन रहा है। हम जब छोटे से छोटे गांव, 4 हजार, 5 हजार की आबादी वाले गांव में जाएंगे तो वहां 100 से 150 तक के मकान बन रहे हैं। तो ये अकल्पनीय चीज

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है। लेकिन इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और जितना पैसा केन्द्र शासन से राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है ये काम ठीक समय पर हो, गुणवत्ता के साथ में हो और उसका जो रनिंग बिल है जो हितग्राही है उसको मिल जाए। उसको समय पर पैसा मिल जाये।

माननीय मंत्री जी, अस्पतालों की जो स्थिति है, वह वास्तव में बहुत दयनीय है और छत्तीसगढ़ में इतने वर्षों बाद भी अच्छी चिकित्सा का अभाव है। आज यहां का जो आम आदमी है वह भी ये चाहता है जिसके पास थोड़ा सा पैसा है कि मैं हैदराबाद चले जाऊं, विशाखापट्टनम चले जाऊं या अन्य ईलाज कराने के लिए चले जाऊं और इसलिए अच्छी चिकित्सा व्यवस्था कैसे सुनिश्चित हो ? छत्तीसगढ़ का आदमी चिकित्सा के लिए बाहर न जायें।

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- आप 15 सालों का बता रहे हैं ? या अभी 2-3 महीने का बता रहे हैं ?

श्री नारायण चंदेल :- अरे भईया, तुमन 15 साल के भूत ला दिमाग ले उतारो। ठीक है तईहा के बात ला बईहा ले गे। अब अपनी बात करो।

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा:- आप 15 सालों का बता रहे हैं ? या अभी 2-3 महीने का बता रहे हैं ? जो व्यवस्था खराब हुई है।

श्री नारायण चंदेल :- ते कले चुप बइठ जा। माननीय मंत्री जी, अस्पतालों में जितने उपकरण हैं, जितनी मशीनें हैं, लेकिन उसको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है। और वह मशीन बिना चले बेकार हो जाती है। 2 साल, 4 साल, 6 साल तक मशीन तो है लेकिन उसको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है और इसलिए उसकी व्यवस्था हम करायें कि वह मशीन कैसे चले ? और छोटी-छोटी चीजों के लिए एक्सरे कराना है किसी चीज की जांच कराना है तो गांव का जो गरीब आदमी है वह निजी अस्पतालों, संस्थाओं, लैब पर निर्भर रहता है इसलिए ये व्यवस्था को हम सुनिश्चित करायें। अभी स्मार्ट कार्ड की बात हुई वास्तव में जब से नई सरकार बनी है स्मार्ट कार्ड को लेकर के जो हमारे गरीब आदमी हैं, जो वास्तव मे गांव से आते हैं, स्मार्ट कार्ड नहीं चल रहा है, अनेक अस्पतालों में मना कर दिया जाता है कि स्मार्ट कार्ड बंद हो गया, सरकार का निर्देश है। इसकी जानकारी ठीक ढंग से लेकर के इस पर कड़ाई से पालन हो और वह स्मार्ट कार्ड चले। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार ने लागू किया है, उसकी भी बहुत सारी विसंगतियां सामने यह आ रही हैं कि अस्पतालों में मना किया जा रहा है कि हमको मना किया गया है। उसकी वास्तव में मानीटरिंग हो। आप जानकारी लें कि किन-किन अस्पतालो में ऐसे गरीबों को परेशान किया जा रहा है। जो हमारे शासकीय अस्पताल हैं, चाहे गांव के अस्पताल हों या जिला अस्पताल हों, वह अस्पताल रिफर सेन्टर हैं। कोई भी आदमी आता है तो मलहम-पट्टी करके बोल देते हैं कि बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर जाओ, वह रिफर सेन्टर बन गये हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

का इतना बड़ा बजट है, वहां पर अच्छे डॉक्टर, विशेषज्ञ रहें, वहां पर सारे उपकरण मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर काम नहीं करना चाहते हैं। वह तत्काल रिफर कर देते हैं। आपने अपने बजट पुस्तिका में 1 हजार चिकित्सक और 200 विशेषज्ञ की नियुक्ति की बात कही है, वह कब तक हो जायेंगे, कृपया आपने भाषण में बता देंगे। जन घोषणा पत्र में भी है। उस दिन सिम्स के बारे में जिक्र आया था, धर्मजीत सिंह जी ने अपने ध्यानाकर्षण में उठाया था। हम छोटे अस्पताल की बात नहीं कर रहे हैं, बिलासपुर का सिम्स अस्पताल और रायपुर का अंबेडकर अस्पताल की स्थिति दयनीय है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से, गावों से लोग आते हैं, अंबेडकर अस्पताल में अगर वह शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे पहुंच गया तो उसको एडमिट होने के लिए 24 घंटे इंतजार करना पड़ता है। ऐसी कोई व्यवस्था सुनिश्चित करायें कि अगर वह बेचारा सीरियस मरीज है तो हम उसको कैसे तुरंत एडिमट करवायें और उसकी चिकित्सा शुरू हो। क्योकि कई गांव वाले बोलते हैं कि भैया यहां तो कोई सुनईया नई हे, हम काकर कना जायें, काकर ले बात करी, कौन मेर जाई। यह जो सारी चीजे हैं, माननीय मंत्री जी मेरा आपसे निवेदन है कि जो बड़े गांव हैं, मैंने कहा कि 3 हजार, 4 हजार, 5 हजार की आबादी वाले गांव हैं, प्रमुख गांव हैं, वहां पर स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर लगाने की भी व्यवस्था करें। लोगों को यह मालूम हो कि हमको क्या बीमारी है। बहुत से लोगों को तो मालूम नहीं रहता है और जब बीमारी बढ जाती है तो वह असमय काल के गाल में समा जाते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- लेकिन बाकी की बीमारी का तो पता चल जा रहा है, अजय भाई की बीमारी का पता नहीं चल रहा है।

श्री नारायण चंदेल :- उनसे आप कक्ष में जा करके मिलियेगा। वह आपको दक्ष कर देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- राजा साहब, मैंने कहा था कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। आपने इसकी भर तकदीर बनाई, उसकी बनाईये, बहुत मेहनत कर रहा है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- तय हो गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- तय हो गया न। बस ठीक है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय मंत्री जी मैंने कहा कि प्रमुख गावों में स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर लगना चाहिए। आप हर महीने यह तय दीजिए कि इस-इस विकासखंड के ये जो प्रमुख गांव हैं वहां पर स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर लगेगा और शहर के डॉक्टर वहां जायेंगे। सरकार आवश्यक दवाईयां उपलब्ध कराये।

श्री लालजीत सिंह राठिया:- माननीय सभापति जी, अस्पतालों में रोज शिविर लगता है, रोज मरीजों को दवाई, गोली चेक-अप होकर मिलता है।

श्री नारायण चंदेल :- मेरा आपसे निवेदन है कि चलित अस्पताल की भी व्यवस्था कराईये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दिल्ली में चल रहा है। जो चलता-फिरता अस्पताल है, जो गरीब बस्तियां हैं, जो स्लम एरिया है, उसमें दो-तीन डॉक्टर रहते हैं, सारे उपकरण रहते हैं, आवश्यक दवाईयां रहती हैं और उसका समय फिक्स रहता है । इस मोहल्ले में, इस गली में वह 2 घंटा रूकेगी, 1 घंटा रूकेगी तो यह भी अगर व्यवस्था हो जाये तो काफी राहत मिलेगी ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति महोदय, चलित अस्पताल भी चालू है। मितानिन लोग गांव-गांव में, घर-घर में जाकर दवाईयां बांट रही हैं । उप स्वास्थ्य केंद्र में कार्यकर्ता हैं वे घर-घर जाकर दवाईयां बांट रही हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- अब नहीं होगा, इन्होंने कल्याण निधि का पैसा काट दिया है ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- यहां से नहीं कटा है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- तो कहां से ?

श्री लालजीत सिंह राठिया :- उधर ऊपर दिल्ली से कटा है । (हंसी) स्मार्ट कॉर्ड की योजना आप लोगों ने बंद की है, हमने नहीं किया है । सारी कटिंग चल रही है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- शौचालय तो बनाये हैं ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- शौचालय भी देखिये कितने पेंडिंग हैं । शौचालय के ब्याज के पैसे को डकैती करवाते रहे, नोटबंदी के पैसे की डकैती हो गई है । ले-लेकर भाग रहे हैं, फरार हो रहे हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- इनको बच्चा मत समझिए । ये धीरे-धीरे बोलकर सबको निपटायेगा ।

सभापति महोदय :- कृपया बैठें ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- बच्चा कौन समझ रहा है भई ? आप लोग भले समझते होंगे हम लोग तो उन्हें होशियार समझ रहे हैं ।

श्री नारायण चंदेल :- बच्चा नहीं है, बछड़ा है । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- श्री केशव जी तो सबको हाथी समझते हैं, बच्चा नहीं समझते हैं और बच्चा भी समझेंगे तो हाथी का बच्चा समझेंगे । (हंसी)

श्री अमरजीत भगत :- इधर तो आप बोल देते हैं लेकिन क्या पड़ौसी के बारे में कुछ बोलेंगे ?

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, 108 बहुत ही महत्वपूर्ण काम उसके माध्यम से पूरे प्रदेश में चल रहा है । स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार आया है, लोगों को त्वरित ट्रीटमेंट मिला है । लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने में 108 की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है । वह चल तो रहा है लेकिन अभी उसके जो वाहन हैं वे जर्जर होते जा रहे हैं और इसलिये आप बातचीत करके कि 108 के नये वाहन आ जायें उसमें और उपकरण जो हम लगा सकते हैं, जो आवश्यक सुविधायें हम 108 के माध्यम से दे सकते हैं वह हमको देने का प्रयास करना चाहिए । मुझे इतना ही कहना था कि आपके बहुत

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

महत्वपूर्ण विभाग हैं और माननीय मंत्री जी से उम्मीद है कि आप इन दोनों क्षेत्रों में, आपके पास और भी विभाग हैं, हमारे माननीय अजय जी जो हमारे प्रथम वक्ता थे उन्होंने आपका ध्यानाकर्षित किया है लेकिन स्वास्थ्य और पंचायत, स्वास्थ्य में सुधार लायेंगे, पंचायत को और मजबूत बनायेंगे और आज माघी पुन्नी मेला का शुभारंभ है, मैं आपको इसके लिये बहुत-बहुत बधाई देता हूं । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अमरजीत भगत (सीतापुर) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया है । मांग संख्या- 30 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय, मांग संख्या-80 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता, मांग संख्या-19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मांग संख्या-79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय, मांग संख्या-7 वाणिज्य कर विभाग से संबंधित व्यय मांग, संख्या- 31 योजना आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय, मांग संख्या-50 बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय के संबंध में समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- श्री अमरजीत भैया, व्यवस्था तो अभी वैसी ही है आप क्यों समर्थन कर रहे हैं ? जब तक व्यवस्था नहीं सुधरती है तब तक विरोध कीजिये।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, वास्तव में इतना महतवपूर्ण विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जो महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करता है । गांधी जी ने स्वराज का सपना देखा था ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- श्री अमरजीत जी, अभी तो वही योजना चल रही है । कोई नया कार्यक्रम, कोई नयी योजना नहीं है, अभी उसी के लिये धन्यवाद दीजिये ।

श्री अमरजीत भगत :- महात्मा गांधी जी का सपना था और उनका कहना था कि जब तक गांव विकास नहीं करेगा, देश विकास नहीं कर सकता । हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा पूरा परिवेश ग्रामीण है । ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जो योजना बनाई है। वह बहुत ही महत्वपूर्ण है । सभापति महोदय, गांधीजी चाहते थे कि गांव से लेकर ।

श्री अजय चन्द्राकर :- फिर गांधी जी का नाम मत लो । माननीय मंत्री जी, आपका विभाग 150 वें वर्ष के लिए नोडल विभाग है । उसकी समिति बनी है और बजट ज़ीरो है, मैंने बताया था । आप फिर महात्मा गांधी का नाम ले रहे हो । महात्मा गांधी जी की जयन्ती के लिए तो बजट में आपने एक रूपया नहीं रखा है । वह भी अभिसरण से होगा । नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी की तरह उसके लिए भी पैसे जुटाए जाएंगे । क्या कन्वर्जेंस से उसकी व्यवस्था होगी ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करने की दिशा में अगर किसी ने कदम उठाया तो स्वर्गीय राजीव जी ने उठाया । सभापति जी, राजीव जी का यह सपना था कि गांधी जी की सोच ज़मीन पर उकरे । ग्रामीण क्षेत्र में अधिकारों का विकेन्द्रीकरण हो । इसके लिए उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन करवाया । उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हुआ करते थे उन्होंने इसको अमली जामा पहनाया । ग्राम पंचायत का गठन, जनपद का गठन और जिला पंचायत का गठन । सभापति महोदय, अगर वास्तव में इस देश में आमूलचूल परिवर्तन किसी ने लाया तो स्वर्गीय राजीव जी ने लाया । उनका 21वीं सदी का सपना कि गांव विकास करे, यहां पर टेक्नालॉजी का विकास हो और गांव को पूरे देश, दुनिया से जोड़कर विकास के रास्ते में आगे बढ़ाएं । महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा, जिसे तत्कालीन यूपीए सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था । उसका उद्देश्य केवल एक ही था कि जब किसान खेतीबाड़ी से निकलते हैं, गांव के लोग 3 महीने के बाद खाली हो जाते हैं तो गांव के लोग काम की तलाश में शहर की ओर रूख करते हैं । बड़ी तादाद में उसको रोकने के लिए योजना प्रारंभ की गई थी । सभापति महोदय, उसका मूल उद्देश्य था कि गांव के लोगों को गांव में ही काम उपलबध हो सके । इसके लिए 100 दिनों का काम देने की व्यवस्था तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा किया गया था । लेकिन पिछले शासनकाल में हमने देखा कि जो भी योजना केन्द्र की तत्कालीन यूपीए सरकार शुरू करती थी, उसमें बढ़कर बोलने की आदत, बढ़-चढ़कर उसका प्रचार-प्रसार करने की आदत पिछली सरकार में देखने को मिलती थी । पिछली केन्द्र की मनमोहन सिंह सरकार ने 100 दिनों का रोजगार देने की बात कही तो इन्होंने कहा कि हम 150 दिन देंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अमरजीत जी, इधर एक भी माननीय मंत्रिगण नहीं हैं। मान लीजिए राजा साहब को खाना वाना खाने जाना हो तो नेता प्रतिपक्ष जी केबिनेट का दर्जा प्राप्त हैं, वे उधर बैठकर सुन सकते हैं, लिख सकते हैं । यह मदद हम उनको कर सकते हैं । उनके सिवाय कोई मंत्री नहीं हैं, यदि उन्हें 2-4 मिनट के लिए कहीं जाना हो तो नेता प्रतिपक्ष जी को भी केबिनेट का दर्जा है, वे उधर जाकर लिख सकते हैं, हम इतनी मदद कर सकते हैं, सभापति महोदय । अगर बाबा साहब चाहें तो हम यह मदद कर सकते हैं । या राजनीतिक तौर पर अलग-थलग कर दिया गया है, कुछ भी हो सकता है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- ऐसे भी फास्ट है तो भोजन के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, अधिकारों का विक्रन्द्रीकरण तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय हुआ ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अमरजीत भइया, हम तो यह उम्मीद कर रहे थे कि मनरेगा का भुगतान कब होगा, आप इसको भी बताएंगे । अब आप मनरेगा से आगे बढ़ गए ।

श्री अमरजीत भगत :- बता रहे हैं । मनरेगा में भी आ रहे हैं । समवेत रूप से चर्चा कर रहे हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- भुगतान कब होगा, यह बता दीजिए ना ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, अगर अधिकारों को किसी ने विकेन्द्रीयकरण किया तो कांग्रेस सरकार ने किया। उसमें सत्ता में भागीदार किसी ने बनाया तो कांग्रेस ने बनाया। 21वीं सदी में ले जाने का किसी ने सपना देखा तो राजीव जी ने देखा। पंचायती राज को अगर लागू कराया तो कांग्रेस सरकार ने कराया। जहां पर हमारी कांग्रेस की सरकार 100 दिन की बात करती थी। उस पार आज हमारे साथी लोग बैठे हैं यह बढ़कर 150 दिन और जब वे केन्द्र में बैठे थे तो बोले कि 200 दिन देंगे। तो कुछ लोगों को बढ़कर बोलने की आदत सी हो गयी थी और कुछ भी भाषण दें तो बोले कि हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार। पहला राज्य। न यहां की आर्थिक स्थिति सुधरी। न यहां की माली हालत सुधरी। न ग्रामीण परिवेश में कोई परिवर्तन आया बल्कि पिछली सरकार ने बड़े पैमाने पर जो हमारे साथी बोल रहे हैं मजदूरी भुगतान लंबित। 60-40 का जो अनुपातिक रेशियो होना चाहिए वह पूरा नहीं होने की वजह से, केन्द्र से आबंटन नहीं आने की वजह से बड़े पैमाने पर मजदूरी भुगतान आज भी लंबित है। इस बात को हम स्वीकारते हैं। माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी आदरणीय बाबा साहब ने कहा है कि हम जो इसकी जो मूल अवधारणा है कि मजदूर काम से वापस आये और माथे से जब पसीना सूखे, उससे पहले उसको मजदूरी मिल जाये।

समय :
2:27 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

श्री अमरजीत भगत :- यह जो कंसेप्ट है, यह जो अवधारणा है, उसको हम करके दिखायेंगे। आज ही प्रश्नकाल में आया था, उसमें सिंहदेव साहब ने कहा कि अब बहुत जल्दी राज्य अपना अंश दे चुका है। केन्द्रांश के चक्कर में लोगों का मजदूरी भुगतान अटका हुआ है। भारत सरकार क्यों नहीं भेजती है? अगर आपने यहां से प्रस्ताव भेजा तो उनको स्वीकृति देने में क्या दिक्कत है? यह कहते हुए मुझे बहुत दुख होता है कि भारत सरकार ने बहुत सारी जो केन्द्रीय योजनाएं हैं, उनको बंद कर दी है। गांव के विकास के लिए, आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए जो आदिवासी उपयोजना में धनराशि केन्द्र से आती थी, उसका आबंटन इन्होंने बंद कर दिया है। कांग्रेस सरकार में बी.आर.जी.एफ. योजना चलती थी, जिससे सड़क पुल-पुलिया बनती थी। जिससे गांव में पहुंचने के लिए सड़क और पहुंच मार्ग बनते थे, वह काम बंद हो गया। एल.डब्ल्यू.ई. जो योजना थी उसको भी मोदी सरकार ने बंद कर दी। आज भी बहुत सारे काम ग्रामीण क्षेत्र में यह सरकार लेकर आयी है। माननीय सिंहदेव साहब ने जो योजना बनायी है, उसमें ग्रामीण परिवेश के विकास के लिए नरवा, घुरवा और बाड़ी के विकास के लिए जो योजना बनाई है उससे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तेजी से गांवों का विकास होगा। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को काम उपलब्ध हो पायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपकी घंटी बज रही है। आप कहेंगे उससे पहले मैं बहुत सारी बातों को सीमित में समेटता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में माननीय सिंहदेव साहब को बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम को यहां पर लागू करने का कदम उठाया है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- क्या है, उसको पूरा बता दो न। बता दो।

श्री अमरजीत भगत :- हिन्दुस्तान में और कोई राज्य नहीं है, जहां इस कंसेप्ट को लागू किया हो लेकिन जिस...।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अमरजीत भैया, आप पूरा बता तो दो कि यूनिवर्सल मतलब पूरे ब्रम्हाण्ड का है क्या? क्या है? कैसे है? डिटेल तो बता दीजिए ?

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह ठाकुर :- यूनिवर्सल मतलब सभी प्रकार के बीमारियों को कव्हर करेगा। उस आशय में यूनिवर्सल है। सितम्बर तक आयुष्मान और स्मार्ट कार्ड चलेंगे, जैसा मैंने अध्ययन किया है।

डॉ0 विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अभी जो हेल्थ कवरेज है, बीमा कवरेज है, वह केवल इनडोर पेसेन्ट के लिए है। जो यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम आयेगा, उसमें ओ0पी0डी0 और इनवेस्टीगेशन से लेकर सारा चीज उसमें कव्हर होगा। ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जावेगी।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कोई भी व्यवस्था लायेंगे, जब डाक्टर रहेगा तभी तो वह वह व्यवस्था को बनायेगा। बिना डाक्टर के कोई व्यवस्था थोड़ी बनेगी।

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्रा जी, आपका नंबर आ रहा है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं स्वास्थ्य विभाग पर आता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- अभी तक नहीं आये थे ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो ...।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये जल्दी करिये।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग सेवा का क्षेत्र है। जहां लाचार लोगों का, बीमार लोगों के ईलाज करने का काम होता है। जिसको भी अवसर मिले, बहुत भाग्य की बात होती है। यह सौभाग्य माननीय सिंहदेव साहब, महाराज साहब को मिला है। मैं इनको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि आपने यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम को यहां पर लाकर लोगों का मदद करने, लोगों का ईलाज करने के लिए जो कदम उठाया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री केवल बात करते थे। उन्होंने कभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। केवल व्यापार किया है। कभी दवाई वालों का व्यापार, कभ निर्माण वालों का व्यापार, केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से उसको देखते थे। अगर इस प्रदेश में पिछली सरकार की कोई उपलब्धि माने तो केवल संजीवनी योजना को छोड़कर के और कोई योजना सार्थ नहीं रही है, जहां लोगों की मदद हो, लोगों का ईलाज हुआ हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे हिन्दुस्तान में छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने का पिछली सरकार ने काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां आंखफोड़वा काण्ड हो गया, यहां गर्भाशय काण्ड हो गया, यहां नसबंदी काण्ड हो गया और दुर्ग में स्वाइन फ्लू का काण्ड हो गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को बाकी लोगों से बात करते हुए शर्म आती थी कि हम लोग छत्तीसगढ़ से आये हैं। बोलते थे कि जहां आंखफोड़वा काण्ड हो गया है, जहां पर गर्भाशय निकाल लिया गया है, जहां पर नसबंदी जैसे काण्ड में माताओं का ईशलीला समाप्त हो गया।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करिये। (भाषण समाप्ति हेतु घंटी बजाई गई)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं। इसलिए मैं समाप्त करता हूँ। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो अनुदान मांग लाया है, मैं उसका समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सिंहदेव साहब, आपके सदस्य ने कहा कि व्यापार के अतिरिक्त कुछ नहीं हुआ। आप उनको बताईये कि आपका मेडिकल कालेज खोला गया, उस दिन आप मेरे साथ गए थे, कैसे वह मीटिंग हुई और कैसे सरगुजा कालेज खुला, उनको बता दीजियेगा।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेडिकल कालेज के लिए अकेले धरना दिया था, आपको मालूम है ? जब आप स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। आपने जिस प्रकार से शुरूआत किया, वहां पर न एक्सरे मशीन, न डाक्टर्स, न नर्स। आपने केवल मेडिकल कालेज खोलकर छोड़ दिया। अभी माननीय सिंहदेव साहब बने है तो थोड़ा व्यवस्था कर रहे हैं। आपने तो केवल नाम मात्र के लिए खोला था, महाराज।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजेपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए खड़ा हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उम्मीद है कि ये दो विभाग जो गांवों की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करता है और आदमी को स्वस्थ रखता है, उसका बेहतर संचालन करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ही मेरे प्रश्न में, मनरेगा में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

भुगतान के बारे में प्रश्न आया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मनरेगा कोई योजना नहीं है, मनरेगा अधिनियम है, कानून है। इस बात कानून है कि लोगों को रोजगार मिले, उनको रोजगार की तलाश करने के लिए बाहर मत जाना पड़े और 15 दिन में भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए । ये उस कानून में है, लेकिन मैंने तो केवल वर्ष 2018-19 का प्रश्न किया था कि मजदूरी भुगतान कितना बाकी है । 3 करोड़, 46 लाख रूपए बाकी हैं । गांव के विकास के लिए माननीय मंत्री जी को केवल 200 करोड़ मिले हैं । उससे कहीं ज्यादा उन गरीब मजदूरों की मजदूरी का भुगतान बाकी है और अगर उसमें वर्ष 2017-18 का देखें, 2016-17 का देखें तो हो सकता है कि मजदूरी भुगतान और बाकी निकल जाएगा । जिस उद्देश्य से यह कानून बनाया गया है, उसकी पूर्ति होनी चाहिए । सबसे ज्यादा मजदूर काम की तलाश में छत्तीसगढ़ प्रदेश से पलायन करते हैं और आये दिन, प्रतिदिन बंधक बनाने की शिकायत, मजदूरी नहीं मिलने की शिकायत लगातार आ रही है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं, केन्द्र सरकार पैसा दे रही है या नहीं दे रही है, ये मजदूर की समस्या नहीं है । मजदूर काम किये हैं तो उनको मजदूरी पाने का हक है और केवल यही तक वे जानते हैं । मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे लोगों के लिए जो अपने खून को पसीना बनाकर चार पैसा कमाना चाहते हैं, अपने मेहनत का प्रतिफल, अपने परिवार का लालन-पालन करना चाहते हैं, कम से कम उनके प्रति आपकी सहानुभूति होनी चाहिए, उनको समय पर मजदूरी मिलनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दौरान स्वच्छ भारत मिशन का नारा गुंजा कि भारत को स्वच्छ बनाना है, महात्मा जी का सपना था और डंडा चला-चलाकर लोगों से शौचालय बनवाया गया । जब तक आप शौचालय नहीं बनाओगे तो आपके पेंशन की राशि रोक दी जाएगी, आपके राशन कार्ड पर राशन नहीं देंगे और शौचालय बनाओगे, तीन महीना उपयोग करोगे तो 12 हजार रूपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी । कितने गरीब आदमी अपने जेवर को गिरवी रखकर, कहीं कर्ज लेकर शौचालय बनाए हैं । आज ढाई साल होने के बावजूद उनको शौचालय का प्रोत्साहन राशि नहीं मिली । वे कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, माननीय महोदय को कोई ऐसी योजना लांच करनी चाहिए कि केवरजेंस से हाथी कारीडोर भी बन जाए । ऐसा कुछ इनको दीजिए तो इनकी पूरी बोलती बंद हो जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय :- वे लोग हाथी कारीडोर बना रहे हैं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- आप सुन लिए न, हाथी कारीडोर बन रहा है, लेकिन हाथी रूकने वाला नहीं है । वह जंगल में विचरण करने वाला है, वह कहीं कारीडोर में थोड़ी रूकेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का आशय यह है तो वह तो स्वप्रेरणा से बननी चाहिए था, दबावपूर्वक नहीं बनवाना चाहिए था, लेकिन आपने प्रलोभन देकर दबावपूर्वक बनवा लिया । आपने उसमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

दिया । अब जो आदमी नहीं बनाए, आपने ग्राम पंचायत को एजेंसी बना दिया, किसी को अघोषित रूप से ठेकेदार से आपने शौचालय बनवा दिया और उसकी गुणवत्ता की ओर कहीं ध्यान नहीं दिया गया है, आज उसका उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपने ग्राम पंचायत को राशि दी, लेकिन ग्राम पंचायत शौचालय बनाने वाले हितग्राही को राशि दिया या नहीं दिया, इसकी मानीटरिंग कहीं पर हुई । माननीय मंत्री जी, अगर आप इस ओर थोड़ा सा भी प्रशासन को टाईट करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्या का समाधान हो जाएगा । मेरे जांजगीर-चांपा जिले में ग्राम पंचायतों को शत-प्रतिशत राशि गई है, जो ग्राम पंचायत बनाए हैं, उसको आपने 100 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया, लेकिन जो निजी अपने पैसे से बनाए हैं, उनको आपने एक पैसा नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय :- आपका समय समाप्त हो रहा है, आप जल्दी बोलिए । चार मिनट को आठ कर दिया, आठ मिनट को 10 मिनट कर दिया।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी विभाग के माध्यम से गांव को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना भी संचालित है । बहुत सारे गांव जुड़ गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे गांव पगडंडी के सहारे चल रहे हैं । ऐसे गांव के भी सर्वे करके किसी न किसी योजना से उन गांवों को भी जोड़ना चाहिए, ताकि उनका आवागमन भी सुनिश्चित हो जाए । माननीय हमारे सदस्य चंदेल जी बोल रहे थे कि गांव में सामुदायिक भवन होना चाहिये ताकि लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकें । मैं भी माननीय मंत्री जी से इसी चीज को कहना चाहता हूँ । 3000 से अधिक की आबादी पर अटल समरसता निर्माण भवन का पिछले समय योजना चल रहा था । वह भवन 20 लाख रूपया के लागत से बनना था । कुछ जगहों पर बना है, कुछ जगहों पर नहीं बना है, जहां प्रभावशाली लोग रहे वहां ज्यादा बना । हमारे जैसे लोग रहे वहां एक दो ही बना। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि उन चीजों का विरोध करने वाले में से थे । जो गांव के विकास के लिए राशि है, आवश्यकता के अनुरूप समुचित बंटवारा होना चाहिये, ताकि प्रदेश भर के लोंगों का इससे लाभ मिल सके ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद । पाइन्टेड । जो-जो मांगें हैं, एक साथ गिना दीजिए ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी स्वास्थ्य विभाग में अनेक योजनाओं की बात चल रही थी । दवाई फ्री में मिल रहा है । नि:संकोच कोई शंका नहीं है । सभी अस्पतालों में दवाई पर्याप्त मात्रा मे है । बिल्डिंग भी बना है, लेकिन दवाई लिखने वाले, पर्ची लिखने वाले डॉक्टर नहीं है । जब तक डॉक्टर नहीं रहेंगे, दवाई का क्या औचित्य है, हमारे एक साथी बोल रहे थे कि मितानिन लोग बांट रहे हैं, मितानिन की क्वालिफिकेशन क्या है, जो दवाई बांटेंगे, ईलाज करेंगे, जब तक डॉक्टर नहीं रहेगा, विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं रहेंगे, ये तमाम सुविधाओं का कोई औचित्य नहीं है । माननीय सभापति

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

महोदय, यह बात भी सही है कि डॉक्टर की कमी है । लेकिन केवल हमारे सरकारी अस्पतालों के लिए कमी है । आज नया अस्पताल खुल रहा है, जितने का सेट अप बना रहे हैं, उतने का विशेषज्ञ डॉक्टर उस प्रायवेट अस्पताल में आ जा रहे हैं । उससे कहीं ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन सरकार को इस बारे में सोच बनाना चाहिये कि वह डॉक्टर शासकीय नौकरी क्यों नहीं करना चाहते हैं । उनको क्या सुविधा दें, जिससे सरकार के प्रति उनका विश्वास जगे, काम करें । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि ....।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- योजना कोई सा भी हो । उसका समुचित लाभ अगर लोगों को देना है, सबसे पहली आवश्यकता डॉक्टर की व्यवस्था करने की है ।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. रेणु जोगी ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि दो हॉस्पीटल ऐसे हैं, एक सिम्स बिलासपुर और दूसरा मेकाहारा रायपुर । दोनों में बहुत सारे आदमी नि:शुल्क ईलाज कराते हैं । बहुत सारे लोग जनप्रतिनिधियों के पास चिटठी लिखवाने के लिए भी आते हैं कि आप चिटठी लिख दीजिए । भई हम गरीब है, नि:शुल्क ईलाज हो जाये । माननीय मंत्री जी कृपया यह सुनिश्चित कर दें, कम से कम विधायक और सांसद लोग पत्राचार करते हैं, चिटठी लिखते हैं, उसमें नि:शुल्क ईलाज हो । तमाम तरह के टेस्ट चाहे एम.आर.आई. हो, चाहे ब्लड टेस्ट हो, चाहे कोई भी प्रकार के टेस्ट हो, उन गरीब लोगों के लिए कम से कम इतनी सुविधा प्रदान करें कि उनका नि:शुल्क ईलाज हो जाये । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. रेणु जोगी ।

श्रीमती रेणु जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं टी.एस.सिंहदेव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी के विभागों के मांग संख्या के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ.....।

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, हर दिन विरोध में खड़ी होती है, मांगती बहुत है । दोनों में से एकतय कर लीजिए, मांगना है कि विरोध करना है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- देना शुरू कर दें, विरोध में खड़ा होना बंद हो जायेगा । आप लोग देते नहीं है, इसीलिए तो है ।

श्रीमती रेणु अजीत जोगी (कोटा) :- विधान सभा में बात नहीं दोहराई जाती है, फिर भी दोहरा रही हूँ कि मेरा नाम जोगी है, मांगना तो मेरा काम है । देना ना देना महराज के उपर निर्भर करेगा । चूंकि मैं मूलत: स्वाथ्य विभाग से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान प्रदेश में जो

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

स्वास्थ्य संबंधी समस्यायें हैं, इसे आपके संज्ञान में लाने का अनुमति चाहती हूँ । सर्वप्रथम रायपुर से ही शुरू करूंगी कि रायपुर में एक सुपरस्पेशियालिटी हॉस्पिटल विगत पांच वर्षों से निर्माणाधीन था, अंतत: बन गया और आरंभ भी हो गया है। परंतु वहां एस्कार्ट हास्पिटल अनुबंध सीमा खत्म होने के कारण बंद कर दिया गया, उसे अंबेडकर अस्पताल से जोड़ दिया गया। पहले उसकी इन्ट्रेन्स बाहर से थी, मरीजों को सुविधा होती थी कि इमरजेंसी में जल्दी से वहां पहुंच जाएं, खैर वह अलग व्यवस्था है पर मुझे यह जानकार दुखद अनुभूति हुई कि अभी भी वहां हार्ट सर्जरी आदि का प्रावधान रखा गया है पर जो प्रमुख मशीन हार्ट लंग मशीन है वह अभी तक उपलब्ध नहीं है और इसलिए जो सर्जरी आदि होना है वह वहां नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात कि पूरे प्रदेश में विगत 15 सालों से ए.एन.एम. के 96 कालेज चलते थे जिसमें सरकारी 16 थे और अन्य प्रायवेट विभिन्न दूरस्थ अंचलों में संचालित थे। उसमें एम.पी.डब्ल्यू कोर्स भी थे, संयोग से जेंट्स के लिए एम.पी.डब्ल्यू. (मल्टी पर्पस वर्कर) कोर्स तो चल रहे हैं, पर लड़कियों के पूरे कालेज बंद हैं। हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री चंद्राकर जी बैठे हैं, पता नहीं उनके कार्यकाल में या उसके पहले अमर अग्रवाल जी के कार्यकाल में ऐसा हुआ लेकिन किन कारणोंवस उनको तत्काल एक आदेश में बंद कर दिया गया। तो ग्रामीण क्षेत्र की जो बच्चियां बारहवीं पास होती थीं वहां आसानी से एडमीशन प्राप्त कर लेती थीं और उससे हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में ही वृद्धि होती, क्योंकि उसी समय 25 उप स्वास्थ्य केन्द्र तो मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में बने हैं और अभी-भी वह बंद पड़े हुए हैं और जो उसका उद्देश्य था कि ए.एन.एम. वहां बैठेंगी, आसपास की मितानिन वहां बच्चों और गर्भवती माताओं को लायेंगी और उनका टीकाकरण कार्यक्रम, पोलियो की दवाई पिलाना, बिटामिन-ए पिलाना वहीं से संचालित होगा तो कृपया इस बारे में अनुरोध करना चाहूंगी कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें क्योंकि ये तो अतिरिक्त व्यय के बिना ही चल रहा था। इसके साथ ही प्रदेश के मेडिकल कालेजेस में और अन्य बड़े चिकित्सालयों में सन् 2001-02 से पैरामेडिकल कोर्स भी संचालित होता था। जिसमें विभिन्न टेक्निशियन चाहे वह आंख के चश्मे का नंबर निकालने वाला हो, ई.सी.जी. या एक्स-रे करने वाला टेक्निशियन हो, आर्थोपेडिक में प्लास्टर आदि बनाने वाला हो, तो इन सबकी ट्रेनिंग दी जा सके तो न सिर्फ ये मेडिकल कालेज या अन्य हॉस्पिटल में बल्कि हमारे यहां प्राईवेट भी बहुत खुल गये हैं तो वहां उन्हें रोजगार मिल सकता है। सन् 2001-02 में त्रिवर्षीय कोर्स भी प्रारंभ हुआ था। उस समय लगभग 1500 डॉक्टर तैयार हुए थे और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 80 से 90 प्रतिशत वही डॉक्टर कार्य कर रहे हैं। उसमें भी शासन का कोई अतिरिक्त खर्च नहीं हो रहा था। अभी भी प्रायवेट या अन्य जगह डॉक्टर्स बोलते हैं कि यदि वह कोर्स प्रारंभ किया जाए तो हमारे प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में चिकित्सा संबंधी जो डॉक्टरों की उपलब्धता नहीं हो रही है वह पूरी हो सकेगी। अध्यक्ष महोदय, चूंकि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी बिलासपुर जिले के थे,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उन्होंने बिलासपुर के सेंदरी में एक मनोरोग या मानसिक चिकित्सा का अस्पताल खोला। वह शहर से काफी दूर है और वहां पहुंचना सुलभ भी नहीं है। पर फिर भी मैं पेपर में पढ़ रही थी कि 100 बिस्तर का अस्पताल है और वहां 200 से अधिक मरीज आज की तारीख में भर्ती हैं। उसी तरह से वहां सेटअप भी 100 बिस्तर के हिसाब से है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मैं जब विपक्ष में पहले था 1998-2003 में तो मानसिक चिकित्सालय छत्तीसगढ़ में होना चाहिए, मेरे बहुत प्रश्न होते थे। हमने मानसिक चिकित्सालय खोला और उसको सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाने के लिए भी पैसा रखा, उसको आपने इस बार के बजट में विलोपित कर दिया। भाभी जी, जिस बात को उठा रही हैं, साहब अब आपको बता देता हूं। इधर 68 लोग तो आप लोग ले आये हैं, बहुत लोग डिप्रेशन के शिकार हैं मरीजों का ईलाज नहीं होगा तो सेंटर आफ एक्सिलेंस होगा तो आप ही लोगों का ईलाज होगा। जो डिप्रेशन में एक पद मंत्री का खाली कर दिये हैं, वो नहीं होगा।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से विपक्ष में गये हैं डिप्रेशन आपके ऊपर है। अनाप शनाप आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा विषय जो आपने उठाया है। आपने उसे बजट से विलोपित कर दिया। थोड़े दिन में अच्छा ईलाज करवायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- श्री मोहन मरकाम जी, आप समय ज्यादा लेंगे तो मैं आपका नाम चर्चा से कांट दूंगा।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- अध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर रही थी कि 3 वर्षीय कॉलेज पाठ्यक्रम भी आप प्रारंभ करें तो बस्तर, सरगुजा आदि दुरस्थ अंचलों में डॉक्टर्स उपलब्ध हो सकेंगे। मानसिक रोग चिकित्सा के बारे में, चूंकि वो सिर्फ बिलासपुर में स्थित है। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी राजधानी रायपुर है। रायपुर, बस्तर और सरगुजा जो आपका ही इलाका है वहां पर भी 100-100 बिस्तर के अस्पताल मानसिक रोग के खोल दिये जायें तो उस क्षेत्र के लोगों को उसका पूरा फायदा मिलेगा। प्रदेश में कम से कम एक नशा मुक्ति केन्द्र भी होना चाहिए। जो लोग नशे से मुक्ति चाहना चाहते हैं, उन्हें सलाह मशवरा देकर उसको मदद मिल सके। वर्तमान में नियरेस्ट इंदौर में है।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, भाभी जी, आपने पिछली बार भी श्री अजय चंद्राकर जी को सलाह दी थी वो माने नहीं।

अध्यक्ष महोदय :- श्री अमरजीत भगत जी, बोलने दीजिए न।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, बोल देता हूं आपने कहा तो...।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, नहीं छोड़ों।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम आया तो एक लाईन में बोल देता हूं। 10 बार कोशिश करने के बाद वो समाज कल्याण का विषय है बोला जाता है, ये स्वास्थ्य विभाग का विषय नहीं बोला जाता है और कोई भी समाज कल्याण के विषय में नशा मुक्ति को हाथ में नहीं लिया।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, चलिये।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं बताना चाहूंगी कि जिस मेडिकल कॉलेज वेल्योर में मैं पढ़ी हूं वहां पर हर मेडिकल कॉलेज में यदि इसे संबंध किया जाये, क्योंकि वहां मनो चिकित्सक बैठते हैं। यहां भी श्री डॉ. मनोज साहू जी हैं। हर जगह उनकी पोस्टिंग है। अगर उसी से संबंधित एक वार्ड उसके लिए आरक्षित कर दिया जाये तो बहुत अच्छा कदम होगा।

अध्यक्ष महोदय :- वैसे, छत्तीसगढ़ में मनोरोगी कम हैं। (हंसी)

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- अध्यक्ष जी, नहीं बहुत हैं देखिये।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, यहां श्री अजय चंद्राकर जी को देख के लोग ऐसे ही भाग जाते हैं, ठीक हो जाते हैं।

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आज के समाचार में जानकारी आई है कि छत्तीसगढ़ शराबखोरी में सबसे अव्वल है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, जैसे श्री अमरजीत भगत जी मनोरोगी हो सकते हैं। डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। लेकिन उसकी जांच की व्यवस्था नहीं हो रही है, उसकी जांच की व्यवस्था हम कर रहे थे तो उनको बजट से हटा दिये।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, मैंने तो आपको ये कहा कि आपको देखकर लोग ऐसे ही भाग जाते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, मैं आपके हित की बात कर रहा हूं।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र पेन्ड्रा गौरेला में केन्द्र की योजना के अनुसार एक एम.सी.एच. हास्पिटल मदर एंड चाईल्ड हेल्थ केयर खुला था। करोड़ों रूपये की बिल्डिंग बन गई, वहां तरह तरह की मशीनें डायलिसिस से ले करके सब तरह की मशीनें आ गई है पर उन्हें आपरेट करने वाला अभी तक कोई नहीं है। मदर एंड चाईल्ड केयर हास्पिटल है तो कम से कम एक लेडी डॉक्टर एक सिजेरियन या मदर का ईलाज, चाईल्ड का ईलाज कर सके पीडियाट्रेशन की, उसकी पदस्थापना करने की कृपा करें। उसी प्रकार एक रतनपुर में नई हास्पिटल बनी है, नई एक्स-रे मशीन भी आ गई है पर कोई टेक्नेशियन नहीं है तो विगत 2 साल से वो मशीन पड़ी है। संक्षेप में बोलना है इसलिए पंचायत विभाग के बारे में, विधायक निधि के सरगुजा विकास प्राधिकरण पूर्ववर्ती सरकार के अन्य मुख्यमंत्री

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

छत्तीसगढ़ विकास आदि योजना के कई कार्य अधूरे पड़े हैं, सरपंचों के द्वारा नहीं किये गये हैं और पूर्व में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कई स्कूल भवन भी अधूरे पड़े हैं। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि हम दुबारा राशि दे देंगे, उस खण्हर नुमा चीज को ठीक कर दें तो शासन ने वह भी अनुमति नहीं दी तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि या तो विधायक निधि से उसको दुबारा राशि दे सकें, वह तीन चौथाई बन गये हैं। थोड़ी राशि दे देंगे तो वह पूरा बन जाएगा या जिला खनिज न्यास के जो प्रभारी मंत्री हैं वे उनको अधिकृत कर दें कि जो थोड़ी मोड़ी राशि, पूरे विधान सभा में अधिक से अधिक 50 लाख लगेगा तो उसे रिलीज करें ताकि ...।

अध्यक्ष महोदय :- मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी आपका बहुत आदर करते हैं आपके क्षेत्र के सभी समस्याएं लिखकर दे दीजिए और अपना भाषण समाप्त करते हुए, धन्यवाद दे दीजिए।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। तो अंत में हमारे एक सदस्य ने लिखा है कि हिमोफिलिया और इसमें एड भी कर दूं कि थैलेसिमिया आदि बिमारियां हैं, सिकलसेल एनिमिया जिसमें बार-बार ट्रांसफ्यूजन की भी आवश्यकता होती है तो उसके लिए आप कम से कम मेडिकल कॉलेज में ये सुविधा उपलब्ध करवा दें कि उनको कम से कम खर्च करके, जो ट्रांसफ्यूजन के द्वारा ब्लड का रिप्लेसमेंट करना पड़ता है तो वह सुविधा उपलब्ध हो जाए, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। श्री रामकुमार यादव।

श्री रामकुमार यादव (चंद्रपुर):- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद्। आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य विभाग मुख्य विषय होता है इसमें आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद भईया प्रणाम। सब ला जय जोहार हे। कोई भी प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण विकास बहुत महत्वपूर्ण विषय होथे। चूंकि अभी हमर भईया अमरजीत जी हा बोलत रिहिसे कि कोई अंतिम छोर के व्यक्ति शहर में भी रहिथे, अइसे बात नहीं हे, लेकिन गरीब से गरीब आदमी कहीं पर मिलथे अउ गांव में मिलथे, करईम के घर में मिलथे अउ झोपड़पट्टी में मिलथे। अउ ओला अगर विकास कराये बर कोई ला ये प्रदेश में महत्वपूर्ण जवाबदारी मिले हे तो राजा साहब ला मिले हे। अउ परमात्मा धन्य हे, में राजा साहब के ध्यान चहिहो। धन्य हे परमात्मा की ओ हा सौग्भाग्य से राज परिवार में जन्म ले हे अउ गरीब किसान के लिए ओकर दिल भी ओसने हे । आज अतके बड़े इहां पर बजट में प्रावधान होय हे। जइसे कि पहले के सरकार से में कुछ तुलना करना चाहत हों।

अध्यक्ष महोदय :- मत कर बेटा, अपने क्षेत्र की बात कर ले।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस दो मिनट। जब हमन ला गांव से कभी रायपुर आए के मौका मिलए तो रायपुर में आकर हमन नया रायपुर ला देखन ...।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नवा सदस्य हे, थोड़ा समय दे हू।

अध्यक्ष महोदय :-मैं सीखा रहा हूँ कि आप क्षेत्र की बात कर लीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर में आकर हमन नया रायपुर ला देखन तो हमन सोचन कि आज हमन गांव में रहिथन, उहां बिहनिया ले निकलन, तो चिखला मार रहाय, चप्पल ला हमन ला हाथ में धर के चले बर लागए। लेकिन जब नवा रायपुर आवन, देखन तो भले वहां गाड़ी घोड़ा आदमी झन चलत राहए, लेकिन उहां घाम में रोड हा चिकचिकावत रहाए। घाम में चिकचिकावत रहाए देखन ये काय हे, कइसे होगे भईया, आदमी भी नई चलत हे, इहां रोड में गरूआ बछरू तक नई हे अतक अन पक्की रोड हे। जहां पर आदमी हा बिहनिया ले निकलत हावय, स्कूल जावत हे तो लेटा धरत हे, साईकिल हा ढूलत नई हे, अइसे गांव ला अगर संवारे के मौका मिले हे, आदरणीय राजा साहब ला मिल हे। मोला विश्वास हे कि ओमा बहुत अच्छा काम होवत हे। आज में नरवा, घुरवा, गरूआ, बाड़ी बर बात करबेच करहूं।

अध्यक्ष महोदय :-बेटा, ये इनका सब्जेक्ट नहीं है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नोडल अधिकारी हे।

अध्यक्ष महोदय :- उसके लिए नोडल अधिकारी चौबे जी हैं। अपने विषय में बात करिये। आप अस्पताल से संबंधित अपनी बातें रखें।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में दो मिनट में अपन बात ला पूरा कर हूँ। कहेगे हे कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होथे। आदमी ला दू चीज चाहिए। अगर कोई गरीब आदमी बीमारी से तड़पत हे तो ओला ठीक से इलाज करवा दो। ओला पेट भर खाना दे दो। ओहर भगवान के साथ साथ नेता ला ओ क्षेत्र के विधायक ला धन्यवाद देथे। एकर पहली हमन देख हन, वह गरीब आदमी, जब आंखी के रोशनी, मोतियाबिंद के नाम से इलाज कराए बर आवए, आप सब जानत हो कि ओकर दशा काय होए रिहिसे ? हम जांकर गांव के कोई गरीब ला कहेन दई तोर आंखी ला दिखत नई हे, चल ऐला ईलाज करा लेबे तो पढ़े-लिखे रहे ओहू कहे झन कर बेटा, अइबे थोर बहुत दिखत हे, वहां जाहें तो वोहू पूरा बंद झन हो जाही। लेकिन मैं आदरणीय राजा साहब ला धन्यवाद देत हौं, मौका मिले हे, ऐला दोबारा होन नई देव। ऐसे सवारही, मोला विश्वास हे। अंत मे मैं कहना चाहत हौं कि एन.पी.डब्ल्यू कोर्स होते हे, हमर स्वास्थ्य मंत्री बैठे हे, बहुत बुद्धिमान हे, मै देखत रहेंव, वो तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कानून बनाये हे, तेकर रट के राखे हे। हम तो बहुत कम पढ़े लिखे हन, लेकिन मैं कहत हौं कि कौन आदमी ला कतका कन जानकारी हे, ये महत्वपूर्ण बात नई होय, ओ काम ला कतका कन होबहू गरीब किसान मन ला अमल होथे, येहा बड़ी बात होथे। कौन बजट में कतका कन पैसा हे, ये बड़ी बात नई होय, वो बजट के उपयोग सही तरीका से कतका कन अमल होते हे, येहा बडी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बात होत हे। आज मैं कहना चाहत हौं, बार-बार बोलत रहिन हे कि वह बजट कट गये हे, 200 करोड़ रुपये होगे हे, मोला राजा साहब के ऊपर विश्वास हे, जैसे कोई एक बाप के दो झन बेटा रहिथे, एक झन ला दुई लाख धरा दो, एक झन ला 50 हजार धरा दो, 50 हजार में घर ला बढ़िया संवार देथे अउ दो लाख रुपया घर ला फूंक के पगा देथे। उसी प्रकार से मोर आदरणीय राजा साहब ला भरोसा है कि 200 करोड़ रुपया मे ऐसी चमचमाची रोड बनाही कि हमार गरीब लईका जब साइकिल चलात-चलात जाही, कहीं पर साइकिल ला लेटा नई धरै, सीधा जा करके साइकिल हर ओ स्कूल के मोहटा में रूकही। एन.पी.डब्ल्यू कोर्स के बारे में कहना चाहत हौं, यही प्रदेश में एन.पी.डब्ल्यू कोर्स करके आज कतका कन बेरोजगार घूमत हवै। एकर पिछली सरकार हा कहीं पर कोई वेकेन्सी नई निकालिस। आज मैं कहना चाहत हौं गांव के गरीब, लईका, बेटी ला भी सपना रहिथे। आदरणीय मोर दीदी डॉक्टर महोदया बैठे हो, ऊहू डॉक्टर बैठे हे, एक झन ऊहू डॉक्टर बैठे हे, गरीब किसान भी चाहथे कि मोर बेटा, बेटी ला मैं डॉक्टर नई बनाय सकवं, कम से कम नर्स बना दौं, जेला छत्तीसगढ़ी में नर्स बाई कहे जात हे। लेकिन नर्स बाई बनाय के लिए ओकर पास पैसा, धन नई हे । आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आप भी गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं, मैं ये बात ला जानत हौं। ओकर लिए आज जाकर देखौ पिछली सरकार जतका भी सरकारी ला बढ़ावा नई दिहिस और जतका बड़े-बड़े प्राइवेट, धन्ना सेठ मन ला अउ पैसा कमाय के लिए नाना प्रकार के प्रायवेट ए.एन.एम., जी.एन.एम. खोले के काम करे हे। मैं निवेदन करिहौं ताकि येला बढ़ाये जाये, हमर गरीब किसान के लिये, ताकि हमरो गरीब किसान के लोग लईका मन वो सरकारी में जाय के पढ़ सकैं। अंत में एक ठो विषय कहहूं जैसे कि गरीब लईका मन ला स्कूल में पढ़ै के लिये एक छूट हे कि आप सरकारी स्कूल खोले हो, ठीक है कि इतना परसेन्ट आप गरीब बच्चों को पढाईये, उसी प्रकार मैं राजा साहब से, आप से भी और सदन से निवेदन करिहूं कि हमर गरीब किसान ला प्राइवेट जो बड़े-बड़े डॉक्टरी चलावत हे, तीन-चार मंजिल के हॉस्पिटल खोले हे, वहां पर हमर गरीब किसान के लिए एक परसेन्टेज निर्धारित कर दिया जाये ताकि वहां पर ओमन के ईलाज हो समय। ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहत हौं। आप मोला बोलै के मौका देव, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्री पुन्नूलाल मोहले जी। आप पहली बार बोल रहे हैं, आप 5 मिनट में तो सब बोल लेते हो।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार बोल रहा हूं क्योंकि एक्सीडेन्ट होने के कारण बोलने की इच्छा नहीं थी, फिर भी मैं लगा था। मैं आपका दो मिनट ही टाईम लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- इसीलिए तो मैंने आपको पहले समय दिया, सदस्यों का नाम मैंने काट दिया है, और आपको बोलने के लिए समय दिया हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मुंगेली जिला है इसलिए क्षेत्रीय समस्या के बारे में बताना चाहूंगा। मुंगेली जिले में सी.टी. स्केन मशीन की आवश्यकता है जिसका टेन्डर हुआ था पर अभी तक वह पास नहीं हुआ है या गया नहीं है। नस का डॉक्टर नहीं होने के कारण जितनी नस संबंधी बीमारी हैं, उन बीमारी के लिए डॉक्टर नहीं हैं। वहां बेहोशी का डॉक्टर नहीं है। जिला चिकित्सालय है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ये व्यवस्था स्थानीय स्तर के जिला अस्पताल में और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कराने का कष्ट करें। जैसा डोमी सांप कांटते हैं, अहिराज सांप का ज्यादा जहर लगता है और छोटे सांप जिसको करैत सांप बोलते हैं, ऐसे सांपों के काटने पर ईलाज के लिए दो-चार दवाईयां रहती हैं, अगर जिले में 10-15 लोगों को सांप कांट दे तो छोटे अस्पताल में दवाईयां यहां से, वहां से मंगानी पड़ती है जिससे मरीज ज्यादा सीरियस हो जाता है और बीमार हो जाते हैं। एक्सीडेन्ट की अवस्था में वहां डॉक्टर नहीं होने के कारण जिला चिकित्सालय बिलासपुर रिफर किया जाता है। आप व्यवस्था करायेंगे, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में इतना कहना चाहता हूं कि समग्र योजना की राशि पिछली सरकार के द्वारा दी गई थी, उसे और अन्य योजनाओं का भी रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री सड़क योजना में भी राशि नहीं दी गई है। मैं अनेक योजनाओं का जिक्र नहीं करूंगा। माननीय मंत्री जी खुद समझदार हैं। इस कारण यह जो राशि पंचायतों में विपक्ष की सरकार में दी गई थी, उस पंचायत में राशि दी जाये। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद । श्री विकास उपाध्याय जी आप कहीं जाने वाले हैं, 5 मिनट में अपनी बात रखिये ।

श्री विकास उपाध्याय (रायपुर पश्चिम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद । आपके माध्यम से सबसे पहले इस लोकतंत्र के मंदिर में मुझे बोलने का अवसर आपने दिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण और पंचायत विभाग के अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं । हमारी सरकार सबको स्वस्थ देखने की दिशा में काम कर रही है इसके लिये स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस.सिंहदेव जी ने यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के माध्यम से लाने की घोषणा की और सबको फायदा पहुंचाने का वह काम कर रहे हैं इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं । मेरी प्रमुख मांग मेरे पश्चिम विधानसभा से संबंधित है । रायपुर से जुड़े संबंधित आयुर्वेदिक अस्पताल में 50 बिस्तर का ओटी था जो अभी बंद हो गया, वहां के आसपास के लोगों को उससे फायदा मिलता था । माननीय अध्यक्ष महोदय, टाटीबंध, सरोना, कुकुरबेड़ा, डूमरतालाब ये सब वे क्षेत्र हैं जहां गरीब लोग निवास करते हैं तो मेरा आपसे निवेदन था, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता था कि

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

गुढ़ियारी में संचालित अस्पताल में सुविधायें नहीं हैं । मैं आपके माध्यम से यह भी ध्यान में लाना चाहता था, 100 बिस्तर वाले अस्पताल की व्यवस्था वहां पर है । अभी 20 बिस्तर का अस्पताल है । अंबेडकर अस्पताल में प्रतीक्षालय नहीं है, लोगों को सड़क पर खाना बनाना पड़ता है उसके लिये भी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता था कि वहां बाहर से आने वाले लोग चूंकि मैकाहारा सबसे बड़ा अस्पताल है, बाहर से आने वाले लोगों के लिये अगर वहां सुविधा होगी तो बहुत अच्छा होगा और दाल-भात केंद्र जैसी व्यवस्था की भी वहां अगर मदद मिल पायेगी तो बहुत अच्छा हो सकता है । हमारे रायपुर राजधानी में 3-3 अस्पताल हैं, मैकाहारा है, एम्स है, डीकेएस है और तीनों का आपस में कहीं न कहीं कनेक्शन है, जिसका एम्स में ईलाज नहीं हो रहा है उसको डीकेएस में जाना पड़ता है और डीकेएस में ईलाज नहीं हो रहा है तो मैकाहारा में ले जाना पड़ता है तो परिवहन की सुविधा नहीं है । गरीब आदमी इन अस्पतालों में ईलाज कराने आता है और तकलीफ में वह जी रहा है उस पर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं । जेनेरिक दवाई के माध्यम से सरकारी अस्पताल और मुख्य बाजारों में इसके केंद्र खोलने की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। शहरी चलित चिकित्सालय इकाई मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत् 17 यूनिट चल रही है जो रायपुर शहर के अनुपात में कम है, इसको कम से कम 100 करने की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं । मितानिन की संख्या रायपुर में बढ़ायी जाये ताकि जो गरीब, स्लम एरिया में हमारे जो लोग रहते हैं उनको ज्यादा स्वास्थ्य सुविधायें मिलने की मदद हो सके । शहर में लगातार राजधानी में भी देखने को मिला है कि डेंगू, मलेरिया, पीलिया जैसी बीमारियां जो इस शहर में फैल रही हैं उसके रोकथाम के लिये भी कदम उठाने की आवश्यकता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा में रामसागरपारा में एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था, जो कि बंद होकर आज उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, अगर उसमें एक स्वास्थ्य केंद्र खुल जायेगा तो वहां पर एक बहुत अच्छा काम हो सकता है । मैं स्मार्ट कॉर्ड पर जरूर एक बात कहना चाहता हूं, प्राईवेट अस्पताल के लोग स्मार्ट कॉर्ड पर काम नहीं कर रहे हैं, बीमार और गरीब आदमी भटक रहा है, हम लोगों को रोज सैकड़ों लोगों को फोन लगाना पड़ता है, अस्पतालों में बात करनी पड़ती है फिर भी उनका काम नहीं होता उस पर भी अगर कुछ मदद होगी तो गरीब आदमी का ईलाज बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री विकास उपाध्याय जी, धन्यवाद । आपने अपने पूरे क्षेत्र की बात कही । मैं जितने नये सदस्य आये हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि प्रदेश स्तरीय बात करने की बजाय क्षेत्र की बात कहें ताकि उनको कुछ लाभ हो सके । माननीय रजनीश सिंह जी 3 मिनट में अपनी बात रखियेगा ।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2019-20 की मांग

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

संख्या- 30, 80, 19, 79, 7, 31, एवं 50 के अनुदान मांग की कटौती के लिये कटौती बर खड़े होए हंओं ।

मानननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय नारायण चंदेल जी बहुत सारा बात कहिस । कुछ-कुछ सुझाव देकर अपन बात ला समाप्त करिहंओं । पंचायत मा जतका भी काम हे चाहे वह बिल्डिंग कोई भी रहय, स्कूल रहय, सामुदायिक भवन रहय ओमा अनिवार्य रूप से बाउंड्रीवॉल अऊ एक नल के प्रावधान किये जाये । अतिक्रमण के समस्या बहुत होत हे एकर लिये मोर निवेदन हे कि ऐमा जौन भी होय ओमा पहिली से एस्टीमेटेड रहय कि बाउंड्रीवाल अउ एक हैंडपम्प के ओमा निश्चित रूप से प्रावधान किये जाए । विधायक आदर्श गांव के नाम अभी तक नइ मांगे गे हे । निवेदन हे कि आदर्श गांव के मांगे जाए अउ ओकर काम जब शुरू होए तो ओमा जतका विकास के काम हे, चाहे समग्र विकास हे, चाहे मनरेगा रहय या अन्य मद के विकास काम ओमा स्वीकृत होना हे ओमा विधायक के अनुशंसा मांग लिये जाय । ग्राम सचिव, ग्राम रोजगार सहायक के वेतन अउ ओखर जौन भी लंबित मांग हे, माननीय मंत्री जी से निवेदन हे कि पूर्ण करे के कोशिश करहीं । जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच इंखर मानदेय भी बहुत कम रहिथे, बहुत दिन से लंबित है । अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करत हौं कि उंखरो काम ला पूरा करहीं । पंचायत के जतका रिक्त पद हे ओका भी यथाशीघ्र भरे के प्रयास करहीं । बिलासपुर जिला के मुख्यमंत्री समग्र विकास के रनिंग कार्य के भुगतान भी लम्बा समय ले नइ होए हे, ओका भी यथाशीघ्र भुगतान करे के कोशिश करहीं । बिलासपुर जिले के 18-19 के प्रधानमंत्री आवास लगभग जौन 26 हजार हे, ओखर 67 करोड़ रूपया और जौन मनरेगा के लगभग 25 करोड़ रूपया के भुगतान के भी जल्दी व्यवस्था हो ही, अइसना निवेदन है । रोजगार गारंटी योजना के विषय बार-बार आत हे कि भुगतान चाहे मजदूरी के राहय, चाहे सामग्री क्रय के राहय, ओमा बहुत विलम्ब होथे । एकर बहुत बड़ जो कारण हे कि जौन राशि दिल्ली से प्राप्त होथे, रायपुर आथे, रायपुर के माध्यम से एपीओ करके जिला पंचायत भेजे जाथे । माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहूं कि अगर ओकर एपीओ के व्यवस्था सीधा जिला पंचायत स्तर मा हो जाए तो आने वाले समय मा ये छोटे से मिस्टेक के कारण बहुत समय से भुगतान लंबित रहिथे । निश्चित रूप से जब जिला पंचायत स्तर पर होही तो लंबित भुगतान के अवधि कम हो ही अउ ए समस्या से हमका छुटकारा मिलही । एही प्रकार से दो-तीन मांग स्वास्थ्य विभाग के है । स्वास्थ्य विभाग के विषय आइए कि सिम्स छत्तीसगढ़ के दूसरा सबले बड़ा स्वास्थ्य केन्द्र है । लेकिन अभी भी उहां मेडिकल कॉलेज मा 30 प्रतिशत टीचर के कमी हे । पिछले दिनों एक घटना के बाद उहां के जतका वरिष्ठ प्राध्यापक रहिन हें, सबके स्थानान्तरण हो गए है लेकिन ओकर भी समुचित व्यवस्था नइ हो पाए हे जेकर पाइ के मरीज भटकत हे । दवा के अभाव हे । मोर निवेदन हे कि इस दिशा मा भी बहुत जल्दी आप कुछ न कुछ करके समस्या का दूर करिहौ । महोदय

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

एक विषय स्वास्थ्य से संबंधित सुपेबेड़ा के बहुत जिक्र होथे । लेकिन निश्चित रूप से किडनी के जौन बिमारी हे, छत्तीसगढ़ मा अभी हर जगह मा सुने बर मिलत हे । अउ एक ब्रेन डेड अउ केडेवर अंग प्रत्यारोपण योजना, जौन शायद ए सदन से पास हो गे हे, लेकिन शायद अभी भी लागू नइ हो पाए हे । मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान आकर्षित करिहौं कि ए विषय मा भी जल्दी करके, ए काम का जल्दी करे के प्रयास करहीं । चाइल्ड केयर लीव, जौन दिये जाथे । वइसे तो बहुत विभाग के है लेकिन खासकर स्वास्थ्य अउ पंचायत विभाग, ए दोनों मा बहुत सारा केस अभी भी स्वीकृत नहीं हो पात हे, मोर निवेदन हे कि एका आप जल्दी ध्यान देके करिहा । एक प्रायवेट बड़े अस्पताल बिलासपुर मा भी अउ छत्तीसगढ़ मा भी बड़े बड़े हॉस्पीटल है लेकिन गरीब मन के इलाज के उचित व्यवस्था नइ हे । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान आकृष्ट करना चाहत हौं कि जौन भी बड़े निजी हॉस्पीटल हैं, ओमा गरीब मन के नि:शुल्क इलाज के प्रावधान किये जाए । एक अंतिम बात, कि बेलतरा विधान सभा के ग्राम कोनी मा 38 एकड़ जमीन मल्टी स्पेशियालिटी हॉस्पीटल बिलासपुर मा बनने जात है, मोर निवेदन हे कि ए काम के शुभारंभ भी जल्दी होए अउ लोकार्पण भी आपके माध्यम से होए । जेकर से हमका स्वास्थ्य के क्षेत्र मा एक बहुत बड़े उपलब्धि बिलासपुर का अउ पूरे प्रदेश का मिल सके । अध्यक्ष महोदय, आप बोले के अवसर देव, बहुत बहुत धन्यवाद् ।

अध्यक्ष महोदय :- रश्मि आशिष सिंह, अपने क्षेत्र की बातें करें।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह (तखतपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं निबंधात्मक प्रश्न की तैयारी किये रहती हूं और आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करने बोल देते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- निबंध का समय आयेगा।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- मैं अपने विधान सभा से संबंधित बात जल्दी-जल्दी छांटकर अलग कर रही हूं। मेरे तखतपुर विधान सभा क्षेत्र के कानन पिण्डारी में जो नशबंदी कांड हुआ था, उसका उल्लेख माननीय सदस्य जी ने किया है कि नशबंदी कांड में बहुत लंबा-चौड़ा मुआवजा बांटा गया। बहुत खेद का विषय है कि मुआवजे को हाईलाइट किया जा रहा है। जो बच्चे माताविहीन हो गये, उनके दुख को किनारे करके और इसकी चर्चा की जा रही है। गलत दवा का इस्तेमाल हुआ और एक डॉक्टर जेल गया। केवल इतना ही परिणाम उस मामले में सामने आया। मैं तखतपुर विधान सभा के परिप्रेक्ष्य में बात कहना चाहूंगी कि मितानिनों के लिए एक कक्ष बनाया जाता है जहां पर वे मरीज लेकर आती हैं और ठहरती हैं लेकिन उस मितानिन के साथ जो पेशेंट आया होता है उसके परिवारजन जन खुले में बाहर में खाना बनाते हैं, जिसमें अधिकतर उनकी माताएं होती है, उनके बच्चे होते हैं। वे खुले में आसमान के नीचे सोते हैं। तो मैं चाहूंगी कि तखतपुर विधान सभा में जो मितानिनों का कक्ष है, उसके

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समीप एक ऐसे बड़े कमरे की व्यवस्था की जाये जिसमें उनके परिवारजन रह सकें तो जनता वास्तव में लाभ पायेगी। मैं माननीय पंचायत मंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री जी को उनकी चिंताओं से मैं अवगत हूं क्योंकि वे सिम्स के लिए बहुत चिंतित हैं और उसके लिए बहुत सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। सिम्स में जो डॉक्टरों की कमी है, उसके लिए मैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि सिम्स में डॉक्टरों की और व्यवस्था और आवश्यकता है। बहुत सारी मशीनें पूर्ववर्ती सरकार ने खरीदकर रखी हैं लेकिन उनके लिए विशेषज्ञ डॉक्टर तो दूर, टेक्नीशियन तक नहीं है। वे मशीनें केवल खरीदी करके पड़ी हुई हैं। भवन बना दिये गये हैं। पूववर्ती सारे सदस्यों ने कहा कि भवन बना दिये गये हैं, मशीनें खरीद दी गई हैं। दो-दो तीन-तीन साल से उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो जनता का पैसा है, जनता के लिए काम आना चाहिए, उसके लिए समुचित प्रबंध का मैं आग्रह करना चाहूंगी। मैं एक निवेदन करना चाहूंगी कि सिम्स के बाहर बहुत सारी प्राइवेट एम्बुलेंस खड़ी रहती हैं। ये एम्बुलेंस सिम्स में आने वाले मरीजों को स्थानीय प्राइवेट डॉक्टरों के पास ले जाने के लिए प्रेरित करती हैं और जिसके कारण सिम्स में पहुंचने से पहले नि:शुक्ल सेवा पाने से पहले मरीज गुमराह होकर आसपास के प्राइवेट डॉक्टरों के पास चला जाता है। अभी हाल ही में जो घटना हुई, उसमें अग्निशमन का जो वाहन था वह केवल 5 मिनट के विलंब से पहुंचा। वहां आसपास उन्हीं का एंक्रोचमेंट होता है। उस मार्ग को वे सकरा कर देते हैं जिसके कारण वहां तक गाड़ी पहुंचने में दिक्कत होती है तो कभी भी अग्नि की कोई दुर्घटना होने पर उस मार्ग में जितने भी एंक्रोचमेंट हैं, उन्हें हटाने के लिए जो व्यवधान है, उनको हटाने के लिए मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। मंत्री जी के प्रयासों से मेरे सामने जो चर्चा हुई है उसके आधार पर मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूं कि एच.सी.सी.एल. द्वारा एम.आर.आई. और सीटी स्केन की मशीन अतिशीघ्र बिलासपुर के सिम्स को दिये जाने वाली है और उसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की व्यवस्था करने का मैं आग्रह करूंगी।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद। संगीता सिन्हा।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने के लिए दो मिनट देने के लिए।

अध्यक्ष महोदय :- दो से ज्यादा दिया।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे विधान सभा में कुछ ऐसी सड़कें हैं जो किसी भी विभाग में शामिल नहीं किया गया है। तो उनमें से उन सड़कों में बहुत से स्कूल के बच्चे गांव के लोग, एक ही गांव के लोग नहीं कई गांव के लोग आना जाना करते हैं। उनमें से मुख्य रूप से छेड़िया से धोबनपुरी मार्ग, खर्रा से दर्रा पहुंच मार्ग, कन्हारपुरी से दरगहन, जामगांव से झलमला, राजाराव पठार से ओनाकोना, मरकाटोला से गोटाटोला, जगतरा से साल्हेभाट। मैं बताना चाहूंगी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ये सड़कें बहुत लंबी नहीं हैं। सिर्फ दो किलोमीटर का ही रहता है लेकिन स्कूल के बच्चे बारिश के दिनों में स्कूल नहीं जा पाते हैं। बहुत सारे प्रोब्लम हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि बहुत जल्द इसमें कदम उठायें। बहुत जल्द इसको क्लीयर करें। साथ में स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहूंगी। हमारे गुरूर में स्वास्थ्य केन्द्र तो हैं महोदय जी लेकिन वहां पर डॉक्टर नहीं हैं। जो महिला डॉक्टर हैं, उनकी बहुत ज्यादा कमी है। मेरे क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र बनकर खड़ा हुआ है, लेकिन वहां पर डाक्टर्स की बहुत कमी है, खासकर महिला डाक्टर की। वहां एक भी नर्स नहीं है, जहां हमारे क्षेत्र की जनता का स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। तरौद में 7 महीने से एक भी महिला डाक्टर नहीं है, नर्स नहीं है। मैं मेरे क्षेत्र की जनता की ओर से निवेदन करना चाहूंगी कि इसमें बहुत जल्द कदम उठाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू (खुज्जी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं श्री टी0एस0 सिंहदेव पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ी हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा राज्य की संपूर्ण जनता को शासकीय चिकित्सालयों के माध्यम से पूर्णत: नि:शुल्क जांच एवं उपचार, दवा की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। जिसमें अंतिम छोर के व्यक्ति तथा स्वास्थ्य सुविधा की पहुंच शासकीय चिकित्सालयों से होने के कारण निजी महंगे अस्पतालों पर निर्भरता कम होगी। हमारी सरकार के इस निर्णय से राज्य के लाखों परिवारों को बीमारियों पर होने वाले आर्थिक भार के कम होने से उन परिवारों में खुशहाली आयेगी। इस नि:शुल्क चिकित्सा सेवा के लिए राज्य बजट में प्रावधान किया गया है। इसलिए मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व वक्ता चन्द्राकर जी बता रहे थे कि जिला पंचायत दो करोड़ रूपये निधि में दिया करते थे। लेकिन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी इस बात को नहीं बता रहे थे कि दो करोड़ जिला पंचायत निधि देते थे, मगर ऊपर में एक टीप लिखा करते थे कि वहां के प्रभारी मंत्री की घोषणा सबसे पहली प्राथमिकता में होगी। साथ ही साथ उसमें यह भी लिखा करते थे वहां के सांसद और मुख्यमंत्री जी की घोषणा को पहली प्राथमिकता दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय :- आप, अपने क्षेत्र की बात करिये।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- तो अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से बताना चाहूंगी कि दो करोड़ रूपये जिला पंचायत निधि में आवंटन करते थे। परन्तु उसमें सबसे पहली प्राथमिकता प्रभारी मंत्री हुआ करते थे। तो अध्यक्ष महोदय, कहां 2 करोड़ निधि हुआ ? 14वें वित्त की राशि जो पंचायत में भेजा करते थे, ..।

अध्यक्ष महोदय :- आप अपने क्षेत्र की बात करिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- अध्यक्ष महोदय, जो बताये हैं, उनका जवाब तो देना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय :- जवाब देने के लिए टाइम नहीं है। मंत्री जी जवाब देंगे।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- उसमें बोनस त्यौहार, बिजली त्यौहार और चरण पादुका त्यौहार में 14वें वित्त की राशि को खत्म कर दिए। मैं सदन के माध्यम से बताना चाहूंगी और अवगत कराना चाहूंगी कि इस बार हम सबको उम्मीद है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र या कोई भी विधान सभा क्षेत्र हो, उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की बड़ी-बड़ी बिल्डिंग तो खड़ी कर दिए हैं, लेकिन वहां डाक्टरों की सुविधा नहीं है। तो मैं पंचायत मंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगी कि हर स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर रहना चाहिए और क्षेत्र के मरीजों को उचित ईलाज होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री प्रमोद शर्मा, अपने क्षेत्र तक सीमित रहिये।

श्री प्रमोद शर्मा (बलौदा बाजार) :- धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बलौदा बाजार विधान सभा क्षेत्र उद्योगों का बहुत बड़ा क्षेत्र है। मैं उसी के सम्बन्ध में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि बलौदा बाजार विधान सभा क्षेत्र से लगभग 42 लाख रूपया महीना सिर्फ ई0आई0सी0 के तहत उनके खाते से काटा जा रहा है। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा आय स्त्रोत होने के बावजूद स्वास्थ्य के नाम पर कोई सुविधा नहीं है। ई0आई0सी0 के नाम से सिर्फ 10 बाय 12 का हास्पिटल खोला गया है। जिसमें कम्पाण्डर सिर्फ टिंचर लेकर बैठा रहता है। यदि किसी श्रमिक की दुर्घटना हो जाती है तो सिर्फ रेफर करने का काम किया जाता है। उसमें भी रेफर करने के लिए पांच सौ, हजार रूपया फीस देना पड़ता है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ई0आई0सी0 का हास्पिटल बलौदा बाजार क्षेत्र में खोला जाये। चूंकि राजस्व का बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है, वह चाहे जी0एस0टी0 के माध्यम से, चाहे इनकम टैक्स के माध्यम से हो, चाहे सेल टैक्स के माध्यम से हो, बलौदा बाजार क्षेत्र राजस्व आय का बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है। इसलिए निवेदन करूंगा कि वहां ई0आई0सी0 का हास्पिटल खोला जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि बलौदा बाजार विधान सभा क्षेत्र में श्री सीमेंट में डीजल की लगातार चोरी की जा रही है, मतलब टैक्स की लगातार चोरी की जा रही है । हमारी सरकार के द्वारा रियायती दर पर डीजल को स्वयं के उपयोग के लिए दिया जाता है, लेकिन हमारे क्षेत्र में एक प्लांट है-श्री सीमेंट, वह डीजल को ट्रांसपोर्ट करती है, उनको बिना बिल के, बिना पैसे के भाड़े के रूप में उसको दिया जा रहा है, ये सीधे-सीधे टैक्स की चोरी है, जिसमें केन्द्र सरकार को और राज्य सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है । माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस चोरी को रोककर इस पैसे को जनहित के काम में लगाए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

Uncorrected and unedited/Not for Publication February 19, 2019

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में क्लिंकर के माध्यम से भी बहुत बड़ी चोरी हो रही है । मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि अगर हमारे क्षेत्र में माननीय मंत्री जी अच्छे से ध्यान देंगे तो कम से कम दो से तीन हजार करोड़ रूपए सालाना टैक्स चोरी को रोका जा सकता है । जीएसटी 28 प्रतिशत टैक्स क्लिंकर में भी है और जीएसटी टैक्स सीमेंट में भी है, लेकिन क्लिंकर के रेट में उद्योगपति को नहीं बेचना होता इसलिए क्लिंकर के रेट का निर्धारण सिर्फ दो हजार रूपए है और सीमेंट का रेट 5400 रूपए है। दोनों में राज्य सरकार को 28 प्रतिशत टैक्स मिल रहा है, लेकिन हमारे बलौदाबाजार से 70 प्रतिशत क्लिंकर 40 हजार टन क्लिंकर अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है, जबकि शासन के साथ एमओयू में सिग्नेचर किये थे तो इतनी भारी मात्रा में बलौदाबाजार क्षेत्र से क्लिंकर नहीं भेजना था । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर इस चोरी को रोक लें और जनहित के कार्य में लगाए, ये पैसा मजदूर के हित में लगाए तो बहुत अच्छी बात होगी । कांग्रेस की सरकार किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, जनहित का काम कर रही है तो इसलिए मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि इस चोरी को और खासकर डीजल की चोरी हमारे प्लांटों द्वारा की जा रही है, उद्योगपतियों के प्रबंधक कर रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें, इतना ही कहना चाहता हूं । आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- बांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष की जगह बोलेंगे कि आप अलग बोलेंगे ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- अलग से बोलूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करिए ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांग-30, 80, 19, 79, 7, 31 और 50 का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-80 पंचायती राज अधिनियम में अपनी कुछ बात रखना चाहता हूं । पूरे बजट का 6 प्रतिशत भाग आप ग्रामीण विकास और पंचायती राज व्यवस्था के लिए उपयोग करने जा रहे हैं और आपका जो लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से गांव प्रगति करे, पर आपने जो योजना बनाई और जिस तरीके से आपका विभाग चल रहा है, वह पुराने कामों का ही है । उसमें कोई नया कार्यक्रम और नई योजना की आपकी कल्पना नहीं है । फिर भी आप एक अच्छे विचारवान आदमी हैं, आप अच्छे सुझ-बूझ से काम करने वाले हैं और ग्राम पंचायतों को आगे बढ़ाने की आपकी इच्छा है । आप चाहते हैं कि ग्राम पंचायत आगे बढ़े और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था बढ़े तो गांव में जो सामाजिक सहभागिता है, उसको मजबूत करना पड़ेगा । पंचायती राज अधिनियम में तरह-तरह के बहुत सारे संशोधन हुए, तरह-तरह की बात आई, तरह-तरह के बजट आये, पर सब लोगों ने विकास पर भागीदारी की, विकास ही गांव के लिए जरूरी है, पर उससे जरूरी है कि गांव की जो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

परिस्थितियां हैं, वह उसकी सहभागिता पर चलती है और जिस गांव में सहभागिता रहती है, वहां सम्पूर्ण प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, उसकी इकानामी मजबूत होती है । हमारा पूरा फोकस अब तक की पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण समरसता पर और ग्रामीण भागीदारी पर नहीं है । ग्राम विकास समिति किसी तरीके से हो । मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं । हम गरूवा का प्रोजेक्ट लिये हैं, आज गाय परेशानी का कारण हो गया है । आप 20 साल पहले झांककर देखिएगा तो प्रत्येक घरों में 100-200 गायें हुआ करती थीं और उस समय जनसंख्या भी कम थी, उसके बावजूद भी गांव में तिवरा होता था, ओनहारी होती थी, दूध होता था, सब कुछ होता था, उसके संबंधों पर चलता था । उस संबंध को मजबूत करने की जरूरत रही है । यदि हम मजबूत नहीं करेंगे, ग्राम विकास समिति के नाम से हो, ग्राम पंचायत समिति के नाम से, जब तक उस व्यवस्था को, जो उसकी आत्मा है, गांव की आत्मा डेवलपमेंट में नहीं रहती, गांव की आत्मा वहां के समरसता पर रहती है । वहां के सहयोग पर रहता है । जिस गांव में सहयोग नहीं रहता है, वह गांव छिन्न-भिन्न हो जाता है । आज देख लीजिएगा, एक उदाहरण बता रहा हूँ । गाय खत्म हो गयी । पहले तिवरा होता था, तिवरा किस बेस पर होता था, गाय बहुत संख्या में होती थी । फिर भी तिवरा होता था, तिवरा एक ऐसा है जो गांव की इकॉलाजी को चलाता था । तिवरा हुआ तो तिवरा को खिलाने के लिए गाय हो गया । जिसके पास तिवरा होगा, तो गाय रखने के लिए स्वाभाविक है, विचार आयेगा । स्वाभाविक तरीके से यह एक रॉ मटेरियल है । गेहूं का रॉ मटेरियल है, चना का रॉ मटेरियल है, जो गांव के लिए उपयोग होता था । आज यहां से भागीदारी नहीं होने के कारण गांव में गाय को खिलाने के लिए तिवरा नहीं है, न कोई रॉ मटेरियल है । जब होगी नहीं तो गांव की इकॉनामी कैसे चलेगा । गांव की इकॉनामी के लिए हमारा कांसनट्रेशन समरसता पर है । आप पूरी योजनाओं पर बजट रखिये । निर्माण पर, अधोसंरचना पर बजट रखिये, यदि आप कुछ गांव में करना चाहते हैं, गांव को आत्मा के अनुसार उसकी तरक्की करना चाहते हैं, सहभागिता पर भी आपका ध्यान जाना चाहिये । कोई भी योजना बने, उसे सहभागिता पर जाना चाहिये । यह मेरा आपसे आग्रह है । जब सहभागिता पैदा होती थी, वहां की इकॉलाजी क्या था । ग्राम पंचायत की इकॉलाजी थी कि कोई भी केस न्यायालय में नहीं जाता था । सहभागिता के आधार पर वहां न्यायालय की व्यवस्था हो जाती थी । केवल सहभागिता के आधार वहां दो फसल लिये जाते थे । कोई बारबेट वार नहीं, कोई कुछ नहीं, एक बार निर्णय । अभी भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निर्णय होता है । जो सहभागिता का उदाहरण है । जब बरसात आता है । किसान फसल लगा लेते हैं, वहां पर एक निर्णय आती है, सहभागिता का निर्णय होता है कि अपने-अपने गाय को बांध के रखो । जब वह फैसला गांव का होता है, निश्चित तौर पर किसी को नुकसान नहीं होता है । सब किसान अपने-अपने गाय को व्यवस्थित कर लेते हैं, किसी को चिन्ता करने का विषय नहीं है । सहभागिता का विषय बहुत बड़ा चीज है, इस पर आपका

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ध्यान आना चाहिये । एक और है अध्यक्ष महोदय, त्रिवर्षीय पंचायत राज व्यवस्था को हम मजबूत करना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी मेरा आपसे आग्रह है कि आप पंचायत को सरपंच को जो गांव की अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, अंतिम व्यवस्था को मजबूत करने वाला है, बिरले सरपंच होंगे, बिरले सचिव होंगे, जो बताते होंगे कि मेरे गांव में रकबा कितना है, मेरे गांव में बीपीएल कितना, उनके पास बायोडाटा रहता होगा, ऑंकड़े रहते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, पता नहीं हमारा सिस्टम क्या है, हमारे पंचायतों के पास आंकड़े क्यों नहीं रहते हैं । जब आंकड़े नहीं रहेंगे तो एक बात आती है, जिला पंचायत शिविर लगता है, जिले के अधिकारी लोग रहते हैं, समस्याओं का निराकरण होता है, सचिव डरता है, अपनी गांव की बातों को, योजनाओं को, कैसे रखें, क्योंकि उसके पार आंकड़े नहीं है । उसके पास जानकारी नही है । कृपया करके जो पंचायत है, उनको आप पर्याप्त प्रशिक्षण देने का काम करें ।

अध्यक्ष महोदय :- आप अपने नेताजी को बोल दीजिए, इसके बाद उनका भाषण होगा । वह जल्दी आ जायें । चलिये आप खत्म करिये ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :-आय बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर आप पहल करेंगे, सांसद पहल करेगा, हम सब लोगों का एक उद्येश्य है कि इसी तरीके से गांवों को मजबूत करना है । सांसद महोदय एक आदर्श गांव बनाने की कल्पना करते हैं । विधायक जी, आदर्श गांव की कल्पना करते हैं । उसमें आप क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, जब तक स्ट्रेटेजी नहीं अपनायेंगे, गांव आदर्श नहीं हो सकता । आदर्श बनाने के क्या बिन्दु है । अधोसंरचना निर्माण करने से आदर्श नहीं हो सकता । सहभागिता से होगा । कुल मिलाकर गांव का डेव्हलपमेंट सहभागिता के आधार पर है। माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे आग्रह है कि आदर्श गांव बनाने के लिए वहां सहभागिता के लिए जो भी चाहे विश्लेषण करना पड़े, जो भी बातचीत करनी पड़े, रिसर्च कराना पड़े, वैज्ञानिक से जो भी बातचीत करनी पड़े लेकिन गांव में सहभागिता पैदा करें, वही उसकी आत्मा है। डेव्हलपमेंट उसकी आत्मा नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदयच, मैं स्वास्थ्य पर थोड़ा सा बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप स्वास्थ्य के बारे में छोड़कर सहभागिता के बारे में लगातार बात कर रहे हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मैं स्वास्थ्य की छोटी-छोटी दूसरे टाईप की बात करता हूं। आपकी रेडक्रास सोसायटी है, आप उसके पदाधिकारी हैं। रेडक्रास सोसायटी हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा भागीदार बन सकता है। रेड क्रास सोसायटी से अब तक ब्लड बैंक का संचालन होता है, रेड क्रास सोसायटी से हमारा नेशनल अवेयरनेस डेव्हलपमेंट प्रोग्राम संचालित होता है किन्तु उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। कृपा करके आप इस रेडक्रास सोसायटी की कब बैठक हुई, क्या निर्देश हुआ, इसे देखियेगा। रेडक्रास सोसायटी की भूमिका और व्यापक हो सकती है। हमारे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

छत्तीसगढ़ में सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया आदि हैं। हमारे यहां सिकल सेल का बहुत प्रकोप चल रहा है। आप विचार करियेगा कि सिकल सेल के इरेडिकेशन के लिए हमारे ट्रीटमेंट पार्ट को करने के लिए हमारी कैसी योजना हो सकती है और उसमें रेडक्रास की क्या भूमिका हो सकती है। केवल मेकाहारा में सिकल सेल के लिए विभाग बना हुआ है। लेकिन सिकल सेल का वह ट्रीटमेंट पार्ट है लेकिन उसका खतरनाक पार्ट है उसका अवेयरनेस नहीं होना। रेडक्रास सोसायटी की अवेयरनेस डेव्हलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद। सिकल सेल एनीमिया के बारे में तो मैडम जोगी ने बोल दिया।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय, सिकलसेल का इलाज तो आप किये होंगे?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आपका भी करेंगे। कवासी जी के साथ आपका भी इलाज करेंगे। एक छोटा सा विषय है। बरसात में दूरस्थ अंचलों में जब पोस्टमार्टम होता है तो बहुत तकलीफ होती है। आप किसी भी तरीके से मोबाईल पोस्टमार्टम की कल्पना करिये और बात करिये। अभी बहुत सारी जगहों में मोबाईल पोस्टमार्टम की कल्पना है। इस मोबाईल पोस्टमार्टम से ग्रामीण क्षेत्र में हमें बहुत फायदा मिलेगा। सी.एच.सी. में सब जगह ओ.टी. रूम (ऑपरेशन थियेटर) बने हुए हैं, कभी उसका आप निरीक्षण कर लीजिए। यदि स्वास्थ्य सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं तो इक्वीपमेंट एक साईड, इन्फ्रास्ट्रक्चर एक साईड और आपका इन्सपेक्शन एक साईड रहेगा। आप देखिए तो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो डॉक्टर है वह कितना आऊटडोर पेशेंट देखते हैं। कभी पता तो करिये कि वह डॉक्टर कितना रिफर करता है। सर्दी, खांसी और छोटी-छोटी बीमारियों के किन मरीजों को रिफर करता है। कोई क्रिटिकल हो, गंभीर हो उसे रिफर करे तो समझ में आता है लेकिन वह अपनी बला टालने के लिए सी.एच.सी. में रिफर करने लगा। क्या वह रेफरल सेंटर के रूप में डेव्हलप होगा? आपका एक निरीक्षण बदलाव ला सकता है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जी को एक दिन चाय पर बुलाईये और उनसे कुछ जानकारी लीजिए।

श्री केशव चन्द्रा :- अभी माननीय सदस्य ने कहा कि मोबाईल पोस्टमार्टम, तो ये मोबाईल इसीलिए बांटे थे क्या कि उससे पी.एम. होगा।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- उससे पोस्टमार्टम नहीं होता यार। वह दूसरा है।

अध्यक्ष महोदय :- एक दिन मंत्री जी के साथ जाकर चाय पीओ और कुछ सुझाव देकर आओ।

श्री बृहस्पत सिंह :- इस बात का सुझाव दे रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री रहते नहीं कर पाये, उसका अनुभव बता रहे हैं।

श्री दीपक बैज :- टिफिन भी बांटकर थक गये, हुआ कुछ नहीं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री केशव चन्द्रा :- उनका कहने का आशय जगह पर जाकर पी.एम. करें।

अध्यक्ष महोदय :- समझ दोनों रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार सिम्स है, सिम्स में लोगों को विश्वास डेव्हलप होता है। वहां की नीट और क्लीन व्यवस्था से पहला विश्वास डेव्हलप होता है। अस्पताल की नीट एंड क्लीन व्यवस्था के लिए वहां के बाथरूम आदि को क्लीन करने के लिए आऊटसोर्स करते हैं या किसी को ठेके पर देते हैं लेकिन अपने अस्पताल को नीट एंड क्लीन बनायें क्योंकि वह विश्वास डेव्हलप करेगा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- XX XX

श्री संतराम नेताम :- XX XX

श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल :- XX XX

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- XX XX

श्री विक्रमशाह मंडावी :- XX XX

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कल भी आप पढ़ रहे थे, लोग नहीं थे। जो नाम देकर अनुपस्थित रहते हैं उनपर आपकी प्रताड़ना होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने आपको देखा, आप यहां बैठकर क्या कर रहे थे?

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, या तो ये फर्जी नाम देना बंद करें या जो बोलना नहीं चाहते हैं उनका नाम क्यों देते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, लगातार आपके फर्जी आंकड़े हैं।

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन था। श्री रेखचंद जैन जी अपने क्षेत्र की मांग...।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष जी, बहुत ज्यादा बोलते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, कोई मंत्री नहीं हैं बोलेंगे तो उसका औचित्य क्या होगा? इसीलिए मैंने सुबह कहा था कि नेता प्रतिपक्ष जी को भी केबिनेट का दर्जा प्राप्त है, उधर बैठा देते।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित।

(3:40 से 3:47 बजे तक सभा की कार्यवाही स्थगित रही)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

03:47 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षमा करेंगे।

श्री अजय चंद्राकर:- अध्यक्ष महोदय, आपकी गलती नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- अध्यक्ष महोदय, माननीय राजा साहब आपकी गलती नहीं है। आप ये देखिये कि आपको छोड़ करके सारे मंत्री यहां से नदारद हो गये।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आपका दल आपको मदद नहीं कर रहे हैं राजा साहब, बिल्कुल अकेला छोड़ दिये हैं। सुबह भी इस बात को इंगित किया था कि .....।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, इस बात पर आपको संचार करना है। आपको इस बात को लेकर विचार करना पडेगा। सारे चेयर देखिये मंत्रियों के सब खाली पड़े हैं। आपके साथ में कैसा बर्ताव कर रहे हैं ये आप खुद विचार कीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय नेता जी, आपके स्थान पर कोई भी व्यक्ति, मंत्रिमंडल का एक भी सदस्य बैठा रहता तो मैं ऐसा नहीं करता। कोई आपका भारसाधक होना चाहिए।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, चूक हुई।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आपका फ्लोर मैनेजमेंट जीरो, आपको शड्यंत्र पूर्वक अकेले छोड़ा गया। हम इसकी एस.आई.टी जांच करवायेंगे।

श्री रेखचंद जैन (जगदलपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री एवं ग्रामीण पंचायत विकास मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट अनुदान मांगों का मैं समर्थन करता हूं। सबसे पहले आपको अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपके द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा जगदलपुर में सुपर स्पेशिलिटी हास्पिटल और ट्रामा सेंटर की जो आपने घोषणा कि उसके लिए मैं जगदलपुर क्षेत्र पूरे बस्तर की जनता की ओर से आपको बधाई, धन्यवाद देता हूं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि मल्टी सुपर स्पेशिलिटी हास्पिटल बनने का है, चूंकि जगदलपुर महारानी अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के नाम पर पूर्व में जमीन ली गई थी उसी जगह पर इसको बनाया जाये जिससे आम जनता को इसका लाभ मिलेगा। जगदलपुर महारानी अस्पताल 1935 से चलने वाला अस्पताल था, वहां पर पूरे बस्तर की समस्त जनता का ईलाज होता था लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो 300 बेड का हास्पिटल था उसको 100 बेड बना दिया गया और मेडिकल कॉलेज आनन फानन में खोलने की घोषणा की गई। आज जगदलपुर मेडिकल कॉलेज के हालात ये हैं कि रात में कोई डॉक्टर नहीं है, विषय विशेषज्ञ नहीं है और रिफर सेंटर बन गया है। बस्तर नक्सल क्षेत्र है आये दिन घटनाएं होती हैं

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

संवेदनशील घटनाएं होती हैं और रिफर सेंटर की तरह ये स्थिति बन गई है। तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो बनाने की घोषणा किये हैं। वह जगदलपुर मुख्यालय में बनना चाहिए, जिससे आम जनता को इसका फायदा मिल सके और महारानी अस्पताल जो 300 सीटर था, उसको 100 सीटर कर दिये है। उसको वापस पुरानी स्थिति में लाईये। आज जगदलपुर शहर के किसी भी कोने में कोई आदमी बीमार पड़ जाता है जो जगदलपुर हेड क्वार्टर से 10-12 किलोमीटर जाते-जाते बीच रास्ते में ही दम तोड़ दे रहा है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही अनुरोध है कि महारानी अस्पताल को जो पुराना स्वरूप था उसको वापस उस रूप में ला लिया जाए और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है, उसको महारानी अस्पताल परिसर में जगह है, वहां पर बनाया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री मोहन मरकाम जी आप भी अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहिये।

श्री मोहन मरकाम (कोंडागांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ शासन के माननीय पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री के वित्तीय वर्ष 2019-2020 के अनुदान मांग संख्या 30, 80, 19,79, 7, 31 और 50 का समर्थन करते हुए, मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बजट में ऐसा क्या है, जिसको आप समर्थन करोगे? समर्थन करने लायक क्या है, आप थोड़ा बताईये तो?

श्री मोहन मरकाम:- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देख लीजिए। मैं परिणामी बजट का पूरा अध्ययन कर लिया हूँ। क्या-क्या प्रावधान है आप सुन लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह सब परिणामी बजट हमारा है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूँ मैं बता दूंगा। स्वच्छता अभियान की बात हो रही है। पूरे देश में ढिंढोरा पीटा गया एक मिनट का झाड़ू पकड़कर, करोड़ों, अरबों रूपया विज्ञापनों में खर्च हुआ है क्या देश स्वच्छ हुआ है ?केन्द्र सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया था कि 2 अक्टूबर, 2019 तक हम पूरा कर लेंगे। राज्य उससे बढ़कर अपना, नंबर बढ़ाने और केन्द्र की सरकार के चक्कर में 2 अक्टूबर, 2018 तक ओ.डी.एफ. घोषित किये, मगर आज आप पूरे पंचायतों में देखिए कि इतना बकाया है। लगतार पंचायत अपनी मूलभूत राशि का शौचालय निर्माण किये, मगर आज एक-एक पंचायत में 20-20, 30-30 लाख रूपये का अभी भी भुगतान है। आज वहां के सरपंच इधर-उधर भटक रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अभियान के तहत वर्ष 2019-2020 में छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में 450 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है इसमें ठोस, एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य एवं 2000 ग्रामीण स्वच्छता परिसर निर्माण के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

केन्द्र प्रवर्तित योजना है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2019-2020 के बजट में 172 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है, जिसमें 3 लाख प्रधानमंत्री आवास निर्माण होंगे। यह जो योजना थी वह 1.4.2016 से लागू थी। इसमें वर्ष 2022 तक निर्माण करना है मगर छत्तीसगढ़ सरकार अपने बजट से 172 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन के लिए 110 करोड़ रूपये का इस बजट में प्रावधान किया है जबकि पिछली सरकार मात्र 47 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के लिए वर्तमान सरकार ने 238 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है, जबकि पिछली सरकार मात्र 170 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था। वर्तमान सरकार ने 238 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के लिए 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री समग्र योजना के लिए 200 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। आज हम देखते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए भी वर्तमान सरकार ने 1565 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है, जबकि पिछली सरकार 1460 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था। वर्तमान सरकार ने रोजगार गारण्टी योजना के लिए 1541 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान किया है, जिसमें 1 हजार, 200 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित करने की बात की गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी जल्दी में स्वास्थ्य विभाग के संबंध में अपनी बातें कहना चाहता हूँ। आज हम देखते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की बात है। वर्तमान सरकार इस ओर बहुत ज्यादा गंभीर है। डब्ल्यू.एच.हो. का मानना है कि नशबंदी सबसे छोटा आपरेशन है, मगर पिछली सरकार की कमियों के कारण हमारी 15 से अधिक बहनों की नशबंदी के कारण मौत हो जाती है। एक छोटे से आपरेशन के कारण इतनी बड़ी चूक हो जाती है। मोतियाबिंद के छोटे से आपरेशन के कारण आंखफोडवा कांड हो जाता है, कई लोगों की रोशनी चली जाती है, हमारी माताओं, बहनों का गर्भाशय निकाला जाता है, आप देखिये कि पिछली सरकार स्वास्थ्य के प्रति कितनी गंभीर थी, इससे ही पता चलता है। इसलिए हमारे वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जी ने यूनिवर्सल हेल्थ केयर योजना लागू करने की योजना बनाई है ताकि पूरे छत्तीसगढ़ के हर गरीब परिवार को फ्री में सरकारी अस्पतालों में ईलाज मिल सके। एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के तहत 73 प्रतिशत लोग निजी अस्पताल में ईलाज कराने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि सरकारी अस्पतालों में सुविधायें नहीं होने के कारण मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों में ईलाज कराते हैं इसलिए हमारे संवेदनशील स्वास्थ्य मंत्री जी ने निर्णय लिया है कि हम छत्तीसगढ़ की ढाई करोड़ जनता को वही स्वास्थ्य सुविधायें देंगे जो प्राइवेट अस्पतालों में दी जाती हैं। वही स्वास्थ्य सुविधायें हम सरकारी अस्पतालों में देंगे। यह ऐतिहासिक निर्णय है। सभी को स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी और गरीब वर्ग को मुफ्त में सरकारी ईलाज मिलेगा। अक्सर हम देख रहे थे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना हो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, यह

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अधिकतर इंश्योरेन्स रिलेटेड योजनायें थीं। इस कारण जो हितग्राहियों को लाभ मिलना चाहिए था, वह समय पर नहीं मिल पाता। इसीलिए हमारी सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को तहेदिल से इस सदन की ओर से धन्यवाद देता हूं कहीं न कहीं आपने छत्तीसगढ़ की पौने तीन करोड़ जनता का चिंतन किया है। आप अध्ययन करके भी विदेश से आये हैं, हम बेहतर ढंग से यूनिवर्सल हेल्थ केयर कैसे लागू कर सकते हैं, उसके लिए आपने अध्ययन किया है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मोहन मरकाम :- मै कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं अपने क्षेत्र की समस्या रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- वह रहने दीजिए, अपने पूरे प्रदेश को अपना क्षेत्र बना लिया है कि क्या करना है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोण्डागांव जिला अस्पताल में आज भी डॉक्टरों की कमी है, कोण्डागांव जिला भी रिफर सेन्टर बन गया है। कोण्डागांव जिला अस्पताल में अस्पताल अधीक्षक के 1 पद स्वीकृत, 1 पद रिक्त है, निश्चेतना विशेषज्ञ 1 पद स्वीकृत, 1 पद रिक्त है, शिशु रोग विशेषज्ञ 1 पद स्वीकृत, 1 पद रिक्त है, स्त्री रोग विशेषज्ञ का 1 पद स्वीकृत, 1 पद रिक्त है, चिकित्सा अधिकारी का 5 पद स्वीकृत, 4 पद रिक्त हैं, निश्चेतना पी जी एम ओ का 2 पद स्वीकृत, 2 पद रिक्त हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ के 3 पद स्वीकृत, 3 पद रिक्त हैं, पैथालाजी पी जी एम ओ 2 पद स्वीकृत, 2 पद रिक्त हैं। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिला अस्पताल है और जिला अस्पताल में अगर पूरे के पूरे पद रिक्त हैं तो कहीं न कहीं वह अस्पताल रिफर सेन्टर बनेगा। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो डॉक्टरों के पद खाली हैं, उन पदों को भरने का निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से काफी उम्मीद कर रहे थे कि प्रदेश में पंचायत राज और स्वास्थ्य विभाग की दिशा में बदलाव हम सबको दिखाई देगा और निश्चित रूप से इसमें स्वास्थ्य विभाग में आगे बेहतर और कुछ करने की संभावना है और कुछ करके हमारे माननीय मंत्री जी दिखायेंगे। लेकिन मुझे बहुत दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है मंत्री जी के स्वास्थ्य विभाग में आज जो आवश्यकता है, सबसे पहले तो उसकी राशि को कट कर दिया गया है। इससे सरकार की स्वास्थ्य विभाग के प्रति गंभीरता दिखती है। अभी स्वास्थ्य विभाग को ले करके जितने प्रश्न लगे हैं और अभी माननीय सदस्य जो बता रहे थे कि आप स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाने की बात करते हैं, अच्छी दिशा में ले जाने की बात करते हैं । यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम की ओर ले जाने की बात कर रहे हैं लेकिन आप देखेंगे कि जिस बात को माननीय सदस्य बता

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रहे थे कि पूरे प्रदेश में जो चिकित्सकों की संख्या है और उसकी जो 1593 जिसमें से केवल 132 कार्यरत हैं । यदि 1593 में 1461 पद रिक्त हो तो हम कैसे इस प्रदेश में अच्छा स्वास्थ्य देने की कल्पना कर सकते हैं ?

श्री बृहस्पत सिंह :- आप 15 साल में भी इतना नहीं भर पाये, क्या करें ? बड़ा अफसोस है । हम लोग तो इसी का चिंतन कर रहे हैं कि 15 साल आप सरकार में रहे लेकिन आप लोग नहीं भर पाये ।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं-नहीं तो वही अफसोस मैं व्यक्त कर रहा हूं । इस बात का उल्लेख आपको करना चाहिए था । क्या हमको श्री टी.एस.बाबा जी से उम्मीद है कि नहीं है ? राजा साहब से उम्मीद है कि नहीं है ?

श्री बृहस्पत सिंह :- हम लोगों से यह उम्मीद है कि 50 दिन की सरकार हुई है अब वह जल्दी पूरा करे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजा साहब से उम्मीद है इसीलिये इस बात को हम लोग कर रहे हैं । उस दिशा में कोई कारगर पहल, मैं इस बात को इसलिये बोल रहा हूं कि आप देखेंगे चिकित्सा अधिकारी 2079 में 899 पद रिक्त हैं अब जिस प्रदेश का जो पूरा स्ट्रक्चर आपके स्वास्थ्य विभाग का, स्वास्थ्य विभाग का अमला आपका और आप बहुत सारे उपकरण खरीद सकते हैं, बहुत सारे भवन बना सकते हैं, बहुत सारे चिकित्सालय खोल सकते हैं लेकिन यदि आप उसमें डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं करेंगे, आप टेक्निशियन की पोस्टिंग नहीं करेंगे और उसके कारण आपके सारे कार्य प्रभावित हो रहे हैं । आपने देखा है कि बड़े अस्पताल में कितने खाली हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे अस्पताल जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जिसमें आपके एक भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं हैं और उसको हम त्रिवर्षीय डॉक्टर के ऊपर छोड़ दिये हैं । यह पूरा स्वास्थ्य केंद्र हमारा उसके ऊपर संचालित हो रहा है । मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी कोई ठोस कार्ययोजना बने, मैंने आपका वर्जन भी पढ़ा था कि उनकी जो दर है, जो पेमेंट है उस पेमेंट को भी हम बढ़ायेंगे, लोग आना नहीं चाहते हैं, लोग आयेंगे, उसमें डॉक्टर आयें, आप बढ़ायें और उसमें किसी भी प्रकार से हम डॉक्टर की पदस्थापना कर सकें और यदि पदस्थापना कर सकें, उसकी पूर्ति कर सकें तो हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वह ठीक से संचालित होगा । हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हर जगह पर नहीं हैं, एक ब्लॉक में आप देखेंगे तो बड़े मुश्किल से 8-10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, 20 गांव-25 गांव की परिधि में हमारा एक स्वास्थ्य केंद्र है जिस पर सारे लोग आश्रित हैं । मैं दूसरी बात यह कर रहा था कि आज एक्सरे मशीन स्टॉल नहीं हो रहे हैं, एक्सरे मशीन चला नहीं पा रहे हैं उसका जो महत्वपूर्ण कारण है कि उसमें हमारे टेक्निशियन नहीं हैं । उसको चलाने वाले नहीं हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अमरजीत भगत :- माननीय नेता जी, आप जो 15 साल में नहीं कर पाये। केवल 2 महीने में ही करने की अपेक्षा रखते हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं यह थोड़ी बोल रहा हूं कि आप 2 महीने में नहीं कर पाये । मैं तो यह बोल रहा हूं कि हमारी यह अपेक्षा है ।

श्री अमरजीत भगत :- श्री अजय जी जब स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे ।

श्री अजय चंद्राकर :- जब मैं भाषण दे रहा था, मैंने उस समय आपसे बोला था कि जो 15 साल का पूछ सकते हो वह पूछो और मैं बिना देखे उसका उत्तर देता हूं करके । जब मैंने आपको मौका दिया उस समय तो आप चुप रहे । अब कहां से फिर शुरू हो गये ।

श्री अमरजीत भगत :- अच्छा, चलिये । मैं आपसे पूछ रहा हूं । मलेरिया और डॉयरिया मैनपाट में हुआ था, पूरे दिल्ली तक के लोग आये और आपने वहां जाना मुनासिब नहीं समझा ।

श्री अजय चंद्राकर :- आपकी सरकार ने सन् 2000-2003 में कुछ नहीं किया।

श्री अमरजीत भगत :- आपने वहां जाना उचित नहीं समझा । अभी जहां पर किडनी बीमारी हुई, वहां पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी गये । वहां के लिये उपाय किया। सुपेबेड़ा का तो ये कभी मानने के लिये ही तैयार नहीं होते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- जब नेता प्रतिपक्ष जी भाषण कर रहे हों तो अनावश्यक उनको डिस्टर्ब मत करिये ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश में एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, डॉक्टर विहीन न रहें । माननीय अध्यक्ष महोदय, खासकर सिम्स या मेकाहारा के बारे में या हमारे जो जिला अस्पताल हैं । वास्तव में गंभीर बीमारी और ऐसी बीमारी जिनका इलाज सामान्य इलाज नहीं है । उनका समुचित इलाज हो सके । आज इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं कि आसपास में हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं । हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सभी दृष्टि से सक्षम होना चाहिए । वहां पर एक्स-रे से लेकर, ब्लड टेस्ट से लेकर छोटे मोटे टेस्ट के लिए मेकाहारा और जिला अस्पताल आना पड़ता है । यदि हम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ही ये सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे तो बड़े अस्पतालों में भीड़ से भी बचा जा सकेगा । लोगों को स्थानीय स्तर पर ही ये सुविधाएं मिलने लगेंगी । जिस उद्देश्य से मेकाहारा और सिम्स जैसे अस्पतालों को बनाया गया है । यदि लोगों को समुचित उपचार मिलेगा तो उन्हें शहरों तक आने में होने वाली तकलीफ से भी बचाया जा सकता है । यदि हम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को मजबूत करेंगे तो आने वाले समय में जिला स्तर पर और

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मेडिकल कॉलेज तक आने वाले गंभीर मरीजों के लिए वरदान साबित होगा । इसलिए इस दिशा में ध्यान देने की आवश्यकता है ।

अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम चल रही है । हमारे बहुत सारे सदस्यों ने इस बात को रखा है । लेकिन अभी उसका कोई औचित्य नहीं है । राजा साहब भी जब बिलासपुर गए तो उन्होंने वहां पर और प्रेस में इस बात को रखा । क्या आपके बजट में उसके लिए कोई प्रावधान है ? आपके बजट में उसके लिए कोई आवधारणा है ? आपके बजट में उसका कोई स्ट्रक्चर है कि आप कैसे रखना चाहते हैं ? कितने लाख रूपए का रखना चाहते हैं ? उसमें किस प्रकार का इलाज कराना चाहते हैं ? सारी बातों का उल्लेख हो गया । लेकिन आपके बजट से ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि आप ऐसी कोई स्कीम लाने वाले हैं, रखने वाले हैं । आप केवल इस पर बात कर सकते हैं । लेकिन मेरा यह कहना है कि यहां पर आयुष्मान भारत योजना को बंद करने की बात हो रही है कि हम इस योजना को आगे बंद करेंगे । आज छत्तीसगढ़ से लेकर पूरे देश में ऐसे गरीब परिवार, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, यदि उन्हें ऑपरेशन की या महंगे इलाज की आवश्यकता पड़े तो ऐसे गरीबों को चिह्नांकित किया गया है । हम कह सकते हैं कि इस प्रदेश में भी लगभग 40 लाख परिवार उसमें समाहित होने की संभावना है कि इस योजना का लाभ उनको मिलेगा । हम यदि इसे बंद करना चाहते हैं तो हमें उससे बेहतर कोई ऑप्शन रखना होगा । आपने रखा है तो केवल मौखिक रूप से रखा है । अभी तो आपने कागज पर भी नहीं रखा है । इसको बंद करने के बारे में जो भ्रम की स्थिति निर्मित हो रही है । आज लोग स्मार्ट कार्ड के माध्यम से 50 हजार तक का इलाज करा रहे हैं । इसके कारण गरीब लोगों को लगता है कि मेरे जेब में 50 हजार रूपये हैं । इसलिए मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है । यदि आप उसको बंद करना चाहते हैं तो उसको रिप्लेस करने के लिए आपके पास कौन सी स्कीम है ? आज पूरे प्रदेश में जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है । इसके कारण प्रायवेट अस्पतालों से लेकर बहुत सी जगहों पर पेशेंट धक्के खा रहे हैं । उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। इलाज न होने का कारण कोई स्कीम नहीं है, अगर कोई कारण है तो वह है भ्रम की स्थिति । इस बात को हमें स्पष्ट करना चाहिए कि जब तक हम कोई नया विकल्प न दे दें । जब तक हम उसे अपने बजट के माध्यम से धरातल पर न उतार लें, तब तक अगर आप केवल अफवाह फैलाने का काम करेंगे तो इससे काम चलने वाला नहीं है । बल्कि इसके कारण आज हमारे लाखों गरीब आदमी जो इलाज करा रहे थे, उसमें अस्पतालों की अनिर्णय की स्थिति के कारण और भ्रम की स्थिति निर्मित होने के कारण स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश में वातावरण खराब हुआ है । अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वाइन फ्लू की जो बात आ रही थी । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्वाइन फ्लू की रोकथाम की दिशा में, स्वाइन फ्लू के आने के पहले उसके उपचार के लिए आपने ऐसी कौन सी व्यवस्था की है? जिसके कारण आप स्वाइन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

फ्लू को रोक पाने में सफल हुए हैं। हम लोगों के सामने अभी दो घटनाएं हैं कि आपके स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक की जो घटना है, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है। यह आपका ही अमला है। दूसरी जो शकुन बाई साहू भिलाई की घटना है। तो आखिर स्वाइन फ्लू की दिशा में सरकार के द्वारा स्वाइन फ्लू के आने के पहले उसे रोकने के लिए आपने ऐसे कौन से एतिहात बरतने का काम किया है, जिससे इस पूरे प्रदेश को स्वाइन फ्लू से बचाया जा सके। ऐसे बहुत सारे विषय माननीय सदस्यों द्वारा लाये गये हैं इसलिए मुझे इसमें विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से हम लोग उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस प्रदेश में असीम संभावनाएं हैं और मुझे लगता है कि इस दिशा में ठीक काम हो जिससे हम लोगों की और खासतौर से छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति सुधार सकें। हमारे जो वनवासी क्षेत्र में रहने वाले, अनुसूचित जाति के क्षेत्र के और खासकर के जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, इस दिशा में निश्चिंत हो सके। ऐसा सरकार के द्वारा अभी तक लाया नहीं गया है या दिखाई नहीं दे रहा है कि हम उनको अच्छा लाभ दे सकें। जहां तक पंचायती राज की बात है माननीय अजय जी के द्वारा पूरी बातों का उल्लेख किया गया है। मैं केवल इसमें इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि बड़ी-बड़ी बातें सरकार ने की है....।

श्री बृहस्पत सिंह :- नेता जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप बैठ जाइए। वास्तव में इस छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में जो सबसे बड़ी समस्या रही, हमारे सामने वह समस्या थी पलायन को रोकना। लोग यहां पर बड़े स्तर पर पलायन करते थे और यहां से लेकर जम्मू कश्मीर तक लोग अपने परिवार के साथ जाते थे। उनको बंधक बना लिया जाता था और बंधक बना लिये जाने के बाद फिर सरकार के द्वारा कार्यवाही करके उनको वापस कैसे वापस लाया जाए उनको कैसे घर पहुंचाया जाये कार्यवाही की जाती थी। इसलिए बहुत सारी स्कीमें प्रारंभ हुईं। हम उनको यहां रोजगार दे सकें कि अपने परिवार के साथ उनको पलायन न करना पड़े लेकिन जिस प्रकार से इस बजट में जो कटौती की गई है और आज देख रहे हैं कि आप किसी भी रेलवे स्टेशन में दिखवा लीजिए। आप किसी भी बस स्टेशन में दिखवा लीजिए। यह सरकार रोजगार देने में असफल रही है और इस असफलता के कारण लोग यहां से पलायन कर रहे हैं। जो पूर्व में स्थिति रही है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय में, उसी दिशा में हम फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि पलायन कैसे रूक सके, इसके लिए हमें तत्काल इस दिशा में काम करने की सार्थक पहल करने की आवश्यकता है। बहुत सारे भुगतान रूके हुए हैं। माननीय मंत्री जी का एक जवाब बहुत बढ़िया है कि आप केन्द्र से पैसा दिलवाएंगे तो हम तत्काल खाता में ट्रांसफर करवा देंगे। यदि भुगतान रूके हुए हैं तो उस भुगतान में तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए। उनको भुगतान होना चाहिए। उसमें किसी बड़े आदमी का नहीं है। हमारे काम करने वाले मजदूर हैं। काम करने

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वाले हमारे श्रमिक हैं। उन योजनाओं के अंतर्गत उनको जो सामान दिये हैं और उसमें ऐसे लोग हैं जिनकी निश्चित रूप से बहुत ही आवश्यकता है और इस भुगतान को यदि आप कराएंगे तो उसको लाभ मिलेगा, उन मजदूरों को लाभ मिलेगा। आप बजट में पैसा क्यों मांग रहे हैं? माननीय मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूं.....।

श्री अमरजीत भगत :- हम इसी बात को तो अजय जी को समझाते-समझाते पिछली बार थक गये।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अमरजीत जी, मैं आपको बता रहा हूं कि यह जो चर्चा हो रही है। पिछले की चर्चा नहीं हो रही है। एक साल बाद का जो बजट है, जिसे हम पास करेंगे और आने वाले साल में आपकी सरकार कैसे चलेगी, उसकी बात हो रही है।

श्री बृहस्पत सिंह :- इसका भी उल्लेख हो रहा है कि 15 साल तक हम बजट पास करते रहे हैं। 15 साल तक बजट पास करते रहे हैं, उसके बाद यह हालत है।

श्री अजय चन्द्राकर :- बहुत सुंदर।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय नेता जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं खत्म कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- हां, तो आप इनको अनुमति दे रहे हैं?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बोल रहा हूं कि आप पैसे की मांग कर रहे हैं लेकिन आपके पास जो पैसा रखा हुआ है, आपने उस पर रोक लगा दी है। काम करने में आपने पाबंदी लगा दी है। यदि जो पैसा पिछली सरकार के द्वारा बजट में प्रावधान करके केवल खर्चे के लिए दी गई है, जैसे सी.सी. है, सड़क है, भवन है, ऐसे छोटे-छोटे काम हैं पंचायत के। एक आदेश आपका जारी हो गया और एक आदेश जारी करने के बाद में आपने सारे कामों पर रोक लगा दिया और रोक लगाकर आज यह स्थिति हो गई है लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है तो इस बजट में एक तरफ पैसे की मांग कर रहे हैं और जो पैसा आपको दिया गया है, उसे आप क्यों खर्च नहीं कर रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का जो भाषण होगा। आपने जो रोक लगाई है उसके संदर्भ में आप बातचीत करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बड़े उदार दिल से इस बात को कहेंगे कि हमारे द्वारा पंचायतों में पैसा दिया गया है, उस पर रोक लगाये हैं, उसको हम समाप्त करते हैं। वे सारे कार्य प्रारंभ हो जाये। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जवाब में इस बात पर चर्चा होगी।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता जी, आप तो घोषणा करवाकर के उनको मिनिस्ट्री से निकलवा दोगे। गैर वित्तीय मामलों में घोषणा कर सकते हैं, वित्तीय मामलों में घोषणा करने के लिए वित्त विभाग का सर्कुलर है कि वित्तीय मामलों में कोई भी मंत्री घोषणा नहीं कर सकता है।

श्री धरम लाल कौशिक :- नहीं-नहीं, हमारे राजा साहब सक्षम हैं, इसलिए वे घोषणा कर सकते हैं। तो हम यह उम्मीद करते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- वित्तीय मामलों में सिर्फ गरूवा, घुरवा, नरवा, बाड़ी में हो सकता है। दूसरे में नहीं हो सकता है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है, निश्चित रूप से पंचायत विभाग के अन्तर्गत जो ग्रामीण सड़कें हैं, मैं बजट को देख रहा था कि इस बजट में उन सडकों के बारे में राजा साहब विचार किए होंगे। लेकिन मुझे देखने के बाद लगा कि जो बहुत ही आवश्यकता की बात है, जो प्राथमिकताएं हैं, उनको भी दरकिनार किया गया है। दरकिनार करने के कारण जिन गांवों को बारहमासी सड़कों से जोडना है, वहां भी उनको इस बजट के माध्यम से वंचित किया गया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जो सड़कें बनाई गई हैं, उनके एनुअल रिपेयर की बात आती है, जो सड़कें 5,6, 7 साल पहले से बनी हुई हैं, उनका रिपेयर करना है, उसमें भी कटौती की गई है। यदि इन सारी चीजों में कटौती करेंगे, इन सारी चीजों में कंजूसी करेंगे तो निश्चित रूप से आपका विकास कार्य भी अवरूद्ध होगा और आपके ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। राजा साहब के आने के बाद जो कल्पना की गई थी, लेकिन यह कल्पना अधूरी रह जायेगी। तो हम आपसे कम से कम यह अपेक्षा कर सकते हैं। इसलिए आप बड़ा मन बनाकर, बड़ा दिल बनाकर बिना घबराये, हम लोग साथ में हैं, आप चिंता न करें, आप बुलंदी के साथ जो अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करें। नहीं तो हमारी स्थिति यही होगी कि पिछले सरकार में जो विकास कार्य प्रारंभ हुए हैं, वे आज कहीं न कहीं इस बजट के माध्यम से सफर करेगा और प्रभावित होगा। तो मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के इस अवसर पर मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए और माननीय मंत्री जी के द्वारा जो अनुदान मांग रखा गया है, उस पर असहमति व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने भी इधर से ताली बजाई है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी0एस0 सिंहदेव) :- धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने बजट की मांग संख्या-30, 80, 19, 79, 7, 31 और 50 में भाग लिया। सम्माननीय अजय चन्द्राकर जी, बृहस्पत सिंह जी, नारायण चंदेल जी,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अमरजीत भगत जी, केशव प्रसाद चन्द्रा जी, डॉ0 रेणु अजीत जोगी जी, रामकुमार यादव जी, पुन्नू लाल मोहले जी, विकास उपाध्याय जी, रजनीश सिंह जी, श्रीमती रश्मि आशीष सिंह जी, श्रीमती संगीता सिन्हा जी, श्रीमती छन्नी चंदू साहू जी, श्री प्रमोद कुमार शर्मा जी, डॉ0 कृष्णमूर्ति बांधी जी, श्री रेखचंद जैन जी, श्री मोहन मरकाम जी, आदरणीय धरम लाल कौशिक जी, मैं सभी सम्माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं क्रमशः विभागों के सन्दर्भ में अपनी बात रखना चाहूंगा। इस दरम्यान सत्ता पक्ष से भी कटौती प्रस्ताव के विरोध में और विपक्ष से भी कटौती प्रस्ताव के पक्ष में भी और विरोध में भी बातें आईं। वरिष्ठ सदस्य तय कर लेंगे कि समर्थन में थे या विरोध में थे। लेकिन दोनों बातें विपक्ष की तरफ से आईं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज की परिकल्पना को महात्मा गांधी जी की विचारधारा से विशेष रूप से जोड़कर देखते हैं। आजादी के बाद भी जनपदों की व्यवस्था रही। उसके चुनाव होते थे। किन्हीं कारणों से व्यवस्था टूटी और अंततः राजीव जी के प्रधानमंत्रित्व काल में इन्हें संवैधानिक देते हुए इस तीसरी पायदान..।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, यह सदन है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 24 अप्रैल, 1993 को जब दोनों सदन से पारित हुआ तो उस समय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं थे। 64वां संशोधन राजीव गांधी जी के समय आया और राज्यसभा में उस समय गिर गया था। इसलिए उनके प्रधानमंत्रित्व काल में आया था, करके सदन को गुमराह मत कीजिए ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनकी मृत्यु के बाद आ गया था । राजीव जी के प्रधानमंत्रित्व काल में लाए गए प्रावधानों को 1993 में नरसिंहराव जी के प्रधानमंत्रित्व के कार्यकाल में पारित किया गया और मूर्त रूप में उसे संवैधानिक दर्जा तृतीय सतह के व्यवस्था के रूप में स्थापित किया गया और छत्तीसगढ़ में इसे सुदृढ़ करने की दिशा में हम सब प्रतिबद्ध हैं और हर ऐसा प्रयास छत्तीसगढ़ की ये सरकार करेगी, जो उसे मजबूती देने की दिशा में कारगर कदम साबित होंगे । चाहे वह पैसों की बात हमारे सम्माननीय सदस्य ने कही, पुनः याद भी दिलाया । हमारे कुछ नये सदस्यों ने उसके संदर्भ में बातें रखीं । पैसों की उपलब्धता जिसमें आप देखेंगे कि कहां कटौती हुई, नहीं हुई, नहीं के बराबर कटौती हुई और आप लोगों ने प्रतिशत भी बतायी कि इतने प्रतिशत की राशि उपलब्ध की गई है, किसी ने 3 प्रतिशत बताया, किसी ने 6 प्रतिशत बताया । मांग संख्या-30 और 80 में 6853 करोड़, 76 लाख और 13 हजार रूपए का प्रावधान किया गया है, ये कार्यकारी बजट का लगभग 7.57 प्रतिशत होता है और अगर आप मूल बजट 95 हजार करोड़ का लेते हैं तो 7.21 प्रतिशत होता है । ये तो आंकड़े हैं, इसे इधर-उधर दोनों तरफ से सुधार किये जा सकते हैं, लेकिन केवल इन दो मांगों में इतनी राशि का

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

प्रावधान बजट में है, इसके अतिरिक्त अन्य विभागों में जो राशि का प्रावधान है, वह चाहे स्वास्थ्य का होगा, चाहे शिक्षा का होगा, अंतत: ग्रामीण व्यवस्था को और पंचायत की व्यवस्था को, पंचायत के क्षेत्र को ही आवंटन के रूप में उसे भी देखना चाहिए तो एक विभाग के निर्माण और पंचायती राज के माध्यम से संचालन की बात है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पेसा के कानून की बात है तो हम लोग इस दिशा में संकल्पित हैं । इससे पहले विरोध की बातें आईं, पत्थलगढ़ी की भी बात हमने छत्तीसगढ़ में सुनी । घोषणा-पत्र में भी और शासन के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी हम करेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आप पेसा की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण कानून है तो पेसा क्षेत्र में पंचायत के समानांतर जो संस्थाएं चल रही हैं तो क्या आप उसको समाप्त करेंगे ?

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन क्या करेगी, यह सबके सामने आएगा ही । फिलहाल मैं यह कह रहा था कि पांचवी अनुसूची में देश ने पेसा का कानून लागू किया और छत्तीसगढ़ में आजतक उसके नियम नहीं बने, आजतक उसके रूल्स नहीं बने और इन कारणों से उसे कारगर रूप से लागू नहीं किया गया है । हम लोग इस दिशा में गंभीर चिंतन कर रहे हैं, विशेषज्ञों की भी समिति बनेगी और पेसा कानून के रूल्स के निर्माण के संदर्भ में, उन्हें बनाने के संदर्भ में हम लोग जल्द से जल्द प्रदेश के सामने उस व्यवस्था को लागू करेंगे, ताकि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में जो एक बड़े असंतोष का कारण बनता है और पंचायती राज व्यवस्थाओं के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से जल, जंगल, जमीन के प्रबंधन से लेकर अन्य व्यवस्थाओं पर जो प्रभाव पड़ता है, कारगर रूप से उसे लागू करने की दिशा में ये सरकार काम करेगी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वनाधिकार कानून के संदर्भ में इस सरकार ने निर्णय लेकर जो प्रकरण हैं, हालांकि ट्राईवल विभाग इसकी नोडल एजेंसी है, लेकिन पंचायत विभाग के माध्यम से इसकी पुन: समीक्षा करके और आवेदनों को बुलाकर और जिनके आवेदन नहीं आये थे, उनको भी देने की बात यानी पंचायती राज संस्थानों को मजबूती और उनके अधिकार के अनुसार काम करने के अवसर देना यहां तक कि वास्तविक सामुदायिक अधिकार जो धारा अनुसूचित जनजाति तथा परम्परागत वन निवासी अधिनियम की धारा-3 (1) (आई) के प्रावधान अनुसार वास्तविक अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को मिले, ग्राम सभाओं को मिले, इस दिशा में भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने कारगर कदम उठाकर उस बात को काफी आगे बढ़ा दिया है । यह एक उदाहरण है । पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने की मंशा या इच्छा है कि नहीं है, पहले क्या हुआ, उसकी बात मैं नहीं करना चाहता हूँ । आज हम क्या करना चाहते हैं, इस सोच को छोटे में रखने का प्रयास किया है । इसके पूर्व हमने एक व्यवस्था देखी थी, पंचायती

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

राज संस्थायें, अपने एजेंडा तक बनाने में जनप्रतिनिधियों को बाधित करने की स्थिति बनी थी । अध्यक्ष महोदय, इस बात की घोषणा कह ले, मैं इस बात को पटल पर रख रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की सरकार पंचायती राज संस्थाओं में जो एजेंडा बनेंगे, वह जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बनेंगे, ताकि वास्तविक रूप में सशक्त होकर हमारे जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की स्थिति में काम करेंगे । सी.आर. के संदर्भ में जो बात होगी, उसका और परीक्षण करेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बोल रहे हैं, विषय से हटकर बात है कि एजेण्डा कौन बनायेगा, यह महत्वपूर्ण नहीं है । पांचवी अनुसूची में आपने जो बात कही, ग्यारहवीं अनुसूची में कितने अधिकार संपन्न आप कब तक करेंगे, इसको बताईये कि मैं इतने दिनों में अधिकार संपन्न करूंगा । एजेण्डा बहुत छोटा सुधार है । मैं उसको सुधार नहीं मान सकता । एजेण्डा तो कोई भी बना देगा । उसमें क्या करेंगे, यह बताईये ?

सदन की सूचना

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था लॉबी स्थित कक्ष मे एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है । कृपया सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करें ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, तुल्नात्मक छोटी भूमिका के बाद मैं सीधे प्रधानमंत्री सड़क योजना के संदर्भ में कुछ बातें रख देता हूँ । जैसा हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना 60:40 के व्यवस्था में लागू होता है । वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 1200 करोड़ का इसमें 3 हजार किलोमीटर बनाये थे । इसमें 92 बसाहटों को जोड़ा था । सभी बसाहटें नक्सल प्रभावित क्षेत्र की रही है, यह चिन्ता आई थी कि यहां पर क्या हुआ, क्या काम नहीं हुआ, योजनान्तर्गत वर्ष 2019-2020 में 260 करोड़ का प्रावधान किया गया है । 8900 किलोमीटर संधारण एवं रखरखाव की भी व्यवस्था बजट के प्रावधान से की गई है । स्वीकृत प्रधानमंत्री सड़क योजना अभी तक 813 सड़कों को 36,961 किलोमीटर की सड़कें 356 वृहत पुल-पुलियों हेतु 12,754 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है । इसमें राज्य के 10,935 बसाहटें लाभान्वित होंगी । उपलब्धियां जो है, 6728 सड़कें, लंबाई 30,066किलोमीटर, 183 वृहद पुलों, 9618 करोड़ व्यय, इन कार्यों में 9378 बसाहटें लाभान्वित होंगी । वृहद पुल-पुलियों के संदर्भ में अध्यक्ष महोदय, 356 वृहद पुलों का लागत 812 करोड़, 183 वृहद पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है । इनमें नई तकनीक वाले आठ, बेली बृज का निर्माण गार्डन रिच कलकत्ता द्वारा दुर्गम नक्सली क्षेत्र में पूर्ण कराया गया है । जिसका निर्माण गार्डन रिच कलकत्ता द्वारा दुर्गम नक्सली क्षेत्र में पूर्ण कराया

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

गया है, शामिल है । यह आपके समय का है, शायद । PMJSY-2 के सड़कों का उन्नयन है, इसके तहत निर्माण की एजेंसी के 10 वर्ष पूर्ण हो चुकने के बाद, अध्यक्ष महोदय जैसा कि हम जानते हैं कि पांच साल तक के संधारण की जवाबदारी जो है, ठेकेदार है, उनकी रहेगी । पांच साल से 10 साल के समयावधि की जो सड़कें है, उनके संधारण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की रहती है । केन्द्र सरकार से इसमें राशि नहीं मिलती है । 10 वर्ष पूर्ण होने के बाद उनके सड़कों के उन्नयन के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव PMJSY-2 में पात्रतानुसार 180 सड़कों का 2248 किलोमीटर, लागत 1427 करोड़ की स्वीकृति .....।

श्री अजय चन्द्राकर :- इस साल आपको पांच साल बाद की कितनी किलोमीटर सड़के और उनके मैंटेनेंस के लिए कितनी राशि मिली ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- मैं आपको सब बता दूंगा । अभी तो यह बजट हो रहा है, प्रश्नकाल नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में पूंजीगत व्यय घटा है । जो निर्मित पूंजी है, उसके संधारण के लिए भी एक रूपया नहीं दिया गया है । यह तो इस प्रदेश की बहुत बुरी स्थिति है । आप उसको प्रश्नकाल की तरह मत लीजिए । आप बजट पढ़ रहे हैं इसलिए बता दीजिए ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- मैं यही कहना चाहूंगा कि आप भ्रमित कर रहे हैं । लेकिन राशि उसमें है । आप उसको देख लेंगे, जो-जो नहीं देख पाये होंगे, मैं भी बता दूंगा । मेरी कमी होगी, आप मेरे को बता देना । वैसे मैंटेनेंस का 260 करोड़ का प्रावधान है । कहीं देखने पढ़ने में नहीं आया हो, गलती से छूट नहीं सकता है, किताब में है, बता दूंगा । जो सम्मानित सदस्य जानकारी चाहेंगे, मैं बता दूंगा ।
माह जून 2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। PMGSY-II के अंतर्गत चयनित मुख्य मार्गों को 5.5 मीटर डामरीकृत चौड़ाई की सड़कों के रूप में उन्नयन करने का प्रावधान है। गुणवत्ता हेतु भी जो व्यवस्थायें विद्यमान हैं, एक केन्द्रीय प्रयोगशाला, दो क्षेत्रीय प्रयोगशाला, 37 परियोजना क्रियान्वयन स्तरीय प्रयोगशाला, 501 मैदानी प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। गुणवत्ता के संदर्भ में प्रयास होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, इसमें सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। कहीं से भी किसी भी सदस्य या नागरिक की कोई बात या शिकायत के रूप में ऐसी जानकारी आती है तो निश्चित रूप से जांच भी कराई जायेगी और जांच के अनुसार कार्रवाई की आवश्यकता हो तो हमेशा कार्रवाई भी होगी। 2018-19 में राज्य की गुणवत्ता हेतु 680 सड़कों के निरीक्षण में 99.71 प्रतिशत संतोषप्रद पाया गया। यह आपके समय का है। इसी प्रकार राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों द्वारा इस वित्तीय वर्ष में कुल 232 सड़कों के निरीक्षण के समय

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

98.28 प्रतिशत कार्यों को संतोषप्रद पाया गया था। संधारण कार्य की पूर्णता उपरांत प्रथम पांच वर्ष में रख-रखाव मैंने जैसे बताया 2375 सड़कें, लंबाई 10391 किलोमीटर में पांच वर्ष तक संधारण की अवधि के अंतर्गत इसमें ठेकेदारों द्वारा संधारण किया जाना है। यहां कहीं भी किसी सदस्य को नागरिकों के माध्यम से कोई भी ऐसी जानकारी आती है छत्तीसगढ़ सरकार संकल्पित है, वह सुनिश्चित करेगी कि ठेकेदार के माध्यम से वहां पर संधारण का कार्य कराया जायेगा। 2010- 11 से 2018-19 तक कुल 2281 सड़कें, लंबाई 10521 किलोमीटर, राशि रूपये 1463 करोड़ के बी.टी. नवीनीकरण के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। इन स्वीकृत कार्यों में से अब तक कुल 2262 कार्य, लंबाई 10279 किलोमीटर के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं विकास योजना 23 अप्रैल, 2011 से प्रारंभ शत-प्रतिशत राज्य पोषित इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के सामान्य जिलों के सामान्य विकासखंडों के 250 या उससे अधिक जनसंख्या की ऐसी बिना जुड़ी बसाहटें जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंडों में नहीं है, को बारहमासी डामरीकृत सड़क के माध्यम से जोड़ने का प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, इस बार बजट में एक प्रावधान है कि जहां सड़कें ऐसी बच गई हैं उसके लिए अलग से शायद 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। उसमें अलग से इसका प्रावधान किया गया है। योजना अंतर्गत प्रारंभ से अब तक 1508 सड़कें, लंबाई 4709 किलोमीटर हेतु राशि रूपये 2400 करोड़ स्वीकृत की गयी है। जिसमें से रूपये 1690 करोड़ व्यय कर 3605 किलोमीटर की 1276 सड़कों का निर्माण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 134.71 करोड़ राज्य मद तथा पर्यावरण एवं अधोसंरचना मद से रूपये 225 करोड़, कुल रूपये 359.71 करोड़ के बजट प्रावधान से 520 किलोमीटर सड़कों के निर्माण को पूर्ण करने का लक्ष्य है, जिसके विरूद्ध अब तक 108.44 करोड़ व्यय कर 179 किलोमीटर की 67 सड़कों को पूर्ण किया जा चुका है। वर्ष 2019-2020 में राज्य मद से रूपये 238.00 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना में ऐसे ग्राम जहां पर कीचड़ एवं धूल मिट्टी की समस्या हो, में पक्की सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण किया जाना है। योजना अंतर्गत कम से कम 200 मीटर एवं अधिकतम 500 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई की सड़क बीच में 4 मीटर चौड़ाई में कांक्रीट मार्ग निर्माण 0.50 मीटर चौड़ाई में दोनों तरफ कांक्रीट सोल्डर तथा शेष चौड़ाई में दोनों तरफ 0.50 मीटर चौड़ाई में “V" आकार की नाली का निर्माण किया जाना है। कुल चार और एक-एक, पांच, एक-एक छः मीटर का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना के अंतर्गत 1934.86 किलोमीटर लंबाई, लागत रूपये 1168.89 करोड़ का सीमेंट कांक्रीट सह नाली निर्माण हेतु 6794 कार्य स्वीकृत किया गया है। योजना अंतर्गत प्रदेश में अब तक रूपये 932.46 करोड़ व्यय कर 1928 किलोमीटर लंबाई का

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

6570 गौरवपथ पूर्ण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रूपये 50 करोड़ बजट प्रावधान से 140 किलोमीटर गौरवपथ निर्माण का लक्ष्य था जिसके विरूद्ध अब तक रूपये 31.00 करोड़ व्यय कर 72 किलोमीटर गौरवपथ का निर्माण किया गया है। वर्ष 2019-2020 हेतु रूपये 100.00 करोड़ बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। घटा नहीं है बल्कि बढ़ा है।

श्री मोहन मरकाम :- पिछले साल गौरव पथ में 50 करोड़ रूपये था, इस साल बढ़ा है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, अधोसंरचना के निर्माण हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की स्थापना की गई है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माध्यम से 146 विकासखंडों में 10971 ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति, निर्माण कार्यों का मापदंड अनुसार क्रियान्वयन एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में रोजगार मूलक योजना है। अन्य विभागों से जमा निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के माध्यम से तकनीकी सहायता के लिए ये यात्रिकी सेवा कार्यरत है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा 2018-2019 में दिसंबर, 2018 तक कुल 3252 कार्य 551 करोड़ के स्वीकृत हैं जिसमें 876 कार्य पूर्ण कर कुल 67 करोड़ रूपये व्यय किया जा चुका है। मैं जल्दी-जल्दी पढ़ रहा हूं, लंबा है। विभाग है समय का अभाव है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा 9 नवगठित जिलों के लिए जिला पंचायत भवन का निर्माण किया गया है। अतिरिक्त 22 जिला मुख्यालयों में संधारण केन्द्र भवन, 36 विकासखंडों में जनपद पंचायत संसाधन केन्द्र, 113 खेल मैदानों का 1368 ग्राम पंचायत भवनो का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। चयनित ग्रामों में, ग्रामवासियों के लिए बहुदेशीय उपयोग ईंट निर्माण पेवर ब्लाक, बेरोजगारी की बात हो रही थी, इसकी संधारणा भी रही है और इसको आगे बढ़ाने के लिए, बेरोजगारी भत्ते के पहले रोजगार विभिन्न माध्यमों से देना है। नरूवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी की भी बात आयेगी। चूड़ी निर्माण, सेनेटरी पैड इत्यादि प्रावधान के लिए प्रदर्शनी मेले के लिए प्रारंभिक चरण में कुल 15 ग्रामों में मल्टी यूटिलिटी सेंटर निर्माण हेतु कुल राशि 5 हजार 690 लाख की स्वीकृति की गई है। इसका डिपाजिट वर्क में कार्य होता है, बजट में प्रावधान नहीं रहता है। महात्मा गांधी मनरेगा के तहत 2 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी मनरेगा प्रारंभ किया गया था। 1 अप्रैल 2008 से राज्य के समक्ष जिलो में ये प्रभावशील रहा है। स्थाई परिसंपत्तियों के सृजन के साथ साथ मांग के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने का 100 दिवस का प्रावधान एक्ट में है। राज्य शासन द्वारा योजनांतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को 100 दिवस के स्थान पर 150 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। अतिरिक्त 50 दिवस के होने वाले व्यय शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। वनाधिकार पत्र जहां प्रदाय किये जा रहे हैं, वहां 50 दिवस का रोजगार भी उपलब्ध कराया जाता है। भारत सरकार योजनांतर्गत द्वारा 2018-19 में 11 करोड़ मानक दिवस के लक्ष्य का निर्धारण किया गया था जिसमें दिनांक 12.02.2019 तक की स्थिति में 11.03 करोड़ मानक दिवस हासिल किये जा चुके हैं,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

11 करोड़ लक्ष्य के विरूद्ध 11.03 का सृजन किया जा चुका है। जो लक्ष्य के सत प्रतिशत से थोड़े से अधिक हैं ये आंकड़ा 12.02.2019 तक का है। 2.62 लाख परिवारों को 100 दिवस एवं 2.42 लाख परिवारों को 100 दिवस से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा जो 2019-20 के लिए 14.90 करोड़ मानक दिवस का लक्ष्य रखा गया है जो चिंता है। रोजगार और पलायन के लिए प्रावधान बजट में है। पिछले बजट में 11 करोड़ मानक दिवस की तुलना में, 14.9 करोड़ मानक दिवस का प्रावधान प्रस्ताव करके भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। अंतत: आदरणीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, जो भी वहां रहेंगे उनको करना होगा। वे करेंगे, मुझे विश्वास है कि जब आप टारगेट अचिव कर रहे हैं, आपका राज्य का विभाग इन टारगेटों को अचिव कर रहा है तो अवश्य मिलेगा।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे जवाबदारी के साथ में और जो भी छत्तीसगढ़ के अभी तक, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण से उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कभी भी केन्द्र के द्वारा कोताही नहीं बरती गई है। आवश्यकता है कि हम समय पर अपनी मांग को रख सकें, हम समय पर उनकी जानकारी भेज सकें। मुझे इसलिए अभी भी पूरा भरोसा और उम्मीद है कि लगातार हमारे मंत्रियों का केन्द्र के दौर हो रहे हैं, इसलिए सरकार भाजपा के हैं, कांग्रेस के है, इससे मतलब नहीं है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे तो बड़े दिल से उन्होंने सहयोग किया और आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। अभी तक का ये सर्वाधिक लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। छत्तीसगढ़ की ये चार चिन्हारी नरूवा, गरूवा, घुरूवा और बाड़ी। इसमें इसकी जो परिकल्पना है, स्वाभाविक रूप से हम सब जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि ये नालों के साथ जल के संवर्धन की परिकल्पना है। केवल कहीं पर चेक डेम बनाने की परिकल्पना उसके साथ जुड़ी हुई नहीं है। पानी के संवर्धन के साथ पशुधन के देखरेख के साथ, खाद के संग्रहण के साथ और बाड़ी में उसका उपयोग हो, सप्लीमेंट्री इनकम हो, रोजगार, बेरोजगार और उनके परिवार की आमदनी को बढ़ाने की परिकल्पना, ये सारी परिकल्पनाएं, इस सोच के साथ विद्यमान है। इस वर्ष जो हम लोगों ने टारगेट लिया है, उसका क्रियान्वयन भी चालू हो गया है। ये बात आ रही थी कि कितने रूपये, 300 रूपये, 400 रूपये, 425 रूपये, 25 रूपये और मिलने वाले हैं तो स्वागत है जरूर उपलब्ध करवा दिया जायेगा। हम लोगों ने जो बात आपने पंचायतों के प्लान के बारे में बताया कि आपने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था जिसमें गांव के प्लान की बात थी। मेरी जानकारी में ये बात आयी थी कि उसमें एक ब्लॉक में या एक-एक क्षेत्र में 5 या 10 पंचायतें ही ली जा रही थी, उसमें एक लिमिटेशन था कि जी.डी.पी.टी. के माध्यम से कितने ब्लॉक ले रहे हैं? हम लोगों ने समस्त ग्रामों के लिए, मुझे सदन के साथ ये बात साझा करने में खुशी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है, ऐसी जानकारी भी होगी कि प्रदेश के समस्त गांवों के एसेट रजिस्टर को बनाने के लिए हम लोगों ने पहल की है, उसमें 31 जनवरी तक की तिथि दी गई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह 425 रूपये में बन जाएगा। 20 हजार गांवों का लगभग 97 लाख में बन जाएगा।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- आपने 425 रूपया जोड़ा। आप भूल गये कि ...।

श्री अमरजीत भगत :- आप जब मंत्री थे तो लाण्ड्री तक के टेण्डर में इतनी शर्त जोड़ दिये थे कि उसमें यहां का कोई भी धोबी पार्टिसिपेट नहीं किया। हर जगह तो आपको एक चीज दिखती थी कमाने वाला।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसकी भी जांच करिये।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 125 रूपये और मिल गये। वैसे जिनको आप तनख्वाह दे रहे हैं जो आपका अमला है। उसका पैसा अगर आप जोड़ लीजिएगा तो आपका 425 रूपया अपने आप बढ़ जाएगा। ये सर्वे कौन कर रहा है? हम लोगों ने कोई नया अमला नहीं लगाया है जो शासन का शासकीय अमला है उसी के माध्यम से ये सारी जानकारियां एकत्रित की गई हैं और ये बात साझा करने में मुझे खुशी है कि अमूमन समस्त ग्रामों की जानकारी आ गई है जो कुछ बचा होगा उसके लिए भी समय सीमा के अंदर कहा गया है और एसेट रजिस्टर के आधार पर जिसमें विभिन्न मापदण्ड या विभिन्न जानकारियां चाही गई हैं। जमीन, जमीन के आकार से लेकर कितने कार्ड हैं, कितने स्वास्थ्य कार्ड हैं, कितने राशन कार्ड है 6 साल की उम्र से कम के कितने बच्चे हैं, जो भी गांव का बिजली इत्यादि से लेकर हम लोग सोच सके थे। तालाबों से लेकर उसको जोड़ा गया है। कहीं कोई पैरामीटर छूटता है उसको जोड़कर और जानकारी बनाकर, ताकि छत्तीसगढ़ के समस्त ग्रामों का एक मास्टर प्लान बनाने के लिए हमारे पास सामग्री तत्काल एक साथ उपलब्ध हो और वहां से हम आगे चलें। 5 साल, 10 साल बाद नहीं, 20 साल बाद नहीं, आज की स्थिति में और जो राशि उपलब्ध कराई गई है उसके अंदर ये एडिशनल राशि है जो हमारे संसाधन है उसके अतिरिक्त राशि है और ये काम हो चुका है तो इसमें शंका नहीं होनी चाहिए कि 400 रूपये, 425 रूपये का औसत कम पड़ेगा और उसको ऑन लाईन करने के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं, मेरे ख्याल से उसकी पूर्ति हो जाएगी और उस परिकल्पना में 15 प्रतिशत पंचायतों को पहले वर्ष के लिए हर जनपद में उससे थोड़ा कम या अमूमन ज्यादा चिन्हांकित किये गये हैं जिसमें गौचर भूमि कितनी है? गौठान भूमि कितनी है? ये एसेट रजिस्ट्रर का भी हिस्सा है ये उसी की परिकल्पना के अनुरूप न्यूनतम 3 एकड़ के घेराव करके, सीपीटी इत्यादि में गोबर वगैरह भी रखा जा सकता है उसका संधारण किया जा सकता है। पानी के सोर्स का निर्माण यदि बगल में है तालाब है नाला है वहां से बोरिंग की आवश्यकता हो। बोरिंग करके सोलर पम्प लगाकर, बिजली बिल का झंझट न हो, ये

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सारी परिकल्पनाओं के साथ ये योजनाबद्ध तरीके से इसको हर गांव में 3 साल के अंदर लागू करने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है ये 15 प्रतिशत इसीलिए कि कहीं हमसे कमी तो नहीं हो रही है, कहीं चूक तो नहीं हो रही ? यह सफल होगा या नहीं ? गरू आएंगे या नहीं ? वहां मवेशी पहुंचेंगे या नहीं ? सफल होगा या नहीं ? बहुत ज्यादा नहीं तो शत प्रतिशत भी एक साथ किया जा सकता था।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप स्मार्ट घुरूआ कैसे बनायेंगे? नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि घुरूआ स्मार्ट होगा करके।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- जो अच्छा है वह स्मार्ट है। सर, आप स्मार्ट हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय मंत्री जी, क्या घुरूआ हर घर में घर के पीछे बनायेंगे या एक ठोक घुरूआ से काम चलेगा ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :-इसमें जो अभी परिकल्पना है मान लीजिए कि अगर 3 एकड़ की भूमि चिन्हांकित की गई है उसके फेंसिंग की भी बात हैं ट्रेंचिंग की भी बात है तो ट्रेंच में गोबर डालना..।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अच्छा उसी जगह पर शेड में गोबर डालना।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- उसी जगह पर डालना। क्योंकि छूटे में अगर मवेशी चर रहे हैं तो गांव में ये शिकायत आती है कि आपने भी कहा कि दूसरी फसल ली जाती। तीसरी फसल नहीं ली जाती। ये परिकल्पना है कि गौवंश और पशुओं की भी व्यवस्था हो, उनके चारे तक की व्यवस्था की बात है। 12 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़ गांव की आबादी और उसमें पशुधन की संख्या के अनुपात में, हर जगह 3 एकड़ नहीं, हर जगह 10 एकड़ चारा उगाने के लिए नहीं, पशुधन की संख्या के अनुपात में अलग-अलग स्थानों में इस संरचना को निर्माण करने का है। इसमें पशु को बैठने के लिए भी और गोबर गैस से गैस और विद्युत तो आगे की बात है, गैस तक घर में पहुंचाने की यह एक संपूर्ण परिकल्पना है।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय मंत्री जी, यह जो गौठान वाला है, वास्तव में आपकी परिकल्पना सफल हो, नहीं तो मेरे को दिख रहा है कि आने वाले समय में वह जो 3 एकड़ का स्टेडियम बनने की ऐसी मैं कल्पना कर रहा हूं। मेरे को ऐसा लगता है कि वह बाद में स्टेडियम का रूप धरेगा।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- यह आपको, हमको, सबको मिलकर करना है, पूरे छत्तीसगढ़ के नागरिकों का भी इसमें भागीदारी और सहयोग रहेगा। एक विचार जो छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है मैं समझता हूं कि इसमें बहुत कारगर, बहुत अच्छे परिणाम आयेंगे। मैं भी पहले सोचता था कि इसमें क्या होगा, गांव से पूछो कि आप चाहते हो या नहीं?

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय मंत्री जी, यह बहुत सारे विभाग से संबंधित है, लेकिन जो ला करके आपके ऊपर में डाल दिया गया है, उसको ग्राम सभा, ग्राम पंचायत तय करे। इसका जो सबसे बड़ा प्रश्नचिन्ह जगह का निर्धारण है। आज की तारीख में 3 एकड़ जमीन एक तो सभी गावों

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

में नहीं हैं, आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है यदि आपको एक पंचायत भवन, एक हाईस्कूल का भवन बनवाना है तो जितना उसकी स्वीकृति कराने में ताकत नहीं लगती, उससे ज्यादा उसकी जगह का निर्धारण करने में लगती है। यह जो आपने 3 एकड़ का पंचायत के ऊपर में छोड़कर रखा है, मैं तो आपसे आग्रह करूंगा क्योकि आपका विभाग है, आप उसको पंचायत के ऊपर न छोड़ करके यदि उसको शासन के द्वारा चिन्हांकित करें और उसको सुनिश्चित करें तो आने वाले समय में गांव में लडाई-झगड़ा सब होने की संभावना है, उससे बचा पायेंगे।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 26 जनवरी के आसपास जो ग्रामसभायें होती हैं, शायद 23, 24, 25 से चालू हुई होंगी, 28, 29 तारीख तक चली होंगी, इनमें ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं के माध्यम से ग्रामवासियों की सहमति लेकर उनके द्वारा उपलब्ध गौचर और गौठान की भूमि को चिन्हांकित कराकर उनकी सहमति से इन्हें चिन्हांकित किया गया है और प्राथमिकता के आधार पर जहां सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव आ गये हैं तो 15 प्रतिशत में एक जगह भी व्यवधान नहीं आयेगा, ऐसा मेरा विश्वास है और अंततः शासन ही ये भूमि को इस कार्य के लिए आवंटित करेगा। और कनवरजेन्स जो अन्य विभागों का होगा, वह कनवरजेन्स भी इसमें कारगर साबित हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, इसके आगे की भी परिकल्पना है। ओ.डी.एफ. प्लस के नाते ऐसी व्यवस्थाओं की संरचना के बाद में, उनके परिसंपत्तियों के निर्माण के बाद में अतिरिक्त एजेन्सी के माध्यम से हर ग्राम पंचायत को 20 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी उपलब्ध हो सकती है। ये टारगेट हमको एचीव करना है तो पंचायती राज के अमलों को संसाधन की भी बात आती है, फंड्स की भी बात आती है, पैसे कटे, कम हुए, अच्छे से काम करके अगर 100 रुपये में 1 रुपया कटा भी है तो 99 रुपये में हम 105 रुपये का भी काम कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है, उसकी तुलना का मूल्यांकन कर सकते हैं। ऐसी परिसंपत्तियों के निर्माण से बहुत आगे के समय की बात है, वह समय के साथ में बातें सामने आयेंगी। ये कार्यवाहियों आगे बढ़ चुकी हैं। स्वस्थ भारत मिशन के माध्यम से 2 अक्टूबर 2014 को योजना की शुरूआत हुई। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छता का कवरेज 42 प्रतिशत था, आज 100 प्रतिशत माना जा रहा है। 26.76 लाख के विरूद्ध में 33.23 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया, जिसके विरूद्ध में 3648.49 करोड़ की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि शत-प्रतिशत माना जा रहा है। चूंकि जिम्मेदारी और जवाबदारी से सदन में बोल रहे हैं, माना जा रहा है या है, यह बताना चाहिए। माना जा रहा है मतलब ये आरोपात्मक हो गया कि हमने कहा है इसलिए आपने स्वीकार कर लिया। या तो नहीं है या तो है बोलिये। यह सदन है, ऐसा अंदाज वाला अभिभाषण पर बात नहीं हो सकती कि माना जा रहा है। मुझे इसमें आपत्ति है, या तो है बोलना चाहिए या तो नहीं है बोलना चाहिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में बहुत सारे सदस्यों ने कहा, यहां, वहां, सब बैठे हुए सदस्यों ने कहा कि जांच भी करा लीजिए, बना ही नहीं है या नहीं बना है, उतनी गुंजाइश मैंने छोड़ी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य ने क्या कहा, यह विषय नहीं है। माननीय मंत्री जी उस विभाग के, उस कार्यक्रम के भारसाधक मंत्री हैं, वह क्या मानते हैं, यह महत्वपूर्ण है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय सदस्य महोदय, भारसाधक मंत्री के रूप में...।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, मैं आग्रह करता हूं कि आपको इसको बताना चाहिए । यह 100 प्रतिशत माना जा रहा है ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- आप बाल की खाल खूब उधेड़ते हैं उसके लिये आपको बधाई । 26.76 लाख के लक्ष्य के विरोध में 33.23 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि उसमें उत्तर आना चाहिए ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- मैंने तो पढ़ दिया ।

श्री अजय चंद्राकर :- उसमें उत्तर आना चाहिए कि है या नहीं है ? (व्यवधान)

श्री टी.एस. सिंहदेव :- आपने सुना नहीं । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- यदि नहीं है और कह दिया है कि है तो उस पर कार्यवाही की घोषणा करनी चाहिए । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- पूरे छत्तीसगढ़ का ओडीएफ कर दिये । ऐसे शौचालय बनवाये हैं जहां पूरा पेमेंट बाकी है और उसमें बैठने की जगह नहीं है । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्यवाही की घोषणा करनी चाहिए जिन्होंने माननीय मंत्री जी को गलत बात कही । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- भारत सरकार को भेजकर प्रमाण-पत्र भी ले आये । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- है या नहीं है और यदि गलत जानकारी दी गयी है तो उस पर कार्यवाही की घोषणा हो ।

श्री बृहस्पत सिंह :- फर्जी प्रमाण पत्र लाये हैं उसका क्या होगा ? ओडीएफ हुआ ही नहीं और पेमेंट भी नहीं हुआ ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 26.76 लाख के विरूद्ध में 33.23 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है जिसके विरूद्ध 3648.49 करोड़ की राशि का भुगतान किया जा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

चुका है । शौचालय हेतु कुल देय राशि 3857.10 करोड़ के विरूद्ध में 3648.49 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, 208.61 करोड़ का भुगतान शेष है । रूपये 231 करोड़ की राशि जल्द से जल्द प्रावधानित करके इसके बाद में शेष नहीं रहेगी । नक्सल प्रभावित 246 ग्राम पंचायत (931 ग्रामों) को छोड़कर, गुंजाईश इसलिये थोड़ी-थोड़ी रखनी चाहिए । छोड़कर 10,725 ग्राम पंचायतें ओ.डी.एफ. हो चुके हैं । 246 ग्राम पंचायतों में 52257 शौचालय बनाना शेष है । खुले शौचमुक्त समुदाय...।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है चूंकि अभी इसकी बात आ गयी । पिछली सरकार एक समय में जो ओडीएफ हुए हैं, शौचालय बने हैं उसका करोड़ों रूपये भुगतान बाकी है और ऐसे शौचालय बने हैं कि उस शौचालय के अंदर कोई घुस भी नहीं सकता तो इसको भी थोड़ा सा दिखवा लीजिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूं कि उसमें जांच करायें । मैं तो पहले बोल रहा हूं कि उसमें कार्यवाही करें ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग लगातार निवेदन करते रहे लेकिन ये एक सुनने के लिये तैयार नहीं थे । केवल आप बोलने के आदि हो गये थे । पता नहीं आपको क्या आदत हो गयी है ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, ये आपको उलझा रहे हैं । आप जल्दी पूरा करिये ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह मान रहा हूं कि सदस्य महोदय ने, भाई अजय चंद्राकर जी ने यह भी सुन लिया कि 100 प्रतिशत का लक्ष्य था 291 यानी 31 ग्राम अभी बचे हुए हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- उसमें भारत सरकार से अनुमति ली गयी है उसको क्लियर बताईये । मैं अभी केवल 60 दिन में ही नहीं भूलूंगा, अगले साल भूलूंगा । उसमें भारत सरकार से अनुमति ली गयी है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप 60 महीने की भी कहानी बता दो न ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नक्सल प्रभावित 246 ग्राम पंचायत । एक वर्ष स्थायित्व बनाये रखने पर एक जिले में 01 करोड़ रूपये, 3 विकासखंडों को 50 लाख रूपये, 5 ग्राम पंचायतों को 20 लाख रूपयों का स्थायित्व अवार्ड प्रदान किया जा रहा है । दिनांक 2 अक्टूबर 2017 को पहला स्थायित्व पुरस्कार 1 जिला, 3 विकासखंड एवं 5 ग्राम पंचायतों को प्रदान किया गया है । शौचालय उपयोग की निरंतरता बनाये रखने के लिये स्व-सहायता समूह को स्वच्छाग्रही का चयन, दो स्वच्छाग्रही स्व-सहायता समूह के माध्यम से शौचालय के उपयोग एवं स्थायित्व का प्रचार-प्रसार । 5000 ग्राम पंचायत के स्व-सहायता समूह प्रशिक्षित । ओ.डी.एफ. ग्रामों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कार्य, 5 ओ.डी.एफ. विकासखंडों में 2 नग चलित बायो शौचालय, स्वच्छता इवेंट कैलेण्डर के अनुसार स्वच्छता गतिविधियां और स्वच्छता मतदान का आयोजन । विकासखंड स्तरीय स्थायित्व अध्ययन एवं कार्यशाला ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दीनदयाल अंत्योदय योजना यह अभी नाम है । राज्य ग्रामीण आजीविका । स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन कर दिनांक 01.04.2013 से राज्य ग्रामीण आजीविका, स्वर्ण जयंती बदला गया था लेकिन अभी आप एक बिहान के बारे में, बिहान के नाम से पूछ रहे थे । राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण परिवारों की गरीबी को दूर करना है । वर्तमान में प्रदेश के कुल 113 विकासखंड, सघन विकासखंड के रूप में चिन्हांकित है । वित्तीय वर्ष 2019-20 शेष में 33 विकासखंडों को सघन विकासखंड के रूप में शामिल करना है । प्रदेश में अब तक 1 लाख 35 हजार 348 महिला स्व-सहायता समूह, 6161 ग्राम संगठन तथा 270 संकुल स्तरीय संगठन का गठन किया गया है । राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ऐसे महिला स्वसहायता समूह जो तीन माह से पंचसूत्र का पालन कर रहे हों, उन्हें 15 हजार रूपये की राशि चक्रिय निधि प्रदाय किये जा रहे हैं । कुल 68596 महिला स्वसहायता समूहों को राशि 102.89 करोड़ रूपये, चक्रिय निधि के रूप में जारी किये गये हैं । राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत सामुदायिक निवेश कोष का प्रावधान, अब तक कुल 35485 महिला सव-सहायता की राशि 219.04 करोड़ रूपये सामुदायिक निवेश निधि के रूप में जारी किये गये हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, एक आग्रह है । इस योजना के बारे में, जो लिखकर दिया गया है, उसको मत पढ़ियेगा । इस योजना में आप खुद दृष्टिकोणा विकसित करवाइए और उसको खुद मानीटर करिये । ये गरीबों की सेवा की योजना है । सही मॉनीटरिंग करेंगे तो बहुत लोग लाभान्वित होंगे ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- गरीब परिवारों को आने वाली परेशानी के दौरान आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आपदा कोष, 1347 ग्राम संगठनों को राशि रूपये 18.23 करोड़ आपदा कोष के रूप में जारी किये गये हैं । महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना 53131 महिला किसानों को जोड़ा गया है । इस परियोजना के तहत 254 कृषक उत्पादक समूह एवं 05 कृषक उत्पादक संगठन का गठन कर महिला कृषकों को संगठित किया गया है । प्रदेश में पशुपालन एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु कार्य किया जा रहा है । अब तक कुल 2562 कृषि सखी एवं 2485 पशु सखी का चयन कर प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है ।

आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत राज्य के 13 जिलों के 18 विकासखंडों में ब तक 150 परिवहन मार्गों पर 334 स्व-सहायता समूहों के द्वारा ई रिक्शा के माध्यम से योजना 18

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

विकासखंडों में कार्य किया जा रहा है । दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत प्रदेश में अब तक 7105 युवाओं को प्रशिक्षण देकर नियोजित किया गया है । इसमें भी और देखने की जरूरत है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसमें एक चीज को चेक करवाइएगा कि ई-रिक्शा के पंजीयन और नम्बरिंग के लिए क्या प्रावधान हैं ? आप बांट तो रहे हैं और उसके बाद उन चालकों के साथ पुलिस वाले क्या व्यवहार करते हैं ? इसको दिखवाइएगा और बताइएगा । उसके पंजीयन, नम्बर और सारी चीजों के बाद पुलिस वाले उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- जी । मिशन की परिकल्पना अनिवार्य रूप से शहरी माने जाने वाली सुविधाओं से समझौता किये बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुए ग्रामीण जनजीवन में मूल स्वरूप बनाए रखते हुए गांवों के कलस्टर को रूर्बन गांव के रूप में विकसित करना है । भारत सरकार द्वारा इसकी शुरूआत 21.02.2016 को छत्तीसगढ़ से की गई थी । कलस्टर में 14 घटकों की परिकल्पना, मुख्यत: अधोसंरचना विकास, आर्थिक कौशल विकास प्रशिक्षण, अन्य नागरिक सुविधाओं से संबंधित सेवाएं शामिल हैं । विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध निधियों एवं समेकित कलस्टरों के बीच में अंतर की राशि आवश्यक पूरक वित्त पोषण (क्रिटिकल गैप फंड) का प्रावधान किया गया है । जिसका वहन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 60/40 के अनुपात में किया जा रहा है । कलस्टर परियोजना क्रियान्वयन 3 वर्षों में नियमित समय सीमा के परिचालन, रखरखाव के लिए 10 वर्ष निर्धारित हैं । राज्य शासन द्वारा प्रथम चरण में कुल 4 कलस्टर, द्वितीय चरण में 6, तृतीय चरण में 8 इस प्रकार कुल चयनित 18 कलस्टर में कुल 172 ग्राम पंचायतें शामिल हैं । 18 कलस्टरों की कुल परियोजना लागत 1477.9 करोड़ सीजीएफ मद की राशि 375 करोड़ एवं विभिन्न योजनाओं के अभिसरण की राशि 1102.9 करोड़ है । चयनित 18 कलस्टर के सीजीएफ की कुल आवंटित राशि रूपए 176.06 करोड़ के विरूद्ध 86.51 करोड़ (49 प्रतिशत) का उपयोग किया जा चुका है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंक सेवा, लोक सेवाएं, परिवहन सेवाएं इत्यादि सेवाएं प्राप्त होंगी । इस प्रकार शहरी सुविधाओं के जैसा लाभ मिलेगा । प्रथम एवं द्वितीय चरण में अब तक सभी कलस्टर खुले में शौच मुक्त हो गए हैं । 52 पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य प्रारंभ हुआ है । इन कलस्टर में 9745 ग्रामीण आवास पूर्ण किये गये हैं। 10014 युवा कौशल विकास के तहत प्रशिक्षित किये गये हैं । 16117 लाभार्थी साक्षर हुए हैं । 27741 परिवार उज्जवला योजना से लाभान्वित हुए हैं । उज्जवला योजना के भी डिटैल्स को भी शामिल किया गया है । प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का शुभारंभ 20.11.2016 बलरामपुर के वाड्रफनगर से किया गया था । सभी बेघर परिवारों के जीर्णशीर्ण मकान 2022 तक आवास उपलब्ध कराने का चयन जातिगत जनगणना 2011 (एसईसीसी) के सर्वे सूची के आधार पर किया गया है । 18 लाख 73 हजार पात्र परिवार हैं । जिनमें से योजना अंतर्गत 2016-17, 2017-18, 2018-19 तीन वर्षों

में 7 लाख 88 हजार परिवारों के लिए आवास निर्माण का लक्ष्य प्रदाय किया गया है । प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत सामान्य क्षेत्र 47 लाख तथा आईएपी जिलों में 1.58 लाख अनुदान दिया जा रहा है जो योजना के अंतर्गत 12.02.2019 की स्थिति में 5 लाख, 55 हजार आवास का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है । प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासहीन परिवार/शून्य कमरे वाले परिवार/एक कमरे एवं दो कमरे वाले कच्ची छत/कच्ची दीवार वाले परिवार को ही आवास उपलब्ध कराया जाएगा । कम से कम एक कमरा पक्की छत सीमेंट कांक्रीट स्लैब निर्माण किया जाए । प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वत: शामिल परिवार (100 प्रतिशत) शून्य कमरे वाले 5326, शत प्रतिशत सभी 7 वंचन सूचकांक, नि:शक्त सदस्य वाले, महिला मुखिया वाले, भूमिहीन परिवार जो अपनी ज्यादातर कमाई दिहाड़ी मजदूरी से प्राप्त करते हैं सांसद आदर्श ग्राम, अंत्योदय योजना में शामिल पंचायत, रूर्बन कलस्टर के ग्राम और विधायक आदर्श ग्राम में सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है । अभी तक 3679 प्रशिक्षण स्थलों में 18, 395 रूरल मेंसन का ऑन द जॉब प्रशिक्षण दिया गया है। 14,550 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश में आवास निर्माण हेतु राज्य के वित्तीय व्यवस्था में सहयोग हेतु छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है। आवास साफ्ट एवं आवास एप्प जियो टैगिंग एवं राशि का हस्तांतरण किया जाता है। स्थायी प्रतीक्षा सूची में छूटे हुए पात्र परिवारों की जानकारी आवास प्लस एप्प के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश में अब तक आवास प्लस एप्प के माध्यम से कुल 8 लाख 97 हजार की प्रविष्टि की जा चुकी है। राज्य स्तर पर अभिसरण के माध्यम से प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से गैस कनेक्शन, शौचालय, महिला स्वसहायता समूह से ईटों का निर्माण एवं सेन्ट्रिंग प्लेट की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत राज्य शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत एवं मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधोसंरचना विकास हेतु यह योजना वर्ष 2014-15 से क्रियान्वित है। मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष, ग्राम विकास, छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण....।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है। प्रधानमंत्री आवास। उसका लास्ट किश्त है, इंस्टालमेंट है वह 12000 है। बहुत सारे लोगों का मकान कम्पीट हो गया है। उनको आखिरी भुगतान होना है। लेकिन वह आखिरी भुगतान रोक दिया गया है और बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। मुख्य रूप से उसमें जो शामिल है, योजना में जो हितग्राही हैं, वे आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं। एक बार उनसे बात करके उनका इंस्टालमेंट हो जाए।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप एक्प्रेस स्पीड में धीरे से उसे पढ़ दिये, मुख्यमंत्री समग्र विकास को।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- नहीं, अभी तो आना है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- चूंकि, मैंने सोचा उसी तेजी से पढ़ जायेंगे, इसलिए खड़ा हो गया और कुछ बोलना नहीं है। विषय यह है कि उसमें जितनी स्वीकृति प्रदान की गई है, उसकी राशि के बारे में उसमें काम शुरू हो, जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है, इसको भी आप सुनिश्चित कीजिए। अभी बहुत सारे कामों को बंद करवा दिया गया है, रोक दिया गया है। इसके बारे में नहीं कहा जा रहा है। तो पंचायतों के छोटे-छोटे काम हैं। आपको कर्जा छूटना है तो राशि इंतजाम हो गई है। इन बेचारे सरपंचों को करवाइए उसको।

अध्यक्ष महोदय :- अभी तो एक ही मांग संख्या पर चर्चा हुई है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- बाकी जल्दी-जल्दी हो जायेगा। स्वास्थ्य में थोड़ा....।

अध्यक्ष महोदय :- अभी तो एक ही मांग संख्या पर चर्चा हुई है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सम्माननीय आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है उसको दिखवा लेंगे। जिओ टेगिंग इत्यादि कोई भी किसी कारण से अगर निर्माण पूर्ण होने के बाद भी विलंब है तो जल्दी से जल्दी भुगतान करा दिया जायेगा समग्र विकास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा अधोसंरचना विकास हेतु यह योजना वर्ष 2014-15 से क्रियान्वित है। मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष, ग्राम विकास, ग्रामीण विकास, छत्तीसगढ़ गौरव एवं हमारा छत्तीसगढ़ योजनाओं को मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना में एकीकृत कर दिया गया है। गली कांक्रीटिंग इत्यादि हेतु 20 लाख तक कार्य स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। 2018-19 में 9954 सी.सी. रोड इत्यादि कार्यों हेतु 2019-20 हेतु योजनातर्गत राशि रूपए 200.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

श्री अमरजीत भगत :- ये सदस्य लोगों को थोड़ा सा ओ करिए भई। ये तो बैठे-बैठे बात कर रहे हैं। पूर्व संसदीय मंत्री रहे हैं

श्री टी.एस. सिंहदेव :- ई-पंचायत- पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई-पंचायत योजना प्रारंभ की गई है। इससे सभी शासकीय योजनाओं की जानकारी सामान्य जन को आसानी से उपलब्ध करायी जायेगी। इसमें जो डाटा वाले जुड़े थे उसको कैसे हमारे युवतियों को, युवाओं को ग्राम में रोजगार दिलाया जा सकता है उसमें भी विचार करेंगे। स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत युवा शक्ति को राष्ट्र के विकास में अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के 15 से 35 वर्ष के युवाओं को सम्मिलित किया गया है। यह योजना वर्ष 2013-14 से संचालित है। वर्ष 2018-19 में राशि रूपये 10 करोड़ का प्रावधान रहा है। जिसे जिलों को आबंटित किया गया है। इस योजना में युवाओं की पंजीकृत संख्या 59381 है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी 150वीं जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपिता का स्मरण करते हुए, हम मना रहे हैं, इस अवधि में राष्ट्रपिता के विचारों, उनके राष्ट्रनिर्माण में अमूल्य योगदान से सभी को यहां है....। तो सभी बजट ही बजट है। श्री अजय चन्द्राकर :- नेता जी, ओरिजनल गांधी के लिए श्रद्धा नहीं रही न। इसलिए 1985 में बजट ....।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- गांधी जी के बिना (व्यवधान) हमेशा अधूरा रहता है।

श्री अजय चन्द्राकर :-उस दिन मैं बोला था। गांधी रिमिक्स में आ गये हो आप। फ्यूजन संगीत वाले में।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- खासकर नयी पीढ़ी के बच्चों, लोगों से अवगत कराया जायेगा। छत्तीसगढ़ में उनकी यात्रा विशेष स्मरण, विभिन्न संगोष्ठियां माध्यम से संजोने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम सरकार कामकाज में पारदर्शिता और कसावट लाने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम प्रारंभ किया गया है। इस अधिनियम के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कुल नौ सेवाएं हैं :- पंजीयन विभाग, विवाह का पंजीयन, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन निर्माण/मरम्मत, नल कनेक्शन, स्ट्रीट लाइट, आवश्यक साफ-सफाई, गरीबी रेखा प्रमाण पत्र जारी, सेवाओं के लिए अपीलीय प्राधिकारी कलेक्टर है। वर्ष 2018-19 में कुल 37273 प्राप्त आवेदनों में से 37270 आवेदन पत्रों का निराकरण हुआ। 3 शेष। ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यों के लिए अनुदान। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 49 के अन्तर्गत बने प्रावधान अनुसार मूलभूत कार्यों के लिए दायित्व सौंपा गया है। वर्ष 2011की जनसंख्या के मान से प्राप्त राशि का बंटन किया जाता है। इसकी चिंता अमरजीत भगत जी कर रहे थे। समस्त ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रूपये 7,260.00 लाख आवंटित किया गया है। पेसा क्षेत्र में 5055 ग्राम पंचायतों को प्रति ग्राम पंचायत प्रति वर्ष के मान से उपरोक्त के अतिरिक्त राशि रूपये 2.00 लाख प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

अध्यक्ष महोदय, 14वें वित्त आयोग की अनुदान राशि का उपयोग अनिवार्यत: मूलभूत नागरिक सुविधाओं के स्तर को सुधारने में किया जाता है। जल आपूर्ति, सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सेप्टैज प्रबंधन, सहित स्वच्छता, जल निकासी, सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रखरखाव, सड़कों, फुटपाथों एवं स्ट्रीट लाईट तथा कब्रिस्तान और शमशानों का रखरखाव और अन्य कोई भी बुनियादी नागरिक सेवाएं जो समुचित कानून के द्वारा सौंपे गये कृत्यों के अन्तर्गत सम्मिलित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018-19 में मूल अनुदान रूपये 1,04.86 करोड़ एवं कार्य निष्पादन अनुदान रूपये 132.16 करोड़, कुल रूपये 1180.02 करोड़ के विरूद्ध प्रथम किश्त के रूप में मूल अनुदान राशि रूपये 523.93 करोड़ रूपये प्राप्त हुए हैं। ग्राम पंचायतों द्वारा जनवरी, 2019 के अंत तक कुल 25,654 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिसके विरूद्ध 14,718 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। जनवरी,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

2019 के अंत तक रूपये 121.02 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। वर्ष 2019-20 में मूल अनुदान रूपये 1415.89 करोड़ एवं कार्य निष्पादन अनुदान रूपये 173.05 करोड़ कुल रूपये 1,588.94 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मेरे ख्याल से यह पिछले वर्ष की राशि से ज्यादा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- ज्यादा है उसको रूककर बताते हो, और कम होता है उसमें आगे बढ़ जाते हो।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (RGSA) सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की प्रशासनिक क्षमताओं का विकास करना है। वर्ष 2019-20 के लिए योजनान्तर्गत 40.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। वर्ष 2018-19 में क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण मद के अन्तर्गत 2,38,379 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP), आपने जो कहा था, हमने बताया कि जो हुआ था, उसको हम लोगों ने समस्त ग्रामों के लिए विस्तृत रूप दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसमें नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी शामिल किया है।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- पूरे सब, उसके अलावा 8 वर्ष भी उसमें शामिल है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के तहत 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके लगभग 01 लाख 10 हजार शिक्षक संवर्ग (तीनों वर्ग) को दिनांक 01.07.2018 को स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन संविलियन किया जा चुका है। संविलियन पश्चात कुल 30,352 शिक्षक (तीनों वर्ग) संविलियन हेतु शेष है। नई सरकार के जन घोषणा-पत्र में वायदे के अनुरूप 2 वर्ष की सेवा करने वाले शिक्षक पंचायत (तीनों वर्ग) के 27,065 को संविलियन किया जाना प्रस्तावित है। (मेजों की थपथपाहट)

शिक्षक (पंचायत) संवर्ग की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसके पात्र आश्रित को सहायक शिक्षक (पंचायत) के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का प्रावधान है तथा उसके परिवार को रू. 50,000/- या दिवंगत के छः माह का वेतन, जो भी कम हो, अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है।

श्री अजय चन्द्राकर :- उन्होंने ताली बजा दी। अभी 60 हजार लोग मिलने गये कि हम लोगों का क्या होगा तो बता दिया गया कि 5 साल तक हम हैं, उसमें इनसे ताली बजवाओ। वह 60 हजार लोगों का क्या होगा, जो वंचित रह गए।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव था इसलिए आप लोगों ने संविलियन कर दिया था। आपने उनके तनख्वाह की व्यवस्था नहीं की थी। हम लोग अनुपूरक बजट में उनके तनवख्वाह की व्यवस्था किए हैं। जो 8 साल से कम सेवा वाले हैं, उनको भी कर रहे हैं। आपको भी ताली बजाना चाहिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ0 कृष्णूर्ति बांधी :- आप तो एक काम करो, नरवा, बाड़ी में एक और जोड़ दो। आप बाड़ी में एक कुआं को छोड़ दिए हो।, कुआं, बाड़ी और जोड़ दो।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, सांसद आदर्श ग्राम, यह वर्ष 2014 से प्रारंभ हुआ था। योजनान्तर्गत प्रथम चरण के समस्त 16 ग्राम आदर्श के रूप में विकसित किए जा रहे हैं, जो कि लगभग पूर्णता पर है। द्वितीय एवं तृतीय चरण के ग्रामों में भी उत्तरोत्तर प्रगति की जा रही है। योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला कलेक्टर को योजना का चार्ज अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा उन्हीं की अध्यक्षता में समस्त कार्य सुनिश्चित किए जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक आदर्श ग्राम योजना को सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य में विधायक आदर्श ग्राम योजना का भी क्रियान्वयन कया जा रहा है। जिसके तहत राज्य के माननीय विधायकों द्वारा 02 चरणों में 01-01 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। अब तक प्रथम चरण में 90 ग्राम पंचातयों एवं द्वितीय चरण में 81 ग्राम पंचायतों का चयन किया जाकर कार्य संचालन में है।

श्री मोहन मरकाम :- बाबा साह, एक चीज क्लीयर करना था। पिछली बार सरकार ने विधायक आदर्श ग्राम तो बना दिया है, लेकिन वहां चवन्नी नहीं दिया। इस बार विधायक आदर्श ग्राम में कुछ है या वैसे ही खाली है?

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, रहेगा, रहेगा।

श्री अजय चन्द्रकार :- वह वैसी योजना थी, जैसे घुरवा,गरवा, नरवा बाड़ी है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, और कितना समय लेंगे ?

श्री दीपक बैज :- मतलब आप स्वीकार कर रहे हो न? वैसे योजना बोलकर के।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या- 80 के सन्दर्भ में पंचायत संचालनालय के महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं, वह सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- आप पंचायत की बात तो बोल चुके हैं। आप कुल कितना समय लेंगे ?

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से इसमें सब आ गया है। अब अगले पायदान पर मांग संख्या-7 के सन्दर्भ में आबकारी विभाग 2017-18 में प्राप्त राजस्व 4,053.88 करोड़ था।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह पायदान शब्द बिनाका गीत माला के समय उपयोग होता था। तो बिनाका गीत माला ही चल रहा है, मुझे ऐसा ही लगता है। हम लोगों ने कोई फरमाईश ही नहीं की है।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2017-18 में जनवरी माह तक 3,280. 17 करोड़ रूपये था। 2018-19 में माह जनवरी तक 3,654.23 करोड़ की राशि उपलब्ध हुई है, जो गत वर्ष की

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तुलना में 11.4 प्रतिशत अधिक है । मदिरा की खपत इत्यादि को आपूर्ति राजस्व प्रोत्साहन नहीं देना है । 2017-18 में ट्रैक एण्ड ट्रेस के प्रावधान के माध्यम से जो गाडियां इत्यादि चलेंगी, निर्माण इकाइयों के द्वार से ही फुटकर विक्रेता तक पहुंचने में प्रथम राज्य है, जिसमें देशी-विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय के साथ बिल दिए जाने की भी व्यवस्था की जा रही है । इसमें एक साफ्टवेयर बनाने का भी प्रावधान चल रहा है, जो दुकान पर काउंटर के रूप में इलेक्ट्रानिक काउंटर वहां पर लग जाएगा, किस रेट पर लिया जा रहा है, सब कोई उसको देख सकते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, वह तो जीएसटी कोष्ठक में लिखा है आबकारी (जीएसटी) करके । वह तो आपको सिंधिया स्कूल से अंग्रेजी पढ़ने आता है इसलिए रखा गया है, बाकी आप उसको पढ़ो ही मत । आप हैं मंत्री आबकारी कोष्ठक में जीएसटी ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बार कोड और राज्य मदिरा उत्पादन गुम बैरियर का प्रावधान निर्माण इकाइयों के सामने रहता है । जैसे गाड़ी निकलती है, वह वाला बैरियर है कि निकलने के पहले सी.सी. टी.व्ही. कैमरा इत्यादि लगे हैं, ताकि फैक्ट्री से जो भी सामान/सामग्री जा रही है और 2017 में मदिरा दुकान में मदिरा विक्रय की सीमा तय कर दी गई है। प्रति व्यक्ति 750 एम.एल. की दो बोतल देशी-विदेशी मदिरा और चार बोतल बीयर अमूमन 650 एम.एल. की टिन और उसके आगे पीछे होता है, मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं । जो वर्तमान वर्षो में भी यथावत् रहेगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में वर्ष 2018-19 में माह जनवरी तक धारा 34 (2) के तहत 654 प्रकरण गैर जमानतीय है, जिसमें 452 लोगों को जेल भी भेजा गया । मदिरा दुकानों में 2018-19 में माह जनवरी तक निर्धारित दर से अधिक दर पर मदिरा बेचे जाने पर 447 प्रकरणों में जनवरी, 2019 तक 415 कर्मचारियों को निष्कासित भी किया गया । माह जनवरी तक विभाग के द्वारा 12857 अपराधिक प्रकरण में क्राईम की गई, जिसमें 47384 पेटी मदिरा जप्त की गई...।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आप मदिरा के बारे में इसलिए कुछ मत बोलिए कि आप घोषणा-पत्र से बाहर की चीजें बोल रहे हैं । इसलिए उसको हम मान लिए कि आप नहीं करने जा रहे हैं । जो करो, उसको सो करो। या आपको बात करना है, शराब बंदी में करेंगे, शराब बंदी कब करेंगे, इसमें बात करिए । आप बाकी पास कर लीजिए ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मदिरा दुकानों में इलेक्ट्रानिक डिस्प्ले बोर्ड की बात मैंने बतायी । इसके अतिरिक्त नवीन संभागीय उड़नदस्ता का प्रावधान किया गया है । पहले तीन संभागों में था, दो संभाग में नहीं था तो दुर्ग और सरगुजा संभाग के लिए भी 775 संभागीय उड़नदस्ता कार्यालयों के माध्यम से मदिरा दुकान पर नियंत्रण किया जायेगा । शराब बंदी के संबंध में किये जाने वाले कार्यवाही के संदर्भ में 712 इकाइयों को चलाने की घोषणा इसमें है । इसमें शासन के द्वारा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वर्तमान में 66 इकाइयां बंद की जा चुकी हैं और 712 की तुलना में 646 मदिरा दुकान ही संचालित हैं और क्रमश: इसे बंद करने की ओर अग्रसर हैं । इसके अतिरिक्त जन-जागरण अभियान और नया स्वरूप देकर 2019-20 में जन-जागरण अभियान के लिए जहां पहले 2 करोड़ की व्यवस्था थी, इस बार बजट में 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है । एक टोल फ्री नम्बर 14405 का संचालन किया जा रहा है । 31 जनवरी तक 8728 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें 8426 शिकायतों का निराकरण भी कर दिया गया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-7 आबकारी के संदर्भ में 2018-19 में 102 करोड़, 86 लाख, 75 हजार की तुलना में 116 करोड़, 38 लाख, 1 हजार का प्रावधान किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है । पंजीयन विभाग के अचल सम्पत्ति के नियंत्रण में स्टैम्प ड्यूटी 5 प्रतिशत, महिलाओं के लिए 4 प्रतिशत और कुल रजिस्ट्रेशन फीस 8.8 प्रतिशत। कुल मिलाकर लगभग 6.25 प्रतिशत लिये जाते हैं । 98 उप पंजीयक कार्यालयों में दस्तावेजों का पंजीयन किया जा रहा है । 2001 में इस स्त्रोत से राज्य को मात्र 121 करोड़ आमदनी थी, जो 2017-18 में लगभग 12 सौ करोड़ जो लगभग 10 गुना की वृद्धि दर्शाती है । वर्तमान वित्तीय वर्ष 31 दिसम्बर तक 714 करोड़ रूपये राजस्व प्राप्त हो चुके हैं । अमूमन आखरी के तीन महीने में 30 से 40 प्रतिशत की अतिरिक्त आय प्राप्त होती है । महिलाओं को रियायत देने की स्थिति में 1 प्रतिशत कम रियायती दर के कारण 31 दिसम्बर, 2018 तक 6 लाख 18 हजार 401 दस्तावेजों में 483 करोड़ रूपये की छूट महिलाओं को उपलबध कराई जा चुकी है । शासन के द्वारा उद्योगों को भी छूट प्रदान की जाती है, प्रथम पांच वर्षों में यदि वह उद्योग की स्थापना कर लेते हैं, स्टाम्प डयूटी से उन्हें मुक्त रखा जाता है और उद्योग नीति वर्ष 2003 से लेकर आज तक 4768 दस्तावेजों से 80 करोड़ रूपये, स्टाम्प शुल्क की छूट प्रदान कीजा चुकी है । 3400 ऐसे दस्तावेजों को स्टाम्प डयूटी में छूट प्रदान की गई है, जो स्व-वित्तीय योजना के तहत कार्य में आते हैं । चार आने छूट की रियायतें हैं । ग्रामीण विकास निधि के अंतर्गत 27.78 करोड़ और योजना क्रमांक 74.79 के तहत 55.44 करोड़, कबीरधाम जिले में बोड़तरा में नवीन उप पंजीयक कार्यालय, राजनांदगांव में, गंडई में तहसील प्रारंभ किया गया है । महासमुंद में, पिथौरा में, चालू किया है । जनघोषणा पत्र के छोटे भूखण्डों को 15 फरवरी तक कुल 11,299 छोटे भूखण्ड धारकों की रजिस्ट्री की सुविधा हुई है । आबादी भूमि के रूप में ई-पंजीयन प्रणाली का प्रावधान किया गया है । नक्शा बटांकन की प्रणाली गृह निर्माण विकास प्राधिकरण में सहुलियत प्रदान की गई है । छत्तीसगढ़ राज्य में 1-2-2017 से पंजीयन का साफटवेयर लागू किया गया है । संपत्ति के स्वामित्व की जांच, उसी दिन दस्तावेज, नकल एवं नामांतरण पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, ई-स्टांपिंग सुविधा का विस्तार ई-स्टाम्पों के माध्यम से सुविधा 12 ई स्टाम्पिंग सुविधा की 554 लोक सेवा केन्द्र 132, स्टाम्प विक्रेताओं के विभिन्न बैंकों की 101 शाखाओं के माध्यम से ई-स्टाम्प का प्रदान करने की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

व्यवस्था समुचित की गई है । किसी भी मूल्य का मात्र एक ई-स्टाम्प सर्टिफिकेट विशेष डिक्शनरी के प्रिंट किया जाकर आन लाईन के माध्यम से किया जा रहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको एक जानकारी दे रहा हूँ । इस सदन में सबसे लम्बा भाषण का रिकार्ड माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का है । सबसे लम्बा । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- अभी भी मंत्री का भूत नहीं उतरा है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, इसमें लगभग 22 करोड़ की बचत हुई है । एक दायित्व है, उस जिम्मेदारी को जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ । कार्यालयों की सुविधा का विकास किया गया है । प्रि-रजिस्ट्रेशन सरलीकरण एवं ऑनलाईन शुल्क भुगतान पासपोर्ट सुविधा के तहत पंजीयन की कार्यवाही की जा रही है, सरलीकरण किया जा रहा है । ऑनलाईन शुल्क भुगतान की प्रक्रिया आरंभ की गई है । नये पंजीयक के 8, नये जिला पंजीयक कार्यालय पर वाहन उपलब्ध नहीं है, वहां पर सुविधा हो । माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि पंजीयन विभागों के अनुदान मांगों पर आप समर्थन करेंगे । आखिरी जीएसटी आपने जो अंग्रेजी वाला बताया । छोटा सा है ।

अध्यक्ष महोदय :- यह आखिरी है कि स्वास्थ्य पर भी चर्चा करेंगे । जीएसटी के प्रावधानों के तहत कर राजस्व का 56 प्रतिशत अंग्रेजी विभाग से आता है । अधिक केवल जीएसटी विभाग से प्राप्त होता है । 2017 में कुल 12807 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ था । वर्ष 2018-2019 में माह जनवरी तक का 11,652 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था । चालू वित्तीय वर्ष में 13 प्रतिशत अधिक अर्थात 14,500 का राजस्व अनुमानित है । जीएसटी छोटे व्यापारियों के द्वारा 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में एक साथ लागू किया गया था । विपक्ष में रहते हुये भी जीएसटी बिल के समर्थन में भी हम लोग खड़े हुये थे । किन्तु उस समय भी इसकी जटिलताओं के संदर्भ में मैंने भी और सभी सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया था और अंतत: जीएसटी के स्वरूप में 400 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं । उस स्वरूप में यह जीएसटी लागू हुआ, जिसमें बहुत सारे व्यवसायियों को बहुत अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि तैयारी आधी-अधूरी थी । नोटबंदी के साथ-साथ जीएसटी जिस तरह से लागू हुआ, इसमें निश्चित रूप से छोटे व्यवसायियों के व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ा और नागरिकों के साथ-साथ राज्य के आय के स्त्रोत पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है । कुछ सदस्य जानना चाह रहे थे कि हमको जी.एस.टी. से पांच साल बाद कितना नुकसान होगा? तो अनुमानित 3826 करोड़ का नुकसान छत्तीसगढ़ को 2022 के बाद होना संभावित है। जी.एस.टी. जिस स्वरूप में उपभोक्ता उपभोग कर के रूप में जो लागू हुआ है तो यह एक उसकी जानकारी है। गुड एंड सिम्पल टैक्स की जो हमारी परिकल्पना थी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार ही दुनिया की सबसे जटिलतम टैक्स प्रणाली भारत की वर्तमान प्रणाली को माना गया है। हमारे देश में 28 प्रतिशत की दर से एशिया महाद्वीप के सबसे अधिक प्रचलित दर में हमारा देश आता है और

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

विश्व में दूसरे नंबर पर हमारा देश आता है। विश्व के अधिकांश देशों में एक ही दर है। ये सीधे तौर पर तो बजट के बाहर की बात है लेकिन बस्तर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आये थे, उन्होंने जी.एस.टी. के बारे में कुछ घोषणा की है, वह जब लागू होगी, यहां भी लागू हो जायेगा। जी.एस.टी. उपभोग आधारित टैक्स प्रणाली के तहत मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ को लगभग 3628 करोड़ का नुकसान अनुमानित है। माह जनवरी, जी.एस.टी. काउंसिल की 32 वीं बैठक में मुझे भी शामिल होने का सुअवसर मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में 33 वीं जी.एस.टी. काउंसिल की बैठक कल 20 तारीख को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रस्तावित है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्हें मनोनित करेंगे वह 33 वीं बैठक में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सम्मिलित होंगे। इसमें ये बात आई कि मुझे संतोष है कि छत्तीसगढ़ की ओर से उन्होंने कई बातों को दृढ़तापूर्वक रखा, कई राज्यों का समर्थन भी मिला, और कई महत्वपूर्ण निर्णय 32 वीं जी.एस.टी. कौंसिल की बैठक में हुए और राज्य को जो विकल्प दिया गया था कि आप जी.एस.टी. के रेट्स के संबंध में जो कम्पोजीशन टैक्स और सर्विस टैक्स इत्यादि के संबंध में जो आपकी लिमिट है उसके संदर्भ में आप निर्णय लें। तो मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी है कि कर दायित्व सीमा जो पहले 20 लाख रूपये की थी, छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार ने इसे बढ़ाकर 40 लाख रूपये करना प्रस्तावित करके जी.एस.टी. काउंसिल को भेज दिया है और सर्विस टैक्स में जो कर दायित्व की सीमा 20 लाख रूपये रही होगी उसे 50 लाख रूपये बढ़ाकर अब 6 प्रतिशत कंपोजीशन टैक्स में इसको ला दिया गया है। ये भी जी.एस.टी. काउंसिल से अंतिम अनुमति/निर्णय के बाद लागू हो जायेगा। काउंसिल की बैठक में ट्रेडर्स तथा निर्माताओं के लिए करदायित्व सीमा 20 लाख रूपये से बढ़ाकर 40 लाख रूपये करने हेतु पारदर्शी तरीके से हम लोगों ने विभिन्न व्यवसायी समूहों को बुलाया था और उनके साथ बैठक की, उनके साथ परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया और ये अनुशंसा जी.एस.टी. काउंसिल को भेजी गई।

समय :
5:23 बजे

सदन के समय में वृद्धि

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 4 का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाए। मैं समझता हूं कि सभा इससे सहमत है?

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वित्तीय वर्ष 2019-2020 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय सभापति महोदय, इसमें जो दिक्कतें हो रही थीं, आने वाले समय में आप देखेंगे कि कंपोजीशन टैक्स की सीमा भी एक करोड़ से डेढ़ करोड़ की गई है और कंपोजीशन टैक्स का रिटर्न फाईल करने का जिन व्यवसाईयों को हर माह करना पड़ रहा था उनकी सीमा के अंतर्गत हर तीन महीने में भी रिटर्न फाईल करने की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। प्रदेश के अंदर जो ई-बे बिल की व्यवस्था लागू है उसके लिए भी हम लोगों ने आगे पत्राचार किया है कि ई-बे बिल से छत्तीसगढ़ को मुक्ति दिलाई जाए और 15 आईटम जो ई-बे बिल के तहत वर्तमान में प्रचलन में हैं उन्हें ई-बे बिल की व्यवस्था से मुक्त करने के लिए राज्य के अंदर हम लोगों ने प्रस्ताव आगे भेजा है और मैं सदन को यह भी विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आने वाले समय में हमारे राज्य में ई-बे बिल के चलते व्यवसाईयों को इन 15 आईटम्स में भी हम लोग दिक्कत नहीं आने देंगे। अभी मंजूरी आना प्रस्तावित है लेकिन कोई परेशानी कि तंग करना, जांच करना इत्यादि से वह मुक्त रहेंगे और भयमुक्त व्यापार की ओर हम अपने व्यवसायी और S.M.A.C. के भाईयों और बहनों को प्रोत्साहित करके आमंत्रित करते हैं कि आगे आयें, बढ़ें और अपने व्यवसाय के साथ-साथ छत्तीसगढ़ को भी आगे बढ़ाने में भूमिका अदा करें। भवन विहीन उप पंजीयक कार्यालय की बात माननीय सदस्य ने भी पूछी थी तो बजट में है, आपके यहां का कुरूद का उसमें छूट गया होगा देखना होगा। योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग के संदर्भ में, हमारी सरकार हमारी योजना के आर्थिक सांख्यिकीय के माध्यम से शासन की कल्याणकारी योजनाएं का प्रशासन विकास संबंधी अधोसंरचना सांख्यिकी सर्वेक्षण का विश्लेषण मूल्यांकन प्रकाशित करने का हमारा दायित्व है। इसके अंतर्गत जन्म मृत्यु पंजीयन 2019 तक के नि:शुल्क किया गया है। राशि प्रति 10 सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जनता के हित में नीति निर्माण के लिए कृषक परिवारों को पशुधन धारित कृषक परिवारों की स्थिति का आंकलन करते हुए ऋण निवेश की जानकारी दी गई है। राजकीय आय संभाग द्वारा भारत सरकार की केन्द्रीय सांख्यिकीय द्वारा जी.एस.डी.पी तैयार किया जाता है। ये जो विभाग के दायित्व हैं हमको जो एक्नामिक्स की जो पुस्तिका मिलती है, वो इसी विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न विभागों के द्वारा आय करके 2018-19 में अग्रिम हेतु प्रचंड भाव में राज्य सरकार को 3 लाख 12 हजार करोड़, वर्ष 2017-18 में ये 2 लाख 84 हजार करोड़ था। 2018 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 6.08 प्रतिशत की स्वीकृति हुई है। 2018-19 में राष्ट्रीय दर से कम है। 2018-19 के लिए प्रस्तावित आय व्यय में 96 हजार 887 रूपये है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य की सामाजिक स्थिति को देखते हुए प्रभावित करने

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वाले प्रमुख घटकों के नीतियों के लिए, विश्लेषण करने के लिए अध्ययन किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण आय व्यय का संक्षेप, छत्तीसगढ़ के राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान छत्तीसगढ़ सांख्यिकीय संक्षेप, छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में राज्य बजट का आर्थिक उद्देश्य वर्गीकरण, छत्तीसगढ़ प्रशासनिक क्षेत्र में न्यूजन की गणना, विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक करोड़ राशि का प्रावधान किया जाता था। माननीय सभापति महोदय, मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जब ये प्रस्ताव रखा गया कि एक करोड़ से विधायक निधि को बढ़ा करके 2 करोड़ किया जाये तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। (मेजों की थपथपाहट) विधायक निधि दो करोड़ करते हुए 182 करोड़ रूपये बजट का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु 91 करोड़ के विरूद्ध में 53.03 करोड़ की लागत से.....।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अमरजीत भगत जी, आप आसंदी में हैं। आपको प्रणाम करता हूं बिल्कुल आप उपाध्यक्ष जैसे लग रहे हैं, जैसे श्री नारायण चंदेल जी लगते थे। (हंसी)

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय सभापति महोदय, 2 हजार 513 कार्य स्वीकृत किये गये है। संभवत: ये चुनाव के समय जो राशि उपलब्ध नहीं हुई थी उसके कारण ये आंकड़े हैं पर सभी विधायक साथी मेरे ख्याल से जो निर्वाचित हो करके आये हैं, शेष राशि है उसको जल्दी से जल्दी स्वीकृत करा लेंगे। बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन के तहत विभिन्न विभागों से त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त कर एग्जाई रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को भेजी जाती है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में आर्थिक सांख्यिकीय संचालन विभाग मांग संख्या 31 के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान की राशि 3 करोड़ 49 लाख 650 हजार, मांग संख्या 41, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास के अंतर्गत 182 करोड़, मांग संख्या 50, बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत 32 करोड़ 685 हजार पारित किया जावे। राज्य योजना आयोग के विकास के लिए थिंग टैंक के रूप में कार्यकर्ता हैं, आयोग नीति के यथा खेल युवा, दिव्यांगजन नीति में सहयोग करता है। विशिष्ट विषयों पर यथा कृषि संबद्ध क्षेत्र विकास, कौशल विकास, तकनीकी उच्च शिक्षा, रोजगार के समग्र विकास, गरीबी उन्मूलन के सुझाव प्रदाय करता है। नवाचार हेतु विभागों से मिलकर पायलेट योजना का क्रियान्वयन किया गया है उदाहरण, आज परंपरागत सामुदायिक चिकित्सा पेशेवरों का स्वैच्छिक प्रमाणीकरण हेतु पहल प्रौद्योगिकी के माध्यम से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, सतत विकास लक्ष्यों को एस.डी.जी के दस्तावेजों के निर्माण को ध्यान में रखते हुए 50 लाख का प्रावधान किया गया है। इससे 2019 में कुल बजट का 8.1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बीस सूत्रीय का भी मैंने बताया, मांग संख्या 50, वर्ष 2018-19 में 31 लाख 341 हजार रूपये के प्रावधान के विरूद्ध में 32 हजार 685 करोड़ जो कि पिछले बजट से 4.29 प्रतिशत अधिक है, का प्रावधान किया गया है। अंत में प्रयास करूंगा ज्यादा लंबा न हो, स्वास्थय विभाग के संदर्भ में जो बातें आई है। बजट

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस अवधारणा को रखा । यूनिवर्सल हेल्थ केयर, इसमें बहुत सारी बातें आयीं कि ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर क्या है ? कैसे करेंगे ? कहां से करेंगे ? आपके स्वास्थ्य विभाग का छोटे में इसका जो ढांचा है, वह मितानिन से लेकर, सब हेल्थ सेंटर से लेकर पी.एस.सी., सी.एच.सी., जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज। ये आपका स्वास्थ्य का ढांचा है। इसमें इतने लोग काम कर रहे हैं जितने डॉक्टर्स की कमी है, नहीं है, भर्ती की जा रही है वह बातें अभी सामने आएंगी। इस स्वास्थ्य के ढांचे के माध्मय से लोगों को सुलभ स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध की जायें। इसके लिए जो प्रावधान किये गये हैं उनमें यदि सही तरीके से काम करा दिया जाता है तो आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगना है। 75 से 85 प्रतिशत आबादी को केवल प्राथमिक उपचार चाहिए। यूनिवर्सल हेल्थ केयर क्या है ? 75 से 85 प्रतिशत आबादी को केवल प्राथमिक उपचार चाहिए, बाकी उनको बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपका स्वागत है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, आज बजट डिमाण्ड पर चर्चा हो रही है। बिना बजट के काल्पनिक चीजों पर नियमत: आपको चर्चा नहीं करनी चाहिए। जो काल्पनिक है। आपके बजट में कहीं पर भी यूनिवर्सल हेल्थ केयर इतना रूपया है तो उसमें बतायें ? कल्पनाओं पर तो कोई बात नहीं होती। आज बजट डिमाण्ड पर चर्चा हो रही है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, कल्पनिक बातें नहीं हो रही है। जो बात कर रहे हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जो हमको प्राथमिक ईलाज मिलता है। पिछली सरकार ने 113 करोड़ का प्रावधान किया था। वर्तमान सरकार ने 414 करोड़ का प्रावधान किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- बहुत सुन्दर।

श्री मोहन मरकाम :- कहीं न कहीं प्राथमिक ईलाज की बात हो रही है। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं साहब वही सब बजट में प्रावधान है, आप देखते ता जाईये। सब व्यवस्था हो जाएगी।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय सभापति महोदय, यूनिवर्सल हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में प्रस्तुत करके लॉन्च कर दिया है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट है वह कई सदस्यों ने पूछा कि वह क्या है?

श्री डमरूधर पुजारी :- माननीय सभापति महोदय, सुपेबेड़ा में घोषणा किये थे, वह वायदा कहां गया? केवल पानी देने से नहीं होता।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, साहब, वहां एक अस्पताल खोल रहे हैं। आपको पता है?

श्री डमरूधर पुजारी :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मरकाम साहब वहां सुपेबेड़ा में हॉस्पिटल नहीं हैं केवल पानी देने से नहीं होता।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, गरियाबंद में अस्पताल खुल रहा है। सुपेबेड़ा में इलाज के लिए बजट में प्रावधान किया हुआ है।

श्री डमरूधर पुजारी :- माननीय सभापति महोदय, वहां हॉस्पिटल खोलने और डॉक्टर भेजने से कुछ होगा। सुपेबेड़ा में इतने लोग मर रहे हैं और केवल वहां पानी देने से नहीं होता। मगर वहां हॉस्पिटल और डॉक्टर देने से कुछ होगा। जो वहां बीमार हैं, मैं किडनी की समस्या के संबंध में बता रहा हूँ। माननीय मंत्री जी, आप वहां पर बड़ा वाला हॉस्पिटल दे देते तो बहुत अच्छा होता।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय सभापति महोदय, माननीय नये सदस्य की संवेदना, उत्सुकता और इच्छा की उनके क्षेत्र में सुपेबेड़ा के ग्राम और उसके आसपास के क्षेत्र में अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो, मैं उसका स्वागत करता हूँ और जो बात यूनिवर्सल हेल्थ केयर की है कि थाईलैण्ड में जाकर आप सीखकर आ गये या कुछ जानकर आ गये। ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट थाईलैण्ड में नहीं है। ये वैश्विक स्तर पर दो पद्धतियां हैं जिनसे ...।

समय :
5:33 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए.)

भईया, कृपया आप थोड़ा सा बैठ जाईये। मैं आपको बताता हूँ। आप समझ लीजिए फिर और बात करियेगा। अभी नीतिगत बात हो रही है फिर सुपेबेड़ा में भी बात करेंगे। विश्व में दो स्तर पर ईलाज सुविधा मुहैया कराने की बात चल रही है। वैश्विक स्तर पर, जो लक्ष्य रखे जाते हैं उनमें से एक लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2030 तक विश्व में यूनिवर्सल हेल्थ केयर लागू किया जायेगा। राईट टू हेल्थ के स्वरूप में। ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर क्या है? राईट टू हाउसिंग वर्ष 2022 तक घर देना नहीं है। प्रत्येक नागरिक को घर का अधिकार है। रोजगार गारण्टी योजना, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये आपको वैधानिक, संवैधानिक रूप से उपलब्ध होगा, उसकी परिकल्पना है यूनिवर्सल हेल्थ केयर कि हर नागरिक के एक मौलिक अधिकार के रूप में नागरिक अधिकार के रूप में स्वास्थ्य की सुविधाएं रहेंगी और ये है यूनिवर्सल हेल्थ केयर, आप कैसे देंगे? कितने पैसे लगेंगे?

श्री अजय चन्द्राकर :- यदि वैश्विक चिन्तन आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो वैश्विक चिन्तन में यूनिवर्सल हेल्थ के कोई भी स्वरूप को सबसे पहले यू. के. ने लागू किया और यू. के. ने लागू किया तो किस तरह से लागू किया? और कितना बजट हुआ? उसके प्रावधान थे । यदि आप समय देंगे तो मैं कभी बोलूंगा। ओबामा केयर दूसरी तरह की आयी तो दूसरे तरह को अमेरिकी कांग्रेस ने क्यों निरस्त किया? उसकी स्वीकृति क्यों नहीं दी? आप फिर इसमें वैश्विक बहस करिये। जब बिना बजट के आप विश्व की ओर जा रहे हैं तो हम भी विश्व की ओर चलते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सल हेल्थ केयर को लागू करने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। आपको यूनिवर्सल हेल्थ केयर को लागू करने के लिए, प्रांरभ करने के लिए, उस दिशा में बढ़ने के लिए क्या चाहिए, दवाई खरीदने के लिए पैसे, उपकरण के लिए पैसे, डॉक्टरों और तकनीशियनों के वेतन के लिए पैसे चाहिए तो क्या सरकार के पास कुछ उपलब्ध नहीं हैं? जो राशि आपके पास उपलब्ध है, माननीय सदस्य ने भी कहा कि ये भी बात आई, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जिस बात को रखा, तनख्वाह बढ़ाने की भी बात कही, मेरे को पढ़ने को मिली थी, तो ये सब क्या है? ये उसी दिशा में आपने जो भर्तियां कीं, जो डी.पी.सी. 2006-07 के बाद नहीं हुई थी, डी.पी.सी. करके अभी करीब 300 लोगों की प्रक्रिया चल रही है, उनको स्पेशलिस्ट के रूप में बढ़ाने की बात की है, 345 नये डॉक्टरों को भर्ती करने की बात की है, चालू हुआ होगा। 600 और डॉक्टरों को भर्ती करने की बात है, स्टाफ इत्यादि की बात है। मानव संसाधन भी उपलब्ध रहेगा। जो दवाईयों के लिए पैसे हैं, उनमें ही अच्छे तरीके से यूनिवर्सल हेल्थ केयर के कांसेप्ट को स्टेज-बाई-स्टेज लागू किया जा सकता है। मैं आज नहीं कह रहा हूं कि एक साल के अंदर 100 प्रतिशत लागू हो जायेगा, जिस वित्तीय प्रावधान की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं। किसी ने नहीं कहा है। हर जगह इस बात को कहा गया है कि मितानिनों के माध्यम से आपको कौन सी दवाई देना है, ये उपचार का प्राथमिक स्तर है। जो दवाईयां आपको मितानिनों के माध्यम से देनी है, उसको शत-प्रतिशत देखिये की उपलब्ध हो ताकि मितानिन के माध्यम से मिलने वाली दवाई के लिये कोई भी नागरिक सब-हेल्थ सेन्टर में न जाये। सब-हेल्थ सेन्टर के लेवल पर जो दवाईयां मिलनी हैं, उसके लिए पी.एच.सी. में न जाये, पी.एच.सी. में जो उपचार होना है, उसके लिए सी.एच.सी. में न जाये, सी.एच.सी. में जो उपचार होना है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस बात की चर्चा हो रही है, उसका कोई सिर-पैर नहीं है। आप कल्पना पर आधारित बातचीत कर रहे हैं। कल्पना पर आधारित आप बातचीत करेंगे तो उस लेवल पर हमको जाना पड़ेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- सदन का समय जाया हो रहा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आज तो इसकी आवश्यकता भी नहीं है। उसका कोई स्ट्रक्चर हो या कुछ हो तो आप रखे न, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बात कही है, उसके लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। आखिर उसी की बात कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी बेकार की बातें तो कर ही नहीं सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष जी, अभी अजय जी कह रहे थे कि मंत्री जी समय जाया कर रहे हैं। सदन में कोई उत्तर हो रहा है, आप थोड़ा गंभीरता से सुनिये न। पंचायत

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ग्रामीण विकास का हुआ, प्लानिंग का हुआ, जी.एस.टी. का हुआ, हेल्थ का उत्तर माननीय मंत्री जी आपको इंट्रोडयूस कर रहे हैं जो उनकी नई योजना है। आप ओबामा केयर में, यू.के. में चले गये।

श्री अजय चन्द्राकर :- वैश्विक बात उन्होंने शुरू की थी, मैंने नहीं की।

श्री रविन्द्र चौबे :- इस सदन में आप छत्तीसगढ़ की बात करें, ओबामा और यूके से आपका क्या मतलब है और क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं ? माननीय मंत्री जी इतना अच्छा उत्तर दे रहे हैं, विद्वान हैं और समझते भी हैं और छत्तीसगढ़ के हितों के लिए क्या करना है, वह सारे प्रावधान वह किये हुए हैं। इसलिए आप जरा धैर्य से सुनिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि संसदीय कार्य मंत्री जी ने मुझे कुछ बात कही, मैं बिल्कुल भी वैश्विक नहीं जाना चाहता, थाईलैण्ड में नहीं होता है, दुनिया में ऐसा चिंतन हो रहा है करके बात की शुरूआत की।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- आपने की थी।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने कही है, आप रिकार्ड दिखवा लीजिए। थाईलैण्ड और वैश्विक चिंतन आपने प्रस्तुत किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है जिसमें मैंने शुरू से आपत्ति ली की बहुत पढ़ आये हों, समय जाया नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कहा। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपकी विद्वता पर, समर्पण पर कहीं मुझे संदेह नहीं है। बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत सम्मान करता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अजय जी, अभी बात ही नहीं हुई, यूनिवर्सल हेल्थ केयर के बारे में आपसे महाराज साहब बता ही तो रहे थे न, सदन को अवगत ही करा रहे थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब चूंकि इसमें संसदीय कार्य मंत्री खड़े हो गये, आप ये बताईये कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम बजट पर कहां पर कितना प्रिन्ट है ? पूरे हफ्ते में हम एक काल्पनिक लोक में चर्चा कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी, सदन इसके लिए नहीं है। हम नरूआ, घुरूआ, बाड़ी मे चर्चा करें, यूनिवर्सल हेल्थ केयर में चर्चा करें जिसका कोई सिर-पैर नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि सदन रात भर बैठने को तैयार है लेकिन आप जो प्रिन्टेड है, बजटेड है, उसमें बात करिये।

श्री अमरजीत भगत :- आप सुनने के लिए तैयार है न ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आईडियोलॉजिक बात नहीं कर रहा हूं कि आप क्या करने जा रहे हैं क्या नहीं ? इसलिए मैंने वह शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन वह गलत है तो मैं उस शब्द को वापस ले लेता हूं।

श्री अमरजीत भगत :- रात के 11.00 बजेंगे, क्या आप सुनने के लिये तैयार हैं ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- दिन भर । माननीय अध्यक्ष महोदय, आप थोड़ी देर नहीं थे तो चेयर में माननीय अमरजीत भगत जी बिल्कुल उपाध्यक्ष की तरह शोभित हो रहे थे । (हंसी)

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में यूनिवर्सल हेल्थ केयर अंकित है । मैं यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात कर रहा हूं । बजट में यूनिवर्सल हेल्थ केयर लिखा है कि नहीं लिखा है ? हेल्थ की सर्विस क्या है ? दवाई देना, डॉयग्नोसिस करना, ऑपरेशन हो तो ऑपरेशन करना यही है, उसके पहले बीमार न पड़े उसको देखना । रिहेबिलिटेशन उसके आगे देखना, यही हेल्थ केयर है न । इसको कैसे लागू करना ? जो बुनियादी बात हो रही है, तकलीफ कहां पर है ? आयुष्मान भारत । यूनिवर्सल हेल्थ केयर, आयुष्मान भारत । वहां पर तकलीफ है तो आपने जो तकलीफ व्यक्त की उसी के संदर्भ में तो मैं बात बता रहा हूं कि यह बात आप जो कह रहे हैं और मैं जो कह रहा हूं वह क्या है वह सदन के सामने रख रहे हैं । आप पास करिए न कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर को रिजेक्ट किया जाता है । सदन में वोट करा लीजिये और उसको पास कर लीजिये कि हमको यूनिवर्सल हेल्थ केयर लागू करना है । यूनिवर्सल हेल्थ केयर क्या है, आपका उपचार होना है कैसे होना है ? आप सारे सरकारी अमले को हटा दीजिये । 69,900 कितने मितानिन हैं सबको हटा दीजिये सारे हेल्थ सेंटर्स को बंद कर दीजिये, सारे पीएचसीस को बंद कर दीजिये, सारे सीएचसीज को बंद कर दीजिये, सारे जिला अस्पताल को बंद कर दीजिये, सारे मेडिकल कॉलेजेस को बंद कर दीजिये और सबको आप प्राईवेट सेक्टर में दे दीजिये और पैसा उनके लिये उपलब्ध करा दीजिये । एक मॉडल, दूसरा मॉडल आपने अपनाया, दशकों से आपने अपनाया कि हेल्थ केयर अगर हमको आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना है तो शासन पब्लिक के पैसे का इस्तेमाल करके दवाईयां भी खरीदकर दे रही है, उपकरण भी खरीदकर दे रही है, ऑपरेशन की भी व्यवस्था कर रही है और इनके लिये मानव संसाधन भी उपलब्ध करा रही है । यह बीच की बात हो गयी, आपकी जो चिंता है वह यह है कि जब तक पूरी व्यवस्था नहीं होगी तब तक आप क्या करेंगे ? तो और बेहतर प्रबंधन करेंगे और संपूर्ण व्यवस्था शासन के माध्यम से हो सके, पब्लिक के पैसे के माध्यम से हो सके, अतिरिक्त पैसा पब्लिक को अपने जेब से न देना पड़े उसकी परिकल्पना है यूनिवर्सल हेल्थ केयर और यह उसमें लागू है और इसको यह सरकार लागू करके छत्तीसगढ़ में दिखाना चाहती है । (मेजों की थपथपाहट) इसमें कहीं ऐसी बात नहीं है कि जो हवा-हवाई है । जो दिक्कतें आ रही हैं वह क्या है ? एक-तरफ आप कह रहे हैं कि आपके पास पूरा अमला नहीं है । दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमने हेल्थ कॉर्ड लांच किया है, 30 हजार का, 50 हजार का, किस सरकार ने लांच किया था ? कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार ने लांच किया था । यह राजनीति की बात नहीं है, कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है । एक सिस्टम लांच हुआ जो ओबामा केयर की तर्ज पर आप किसको फंड कर रहे हो बीमा कंपनी को, हमने देखा कृषि क्षेत्र में भी बीमा कंपनी के माध्यम से जब

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हम पैसे देते हैं तो क्या बीमा कंपनी के माध्यम से कृषकों को पूरे पैसे उपलब्ध हो रहे हैं ? क्या उनको उसमें पूरा लाभ मिल पा रहा है ? कहीं न कहीं गेप है और बात आती है कि बीमा कंपनी को लाभ हो रहा है । कौन सी निजी बीमा कंपनी बिना लाभ के काम करेगी ? यानी आप उनको जो पैसा देंगे उससे अधिक वह कहीं न कहीं लाभ का भी पैसा रखेंगे, आपकी प्रीमियम की राशि का तो क्या उस प्रीमियम की राशि का आप पूरा उपयोग बेहतर हेल्थ की सुविधा देने के लिये नहीं कर सकते ? यूनिवर्सल आप कर सकते हैं, यही हमारी परिकल्पना है । कोई हवा-हवाई की बात नहीं है । बुनियादी स्तर पर मैं मितानिन की बात कर रहा हूं, सबहेल्थ सेंटर की बात कर रहा हूं, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं, इन सबमें छत्तीसगढ़ का शासन अपने से व्यवस्था करवायेगा कि नागरिकों को अपनी ओर से पैसा खर्चा न करना पड़े यह यूनिवर्सल हेल्थ केयर का कांसेप्ट है । जब तक, बंद हो गया, आयुष्मान भारत बंद हो गया । राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान बीमा योजना में मर्ज हो चुकी है वह केंद्र सरकार के बीपीएल परिवारों के लिये चिन्हांकित की थी । केंद्र सरकार ने 10 करोड़ परिवारों के लिये आयुष्मान योजना लांच की, 5 लाख की उसमें सीमा बनायी । पूर्व की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लांच की थी और पूरक के रूप में छत्तीसगढ़ की सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा लांच करके....।

श्री अजय चंद्राकर :- यह मान लिया, आप करेंगे । (हंसी)

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब बात को यहीं छोड़ते हैं क्योंकि उन्होंने भी मान लिया कि करेंगे और अनुमति दे दी और अपनी सहमति भी दे दी ।

श्री अजय चंद्राकर :- चलिये, मैंने सहमति दे दी । आप पास करिये । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, पास करने के लिये निवेदन करिये ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- जी । माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य की सेवाओं में जो आर्थिक-सामाजिक फेक्टर्स होते हैं जिसमें खाद्यान्न, पर्यावरण, स्वास्थ्य की सुविधा से दूरी, शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं की कमी । ये कारण बनते हैं स्वास्थ्य की सेवाओं के पूर्ण व्यवस्था नागरिकों को देने में जो बातें आती हैं । अध्यक्ष महोदय, बीमारियों को माना गया है कि बायोलॉजिकल इम्बॉडीमन, परिलक्षण अभाव का । कहां दिखता है । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, मैं और अजय जी तो चले जाएंगे, उपचार करा लेंगे । लेकिन वह आखिरी व्यक्ति उसको पांच लाख की यदि आवश्यकता पड़ेगी तो देना या नहीं देना, यह यूनिवर्सल हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग देंगे ।

अध्यक्ष महोदय, जनसामान्य को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अन्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ-साथ आयुष पद्धतियों का भी राज्य में निरंतर विकास एवं विस्तार किया जा रहा है । वर्ष 2019-20 हेतु राशि रूपए 286.41 करोड़ प्रावधानित है । उक्त में से

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

निर्माण/अधोसंरचना कार्य हेतु लगभग राशि 8.50 करोड़ प्रावधानित है । वर्ष 2018-19 में विभागीय चिकित्सकीय संस्थाओं के माध्यम से माह दिसम्बर 2018 तक 4488868 जन सामान्य को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया गया । आयुष की विभिन्न विधाओं के उन्नयन हेतु भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आयुष विभाग नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय आयुषा मिशन के तहत विभिन्न गतिविधियों हेतु वर्ष 2018-19 में केन्द्रांश 1002.14 लाख एवं राज्यांश राशि रू. 668.09 लाख कुल राशि रूपए 1670.24 लाख की स्वीकृति प्राप्त की गई है । जिसमें 46 आयुष औषधालय भवन निर्माण शामिल है ।

चार जिलों में एक ही छत के नीचे 10 शैय्यायुक्त आयुष पॉली क्लीनिक एवं जिला आयुर्वेद कार्यालय भवन निर्माण के लिए 400 लाख रूपए की राशि का प्रावधान है । शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय रायपुर में स्नात्कोत्तर शाखा के लिए नवीन स्नात्कोत्तर भवन के निर्माण के लिए 100 लाख रूपए का प्रावधान है । शासकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर हेतु सीसीआईएम के मापदंड अनुरूप स्वयं के भवन के लिए 100 लाख का प्रावधान है । आयोजना और आयोजनेत्तर मद में जो प्रावधान किया गया है । 2018-19 में 29053.49 लाख की तुलना में 28641.20 लाख जो 1.42 प्रतिशत की कमी है, का प्रावधान रखा गया है । 7 आयुर्वेद चिकित्सालय एवं 692 आयुष औषधालयों का जनभागीदारी के माध्यम से उन्नयन एवं सुविधाएं प्रदान किये जाने हेतु राशि 211 लाख का प्रस्तावित है । आयुषदीप समिति के द्वारा चिकित्सालय एवं औषधालय का उचित प्रबंधन, उन्नयन, स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता सुधार, जनजागरूकता एवं जनभागीदारी से किया जावेगा, जिससे जनसामान्य को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सकेगी ।

आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी औषधियों में पर्याप्त औषधियों की उपलब्धता के लिए व्यवस्था की गई है । समस्त औषधालयों में अत्यावश्यक औषधियां एवं यंत्र उपकरण पर्याप्त मात्रा में नि:शुल्क उपलबध कराई जा रही है। प्रतिवर्ष 55 लाख रोगियों को आयुष पद्धति से चिकित्सा लाभ प्रदाय किया जा रहा है । जहां पर औषधालय उपलब्ध नहीं है वहां पर विशेष शिविरों का आयोजन कर चिकित्सा लाभ पहुंचाया गया । जिला स्तर पर, विकासखंड स्तर पर 2 स्वास्थ्य मेला, 59647 रोगियों को लाभान्वित किया गया ।

अध्यक्ष महोदय, लोक सेवा आयोग के माध्यम से चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति - कुल स्वीकृति 1196 के विरूद्ध 936 चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं । जिनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आयुर्वेदिक महाविद्यालय के छात्रों के शिक्षण 2019-20 में छात्रों के प्रशिक्षण (अस्पष्ट), महाविद्यालय के नवीनीकरण, (अस्पष्ट) 35 लाख का प्रावधान किया गया है । इससे पुनर्बोध कार्यक्रम के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी । अध्यक्ष महोदय, युनिवर्सल

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

हेल्थ केयर पर तो बात हो गई है । हमारी सरकार प्राथमिकता पर ध्यान देगी, उपलब्ध को बढ़ाएंगे, सार्वजनिक स्वास्थ्य की अवधारणा की गई है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वंदे भारत जो ट्रेन चालू हुई है, उससे भी ज्यादा स्पीड है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- सर्वजन स्वास्थ्य की अवधारण को पूर्ण करने के लिए हमारी प्राथमिकता होगी कि हम आवश्यक मानव संसाधन की नियुक्ति करें । मैंने प्रेरणा ली है, बृहस्पत भाई से । हमारी प्राथमिकता होगी संसाधनों की नियुक्ति करना। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एमबीबीएस डॉक्टर्स की नियुक्ति करना । उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ नर्स एवं बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं की कमी को योजनाबद्ध तरीके से जल्द से जल्द दूर करने के लिए 345 पदों पर पदस्थापना आदेश जारी किये गये हैं । शीघ्र ही चिकित्सा अधिकारियों के 600 रिक्त तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों के 321 पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सर, मैं पूरी तरह से सहमत हूं । जब मतदान मांगेंगे तो हां, नहीं भी बोलूंगा । आप चलिए ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अरे, बैठ जा डॉक्टर ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- क्यों बैठूंगा मैं, थोड़ा लैंग्वेज देखकर बातचीत करें ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- (हंसी) जल्दी हो जाएगा इसलिए ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जितने सीएचसी हैं, क्या उनके ओ.टी. को आप संचालित कर लेंगे । ओ.टी. को ही चालू कर लें, वहां हॉस्पीटल का सिस्टम शुरू हो जाएगा । केवल ओ.टी. को ही चालू कर लें ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- यही लक्ष्य है और मैं यह नहीं कह रहा कि कल हो जायेगा। यही यूनिवर्सल हेल्थ केयर का कंसेप्ट है। 600 रिक्त तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों के 321 पदों की नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी। स्टाफ नर्स के 994 नियमित तथा हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के लिए 214 पदों पर चयन का कार्य किया गया है। तकनीकी स्टाफ के अंतर्गत 228 प्रयोगशाला तकनीशियन एवं 21 पर रेडियोग्राफर पदों की नियुक्ति की कार्यवाही शासन के द्वारा की जा रही है। भारतीय मानक के अनुसार आई.पी.एच.एस. के पद की पूर्ति की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वेतन वृद्धि के संबंध में विचार किया जा रहा है और मुझे आवश्स्त किया गया है कि यह होगा। सर्वजन स्वास्थ्य के लिए दूसरा बड़ा कदम होगा। जरूरी दवाओं को नि: शुल्क उपलब्ध कराना। मितानिन से लेकर अस्पताल तक जिस स्तर का दवाई जरूरी हैं, उपलब्ध कराया जायेगा और इसके लिए पोर्टल भी हम लोग लांच कर रहे हैं, जिसमें हर इकाई में उपलब्ध हर दवाई की जानकारी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

होगी। विभाग के साथ कोई भी नागरिक ऑनलाइन जाकर देख सकते हैं कि मितानिन के पास जो दवाइयां होनी चाहिए, उसमें उनके पास क्या स्टॉक है। वर्ष का प्रारंभिक स्टॉक कितना सप्लाई किया गया है, कितनी मात्राओं में दवाइयां उनकके पास शेष बची हुई हैं? किस स्तर की शेष बची हुई है? खत्म होने के कगार पर है यानी महत्वाकांक्षी सोच है और हम लोग इसको लांच करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी आपके सामने पारदर्शी रूप में यह भी आपके सामने आ जायेगा। जांच सेवाओं को भी नि-शुल्क बनाया जाएगा। उचित स्तर की जांच सेवाओं को भी नि:शुल्क बनाया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि हमारे स्वास्थ्य केन्द्रों में आने वाले किसी मरीज को दवा या जांच के लिए एक भी रूपया खर्च करना न पड़े। जनता का स्वास्थ्य हमारी सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। हम इसे जन समुदाय के एक अनिवार्य अधिकार के रूप में देखते हैं। इस संकल्प को दृढ़ता से पूर्ण करेंगे। स्वास्थ्य बीमा योजना क लिए सरकार ने बजट में कुल 511 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। राज्य के अस्पतालों में वर्तमान सफाई व्यवस्था में सुधार के लिये 15 करोड़ की अतिरिक्त राशि का बजट में प्रावधान किया गया है राज्य के 27 जिलों में से वर्तमान में 26 जिलों में जिला चिकित्सालय संचालित है। पता नहीं एक छूटा था और वह भी संजोग से अंबिकापुर सरगुजा का तो वर्तमान सरकार ने जिला चिकित्सालय की स्थापना हेतु 133 पदों का सृजन तथा राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 242 स्टाफ नर्सों के अतिरिक्त पदों का सृजन करते हुए बजट में 7 करोड़ 26 लाख राशि का प्रावधान किया गया है। तो सरगुजा अंबिकापुर में भी जिला अस्पताल...। राज्य में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उपस्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला चिकित्सालय गरियाबंद में अतिरिक्त भवन निर्माण के लिये बजट में 6 करोड़ 10 लाख राशि का प्रावधान किया गया है। राज्य के दो संभाग बिलासपुर एवं जगदलपुर के चिकित्सा महाविद्यालय में मल्टी सुपरस्पेशलिटी चिकित्सालय की स्थापना के लिये बजट में 22 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालयों के उन्नयन के साथ जिला चिकित्सालय जगदलपुर एवं रायगढ़ ट्रामा इकाई की स्थापना के साथ जिला चिकित्सालय बिलासपुर में बनई इकाई की स्थापना का निर्णय भी हमारी सरकार ने लेते हुए इस बजट में 6 करोड़ 80 लाख का राशि का प्रावधान किया है। राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर करने चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिये 25 सीट में वृद्धि का निर्णय सरकार ने लिया है। प्रदेश की जनता को मिलावट रहित खाद्यान्न के लिए 16 करोड़ 47 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है। चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत राज्य में चिकित्सा शिक्षा का बजट 2018-19 में रूपये 946.18 करोड़ का प्रावधान जो कि वर्ष 2019-20 में लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रूपये 1099.70 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इस बजट में चिकित्सा शिक्षा का महत्वपूर्ण योजनाओं में चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर एवं जगदलपुर में सुपरस्पेशिलिटी चिकित्सालय की

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

स्थापना होना है। इस योजना के लिये प्रत्येक संस्था के लिये रूपये 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे राज्य की जनता को सुपरस्पेशिलिटी की सुविधा मिल सके। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय, बिलासपुर में बर्न यूनिट की स्थापना के लिये बजट में रूपये 6.579 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अंबिकापुर के नवीन भवन निर्माण के लिए रूपये 374.08 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में चिकित्सा महाविद्यालय, अंबिकापुर के नवीन भवन निर्माण हेतु रूपये 80 करोड़ का बजट प्रावधान तथा चिकित्सालय के उन्नयन के लिए रूपये 9 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। चिकित्सालय के लिये चिकित्सकीय उपकरण सी.टी.स्केन मशीन तथा अन्य उपकरणों के क्रय हेतु रूपये 15 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है और सरगुजा मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण की टेंडर की प्रक्रिया चालू है। वह टेंडर मेरे ख्याल से लास्ट डेट आने वाला है। उसके बाद टेंडर। हाईकोर्ट में भी कुछ साथी गये हैं। हाईकोर्ट ने कोई स्थगन नहीं दिया है। उसने हाईकोर्ट के निर्णय के अनुरूप बिल्डिंग के टेंडर की प्रक्रिया आगे जारी करके बिल्डिंग का काम चालू होगा। आयुष चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्श 2019-20 हेतु राशि रूपये 285.41 करोड़ प्रावधानित है। इस राशि अंतर्गत निर्माण/अधोसंरचना कार्य हेतु लगभग राशि रूपए 8.50 करोड़ प्रावधानित है।

4 जिलों के एक ही छत के नीचे आयुष्मान का यह आ गया था । माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए मांग संख्या 19 के अंतर्गत रूपये 2005 करोड़ 09 लाख 30 हजार तथा मांग संख्या 79 के अंतर्गत रूपये 884 करोड़ 30 लाख 15 हजार के अनुदान मांग प्रस्तुत किया गया है। मेरा सदन से अनुरोध है कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि आप सब के आशीर्वाद एवं सहयोग हम एक संवेदनशील एवं सक्षम स्वास्थ्य प्रशासन देने में सफलता पायेंगे। सभी सदस्यों ने, जिन्होंने अपने-अपने सुझाव दिए हैं, अपनी-अपनी मांगों को प्रस्तुत किया है। उन्हें लगा होगा कि मैं सुन रहा हूँ या नहीं, लेकिन करीब-करीब सभी साथियों के सुझाव लिखे हैं, मैंने सुपेबेड़ा के बारे में आपकी भावनाओं को जरूर ध्यान में रखूंगा। मैं घोषणा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप यह मानकर चलो कि अगर सब हेल्थ सेन्टर पी0एच0सी0 में तब्दील हो जायेगा, तो आपको अच्छा लगेगा। आपके विधायक रहते हुए वह भी हो सकता है कि हो जायेगा।

श्री डमरूधर पुजारी :- पीने के पानी की समस्या है।

श्री टी0एस0 सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा समय दे दीजिये। आपको अच्छा लगेगा। पी0एच0सी0 के लिए वहां वाहन भी उपलब्ध रहेगा। वहां मेडिकल भी रहेगा, डाक्टर्स भी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आयेंगे। जो सब हेल्थ सेन्टर है, उससे बड़ी इकाई भी मिल सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या- 30, 80, 19, 79, 7, 31 एवं 50 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं, मांगों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को -

मांग संख्या	-	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास से संबंधित व्यय के लिये - तीन हजार पांच सौ पचास करोड़, बांसठ लाख, अठ्यासी हजार रूपये,
मांग संख्या	-	80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए तीन हजार तीन सौ तीन करोड़, तेरह लाख, तैंतीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिये - दो हजार चार करोड़, बयानबे लाख, अस्सी हजार रूपये,
मांग संख्या	-	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय के लिये - आठ सौ चौरासी करोड़, पच्चीस लाख, पंचानबे हजार रूपये,
मांग संख्या	-	7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय के लिये - दो सौ छिहत्तर करोड़, पैंसठ लाख, तैंतीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय के लिये - बयालीस करोड़, पच्चीस लाख, अस्सी हजार रूपये तथा
मांग संख्या	-	50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय के लिये - तीन करोड़, छब्बीस लाख, पचासी हजार रूपये तक की राशि दी जाए ।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

घोषणा

अध्यक्ष महोदय :- कल बुलवार दिनांक 20 फरवरी, 2019 को मायाराम सुरजन फाउण्डेशन द्वारा नेशनल फाउण्डेशन फॉर इण्डिया, नई दिल्ली के सहयोग से पंचम छत्तीसगढ़ विधान सभा के माननीय सदस्यों के लिए अपरान्ह 1.00 बजे से 2.45 बजे के मध्य विधान सभा सचिवालय परिसर स्थित डॉ0 श्यामा प्रसाद मुकर्जी प्रेक्षागृह में "स्वास्थ्य प्रथम" विषय पर परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

कल भोजन अवकाश दोपहर 1.00 बजे होगा। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि " स्वास्थ्य प्रथम" परामर्श कार्यक्रम में सम्मिलित होकर लाभान्वित होवे।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 20 फरवरी, 2019 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(सायं 6.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही, बुधवार दिनांक 20 फरवरी, 2019 (फाल्गुन-1, शक संवत् 1940) के पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की गई)

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक 19 फरवरी, 2019

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं